26वीं वार्षिक प्रतिवेदन

26th ANNUAL REPORT 2017 - 18

एन बी सी एफ़ डी सी
N B C F D C

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

26th वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2017 - 2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ''शिल्पोत्सव–2017'' में लाभार्थियों से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं श्री के. नारायन, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भी उपस्थित थे।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India interacting with beneficiaries at "Shilpotsav-2017" Smt. T.C.A. Kalyani, JS & FA, Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India & Shri K. Narayan, MD, NBCFDC were also present.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्राकंन
A Photo feature reaping the benefits of NBCFDC Schemes

सामान्य ऋण योजना
General Loan Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित महाराष्ट्र का लाभार्थी।

Beneficiary of Maharastra financed under NBCFDC 'General Loan Scheme'

महिला समृद्धि योजना
Mahila Samridhi Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित तमिलनाडु का स्वंय सहायता समूह।

Self Help Group of Tamilnadu financed under NBCFDC 'Mahila Samridhi Scheme'

नई स्वर्णिमा योजना
New Swarnima Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' के अन्तर्गत वित्त पोषित तमिलनाडु की लाभार्थी।

Beneficiary of Tamilnadu financed under NBCFDC Special Scheme 'New Swarnima Scheme'

शैक्षिक ऋण योजना
Education Loan Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'शैक्षिक ऋण योजना' के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु वित्त पोषित केरल की लाभार्थी ।

Beneficiary of Kerala financed for higher Education under NBCFDC 'Education Loan Scheme'

लक्षित वर्ग हेतु कौशल विकास कार्यक्रम
Skill Development Programmes for Target Group

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा आयोजित स्वचालित शटल लूम अश्वपरेटर का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

Training Programme of Automatic Shuttle Loom Operator conducted by Textile Sector Skill Council at Varanasi, Uttar Pradesh.

परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन सेंटर कोल्लम, केरल द्वारा आयोजित सिलाई मशीन अश्वपरेटर का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

Training Programme of Sewing Machine Operator conducted by Apparel Training and Design Centre Kollam, Kerala.

मशीन अश्वपरेटर सहायक का प्रशिक्षण कार्यक्रम – प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित प्लास्टिक प्रसंस्करण

Training Programme of Machine Operator Assistant – Plastic Processing conducted by Central Institute of Plastic Engineering and Technology.

हिमाचल कंसल्टेंसी लिमिटेड, शिमला द्वारा आयोजित कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण में हाथ कढ़ाई प्रशिक्षण।

Hand Embroidery training at Kangra, Himachal Pradesh Training conducted by Himachal Consultancy Ltd., Shimla.

विपणन संयोजन / Marketing Linkages

हैंडलूम हश्वट–2017 / Handloom Haat - 2017

श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ''हैंडलूम हश्वट–2017'' में लाभार्थी से वार्ता करते हुए।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E),Govt. of India interacting with beneficiary at "Handloom Haat-2017".

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2017
India International Trade Fair - 2017

श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2017'' में लाभार्थियों से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर श्री के. नारायण, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E),Govt. of India interacting with beneficiary at "India International Trade Fair-2017". Shri K. Narayan, MD, NBCFDC and other officials were also present.

हैंडलूम हश्वट–2017
Handloom Haat - 2017

श्री के. नारायण, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ''हैंडलूम हश्वट–2017'' में लाभार्थियों से वार्ता करते हुए।

Shri K. Narayan, MD, NBCFDC interacting with the beneficiaries at "Handloom Haat - 2017".

सीएसआर और जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहल
Initiatives under CSR and Awareness Programme

उत्तर प्रदेश में आयोजित मुफ्त स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सा शिविर का आयोजन। गरीब ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सुविधाओं का लाभ उठाया।

Free Health Check-up & Medical Camp organised in U.P. Large number of poor villagers availed the facilities.

दिल्ली के एक स्कूल में ''स्वच्छता ही सेवा'' पर निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरण। स्वच्छता के बारे में भी छात्रों को संवेदनशीलता मिली।

Certificate distribution to the participants of Essay Competition on "Swachhta Hi Sewa" at a School in Delhi. The students were also sensitised about Swachhta.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के प्रचार – प्रसार हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, उ.प्र. के साथ किया गया ।

Awareness Camp for the propagation of the Corporation schemes organized by NBCFDC and Kashi Gomti Gramin Bank, in UP.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
National Backward Classes Finance & Development Corporation

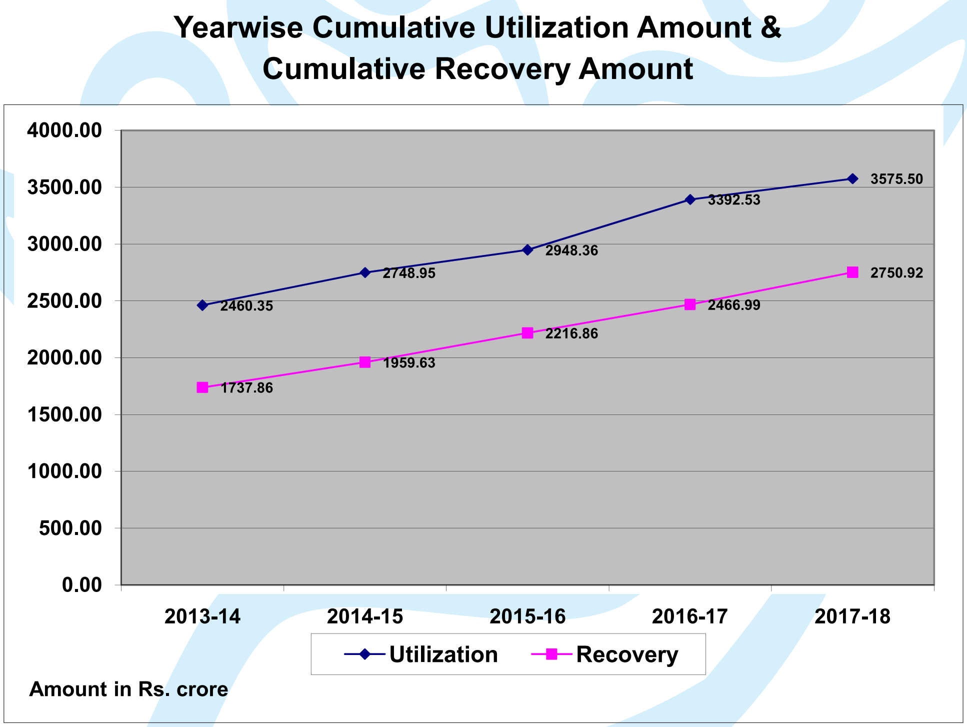

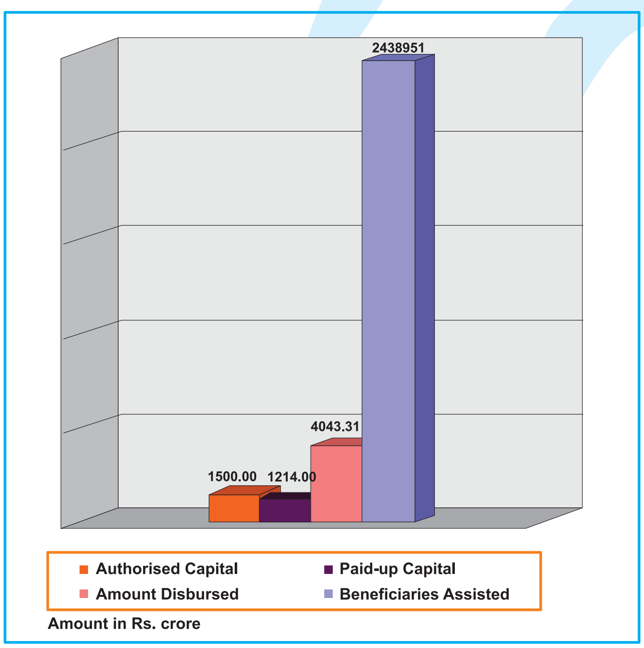

31.03.2018 को अधिकृत अंश पूंजी, प्रदत्त पूंजी, संचयी राशि वितरण एव सहायता प्राप्त लाभार्थी

Authorised share capital, Paid-up capital, Cumulative Amount Disbursement and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2018

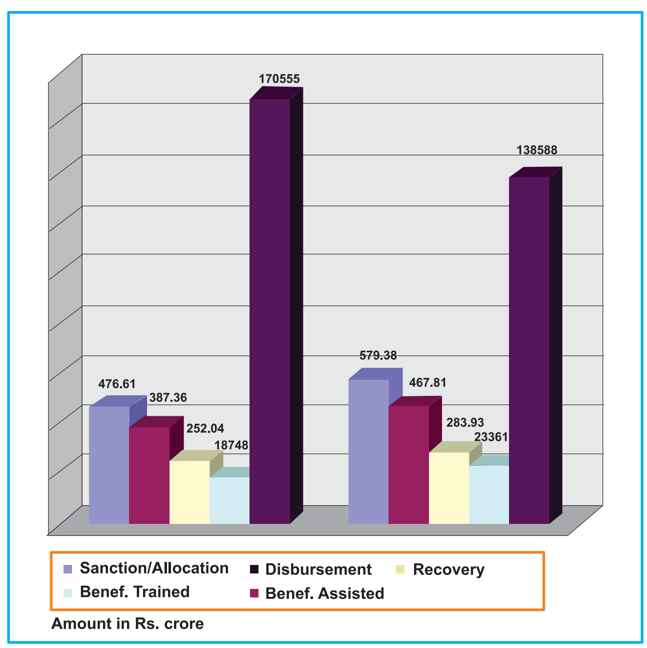

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।

Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2016-17 & 2017-18

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
Rajbhasha Hindi Activities

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निगम के राजभाषा कार्यों के निरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 09.01.2018 का चित्राकंन

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेते हुए निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं पदाधिकारी गण।

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रोत्साहन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी गण।

निगम के अधिकारियों हेतु आयोजित हिन्दी कार्यशाला के अवसर पर प्रतिभागियों का समूह फोटो।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Narayan
Managing Director

Shri Shyam Kapoor
CMD, NSFDC, Director

Shri Pravir Krishna
MD, TRIFED, Director

Shri B.L. Meena
JS(BC), SJ&E, GOI, Director

Ms. T.C.A. Kalyani
JS & FA, SJ&E, GOI, Director

Shri Sanjay Goyal
CGM, SIDBI, Director

Shri Rajiv
GM, NABARD, Director

Ms. Saroj Kumari
Non-Official Director

Shri K. Hanmandloo
Non-official Director

26वीं
वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2017-2018

निदेशक मण्डल (सितम्बर, 2018)
Board of Directors (September, 2018)

श्री के. नारायन प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. नई दिल्ली	Sh. K. Narayan Managing Director, NBCFDC New Delhi
श्री श्याम कपूर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एन.एस.एफ.डी.सी., नई दिल्ली	Sh. Shyam Kapoor CMD, NSFDC New Delhi
श्री प्रवीर कृष्ण प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड, नई दिल्ली	Sh. Pravir Krishna Managing Director, TRIFED New Delhi
श्री बी.एल.मीना संयुक्त सचिव (बी.सी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	Sh. B.L. Meena Joint Secretary (BC) Ministry of S J & E, Govt. of India
सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	Ms. T.C.A. Kalyani Joint Secretary & FA, Ministry of S J & E, Govt. of India
श्री संजय गोयल मुख्य महाप्रबन्धक, सिडबी, नई दिल्ली	Sh. Sanjay Goyal CGM, SIDBI, New Delhi
श्री राजीव महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली	Sh. Rajiv GM, NABARD, Delhi
सुश्री सरोज कुमारी एन.ओ.डी., जयपुर, राजस्थान	Ms. Saroj Kumari NOD, Jaipur, Rajasthan
श्री के. हन्मन्डलू एन.ओ.डी., हैदराबाद, तेलगंना	Sh. K. Hanmandloo NOD, Hyderabad, Telengana

प्रबन्ध निदेशक / Managing Director	:	श्री के. नारायन	Sh. K. Narayan
उ.म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव/ DGM (Fin.) & Company Secretary	:	श्री अजित कुमार सामल	Sh. Ajit Kumar Samal
लेखा परीक्षक / Auditors	:	मेसर्स एन.के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स चाटर्ड एकाउन्टेंट्स नई दिल्ली	M/s. N.K.S. Chauhan & Associates Chartered Accountants New Delhi
मुख्य बैंकर्स / Principal Bankers	:	• केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • विजया बैंक, नई दिल्ली • देना बैंक, नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Vijaya Bank, New Delhi • Dena Bank, New Delhi

Letter to the Shareholders

LADIES & GENTLEMEN,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I am pleased to present to 26th Annual Report of the Corporation.

I am indeed privileged to be the Chief Executive of this Corporation working towards the objective to promote economic and developmental activities for the benefit of poor amongst the Backward Classes thereby assisting them in skill development and self-employment ventures. Your Corporation provides financial assistance through State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC.

During the financial year 2017-18, your Corporation received equity support of Rs. 90.00 crores from the Ministry of SJ&E thereby enhancing paid-up share capital from Rs. 1124.00 crores as on March 31, 2017 to Rs. 1214.00 crores as on March 31, 2018.

Against above, I am extremely pleased to report that during the year with the collective efforts made by all the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has been in a position to attain an all-time high total disbursement of Rs. 467.81 crores which translates into a 20.77% increase as compared to Rs. 387.35 crores disbursed in the previous year and registered a turnover of Rs. 44.20 crore as against Rs.47.67 Crores during previous year. During the year, the Operating income of the Corporation has increased from Rs.32.76 crores to Rs. 35.87 cores. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation stood at Rs. 1664.00 crores as compared Rs. 1553.93 crores as on 31.03.2017.

NBCFDC has been consistently increasing its outreach to the beneficiaries and so far has assisted over 24 lakh beneficiaries (approx) with a loan amount over Rs. 4043.31 crores through SCAs/CPs thereby turning around the equity support received from Government by over 3.3 times. SCAs have reported cumulative utilization of 95% of funds disbursed to them.

NBCFDC gives adequate attention to recovery of Loan from SCAs. As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 2750.92 Crore as against cumulative dues of the Rs. 2970.63 Crore as on 31.03.2018. The cumulative amount of recoveries of Rs. 2750.92 Crore comprises of Rs. 2358.08 Crore as principal and Rs. 392.84 Crore as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stood at 92.60% as on 31st March, 2018 up from 92.31% in 31st March 2018. We are diligently following up with the state governments from whom recovery has not been up to the mark.

I am pleased to share that the Annual Accounts of the Corporation for the year 2017-18 also has been audited by the Comptroller & Auditor General of India and the Corporation received NIL comments for the year 2017-18, which shows excellent financial systems are in place.

As part of its developmental activities, your Corporation facilitated skill development training to 23361 beneficiaries under the schemes of Skill Development Training Programme using internal resources, grants from Ministry of SJE and additionally implementing CSR programmes of other CPSEs. These included 18096 fresh skilling & 5265 up-skilling programmes implemented by various government Training Institutions & Sector Skill Councils (SSCs) under the aegis of Ministry of Skill Development Entrepreneurship (MSDE). All training programmes are being imparted as per the guidelines of the Common Norms issued by MSDE.

Your Corporation undertook initiatives of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/channel partners. During the year, coordinating with State Channelizing Agencies (SCAs) and Regional Rural Banks / Public Sector banks, 44 awareness camps were

अंशधारकों को पत्र

देवियो और सज्जनो,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

मेरे लिए यह प्रसन्नता एवं सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसे निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है जो पिछड़े वर्गो के लोगों के आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न होने सहित पिछड़े वर्गो के निर्धनतम लोगों के कौशल विकास तथा स्वरोजगार के लिए भी योगदान दे रहा है। आपका निगम सबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इक्विटी सहयोग के रूप में 90 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके फलस्वरूप 31.03.2017 को निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 1124.00 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को 1214.00 करोड़ रूपये हो गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मुझे यह सूचित करने हुए भी प्रसन्नता है कि निगम के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग एवं मागदर्शन के फलस्वरूप आपका निगम अब तक सबसे अधिक अर्थात् कुल 467.81 करोड़ रूपये का संवितरण करने में सफल रहा तथा गत् वर्ष संवितरित की गई धनराशि 387.35 करोड़ रूपये में 20.77% की वृद्धि दर्ज की गई एवं आपके निगम ने गत् वर्ष के टर्नओवर 47.67 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान 44.20 करोड़ रूपये का टर्नओवर दर्ज किया है। वर्ष के दौरान निगम की परिचालन आय 32.76 करोड़ रूपये से बढ़कर 35.87 करोड़ रूपये हुई है। इस प्रकार सृजित आधिक्य आय का लक्ष्य समूह के लिए संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार आपके निगम की निवल सम्पत्ति 1553.93 करोड़ रूपये से बढ़कर 1664.00 करोड़ रूपये हो गई है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निरंतर लाभार्थियों तक अपनी पहुँच बढ़ाता रहा है एवं अब तक एस.सी.ए./चैनल पार्टनर के माध्यम से 4043.31 करोड़ रूपये की ऋण राशि संवितरित कर 24 लाख से अधिक लाभार्थियों (लगभग) को सहायता उपलब्ध करा चुका है। इस प्रकार से सरकार से प्राप्त अंश सहायता का 3.3 गुणा से अधिक का वितरण किया गया है। एस.सी.ए. द्वारा उनको वितरित धनराशि के 95% सकल उपभोग को सूचित किया गया है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एस.सी.ए. से ऋण की वसूली पर पर्याप्त ध्यान देता है। निगम द्वारा किए गए निरंतर अनुवर्तन के फलस्वरूप निगम 31.03.2017 तक 2970.63 करोड़ के देय बकाया के सापेक्ष 2750.92 करोड़ रूपये की वसूली करने में सफल रहा। 2750.92 करोड़ रूपये वसूल की गई सकल राशि में 2358.08 करोड़ रूपये मूलधन के रूप में तथा 392.84 करोड़ रूपये ब्याज/अन्य प्रभार के रूप में हैं। 31 मार्च, 2018 को एस.सी.ए. से सकल मांगो के सापेक्ष सकल वसूली 31 मार्च 2018 में 92.31% से बढ़कर 92.60% रही। हम ऐसी राज्य सरकारों के साथ, जिनसे वसूली का स्तर ठीक नहीं है, पूरी तत्परता के साथ इस मामले को उठा रहे हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2017–18 के निगम के वार्षिक लेखों की भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और निगम को वर्ष 2017–18 के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है, जो उत्कृष्ट वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है।

विकासात्मक कार्यकलापों के रूप में आपके निगम ने अपने आंतरिक संसाधनों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अनुदान तथा अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सी.एस.आर. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त सहायता राशि का उपयोग करते हुए 23361 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया। इनमें 18096 लाभार्थियों को नए कौशल एवं 5265 लाभार्थियों को कौशल उन्नयन कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में सेक्टर स्किल काउसिलों द्वारा क्रियान्वित उच्च प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानकों के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

आपके निगम ने अपनी योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा लक्ष्य समूह को बैंकों के अधिकारियों/चैनल भागीदारों के साथ सम्पर्क के अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता सह–ऋण शिविर आयोजित किए। वर्ष के दौरान निगम ने एस.सी.ए. एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको/सार्वजनिक क्षेत्र के

organized, in which large number of prospective beneficiaries attended and registered their names for availing loan from channel partners at concessional rate of interest.

Not restricting on its laurels of being a social sector enterprise, your Corporation has been funding much needed intervention at grass-root level for the poor & marginalized as a part of its Corporate Social Responsibility (CSR). In this regard, I have pleasure in informing that as part of CSR initiative and Swachh Bharat Mission, the Corporation sponsors free health and eye check-up camps to provide facilities to the poor to promote their healthy and hygienic living. During the year, twelve such camps were organized in some States, where more than 5,000 patients registered and about 1,100 free spectacles were distributed to the poor. It is also noteworthy to inform that in order to improve menstrual hygiene of girl students, Sanitary Napkin Vending & Incinerator Machines have been provided in 29 girls schools for benefitting more than 5,000 students in some states. NBCFDC also undertook other CSR activities in various parts of the country for holistic development of students, providing clean drinking water, clean energy (Bio-Gas), mobile toilets to DNT cluster, improving quality of life of artisans like potters & weavers etc.

You Corporation ensures all the payments be made through e-transfer to the SCAs/Vendors/employees etc. NBCFDC has also advised to its Channel Partners to make all the payments strictly through e-transfer to the Aadhaar Seeded Bank Accounts of the beneficiaries. NBCFDC has also directed to all its Channel Partners to submit the details of DBT in "cash" basis and in "Kind" basis in the prescribed format.

Your Corporation has developed & implemented "Loan and Employee Information Automation Project (LEAP)" for transparent & hitch free monitoring of loan disbursal, recoveries and employee compensations. The project aims to automate the Loan and HR Management activities and also facilitates maintenance of information pertaining to grants given to Training Institutes/ Sector Skill Councils.

Last but not least, with a view to incentivize effective and efficient implementation of NBCFDC schemes, your Corporation introduced various progressive initiatives during the year which included the Productivity Linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme, Technology Up-gradation Scheme and liberalized One time Settlement (OTS) schemes. It is hoped that these measures will help our corporation even more to alleviate the sufferings of the poor.

ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the Members of the Board from time to time. I will also like to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, SCAs, State Governments, Statutory as well as Internal Auditors of the Corporation, officials of the C&AG, bankers of the Corporation and above all, employees of the Corporation whose sincere efforts were instrumental in achieving such exemplary result.

I convey my special thanks to all other stakeholders of the Corporation for their valuable support and cooperation and reposing continued confidence in the Corporation's management.

I am confident that with a dedicated and committed resource of employees and valuable support of our esteemed stakeholders, your Corporation will continue to surpass its targets and enhance value to its target group.

With best wishes,

(K. Narayan)
Managing Director

Place: New Delhi
Date : 25.09.2018

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meetings.

बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर 44 जागरूकता शिविर आयोजित किए जिनमें लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों ने भारी संख्या में भाग लिया तथा रियायती ब्याज दर पर चैनल भागीदारों से ऋण लेने के लिए अपने नाम दर्ज करवाए।

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते अपने कार्यो तक सीमित न होते हुए, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के कार्य के रूप में गरीब वंचित व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर अति आवश्यक हस्तक्षेप कर वित्त पोषित कर रहा है। इस संबंध में, मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि सी.एस.आर. पहल और स्वच्छ भारत अभियान के रूप में, निगम स्वच्छ और स्वस्थ जीवन हेतु गरीबों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और आंखों की जाँच के शिविर प्रायोजित करता है। वर्ष के दौरान, कुछ राज्यों में बारह ऐसे शिविर आयोजित किए गए, जहां 5000 से अधिक मरीजों को पंजीकृत किया गया और गरीबों को लगभग 1,100 मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। यह भी सूचित करना उल्लेखनीय है कि लड़कियों के रजोधर्म की अवस्था में स्वच्छता में सुधार के क्रम में, कुछ राज्यों में 5000 से अधिक छात्राओं को लाभ पहुंचाने के लिए लड़कियों के 29 स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और भट्टी मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने देश के विभिन्न हिस्सों में छात्राओं के समग्र विकास के लिए अन्य सी.एस.आर. परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा (जैव गैस), डी.एन.टी. क्लस्टरों को मोबाइल शौचालय, कुम्हारों और बुनकरों जैसे कारीगरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के कार्यकलापों को भी शुरू किया है।

आपका निगम यह सुनिश्चित करता है कि एस.सी.ए./विक्रेताओं/कर्मचारियों आदि को किए जाने वाले भुगतान इलेक्ट्रानिक अंतरण (ई–ट्रांसफर) के माध्यम से किए जाएं। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चौलन भागीदारों को भी सलाह दी गई है कि लाभार्थियों को आधार से जुड़े बैंक खातों में ई–ट्रासंफर के माध्यम से ही भुगतान किए जाएँ। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने अपने सभी चैनल भागीदारों को भी निर्देश दिए हैं कि डी.बी.टी. का विवरण "नकदी" तथा 'वस्तु' आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

आपके निगम ने ऋण वितरण, वसूली और कर्मचारी क्षतिपूर्ति के पारदर्शी और बाधा मुक्त निगरानी के लिए ''ऋण और कर्मचारी सूचना स्वचालन परियोजना (LEAP)'' तैयार एवं कार्यान्वित किया है। परियोजना का उद्देश्य ऋण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों को स्वचालित करना है और प्रशिक्षण संस्थानों/सेक्टर स्किल काउंसिल को दिए गए अनुदान से संबंधित जानकारी के रख–रखाव की सुविधा भी प्रदान करता है।

अंतिम, किंतु यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, आपके निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रगतिशील पहलों की शुरुआत की जिसमें उत्पादकता से सम्बद्ध अनुदान–सहायता योजना (पी.एल.जी.आई.ए.), प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना और उदार एक–मुश्त अदायगी योजना (ओ.टी.एस.) आरंभ की है। मैं यह आशा करता हूँ कि ये कार्यकलाप निर्धन लोगों की कठिनाईयों को दूर करने में निगम के लिए सहायक होगें।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय–समय पर दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, राज्य सरकारों, निगम के सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों, निगम के बैंकर्स से प्राप्त सहयोग तथा मार्गदर्शन तथा निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा से किए गए प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ चूंकि उनके सत्यनिष्ठ एवं भरपूर प्रयासों के बिना ऐसे शानदार परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते थे।

मैं निगम के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निगम के प्रबंधन में अपना सतत् विश्वास बनाए रखा तथा अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया।

मुझे विश्वास है कि समर्पित और प्रतिबद्ध मानव संसाधन एवं हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान समर्थन के साथ, आपका निगम अपने लक्ष्यों से अधिक कार्य करना जारी रखेगा और अपने लक्षित समूह की उपयोगिता को बढ़ाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(के. नारायण)
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.09.2018

टिप्पणी– इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

विषय सूची
Contents

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1 - 5
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	6 - 76
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of C & AG of India	77 - 78
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Sheet	79 - 83
5	तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	84
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	85
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	86
8	साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	87
9	लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ Note and Accounting Policies	88 - 126

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलंग्नक
Annexures to the Director's Report

अनुलग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची List of State Channelising Agencies	24 - 27
2	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	28 - 30
2.1	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियां Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2018	31
3	गत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं राज्यवार ऋण का वितरण एवं 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सकल वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या SCA & State wise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement & No. of Beneficiaries as on 31st March, 2018	32 - 34
3.1	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति, जिन्होंने वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित नहीं की Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2017-18	35 - 36
3.2	वर्ष 2017–18 की अवधि में रा.चै.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and beneficiaries assisted during the year 2017-18	37 - 38
3.3	वर्ष 2017–18 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या State-wise/Scheme-wise & Sector-wise disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2017-18	39

अनुलग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
3.4	वर्ष 2017–18 की अवधि में नई स्वर्णिमा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वितरित राशि एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को प्रदर्षित करने वाला विवरण Statement showing amount disbursed and No. of beneficiaries assisted during 2017-18 under New Swarnima and Mahila Samridhi Scheme	40
3.5	31 मार्च, 2018 तक एस.सी.ए.–वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2018	41 - 43
3.6	वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2017-18	44 - 48
4	वर्ष 2017–18 के दौरान 3राज्यवार कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम Skill Development Training Programme Statewise year 2017-18	49 - 62
5	प्रदर्शनियों में प्रतिभाागिता के माध्यम से लक्षित वर्ग के दस्तकारों की विपणन एवं बिक्री के अवसरों को प्रोन्नत करना Promoting exposure and avenues of sales for artisans of the target group through participation in Exhibitions	63
6	समूह विकास Cluster Development	63
7	कॉरपोरेट प्रशासन मानदण्डों के अनुपालन पर प्रमाण–पत्र Report of Directors on Corporate Governance the Certificate on Compliance of Corporate Governance	64 - 69
8	फार्म सं. एम.जी.टी.–9 (वार्षिक दिटर्न का अंश) Form No. MGT-9 (Extract of Annual Return)	70 - 76

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-26/2018/ **Dated : 10th September, 2018**

NOTICE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Tuesday, the 25th Day of September, 2018 at 11.00 A.M. at Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1 : To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2018, together with reports of the Directors, Auditors' and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2 **Alteration of Objects Clause No. III(A)(ii) of the Memorandum of Association of the Corporation;**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolutions as Special Resolutions:

"**RESOLVED** that pursuant to the provisions of Section 13 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules framed there under, as amended from time to time and subject to approval of the Central Government, and/or of any other statutory or regulatory authority, as may be necessary, Clauses III (A) (ii) be substituted by the following clause;

"III (A)(ii): To assist, subject to such income and/or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individual or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects. Under Micro Financing Schemes, Self-Help Groups having members of target group to the extent of at least 60% could be considered for financial support. The groups of the individuals belonging to the backward classes will include such groups in which predominantly (60%and above) members belong to Backward Classes provided other members belong to weaker sections (as per income and/or economic criteria prescribed by Government) including Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Minorities and Disabled Persons."

"**RESOLVED FURTHER** that Managing Director and/or Company Secretary, be and are hereby severally authorized to file, sign, verify and execute all such e-forms, papers or documents, as may be required and do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary and incidental for giving effect to this Resolution, including agreeing to any change to the aforesaid Clause III (A) (ii) of the Memorandum of Association of the Company, as may be required by the ROC and/or any statutory/regulatory authority."

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

सं.एन.बी.सी.एफ.डी.सी./ए.जी.एम.–26/2018 **दिनांक: 10 सितम्बर, 2018**

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंश धारकों की 26वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष, कमरा सं.603, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110011 में निम्न व्यवसाय के निष्पादित करने हेतु की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

मद सं.1 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निगम के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकार करना।

विशेष व्यवसाय

मद सं. 2 **निगम के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के परिच्छेद III(A)(ii) में परिवर्तन**

निम्न प्रस्तावों को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना एवं यदि उपयुक्त हो संशोधन के बिना अथवा संशोधन सहित पारित करना:

"संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, किसी भी सांविधिक संशोधन या लागू होने वाले समय के लिए उसके पुर्न–अधिनियमन और उसके तहत संशोधित नियमों, जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो, केंद्र सरकार और/या किसी भी अन्य सांविधिक या नियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन जैसा आवश्यक हो, खंड III (A) (ii) निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए

"III (A)(ii): पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की, सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय और/यारिक मानदंडों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना। माइक्रो फाइनेसिंग योजना के अंतर्गत स्वं–सेवा समूह जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत लक्षित वर्ग हो, वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जा सकेंगे। पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूहों को सम्मिलित करेगा जिसमें अधिकांशत: (60% और ऊपर) सदस्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होंगे तथा अन्य सदस्य कमजोर वर्गों के (जैसा कि आय एवं आर्थिक मानदण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है) जिनमें अनुसूचित जाति/जन–जाति, अल्पसंख्यक एवं अक्षम व्यक्ति सम्मिलित होंगे।''

"**इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प पारित** किया जाता है कि प्रबंध निदेशक और/ या कंपनी सचिव को इस प्रकार के सभी ई–फॉर्म, कागजात या दस्तावेजों को फाइल करने, हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने और निष्पादित करने के लिए, अलग–अलग जैसा वांछित हो, और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और असबाब, जैसा वांछित हो एवं संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए जैसा भी आवश्यक हो, आर.ओ.सी. और/अथवा अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण को कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के उपरोक्त परिच्छेद III (ए) (ii) में किसी परिवर्तन के सम्मत सहित प्रासंगिक हो, एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

Item No. 3 Alteration of Objects Clause No. III(A)(vi) & (vi-a) of the Memorandum of Association of the Corporation;

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolutions as Special Resolutions:

"RESOLVED that pursuant to the provisions of Section 13 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules framed there under, as amended from time to time and subject to approval of the Central Government, and/or of any other statutory or regulatory authority, as may be necessary, Clauses III (A) (vi) and III (A) (vi-a) be substituted in the Memorandum of Association of the Corporation by the following clauses :

"III (A) (vi)**:** To assist in the up-gradation of technical artisanal, entrepreneurial and managerial skills of products / services including all forms of skill development and up-gradation, primarily to the Socially and Educationally Backward Classes as defined at Clause III (A) (ii) and additionally to De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) irrespective of caste, category and income limits and Economically Backward Classes (EBCs) within the prescribed income ceiling, as defined by the Government from time to time."

"III (A) (vi-a): The corporation may impart such training as mentioned at sub-clause (vi) above to all weaker sections of the society wherein minimum 60% members belong to Socially and Educationally backward classes and balance may be from other weaker sections including DNT, EBC (as defined at III (A) (ii)), SC, ST etc. in the case of projects executed using Corporate Social Responsibility (CSR) funds of donor PSUs Agencies."

"**RESOLVED FURTHER** that Managing Director and/or Company Secretary, be and are hereby severally authorized to file, sign, verify and execute all such e-forms, papers or documents, as may be required and do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary and incidental for giving effect to this Resolution, including agreeing to any change to the aforesaid Clause III (A) (vi) of the Memorandum of Association of the Company, as may be required by the ROC and/or any statutory/regulatory authority."

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)

DGM (F) & Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : 10.09.2018

Notes:

1. The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 ("Act") setting out material facts relating to the business stated under Item No. 2 is annexed hereto.

2. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

मद सं. 3 निगम के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के उद्देश्य परिच्छेद सं. III (ए)(vi) एवं (vi–ए) में परिवर्तन

निम्न प्रस्तावों को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना एवं यदि उपयुक्त हो संशोधन के बिना अथवा संशोधन सहित प्रस्ताव पारित करनाः

"संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, किसी भी सांविधिक संशोधन या लागू होने वाले समय के लिए उसके पुर्न–अधिनियमन और उसके तहत संशोधित नियमों, जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो, केंद्र सरकार और/या किसी भी अन्य सांविधिक या नियामक प्राधिकारण के अनुमोदन के अधीन आवश्यक हो, निगम के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के परिच्छेद III (ए) (iv) एवं III (ए) (iv–ए) निम्नलिखित परिच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएः

"III (ए) (vi)**:** तकनीकी दस्तकारों, उद्यमियों एवं उत्पादों/सेवाओं जिसमें सभी प्रकार के कौशल विकास एवं उन्नयन सम्मिलित हैं, उन्नयन हेतु सहायता करना, प्रमुख रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसा कि परिच्छेद III (ए) (ii) में परिभाषित किया गया है एवं इसके अतिरिक्त गैर–अधिसूचित घुमंतू एवं अर्द्ध–घुमंतू जनजातियों (डी.एन.टी.) को उनकी जाति श्रेणी एवं आय सीमा से इतर व आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों को विनिर्धारित आय सीमा, जैसा कि समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।''

"III (ए) (vi-क): जैसा कि ऊपर उप–परिच्छेद (iv) में उल्लेख किया गया है, प्रदाता पी.एस.यू. एजेंसी द्वारा निधित निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वित होने की दशा में निगम इस प्रकार के प्रशिक्षण समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए आयोजित कर सकता है जिसमें कम से कम 60% सदस्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हों एवं शेष अन्य कमज़ोर वर्गों जिसमें डी.एन.टी., ई.बी.सी. (जैसा कि III (ए) (ii) में परिभाषित किया गया है), अनु.जाति, अनु.जनजाति इत्यादि के हो सकते हैं।

"इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक और/ या कंपनी सचिव को इस प्रकार के सभी ई–फॉर्म, कागजात या दस्तावेजों को फाइल करने, हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने और निष्पादित करने के लिए, अलग–अलग जैसा वांछित हो, और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और असबाब, जैसा वांछित हो एवं संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए जैसा भी आवश्यक हो आर.ओ.सी. और/अथवा अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण को कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के उपरोक्त परिच्छेद III (ए) (iv) में किसी परिवर्तन के सम्मत सहित प्रासंगिक हो, एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

ह0/–

स्थानः नई दिल्ली **(अजित कुमार सामल)**

दिनांकः 10.09.2018 उप महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

टिप्पणियांः

1. मद संख्या 2 के तहत व्यक्त किए गए व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुरूप स्पष्टीकरण इसके साथ संलग्न है।
2. बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के पात्र सदस्य को बैठक में स्वयं उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

To:

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)

2. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).

<u>Copy to:</u>

M/s N.K.S.Chauhan & Associates	}	With the request to make it convenient to
Chartered Accountants,	}	attend the meeting on scheduled date and
C-62, Basement, South Extension	}	time & place as mentioned above.
Part-I, New Delhi-110049	}	

<u>SPECIAL INVITEES</u>

With the request to kindly make it convenient to attend the 26^{th} Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on Tuesday, the 25^{th} Day of September, 2018 at 11.00 A.M. at Conference room, 6th Floor, Room No.603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001:

1.	Sh. K. Narayan	Managing Director
2.	Sh. Shyam Kapoor	Director
3.	Sh. Pravir Krishna	Director
4.	Sh. B.L.Meena, JS(BC), MOSJE	Director
5.	Smt. TCA Kalyani, JS&FA, MOSJE	Director
6.	Sh. Sanjay Goyal, GM, SIDBI	Director
7.	Sh. Rajiv, GM, NABARD	Director
8.	Smt. Saroj Kumari	Non-official (Independent) Director
9.	Sh.K.Hanmandloo	Non-official (Independent) Director

****

सेवा में:

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)

2. संयुक्त सचिव (पिछड़ा वर्ग), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)

प्रतिलिपि:

मेसर्स एन.के.एस.चौहान एण्ड एसोसिएट्स	}	उपरोक्त वर्णित निर्धारित तिथि,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,	}	समय और स्थान पर बैठक में भाग
सी..62, बेसमेंट, साउथ एक्सटेंशन	}	लेने के अनुरोध के साथ प्रेषित
पार्ट–1, नई दिल्ली–110049	}	

विशेष आमंत्री

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) दिनाँक 25 सितंबर, 2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष में, 6ठा तल, कक्ष संख्या 603, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 में आयोजित किया जाना है, कपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें:

1.	श्री के. नारायण	प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री श्याम कपूर	निदेशक
3.	श्री प्रवीर कृष्ण	निदेशक
4.	श्री बी.एल.मीना, संयुक्त सचिव (पि.व.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक
5.	श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक
6.	श्री संजय गोयल, महाप्रबंधक, सिडबी	निदेशक
7.	श्री राजीव, महाप्रबंधक, नाबार्ड	निदेशक
8.	श्रीमती सरोज कुमारी	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
9.	श्री के. हनमंडलू	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

****

Explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013("Act"), sets out all material facts relating to the business mentioned under Item No. 2 & 3 of the accompanying Notice dated 6th September, 2018.

Item No. 2: Alteration of Object Clause No. III(A)(ii) of the Memorandum of Association of NBCFDC.

The Corporation was established with the objectives to promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and also to assist in the up gradation of technical and entrepreneurial skills of Backward Classes as well as to extend loans to the Backward Classes for pursuing general/professional/ technical education higher levels.

In order to cater to the need of implementation of Micro Finance through Self-Help Groups (SHGs), it was observed that at the grass-root level, the SHGs are developed from amongst the poorer segment of the society which may have members from Backward Classes as well as other weaker sections. Accordingly, the Corporation revised its objective to extend Micro Finance to such SHGs wherein 75% group members may be from Backward Classes and the remaining may include other weaker sections of the society which was incorporated in the MoA in 2001. Subsequently, in 2017 based on condition of prospective PSUs that their funds be used for all categories in weaker section, the object clause were revised to the effect that 60% BCs in a group along with 40% from other weaker section of the society can imparted Skill Development Training in cases where same is being implemented from the CSR funds obtained from donor PSUs and agencies.

Further stated that the Channel Partners have expressed that revision of limit of %age of members belonging to Backward Classes in Self Help Group (SHG) from 75% to 60% on similar lines as above would be helpful for quicker formation of Self Help Groups (SHGs) for maximum coverage of poorer segment of the society in a broader way to give maximum coverage to NBCFDC schemes.

To ensure the same, the modification of the Object Clause III (A)(ii) to include one of its objective for OBC members in the Self-Help Group from 75% to 60% with remaining 40% from other socially & economically weaker section including SC/ST/Minorities and Disabled persons by suitably amending the MoA subject to the approval of the Administrative Ministry and the Shareholders of the Corporation, is proposed.

The Board has on similar lines, accordingly, recommended the resolutions set out at item No.2 of the accompanying Notice for the approval of the members during its 113rd meeting held 24th May 2018.

None of the Directors of the Corporation and Key Managerial personnel (KMP) is, in any way, concerned or interested in the said resolutions.

The members of the Corporation are requested to pass the aforesaid resolutions as special resolutions.

Item No. 3: Alteration of Object Clause No. III(A)(vi) & (vi-a) of the Memorandum of Association of NBCFDC.

The Ministry of Social Justice & Empowerment vide letter No.11012/36-22/2011-12-BC-I dated 13th October, 2017 forwarded revised Guidelines of Central Sector Scheme of Assistance for Skill Development of OBCs/De-Notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs)/ Economically Backward classes (EBCs) valid from 2017-18 onwards. The objective of the scheme is to involve NBCFDC to implement the scheme which aims to improve educational and socio-economic conditions of the OBCs/DNTs/EBCs, with a view to upgrade their skill and to enable them to start income generating activities on their own or get gainfully employed in some sector or the other.

The Board of Directors in its 111th Board Meeting held on 10.11.2017 approved the proposal for the adoption of the revised guidelines of Central Sector Scheme of Assistance for Skill Development of OBCs/De-Notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs)/Economically Backward Classes (EBCs) as a part of its Skill Development Training Programme Scheme for imparting training in terms of the Common Norms issued by Ministry

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार 6 सितंबर, 2018 के साथ–साथ सूचना की मद सं. 2 और 3 के तहत उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य।

मद संख्या 2: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के संगम ज्ञापन के उद्देश्य परिच्छेद III(ए)(ii) में परिवर्तन।

निगम की स्थापना पिछड़े वर्गों के लाभार्थ आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं के लिए ऋणों एवं अग्रिमों के माध्यम से प्रोन्नत करने के उद्देश्य से तथा साथ ही पिछड़ा वर्ग के तकनीकी एवं उद्यमी कौशल के उन्नयन में सहायता करने के उद्देश्य से व साथ ही साथ पिछड़े वर्गों के सामान्य / व्यावसायिक / उच्च स्तर पर तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करने हेतु की गई।

स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के कार्यान्वयन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ऐसा देखा गया है कि ज़मीनी स्तर पर, एस.एच.जी. समाज के गरीब वर्गों में से विकसित होते हैं जिनमें पिछड़े वर्गों के साथ–साथ अन्य कमज़ोर वर्ग के सदस्य हो सकते हैं। तदनुसार, निगम ने इस तरह के एस.एच.जी. को माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य को संशोधित किया, वर्ष 2001 के संगम ज्ञापन में सम्मिलित किया गया कि समूह के 75% सदस्य पिछड़े वर्ग से और शेष समाज के अन्य कमजोर वर्गों से हो सकते हैं। इसके बाद, 2017 के आधार पर भावी लोक उद्यमों की शर्तों के अनुसार कमजोर वर्ग की सभी श्रेणियों के लिए उनकी धनराशि का उपयोग करने हेतु इसे लागू करने के लिए उद्देश्य के परिच्छेद को संशोधित किया गया कि ऐसे मामलों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं जहां प्रदाता लोक उद्यमों और एजेंसियों से प्राप्त सी.एस.आर. निधियों से भी इसे लागू किया जा रहा है। समूह में 60% सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों से तथा 40% समाज के अन्य कमजोर वर्ग से हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं को अधिकतम कवरेज देने के लिए व्यापक रूप से समाज के गरीब वर्ग के अधिकतम कवरेज के लिए चैनल सहभागियों ने व्यक्त किया है कि स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) में पिछड़े वर्गों के सदस्यों की सीमा का प्रतिशत संशोधन 75% से 60% तक होने पर उपरोक्त समान आधार पर संशोधित होगा तथा यह स्वयं सहायता समूहों के त्वरित गठन के लिए सहायक होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए, उद्देश्य के परिच्छेद III (ए) (ii) में संशोधन के माध्यम से स्व–सहायता समूह में 75% से 60% अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को शामिल करना इसके एक उद्देश्य में सम्मिलित किया गया था जिसमें 40% समाज के अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों / अल्पसंख्यकों और अक्षम व्यक्तियों के लिए संगम ज्ञापन में उपयुक्त रूप से संशोधन प्रशासनिक मंत्रालय और निगम के अंशधारकों की स्वीकृति के अधीन प्रस्तावित किया गया है।

निदेशक मण्डल ने इसी आधार पर 24 मई, 2018 को आयोजित 113वीं बैठक के दौरान सदस्यों की स्वीकृति के लिए सूचना के मद सं. 2 पर संकल्प की सिफारिश की है।

वर्णित संकल्प में, निगम का कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (के.एम.पी.) का कोई भी निदेशक, किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है अथवा रूचि नहीं रखता है।

निगम के सदस्यों से उपरोक्त प्रस्तावों को विशेष प्रस्तावों के रूप में पारित करने का अनुरोध किया जाता है।

मद संख्या 3: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के संङ्गम अनुच्छेद के उद्देश्य परिच्छेद सं. III(ए)(vi) & (vi-ए) में परिवर्तन।

अन्य पिछड़ा वर्ग/गैर–अधिसूचित, घुमन्तू व अर्द्ध–घुमन्तू (डी.एन.टी.)/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई.बी.सी.) के कौशल विकास सहायता हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र संख्या 11012 / 36–22 / 2011–12–बीसी–I दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु अग्रसारित संशोधित दिशानिर्देशों को जारी किया जो वर्ष 2017–18 से मान्य हैं। इस योजना का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए शामिल करना है जिसका उद्देश्य ओ.बी.सी. / डी.एन.टी. / ई.बी.सी. की शैक्षणिक और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है, ताकि उनके कौशल को उन्नत करने और उन्हें आय सृजित करने वाले कार्यकलापों को आरंभ करने के योग्य बनाया जा सके या वे कुछ या अन्य दूसरे क्षेत्र में लाभप्रद रूप से नियोजित कराया जा सके।

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 10.11.2017 को संपन्न 111वीं बैठक में निदेशक मंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग / गैर–अधिसूचित, घुमन्तू व अर्द्ध–घुमन्तू (डी.एन.टी.)/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई.बी.सी.) के कौशल विकास के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना के संशोधित दिशानिर्देशों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी, जारी किए गए सामान्य

of Skill Development & Entrepreneurship, Govt. of India w.e.f. 01.04.2018 by way of inclusion of a clause in the SDTP Scheme of NBCFDC stating that “All NGOs seeking grants under the Central Sector Scheme of Assistance to Voluntary Organization working for welfare of OBCs will require to adhere to the SDTP Scheme of the Corporation.”

The Board had also approved to provide Skill Development Training to persons rehabilitated from drug abuse, transgender(s) and De-notified Nomadic Tribes (DNTs) including relaxation for all three categories namely Transgender(s), DNTs and Drug abuse victims keeping in view the special category to be motivated to undergo Skill Development Training through SSCs and other institutes.

As far as the category of Economically Backward Classes is concerned, income limit in the guidelines of the Central Sector Scheme of Assistance for Skill Development of OBCs/DNTs/EBCs has not been mentioned. It is pertinent to mention that the Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy On Educational Loans for Overseas Studies and for Other Backward Classes (OBCs) and Economically Backward Classes (EBCs), the income ceiling for OBC candidates has been fixed as Rs. 3.00 lakh per annum (similar to limit followed by NBCFDC for its SDTP scheme) and for EBC candidates under clause 6(ii) has been mentioned that the “total income from all sources of the employed candidate or his/her parents/guardian in case of unemployed candidates shall not exceed Rs.1.00 lakh per annum.”

To ensure the same, the modification of the Object Clause III (A)(vi) & (vi-a) to include in its objective for imparting training to De-Notified, Nomadic, Semi-Nomadic Tribes and Economically Backward Classes (EBCs) candidates under the skill development programme of the Corporation to bring it in line with the schemes of the Ministry by suitably amending the MoA, subject to the approval of the Administrative Ministry and the Shareholders of the Corporation, is proposed.

The Board has on similar lines, accordingly, recommended the resolutions set out at item No.3 of the accompanying Notice for the approval of the members during its 114th meeting held 26th July 2018.

None of the Directors of the Corporation and Key Managerial personnel (KMP) is, in any way, concerned or interested in the said resolutions.

The members of the Corporation are requested to pass the aforesaid resolutions as special resolutions.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(Ajit Kumar Samal)
DGM (F) & Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : 10.09.2018

मानदंडों के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की एस.डी.टी.पी. योजना के एक परिच्छेद में सम्मिलित कर कहा गया है कि "ओ.बी.सी. के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन को सहायता के केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत अनुदान मांगने वाले सभी एन.जी.ओ. को निगम की एस.डी.टी.पी. योजना का पालन करना होगा", अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

निदेशक मण्डल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, ट्रांसजेंडर और गैर–अधिसूचित घुमन्तू एवं अर्द्ध–घुमन्तू जनजातियों (डी.एन.टी.) से पुनर्वास किए गए व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी स्वीकृति दे दी थी, जिसमें ट्रांसजेंडर (ओं), डी.एन.टी. और ड्रग दुरुपयोग पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए सभी तीन श्रेणियों के लिए छूट सम्मिलित है, एस.एस.सी. व अन्य संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए विशेष श्रेणी को प्रेरित किया जाए।

जहां तक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों की श्रेणी का संबंध है, ओ.बी.सी./डी.एन.टी./ई.बी.सी. के कौशल विकास के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना के दिशानिर्देशों में आय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) के लिए ब्याज सब्सिडी की डॉ अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए आय सीमा को रु. 3.00 लाख प्रति वर्ष (एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की अपनी एस.डी.टी.पी. योजना के लिए सीमा के समान) और धारा 6 (ii) के तहत ई.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए उल्लेख किया गया है कि "नियोजित उम्मीदवार या उसके माता–पिता /अभिभावक की सभी स्रोतों से बेरोजगार उम्मीदवारों की कुल आय रू. 1.00 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

यह सुनिश्चित करने के लिए, निगम के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उद्देश्य परिच्छेद III (ए) (vi) और (vi–क) के संशोधन को अपने उद्देश्य में शामिल करने के लिए गैर–अधिसूचित, घुमन्तू, अर्द्ध–घुमन्तू जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना इसे संगम ज्ञापन में उचित रूप से संशोधन करके मंत्रालय की योजनाओं के अनुरूप लाने के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय और निगम के अंशधारकों की मंजूरी के अधीन प्रस्तावित किया गया है।

निदेशक मण्डल ने इसी आधार पर 26 जुलाई, 2018 को आयोजित 114वीं बैठक के दौरान सदस्यों की स्वीकृति के लिए सूचना के मद सं. 3 पर संकल्प की सिफारिश की है।

वर्णित संकल्प में, निगम का कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (के.एम.पी.) का कोई भी निदेशक, किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है अथवा रूचि नहीं रखता है।

निगम के सदस्यों से उपरोक्त प्रस्तावों को विशेष प्रस्तावों के रूप में पारित करने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

ह0/–
(अजित कुमार सामल)
उप महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10.09.2018

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 26th Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2018.

1. CORPORATE PROFILE

- NBCFDC is a Govt. of India Undertaking under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. The Corporation was incorporated on 13th January, 1992 as a Company not for profit under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013), with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes living below double the poverty line through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments /Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC- collectively reflect as Channel Partners (CPs) .
- At present, 41 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 25 Banks including four Public Sector Banks and twenty-one Regional Rural Banks can channelize loans under NBCFDC. List of CPs are available at **Annexure-1**.(Page No. 24-27)
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries

2 VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of backward classes.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes living below double the poverty line.
- To extend loans to the backward classes for pursuing general / professional / technical education or training at graduate and higher level.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the channel partners.

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 26वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगम का स्वरूप

- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया और इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है और इसके अतिरिक्त सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने चैनल पार्टनरों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए है।
- वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 41 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; 25 बैंकों, जिनमें चार सरकारी बैंकें, इक्कीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बी.सी. एफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज कर सकते हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** (पृष्ठ सं. 24–27) पर उपलब्ध है।
- चैनल पार्टनरों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने और एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल पार्टनरों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं कौशल विकास हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन. बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः

- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाइयों के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़े वर्गों की तकनीकी एवं उद्यमीय दक्षताओं के उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदण्डों के आधार पर पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना।
- पिछड़े वर्गों के लिए स्व–रोजगार तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना।
- दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्गो से सम्बंधित व्यक्तियों हेतु चयनित मामलों में रियायती वित्त उपलब्ध कराना।
- पिछड़े वर्गों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/ व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण उपलब्ध करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में आपका निगम चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is Rs. 1500.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2018 was Rs. 1184.00 Crore and Share application money (pending allotment) of Rs.30.00 Crore.

7. ELIGIBILITY

Members of backward classes as notified by Central/State Government from time to time and are living below double the poverty line are eligible to obtain NBCFDC loan through their Channel Partners (State Channelizing Agencies/ Banks).

At present persons whose annual family income is below Rs.98,000/- in rural areas and Rs.1,20,000/- in urban areas are considered to be below double the poverty line. The annual family income ceiling fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 29th July, 2015. Income & Caste Certificates are issued by Competent Authorities in the respective States.

Eligible persons desirous of obtaining loan assistance under NBCFDC Schemes should contact the Distt. Collector or District Manager / Officer of SCAs/ Banks in their respective States, along with required documents such as income & caste certificates issued by the Competent Authority.

Keeping in view the government's aim to simplify process, NBCFDC has permitted recognition of income certification by way of self-certification endorsed by a gazetted officer. The Corporation also recognizes the caste certificate issued by State of domicile in case of migrants.

MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT

1. WORKING RESULTS

The year 2017-18 has been a year of healthy growth for your Corporation. During the year, the disbursement of loan of the Corporation recorded an increase of 20.77 % and stood at Rs.467.81 Crores as compared to Rs.387.36 cores in the previous year. The Corporation has accordingly registered a 50% increase in its disbursements over the last two years. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to Rs.4043.31 Crores for 24,38,951 beneficiaries.

On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 23361 beneficiaries during 2017-18 up from 18748 in 2016-17, an increase of about 25%.

The Corporation's operating income stood at of Rs.35.87 Crore an increase of 9.49% over the Rs. 32.76 Crore registered in 2016-17. The surplus of income over expenditure was Rs. 20.07 crores in the current year in comparison to Rs. 25.67 Crores during the previous year. This reduction was a result of a conscious decision taken to utilize a layer part of the revenue for skill development of target group and incentivizing CPs to disburse more loans to the target group.

2. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State Governments living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

(i) **Agriculture & Allied Activities:** Organic Farming, Dairy Farming, Sericulture, Horticulture, Goat Rearing, Pisciculture, Tractor Trolley etc.

(ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Ice cream parlorus Cold Storage, Kiryana Shop, Flour Mill, Vegetable Vending, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Hardware, Tent house, Shuttering unit, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Ready-made Garments Shops, Tailoring & Weaving etc.

(iii) **Service/Transport Sector:** Interior Decorator, Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber, Auto Rickshaw, E-rickshaw, Multi Utility Vehicle, Pick-up Van, Taxi & Tempo etc.

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रू. 1500 करोड़ है। दिनाँक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी रू. 1184.00 करोड़ थी एवं रू. 30 करोड़ की अंश अनुप्रयोग राशि (आबंटन हेतु शेष) हैं।

7. पात्रता

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित एवं दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों के सदस्य चैनल सहभागियों (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/बैंक) के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण लेने के पात्र है।

वर्तमान में जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 98,000/– प्रति वर्ष एवं नगरीय क्षेत्रों में रू. 1,20,000/– प्रति वर्ष से कम है, दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति माने जाते हैं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं. 14015/01/2010–एस.सी.डी.-IV दिनांक 29 जुलाई, 2015 के अनुसार निर्धारित की गई है। आय एवं जाति प्रमाण–पत्र संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रपत्रों जैसे आय एवं जाति प्रमाण पत्रों सहित जिलाधिकारी अथवा संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के जिला प्रबंधक/रा.चै.ए. के अधिकारियों से संपक्र करना चाहिए।

प्रक्रिया को सरल बनाने के सरकार के ध्येय को ध्यान में रखते हुए, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्व–प्रमाणित आय प्रमाण–पत्र के माध्यम को मान्यता दी है। निगम प्रवासियों के मामले में अधिवास के राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र को भी मान्यता देता है।

प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

1. कार्य परिणाम

आपके निगम के लिए 2017–18 का वर्ष स्वस्थ वर्ष रहा है। वर्ष के दौरान गत वर्ष के वितरण रू. 387.36 करोड़ की तुलना में रू. 467.81 करोड़ का कुल वितरण कर इसमें 20.77% की वृद्धि दर्ज की गई है। निगम ने पिछले दो वर्षों में अपने वितरण में 50% की वृद्धि दर्ज की है। आपके निगम ने 24,38,951 लाभार्थियों के लिए रू. 4043.31 करोड़ की सकल ऋण राशि का वितरण किया है। कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2016–17 के 18748 की तुलना में 2017–18 की अवधि में 23361 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 25% की बढ़ोत्तरी हुई है।

निगम की प्रचालन आय रू. 35.87 करोड़ हुई है जो वर्ष 2016–17 में दर्ज़ की गई रू. 32.76 करोड़ की तुलना में 9.47% अधिक है। चालू वर्ष में पिछले वर्ष के दौरान रू. 25.67 करोड़ की तुलना में व्यय पर आय का आधिक्य रू. 20.07 करोड़ था। यह कमी लक्ष्य समूह के कौशल विकास के लिए राजस्व के एक अंश का उपयोग करने और लक्ष्य समूह को अधिक ऋण देने के लिए चैनल सहभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए विवेकपूर्ण निर्णय का परिणाम था।

2. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनतम् समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मौटे तौर पर निम्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं–

(i) **कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप:** जैविक कृषि, दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर ट्राली इत्यादि.

(ii) **लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारंपरिक व्यवसाय:** आइसक्रीम पार्लरस शीतागार, किराने की दुकान, आंटा मिल, सब्जी विक्रय, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, हार्डवेयर, टेंट हाउस, शटरिंग यूनिट, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी यूनिट, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले–सिलाए कपड़ों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई इत्यादि।

(iii) **सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्र:** आंतरिक साज–सज्जा, आटो मरम्मत दुकान, परामर्शी सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक सामानों की मरम्मत की दुकान, घरेलू उपकरण, मोबाइल मरम्मत की दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, ई–रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक–अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो इत्यादि

(iv) **Technical and Professional Trades/Courses:** Technical & Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc.

Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The Channel Partners are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

3. LENDING POLICY :

- Method of Lending

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the States having nominated State Channelising Agencies (SCAs) and Banks who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation keeping in view the availability of Block Govt. Guarantee, share capital to be received from State Govt., repayment status of loan taken from NBCFDC, capacity and infrastructure available to utilize the funds within the stipulated period with due consideration to needs of the beneficiaries and area of implementation.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Under General Loan Scheme, Term Loan, New Swarnima Scheme, Educational Loan Scheme Under Micro Finance, Micro Finance Scheme and Mahila Samriddhi Yojana and small business loan

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs made as per approved Annual Action Plan for the financial year under Term Loan and Micro Finance Scheme. Term Loan includes General Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance includes Mahila Samriddhi Yojana and Micro Finance Scheme.

The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from SCAs/CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through SCAs/CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective SCAs/CPs under the following schemes:

I) Term Loan

a) General Loan Scheme: Under this Scheme, loans are given upto 85% of the project cost. Balance 15% is contributed by SCAs and beneficiaries. The loan upto Rs.5 Lakh bears interest @6% p.a. and loan above Rs.5 Lakh up to Rs.10 Lakh bears interest @ 7% p.a.

b) New Swarnima Scheme: The scheme is implemented for inculcating the spirit of self-reliance among the women of Backward Classes living below double the poverty line. Financial assistance to the extent of Rs. One Lakh per beneficiary @5% p.a.

c) Educational Loan Scheme 'New Aakanksha': For professional/ technical education graduate and higher levels. The Maximum loan limit for student studying in India is Rs. 10.00 Lakh and for student studying abroad is Rs.20.00 Lakh or actual expenses for the entire course whichever is less. The rate of interest is 4% p.a. and 3.5% p.a. for girl student.

The NBCFDC loan share will be 90% of the expenditure of the course and balance 10% will be borne by student/SCAs for study in India. In case of study in abroad, NBCFDC loan share will be 85% of the expenditure of the course and balance 15% will be borne by student/SCAs.

II) Micro Finance

Based on definition of RBIs, following Schemes are being implemented:-

(iv) **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठयक्रमः** स्नातक एवं उच्चतर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिंग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त परियोजना सूची केवल उदाहरणात्मक है

चैनल सहभागियों से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवाहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

3. ऋण नीति

- ऋण पद्धति

आवंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आबंटन करता है। आबंटन का तात्पर्य है कि सभी चैनल सहभागी जिनसे आशा की जाती है कि निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान–शासकीय गारंटी, राज्य सरकार से प्राप्त अंश पूंजी, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान की स्थिति, लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्रियान्वयन क्षेत्र पर समुचित ध्यान के साथ विनिर्धारित समयावधि में निधियों के उपयोग उपलब्ध क्षमता एवं अवसंरचना की सीमा में करेंगे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, वर्ष के आरंभ में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना के अंतर्गत सामान्य ऋण योजना, नई स्वर्णिमा, शैक्षिक ऋण योजना तथा माइक्रो फाइनेन्स के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना शूक्ष्म ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तो के अनुसार चैनल सहभागियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर) है एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/चैनल सहभागियों के गत् कार्य निष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर–पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आवंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त साम्य का व्यय कम से कम 10% उत्तर–पूर्वी राज्यों को वितरित कराने सुनिश्चित किया जाता है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / चैनल सहभागियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सावधि ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सावधि ऋण योजना में सामान्य ऋण, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। माइक्रो फाइनेंस योजना में महिला समद्धि, माइक्रो फाइनेंस व लघु ऋण योजना सम्मिलित है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / चैनल सहभागियों से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहभागियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय उत्पादक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते है:

I) सामान्य ऋण

क) सामान्य ऋण योजनाः सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। शेष 15% का अंशदान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। रू. 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर 6% वार्षिक तथा रू. 5 लाख से अधिक व रू. 10 लाख तक ब्याज की दर 7% वार्षिक है।

ख) नई स्वर्णिमा योजनाः निगम द्वारा यह योजना आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए संचालित की गई है। प्रति लाभार्थी रू. 1 लाख की सीमा तक ऋण सहायता 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है।

ग) शैक्षिक ऋण योजना 'नई आकांक्षा' : यह योजना स्नातक एवं उच्चतर स्तर की व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु है। भारत में अध्ययन करने हेतु ऋण की अधिकतम सीमा रू. 10 लाख है तथा विदेश में अध्ययन हेतु अधिकतम ऋण सीमा रू. 20 लाख अथवा समग्र पाठ्क्रम हेतु वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। ब्याज की दर 4% वार्षिक तथा छात्राओं के लिए 3.5% वार्षिक।

भारतवर्ष में अध्ययन हेतु पाठयक्रम के कुल व्यय का 90% अंश एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का होगा और शेष 10% विद्यार्थी/ एस. सी. ए. द्वारा वहन किया जाएगा। विदेश में अध्ययन की दशा में एन.बी.सी.एफ.डी.सी.का ऋण अंश पाठयक्रम व्यय का 85% होगा व शेष 15% विद्यार्थी/एस.सी.ए. द्वारा वहन किया जाएगा।

II) लघु वित्त योजना

भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषों के आधार पर निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

i) **Micro Finance Scheme:** Loans are provided to Self Help Groups (SHGs) through CPs. The Maximum amount of loan under this scheme is upto Rs.50,000/- per beneficiary in SHG and rate of interest is @ 5% p.a.

ii) **Mahila Samriddhi Yojana :** The scheme is implemented to provide Micro Finance to women Self Help Groups (SHGs) belonging to the target group. The maximum loan limit per beneficiary in SHG is Rs.50,000/- at concessional rate of interest @ 4% p.a.

iii) **Small Loan Scheme:** The Corporation has introduced Small Loan Scheme for the individual for starting small business. The Scheme is implemented through State Channelising Agencies (SCAs)/Banks and loan limit per beneficiary is 85% subject to maximum of Rs. 60,000/-. The rate of interest from Channel partners is 3% p.a. and Beneficiary can get the loan at 6% p.a.

4. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

Sl No	Name of Scheme	Max. Loan Limit.	Pattern of Finance		Rate of Interest per annum		
		(Rs. In Lakh)	NBCFDC	SCA/Benef.	Loan Amt. (₹ In lakh)	SCA / Bank	Benef.
1.	Term Loan	10.00	85%	15%	Up to 5.00	3%	6%
					Above 5.00 - upto 10.00	4%	7%
2.	New Akanksha (Education Loan)*						
a.	Study in India	10.00	90%	10%		1%	4%*
b.	Study in abroad	20.00	85%	15%		1%	4%*
3.	New Swarnima- for women	1.00	95%	5%		2%	5%
4.	Micro Finance	0.50	90%	10%		2%	5%
5.	Mahila Samriddhi Yojana for Women	0.50	95%	5%		1%	4%

* Rate of interest 3.5% p.a. for girl student.

5. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2017-18 on 23rd June, 2017. Copy of MOU is available at **Annexure-2.**(Page No. 28-30) Members will be pleased to note that on the basis of audited results, the Corporation has achieved the targets under excellent criteria of all parameters. Achievement/performance evaluation report against targets fixed under MOU for the year 2017-18 is available at **Annexure-2.1.**(Page No. 31)

i) लघु वित्त योजना: चैनेल सहभागियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण की अधिकतम सीमा 50,000 तक प्रति लाभार्थी, ब्याज दर 5% वार्षिक पर उपलब्ध कराई जाती है

ii) महिला समृद्धि योजना: लक्षित वर्ग के महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु लघु ऋण उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की गई है। स्वयं सहायता समूह में प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा 50,000 है तथा रियायती ब्याज दर 4% वार्षिक है।

निगम ने व्यक्तिगत रूप से लघु व्यवसाय आरंभ करने हेतु लघु ऋण योजना को आरंभ किया है। योजना का क्रियान्वयन एस.सी.ए./बैंकों के माध्यम से किया जाता है एवं परियोजना लागत का 85% प्रति लाभार्थी ऋण की अधिकतम सीमा रू. 60,000/– है। चैनल सहभागियों से ली जाने वाली ब्याज दर 3% वार्षिक है एवं लाभार्थी ऋण को 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं।

4. ब्याज दर:

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित है:

क्रं.स.	योजना का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति		वार्षिक ब्याज दर		
		(रु. लाख में)	एन.बी.सी. एफ.डी.सी.	एससीए/लाभार्थी	ऋण राशि (रु. लाख में)	एससीए / बैंक	लाभार्थी
1.	सावधि ऋण	10.00	85%	15%	**रु. 5.00 तक**	3%	6%
					रु. 5.00 से अधिक 10.00 लाख तक	4%	7%
2.	नई आकांक्षा (शैक्षिक ऋण)*						
क.	भारत में अध्ययन	10.00	90%	10%		1%	4%*
ख.	विदेश में अध्ययन	20.00	85%	15%		1%	4%*
3.	नई स्वर्णिमा महिलाओं के लिए	1.00	95%	05%		2%	5%
4.	लघु वित्त	0.50	90%	10%		2%	5%
5.	महिला समृद्धि योजना– महिलाओं के लिए	0.50	95%	05%		1%	4%

* छात्राओं के लिए ब्याज दर 3.5% वार्षिक

5. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन:

निगम ने वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 23 जून, 2017 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक – 2** (पृष्ठ सं. 28–30) पर उपलब्ध है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लेखा परीक्षित परिणामों के आधार पर निगम ने सभी मानदण्डों में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त की है। वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ/कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट **अनुलग्नक – 2.1** (पृष्ठ सं. 31) पर उपलब्ध है।

6. PERFORMANCE ACHIEVEMENT

6.1 Achievements against MOU Targets (2017-18)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Revenue from operations	Rs./Cr	44.25	43.84	(0.93)
2	N.P.A/Total Loans (net)	%age	0.50	0.15	+0.35*
3	Loan Disbursed/ Total Funds Available	%age	78	84.20	+ 6.20*
4	Overdue loans/Total loans	%age	11	10.06	(0.94)*
5	Surplus/Net Worth	%age	1.05	1.25	+0.20*

*** Absolute**

6.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2017-18	2016-17	% Increase
1	Sanction of Loan	Rs.(Cr.)	**579.38**	476.61	+21.56
2	Disbursement of Loan	Rs.(Cr.)	**467.81**	387.36	+ 20.77
3	Beneficiaries Covered	Nos.	**138588**	170555	(18.74)*
4	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs.)	**94792**	60400	+56.94
5	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(Rs.)	**19821**	14507	+36.63
6	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	**92.60**	92.31	0.29**

*** In view of increased quantum of finance per beneficiary**
**** Absolute**

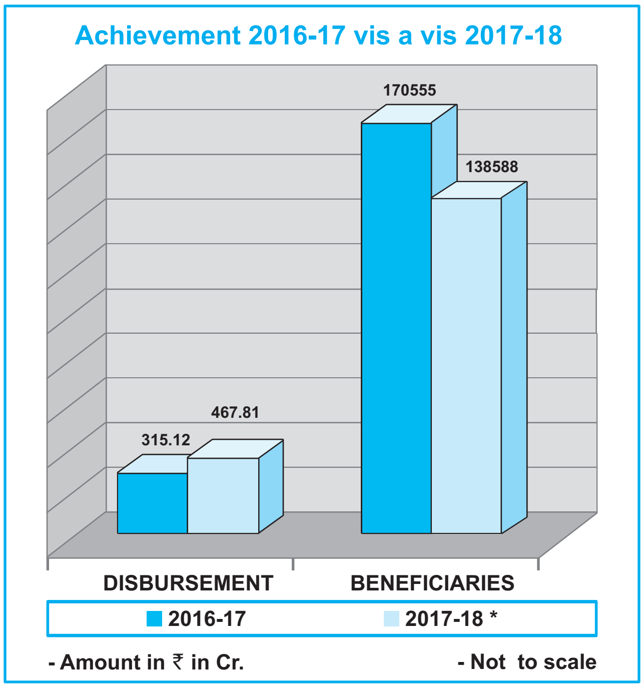

*Average loan per beneficiary increased by 39.74% in term loans and 56.11% in Micro Finance.

6.3 Sanction & Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to Channel Partners (CPs) for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from CPs, were approved to the tune of Rs. 579.38 Crore during the year 2017-18.

Against this notional sanction, the Corporation has disbursed Rs.467.81Crore for assisting 138588 beneficiaries during the financial year 2017-18.

The disbursement so far made since inception now stands at Rs. 4043.31Cr. for assisting 24,38,951 beneficiaries as on 31.03.2018. SCA & Statewise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2018 is available at **Annexure-3** (Page No. 32-34) Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-3.1** (Page No. 35-36)

6. कार्य निष्पादन उपलब्धि

6.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2017–18) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	अंतर (%)
1	संचालन से राजस्व	रु./करोड़	44.25	43.84	(0.93)
2	गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ/कुल ऋण (शुद्ध)	%	0.50	0.15	+0.35*
3	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%	78	84.20	+ 6.20*
4	बकाया ऋण/कुल ऋण	%	11	10.06	(0.94)*
5	अधिक्य/शुद्ध संपत्ति	%	1.05	1.25	+0.20*

*** निरपेक्ष**

6.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2017–18	2016–17	%वृद्धि
1	ऋण की स्वीकृति	रू. (करोड़)	**579.38**	476.61	+21.56
2	ऋण वितरण	रू. (करोड़)	**467.81**	387.36	+ 20.77
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी	सं.	**138588**	170555	(18.74)*
4	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रू.)	**94792**	60400	+56.94
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (लघु ऋण)	(रू.)	**19821**	14507	+36.63
6	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	**92.60**	92.31	0.29**

*** प्रति लाभार्थी बढ़ी मात्रा के दृष्टिगत**
**** निरपेक्ष**

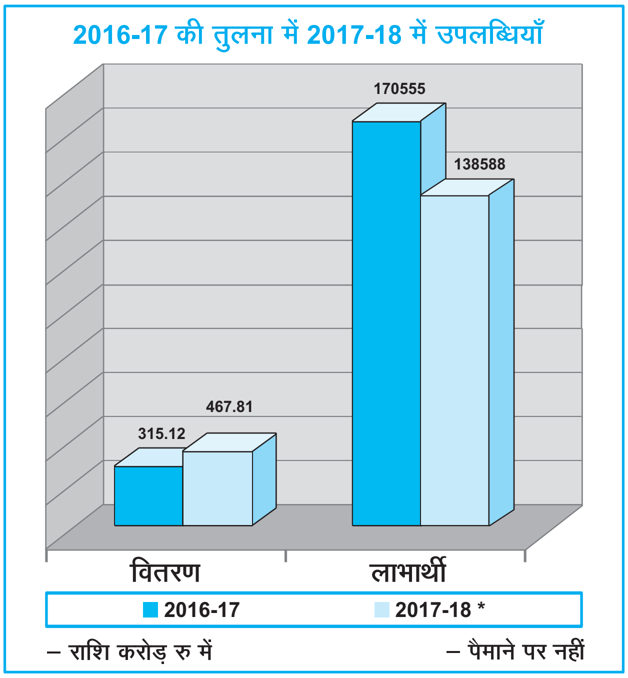

*** सावधि ऋण में प्रति लाभार्थी 39.74% तक व लघु वित्त में 56.11% की वृद्धि हुई।**

6.3 स्वीकृति एवं वितरण

वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। चैनल सहभागियों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निगम द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान रू. 579.38 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान आरंभिक स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 138588 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रू. 467.81 करोड़ वितरित किए हैं।

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 24,38,951 लाभार्थियों की सहायता के लिए रू. 4043.31 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत् तीन वर्षों का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक – 3** (पृष्ठ सं. 32–34) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से, जिनका विवरण **अनुलग्नक – 3.1** (पृष्ठ सं. 35–36) पर उपलब्ध है, ऋण आहरित नहीं किया है।

SCA / Bank Statewise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2017-18 are available at **Annexure-3.2** (Page No. 37-38)

Statewise / Schemewise & Sector wise Disbursement and number of Beneficiaries assisted during 2017-18 is available at **Annexure-3.3** (Page No. 39)

Sector wise percentage of disbursement of funds of Rs. 245.33 crores under Term Loan Scheme during 2017-18 is as under:

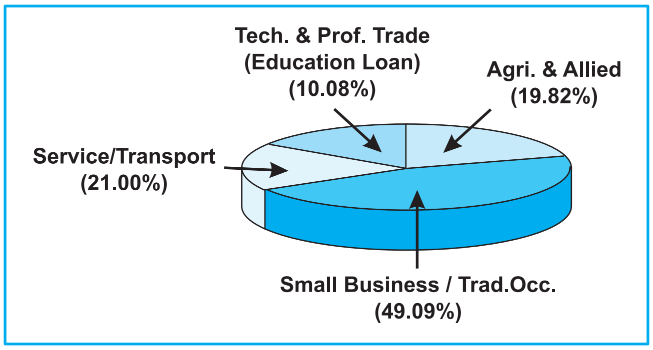

During 2017-18 19.82% of Term Loan was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 20.31% in previous year and 49.09% under Small Business/Traditional Occupation as compared to 46.23% in previous year. Loan was disbursed for activities which include the manufacture/purchase of agricultural implements, setting up of dairy units, installing irrigation bore well, poultry farming, fishery, tractor trolley, tube well, auto repair workshop, bicycle hiring and repair, kirana shop and vegetable shops etc.

Backward classes population is engaged in service sector such as barber shop, drycleaner, electrical and electronic shop, woodwork, auto rickshaw, motorcycle taxi, pick-up van, tourist taxi. Hence 21.00% of Term loan has been drawn by SCAs in 2017-18 to meet the demand of the service providers as compared to 17.82% in previous year.

Education Loan under Term Loan Scheme has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report 10.08% of the Term loan has been given under Education Loan Scheme.

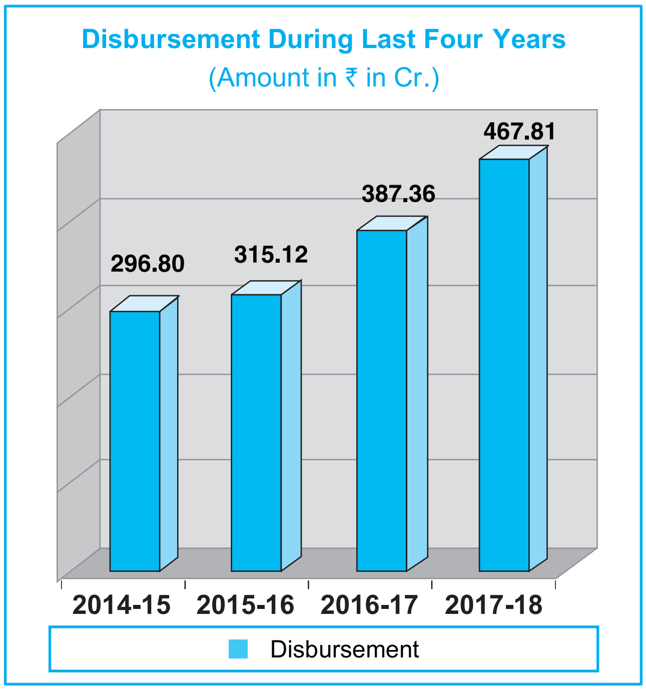

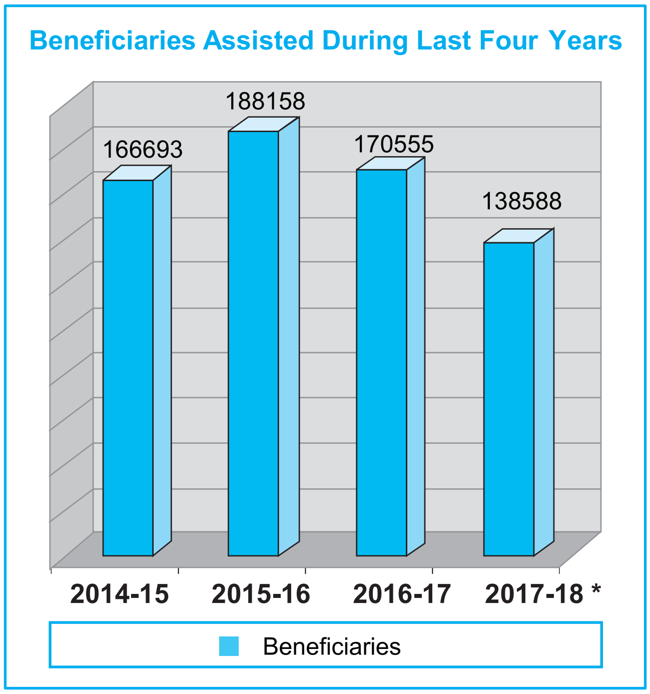

* Average amount lent per beneficiary increased from Rs. 60400 to Rs. 84404, showing an increase of 39.74% in 2017-18 from previous year.

वर्ष 2017–18 की अवधि में एस.सी.ए./बैंक राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक – 3.2** (पृष्ठ सं. 37–38) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण **अनुलग्नक – 3.3** (पृष्ठ सं. 39) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2017–18 की अवधि में सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत रू. 245.33 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:

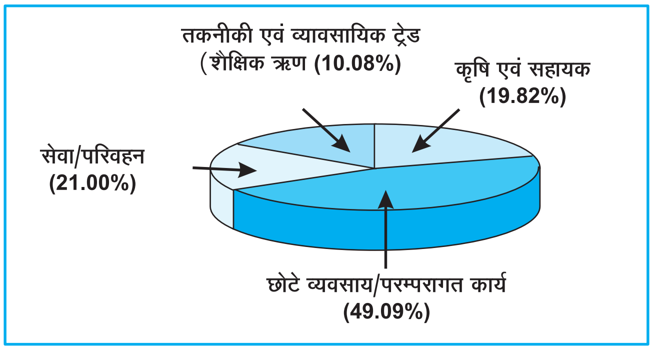

सावधि ऋण के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 20.31% की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान 19.82% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत् वर्ष के 46.23% की तुलना में 49.09% ऋण दिए गए। जिन कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं– कृषि उपकरणों के विनिर्माण/खरीद, डेरी इकाईयों, सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर–ट्राली, ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी की दुकान इत्यादि।

पिछड़े वर्ग के लोग नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर–साइकिल, टैक्सी, पिक–अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े है। अतः राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा गत् वर्ष के 17.82% की तुलना में 21% सावधि ऋण आहरण, सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया।

सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। वर्ष के दौरान 10.80% के ऋण शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।

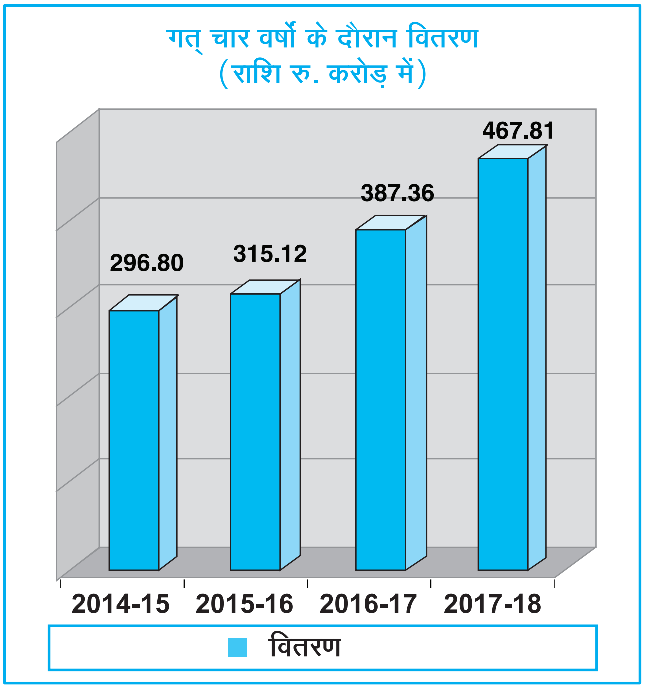

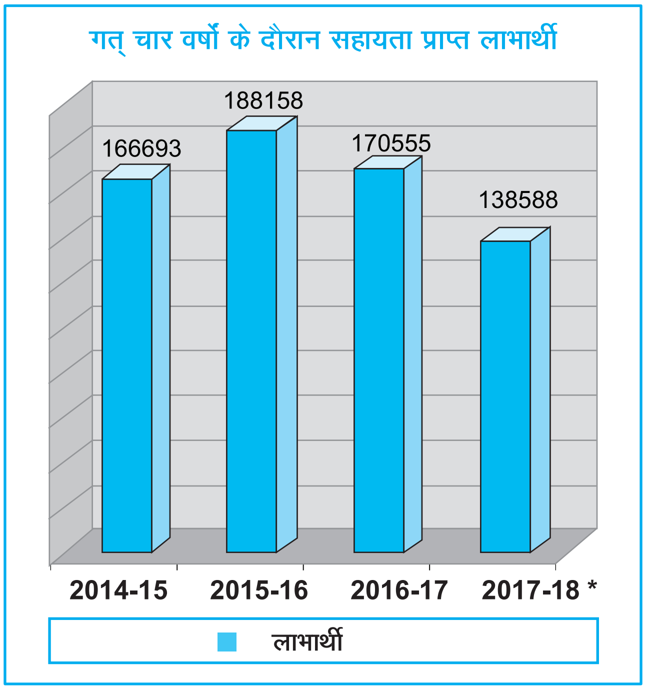

* प्रति लाभार्थी ऋण धनराशि में रू. 60400 से 84404 की औसत वृद्धि हुई, जो गतवर्ष से 2017–18 में 39.74% की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है।

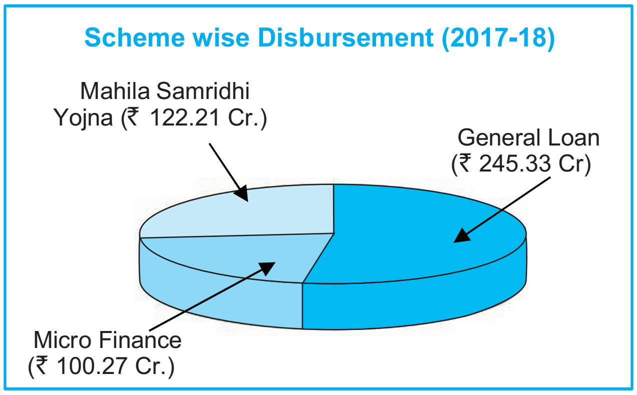

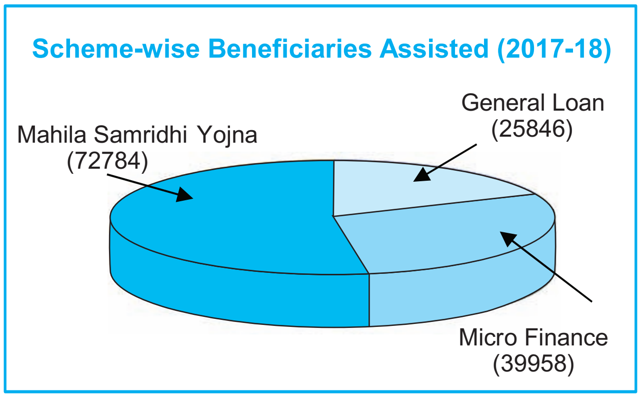

6.5 Education Loan Disbursement:

During the year 2017-18, your Corporation provided loans of Rs. 24.74 Cr. to 1743 beneficiaries under the Education Loan Scheme previous year was Rs. 28.81 Cr. for 3590 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.

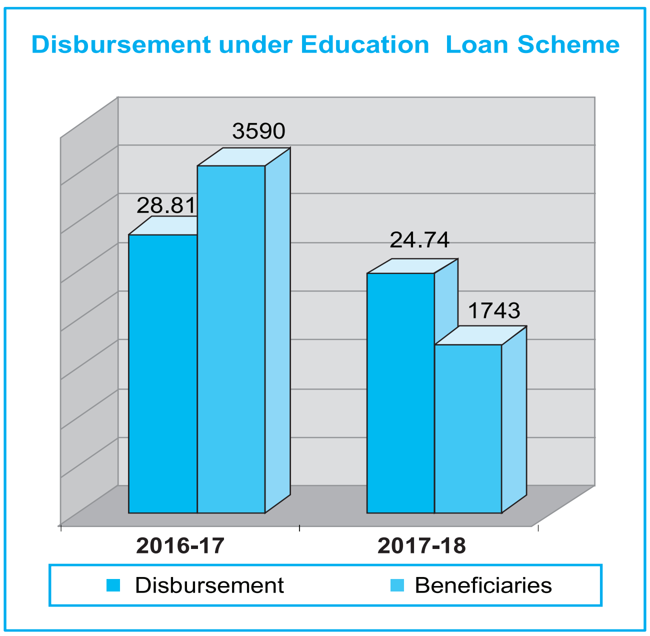

6.6 Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'Mahila Samriddhi Yojana' under Micro Finance. An amount of Rs. 157.89 Crore has been disbursed to assist 77,655 women beneficiaries under these women oriented schemes like Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2017-18. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2017-18 is at **Annexure-3.4** (Page No.40)

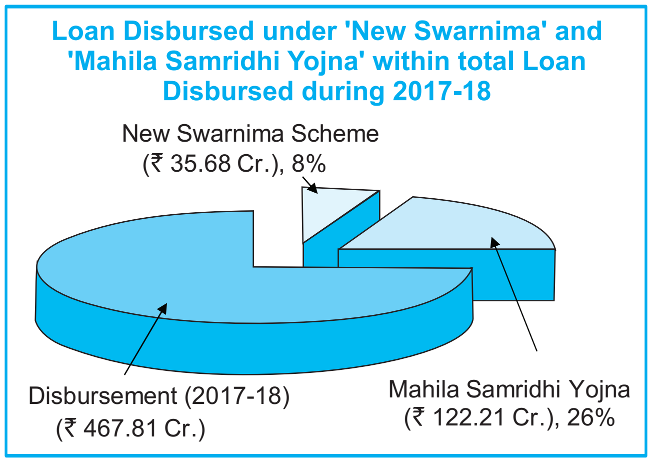

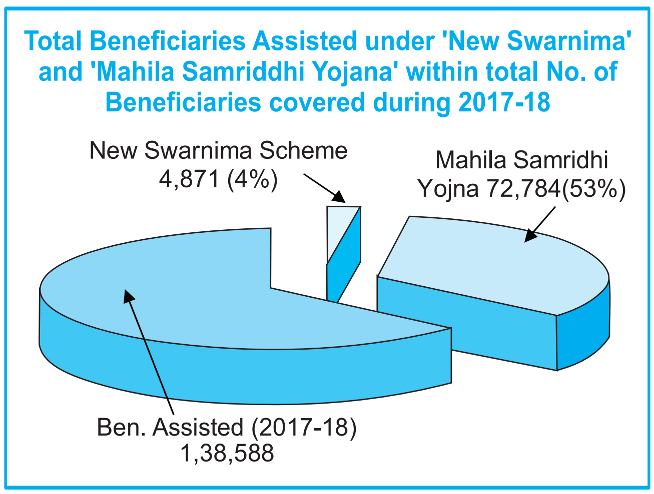

6.7 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

योजनावार वितरण (2017-18)

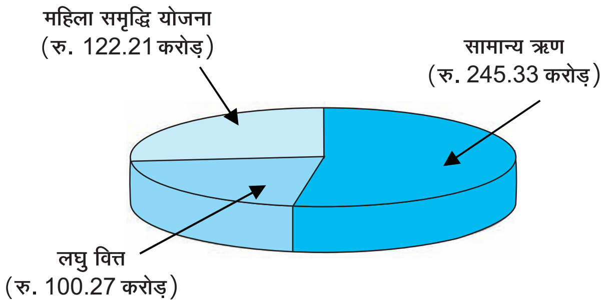

योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2017-18)

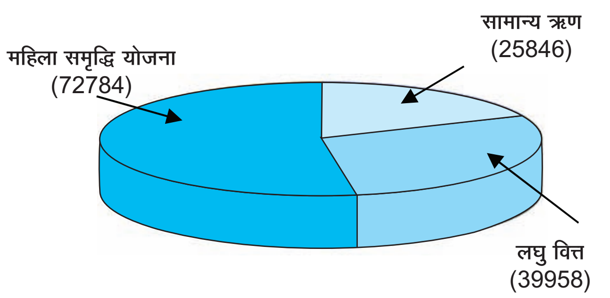

6.5 शैक्षिक ऋण वितरण:

आपके निगम ने वर्ष 2017–18 में शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत रू 24.74 करोड़ 1743 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं, जो गत वर्ष रू. 28.81 करोड़ 3590 लाभार्थियों हेतु दिए गए थे। स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सी. आई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए. इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि योजना के अन्तर्गत शामिल है।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वितरण

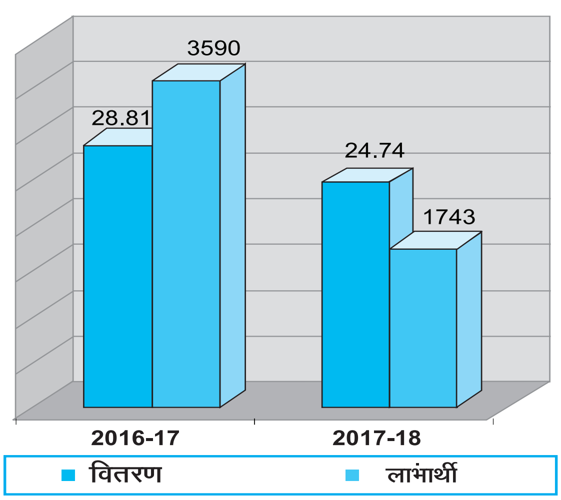

6.6 महिलाओं के लिए विशेष योजना

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2017–18 के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत जैसे– कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के अन्तर्गत रू. 157.89 करोड़ की राशि 77,655 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक– 3.4** (पृष्ठ सं. 40) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2017-18 की अवधि में कुल वितरण में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत ऋण वितरण

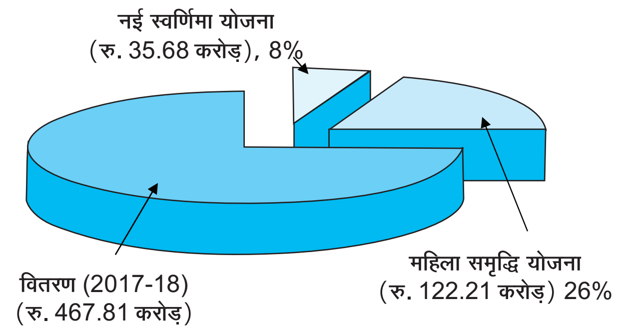

वर्ष 2017-18 की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी

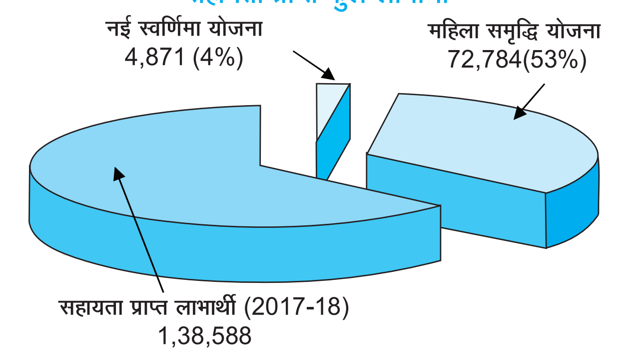

6.7 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासभंव शीघ्र अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब–वार ब्याज दर लागू की गई है:

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 95%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case to case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As per Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the net profit made during three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2017-18 for CSR activities. A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure-3.6 & 3.7** (Page No. 44-48) to this report.

8. PROGRESS DURING FIVE YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-17	2017-18	Cumulative as on 31.03.18
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**90.00**	**1214.00**
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**467.81**	**4043.31**
3.	Disbursement/ Budgetary support (%age)	0.99	2.32	8.31	3.97	**3.34**	**5.20**	**3.33**
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**138588**	**2438951**
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**23361**	**194636**
6	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**283.93**	**2750.92**

Accordingly, for every Rs. 3/- given as equity, Corporation has lent Rs. 10/- by ensuring diligent recoveries & financial management.

9. FINANCIAL /OPERATIONAL PERFORMANCE

9.1 Income & Expenditure Account

i) During the year 2017-18, the operating income of Corporation has increased from Rs. 32.76 crore to 35.87 crore and income from others (short term deposit) decreased to Rs. 8.33 crore from Rs. 14.91 crore.

ii) The total expenses including employees cost has increased from Rs. 22.59 crore to Rs. 24.08 crore.

iii) Excess of Income over Expenditure during the year 2017-18 is Rs. 20.07 crore as against Rs. 25.67 crore during 2016-17.

9.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from Rs. 1553.93 crore to Rs. 1664.00 crore in 2017-18.

9.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement

During the year, the Corporation has received equity support of Rs. 90.00 Cr. from Government of India and has disbursed Rs. 467.81 cr., which means Rs. 377.81 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1–120 दिन	3%
120–180 दिन	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ–साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 95% रहा है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए, लक्ष्य समूह के लिए बैंकों की निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अवधि के आधार पर 180 दिनों तक मामले दर मामले आधार पर बढ़ाया गया।

7. निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक– 3.6 एवं 3.7** (पृष्ठ सं. 44–48) पर उपलब्ध है।

8. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा–सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षित व्यय इत्यादि निगम की प्रगति के सम्बंध में निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	8वीं योजना 1992–97	9वीं योजना 1997–02	10वीं योजना 2002–07	11वीं योजना 2007–12	12वीं योजना 2012–17	2017–18	31.03.18 को सकल
1	बजटीय सहायता (रु. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**90.00**	**1214.00**
2	वितरण (रु. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**467.81**	**4043.31**
3.	वितरण/बजटीय सहायता (%)	0.99	2.32	8.31	3.97	**3.34**	**5.20**	**3.33**
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**138588**	**2438951**
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**23361**	**194636**
6	ऋण की वसूली (रु करोड़ में)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**283.93**	**2750.92**

तद्नुसार, साम्य अंश के रूप में दिए गए प्रत्येक रू. 3/– के लिए निगम ने वसूली और वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित कर रू. 10/– के ऋण दिए हैं।

9 वित्तीय/परिचालन कार्यनिष्पादन

9.1 आय एवं व्यय खाता

i) वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम की परिचालन आय रू. 32.76 करोड़ से बढ़कर रू. 35.87 करोड़ और अन्य (अल्पकालिक जमा) से आय रू. 14.91 करोड़ से रू. 8.33 करोड़ हो गई है।

ii) कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रू. 22.59 करोड़ से बढ़कर रू. 24.08 करोड़ हो गया है।

iii) वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य 2016–17 के दौरान रू. 25.67 करोड़ की तुलना में रू. 20.07 करोड़ है।

9.2 शुद्ध मूल्य

वर्ष 2017–18 में निगम का शुद्ध मूल्य रू. 1553.93 करोड़ से बढ़कर रू. 1664.00 करोड़ हो गया है।

9.3 सरकार से प्राप्त अंश पूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार से रू. 90.00 करोड़ की अंश पूंजी प्राप्त की तथा रू. 467.81 करोड़ का वितरण किया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण एवं निगम के आंतरिक संसाधनों से, बजटीय सहायता से रू 377.81 करोड़ अधिक वितरण किया गया है।

The cumulative equity support up to 31.03.2018 is Rs. 1214.00 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 4043.31 cr. covering 23,38,951 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 3.33 times the equity received from Government of India.

The amount of Rs. 2829.31 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement
(upto 31.03.2018)

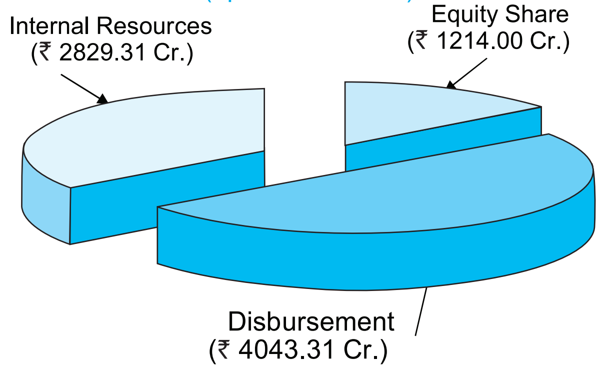

Cumulative Disbursement Vs. Last four Years Disbursement (upto 31.03.2018)

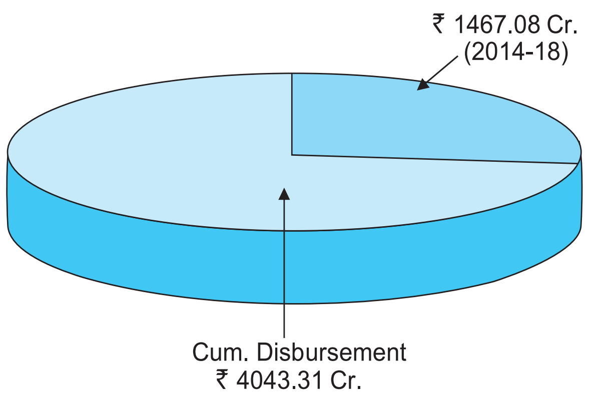

The disbursement over last four years has been 36% of the cumulative disbursement over 26 years of existence. It has been 62% over and above the disbursement in the previous three years FY' 11 to FY' 14

Cumulative Beneficiaries Vs. last 4 Years Beneficiaries
(upto 31.03.2018)

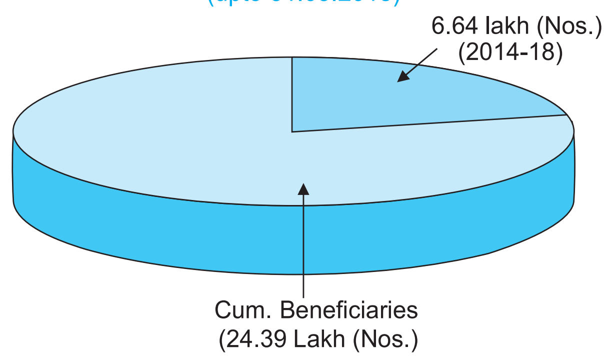

9.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 2750.92 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 2970.92 Cr. as on 31.03.2018. The cumulative amount of recoveries of Rs. 2750.92 Cr. comprises of Rs. 2358.08 Cr. as principal and Rs. 392.84 Cr as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 92.60 % as on 31st March, 2018.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2018 is available at **Annexure-3.5** (Page No. 41-43)

Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

9.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is Rs. 43.84 crore which includes other income in r/o interest earnings from banks of Rs. 7.97 cr.

दिनांक 31.03.2018 तक संचयी इक्विटी सहायता रू. 1214.00 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रू. 4043.31 करोड़ का संचयी वितरण कर 23,38,951 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 3.33 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रू. 2829.31 करोड़ अधिक की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आन्तरिक संसाधन एवं कुल वितरण (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

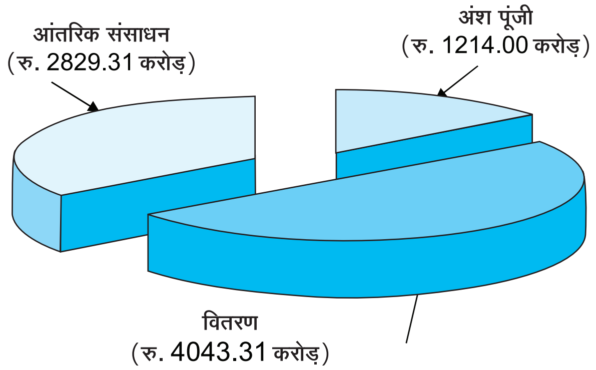

संचयी वितरण बनाम गत चार वर्षों का वितरण (31.03.2018 तक)

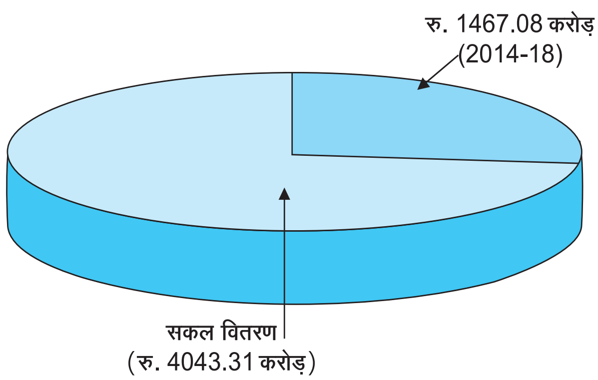

26 वर्षों के अस्तित्व का संचयी संवितरण 4 वर्षों में 36% रहा है। यह पिछले 3 वर्षों के वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 14 में वितरण से 62% अधिक है।

संचयी लाभार्थी बनाम गत तीन वर्षों के लाभार्थी (31.03.2018 तक)

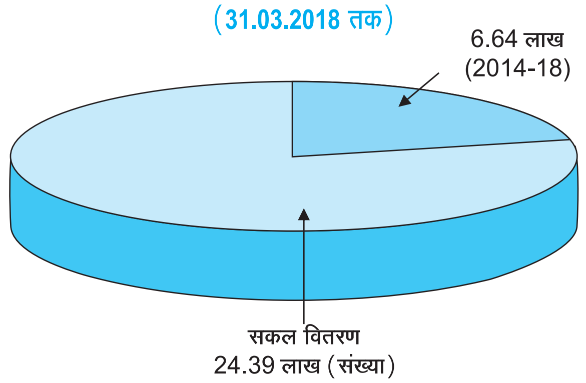

9.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ–साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापति करने और लाभार्थियों से समय पर वूसली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम ने 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रू. 2970.92 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रू 2750.92 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। रू. 2750.92 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रू 2358.08 करोड़ तथा ब्याज/अन्य प्रभार के रूप में रू. 392.84 करोड़ की राशि सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली 92.60% है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक–3.5** (पृष्ठ सं. 41–43) पर उपलब्ध है।

आपका निगम यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

9.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रू. 43.84 करोड़ है जिसमें रू 7.97 करोड़ के बैंकों से ब्याज आय के संबंध में अन्य आय शामिल है।

9.6 Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)

During the year, Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net) of your Corporation stood at 45.07 %.

9.7 PAT or Surplus/Average Net Worth

During the year, PAT or Surplus/Average Net Worth of your Corporation stood at 1.25%.

9.8 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/Total Funds Available of your Corporation is 84.20%.

9.9 Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement

During the year, the percentage of Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement stood at 56.39%.

9.10 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/Total loans (Net) of your Corporation is 10.06%.

9.11 NPA/Total loans (Net)

During the year, the percentage of NPA/Total loans (Net) of your Corporation is 0.15%.

9.12 No. of target group provided Entrepreneurship development /skill Development programme in terms of common norms issued by Ministry of Skill Development.

During the year, the Corporation is able to provide 23361 beneficiaries for skill development as per norms issued by Ministry of Skill Development.

9.13 On-line submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0 and above) along with compliance of prescribed timelines w.r.t. writing of ACR/APAR. (%of number of executives)

During the year, the percentage of On- line submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0 and above) along with compliance of prescribed timelines w.r.t. writing of ACR/APAR. (%of number of executives of your Corporation is 100%.

9.14 Online Quarterly Vigilance clearance updation for Senior Executives (AGM & Above)

During the year, the percentage of Online Quarterly Vigilance clearance updation for Senior Executives (AGM & Above) of your Corporation is 100%.

9.15 Holding of DPC without delay for executive (E0 and above level)

During the year, the percentage of Holding of DPC without delay for executive (E0 and above level) of your Corporation is 100%.

9.16 Talent Management and carrier progression by imparting at least one week training in Centre of Excellence within India e.g IITs, IIMs. NITs , ICAI, etc. (No. of Executives)

During the year, 10 no. of executives provided one week training programs in Centre of Excellence within India.

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 20.07 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Deptt. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

10. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

The Corporation facilitates Skill Development Training Programmes for up-gradation of technical and entrepreneurial skills of eligible members of Backward Classes through 100% grant-in-aid. The objective of this scheme is to provide training to the target group to make them capable of self-dependent through appropriate skill and technical training in the field of traditional & technical occupations. The trainees are encouraged to obtain loan under NBCFDC general loan schemes to start their business/ self-employment venture after the successful completion of the training.

9.6 संचालन से लाभ के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ / आधिक्य (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के परिचालन (शुद्ध) से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ / आधिक्य 45.07% रहा है।

9.7 पीएटी या आधिक्य / औसत शुद्ध मूल्य

वर्ष के दौरान, आपके निगम का पीएटी या आधिक्य / औसत शुद्ध मूल्य 1.25% रहा है।

9.8 वितरित ऋण / उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के लिए उपलब्ध ऋण / कुल धनराशि का प्रतिशत 84.20% है।

9.9 कुल वितरण के % के रूप में लाभार्थियों को प्रदान किया गया माइक्रो फाइनेंस ऋण

वर्ष के दौरान, कुल वितरण के रूप में लाभार्थियों को दिए गए माइक्रो फाइनेंस ऋण का प्रतिशत 56.39% रहा है।

9.10 अतिदेय ऋण / कुल ऋण (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण / कुल ऋण (शुद्ध) का प्रतिशत 10.06% है।

9.11 गैर निष्पादित परिसंपत्तियां/कुल ऋण (शुद्ध)

वर्ष के दौरान आपके निगम का एन.पी.ए./कुल ऋण (शुद्ध) का प्रतिशत 0.15 है।

9.12 कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य मानदंडों के संदर्भ में एंटरप्रीनरशिप विकास / कौशल विकास कार्यक्रम में लक्षित समूह की संख्या

वर्ष के दौरान, निगम कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार 23361 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हुआ है।

9.13 ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. (अधिकारियों की संख्या का %) लिखने के संबंध में निर्धारित समय–सारिणी के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई0 और उससे ऊपर) के संबंध में ए.सी.आर. / ए.पी.ए.आर. को ऑन–लाइन जमा करना।

वर्ष के दौरान, ए.सी.आर. / ए.पी.ए.आर. के लिखने के संबंध में निर्धारित समय–सारिणी के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई0 और ऊपर) के संबंध में ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. के ऑन–लाइन जमा करने का आपके निगम के अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत 100 है।

9.14 वरिष्ठ कार्यकारियों (सहायक महाप्रबंधक और उससे ऊपर) के लिए ऑन–लाइन त्रैमासिक सतक्रता अनापत्ति को अद्यतन करना

वर्ष के दौरान, आपके निगम के वरिष्ठ कार्यकारियों (सहायक महाप्रबंधक और उससे ऊपर) के लिए ऑन–लाइन त्रैमासिक सतक्रता अनापत्ति अद्यतन करने का प्रतिशत 100 है।

9.15 कार्यकारियों (ई0 और उससे ऊपर) के लिए बिना देरी के डी.पी.सी. आहूत करना

वर्ष के दौरान, आपके निगम के कार्यकारी (ई0 और ऊपर) के लिए बिना देरी के डी.पी.सी. आहूत करने का प्रतिशत 100 है।

9.16 भारत के भीतर उत्कृष्टता के केंद्रों जैसे–आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि में प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रगति (अधिकारियों की संख्या) हेतु कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करना।

वर्ष के दौरान, 10 अधिकारियों ने भारत के भीतर उत्कृष्टता केंद्र में एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए।

जैसा कि आपके निदेशकों ने संस्तुति की थी, व्यय से आय के आधिक्य रू. 20.07 करोड़ की पूरी राशि को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) (सी) के प्रावधान तथा कम्पनी कार्य विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के प्रावधान के अनुसार निगम द्वारा किसी लाभांश (डेवीडेंड) का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा निगम अपने अधिशेष, यदि कोई हों, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में ला सकता है। निगम द्वारा प्रशासनिक व्यय अपने संसाधनों यथा–नियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

10. प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन

दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्गो के पात्र व्यक्तियों को तकनीकी और उद्यमीय कौशलों में उन्नयन के लिए निगम द्वारा 100% अनुदान सहायता के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों में उचित कौशल तथा तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा आत्म– निर्भर हेतु समर्थ बनाना है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय/स्वरोजगार आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

The NBCFDC implements Skill Development Training Scheme in collaboration with reputed Government Training Institutes/Sector Skill Councils.

During 2017-18, the Ministry had set a target of 18500 trainees. Against this target, the Corporation has so far trained 22494 trainees against the total sanction of 23380 numbers during the year under Skill Development Training Programme Scheme of NBCFDC. In order to achieve the desired goal, partnership was established by NBCFDC with following National level institutes having training Institutes in major cities of the country such as;

1. Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Chennai
2. Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Srinagar
3. Apparell Training and Design Centre, Gurgaon
4. Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati
5. Centre for the Development of Glass Industry, Ferozabad
6. Central Glass & Ceramic Research Institutes, Khurja
7. J&K State Women's Development Corporation, Jammu & Kashmir
8. Textile Sector Skill Council (TSSC), New Delhi
9. Apparell Made-Up & Home Furnishing Sector Skill Council, Gurgaon
10. Indian Plumbing Sector Skill Council, New Delhi
11. Security Skills Council India Ltd, New Delhi
12. Handicrafts & Carpet Sector Skill Council, New Delhi
13. Power Sector Skill Council, New Delhi
14. Beauty &Wellness Sector Skill Council, Gurgaon
15. Electronics Sector Skill Council of India, New Delhi
16. Telecom Sector Skill Council, Gurgaon
17. Furniture & Fitting Skill Council, Gurgaon
18. Community College (OPJCC), Chhattisgarh
19. Skill Council for Green Job, New Delhi
20. Rubber Skill Development Council, New Delhi
21. Media and Entertainment and Skill Council, New Delhi
22. Domestic Worker Sector Skill Council, New Delhi

Overall expenditure on skill development by utilizing grant-in-aid from Govt., Internal resources and the CSR grants from other CPSEs stood at Rs. 21.86 Crore.

Training Expenditure released as part payment specifically on training sanctioned during 2017-18 was Rs.15.21 Crore for 23361 trainees. Statewise/ Tradewise details of training during the year under report are available at **Annexure - 4** (Page No. 49-62)

Keeping in mind the specific requirement of prospective donor CPSEs, the Board of NBCFDC has permitted Skill Development Training to all weaker sections of the society wherein minimum 60% members belong to Backward Classes and balance may be from other weaker sections (as per income and /or economic criteria prescribed by Government) in the case of projects executed using Corporate Social Responsibility (CSR) funds of donor PSUs/Agencies. During the year, your Corporation could get sanction under Corporate Social Responsibility (CSR) from the profit making PSUs as shown under:

S.No	Name of the PSU	CSR Funds Sanctioned (Amount in Rs.)	CSR Funds Released (Amount in Rs.)	Number of Trainees	Skill Training Institution
1	Container Corporation of India Ltd (CONCOR)	64, 00, 000.00	12, 00, 000.00	360	Apparelll Made Ups & Home Furnishing Sector Skill Council
2		40, 00, 000.00	7,00,000.00	200	CII Logistic
3	Central Warehousing Corporation (CWC)	57, 00, 000.00	28,00,000.00	120	Central Institute of Plastic Engineering Technology (CIPET)
4	RECL	5,34,00,000.00	--	1600	Power Sector Skill Council
Total		**6,95,00,000.00**	**47, 00, 000.00**	**2280**	

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/सेक्टर स्किल काउंसिलों के सहयोग से प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करता है।

वर्ष 2017–18 के लिए मंत्रालय ने 18500 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया था। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् लक्ष्य के सापेक्ष निगम ने वर्ष के दौरान कुल स्वीकृति 23380 के सापेक्ष 22494 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया। अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने निम्न राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों, जिनके देश के प्रमुख शहरों में प्रशिक्षण संस्थान हैं, के साथ सहभागिता स्थापित की गई है;

1. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट), चैन्नई
2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नालोजी (आई.आई.सी.टी.), श्रीनगर
3. अपैरल ट्रैनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, गुडगांव
4. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टरप्रेन्युरशिप (आई.आई.ई.), गुवाहटी
5. सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद
6. सेंट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इन्सटीट्यूट, खुर्जा
7. जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम, जम्मू
8. टेक्सटाइल सैक्टर स्किल काउंसिल (टीएसएससी), नई दिल्ली
9. अपैरल मेड–अप एण्ड होम फर्निसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, गुड़गांव
10. इंडियन पलम्बिंग सैक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
11. सिक्युरिटी स्किल काउंसिल इंडिया लि0, नई दिल्ली
12. हैण्डीक्राफ्ट एण्ड कॉरपेट सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
13. पॉवर सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
14. ब्यूटी एण्ड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, गुड़गाँव
15. इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
16. टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल, गुड़गाँव
17. फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउंसिल, गुड़गाँव
18. कम्यूनिटी कॉलेज (ओ.पी.जे.सी.सी.), छत्तीसगढ़
19. स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, नई दिल्ली
20. रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली
21. मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट एण्ड स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
22. डोमेस्टिक वक्रर सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली

सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता, आंतरिक संसाधनों एवं अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों से प्राप्त सी.एस.आर. अनुदान का उपयोग करते हुए कुल व्यय रू. 21.86 करोड़ कौशल विकास पर किया गया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान रू.15.21 करोड़ 23361 प्रशिक्षणार्थियों हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में प्रशिक्षणों की स्वीकृति पर जारी किए गए। सन्दर्भित अवधि में वर्ष के दौरान राज्यवार/ट्रेडवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक – 4** (पृष्ठ सं. 49–62) पर दिया गया है।

भावी सी.पी.एस.ई. दाता की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दाता पी.एस.यू./एजेंसियों के निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) निधि का उपयोग करने के लिए निष्पादित परियोजनाओं के मामले में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु जिसमें कम से कम 60% सदस्य पिछड़े वर्ग से हों और शेष अन्य कमजोर वर्गों (आय और / या सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मानदंड) के लिए अनुमति दे दी है। वर्ष के दौरान, आपके निगम को लाभार्जन करने वाले पी.एस.यू. से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत मंजूरी मिल सकती है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है:

क्र.सं.	लोक उद्यम का नाम	स्वीकृत सी.एस.आर. धनराशि (राशि रु. में)	जारी की गई सी.एस. आर. धनराशि (राशि रु. में)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण संस्थान
1	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (कॉनकोर)	64, 00, 000.00	12, 00, 000.00	360	अप्रेरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
2		40, 00, 000.00	7,00,000.00	200	सी.आई.लॉजिस्टिक
3	केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी. डब्ल्यू.सी.)	57, 00, 000.00	28,00,000.00	120	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नालॉजी (सीपेड)
4	आर. ई. सी. एल.	5,34,00,000.00	--	1600	पावर सैक्टर स्किल काउसिंल
योग		**6,95,00,000.00**	**47, 00, 000.00**	**2280**	

The skill development training programmes under the above CSR funded projects have been sanctioned in 12 states (Gujrat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Assam, Andhra Pradesh, Odisha, New Delhi, Uttarakhand and Telangana). The implementations of training programmes are underway.

11. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2017-18, Corporation has allocated and disbursed 33% fund of the total budget allocation received from Govt. of India to the North Eastern States. As per their legitimate demand received during the year 2017-18, loan amounting to Rs. 35.00 Cr. for 5150 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Tripura (Rs. 35.00 cr.). This is well above the mandatory requirement to disburse Rs.9..00 Crore (10% of Rs.90.00 Crore received from GOI) for the financial year 2017-18. Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2017-18 (Rs. in Cr.)	Cum. Loan Disbursed (Rs. in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2017-18	Cum. No. of Beneficiaries Assisted
Assam	-	48.44	-	34897
Manipur	-	36.33	-	30502
Sikkim	-	27.13	-	5164
Tripura	35.00	136.35	5150	39874
TOTAL	**35.00**	**248.25**	**5150**	**110437**

12. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs like India International Trade Fair, DilliHaat, SurajKund International Craft Mela, etc. as well as in the exhibitions/ fairs organized in their respective States. The event not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro expenses, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2017-18 is available at **Annexure-5** (Page No. 63)

13. NEW INITIATIVES

13.1 Information Technology (IT)

During the year, emphasis was to align Information Technology with business goals of the Corporation. NBCFDC got developed "LEAP" software and is being implemented. The project aims to automate the Loan and HR management activities of the organization. Apart from NBCFDC users, SCAs/CPs will have access to the system. It will be a centralized digital system with access for the authorized users over the web. Software will cater on-line all activities of loan including Annual Action Plan, submission of loan proposal by SCAs, approval of the loan proposal(s) by NBCFDC, Release of funds by NBCFDC, submission of UCs/Recovery by SCAs etc.

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सी.एस.आर. निधित उपरोक्त परियोजनाएं 12 राज्यों में स्वीकृत की गई है (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नई दिल्ली, उत्तराखण्ड एवं तेलंगाना) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रक्रिया में हैं।

11. उत्तर–पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2017–18 में, निगम ने भारत सरकार से प्राप्त कुल बजट आवंटन की 33% राशि उत्तर–पूर्वी राज्यों को आवंटित एवं वितरित की है। वर्ष 2017–18 के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों से प्राप्त विधिसंगत मांग के अनुसार उत्तर–पूर्वी राज्य त्रिपुरा को (रू. 35.00 करोड़) वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रू. 9.00 करोड़ की अनिवार्य आवश्यकता से काफी ऊपर (भारत सरकार से प्राप्त रू. 90.00 करोड़ का 10%) वितरण किया गया। उत्तर– पूर्वी राज्यों का संचयी विवरण इस प्रकार है:

राज्य	ऋण वितरण 2017–18 (रु. / करोड़)	संचयी ऋण वितरण (रु. / करोड़)	2017–18 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	-	48.44	-	34897
मणिपुर	-	36.33	-	30502
सिक्किम	-	27.13	-	5164
त्रिपुरा	35.00	136.35	5150	39874
कुल	**35.00**	**248.25**	**5150**	**110437**

12. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हॉट एवं सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले इत्यादि के साथ– साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन/प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बिक्री होती है जो सामान्यतः उनके क्षेत्र में होना कठिन होता।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाजरों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने–जाने का किराया व्यय इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित/प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक– 5** (पृष्ठ सं. 63) पर उपलब्ध है।

13. नई पहल

13.1 सूचना तकनीकी (आई.टी.)

वर्ष के दौरान, निगम ने व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी को संरेखित करने के लिए जोर दिया है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 'लीप' साफ्टवेयर को विकसित कर लिया है और कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य संस्था के ऋण एवं मानव संसाधन प्रबंध कार्यकलापों को स्वचालित करना है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रयोगकर्त्ताओं के अतिरिक्त, रा.चै.ए. / चैनल सहभागियों की भी इस तंत्र तक पहुँच होगी। यह साफ्टवेयर जिसमें वार्षिक कार्य योजना, रा.चै.ए. द्वारा ऋण प्रस्तावों को जमा करना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण प्रस्ताव(वों) का अनुमोदन, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि अवमुक्ति, एस.सी ए. द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्रों/वसूली इत्यादि ऑन–लाइन कार्यकलापों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

The software will facilitate NBCFDC and its partners in Reduction of manual errors, Efficient delivery mechanism, Information on demand, Accurate and precise information, Anytime accessibility of information, Updated beneficiary information, Instantaneous communication, Streamlined functioning, Total transparency etc. To reduce paper usage and transparent working, use of IT has been enhanced in all the functional domains. Data collected with these applications are being used for preparation of MIS report.

13.2 Cluster Development under Ministry of Textile

DC (Handicrafts) had sanctioned NBCFDC to act as Project Implementation Agency (PIA) for OBC dominated clusters the task of development of 11 cluster to NBCFDC. For the first year job assigned in each cluster the job of Detailed Project Report, Baseline Survey , Community Dev. And Mobilization, Engagement of Proj. Consultant, Cluster Mgr, Acctt Clerk/DEO and Conduct of Workshop/Seminar on Standardization & Trade Marking artifacts for upholding Explicit Identity of Handicraft Product.

NBCFDC assigned the work of Detailed Project Report, Baseline Survey and Community Dev. And Mobilization & Engagement of Proj. Consultant, Cluster Mgr, Acctt Clerk/DEO for 09 (nine) Clusters to Indian Institute of Entrepreneurship(IIE) and for two clusters to National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises(ni-msme). While the Conduct of Workshop/Seminar on Standardization & Trade Marking artifacts for upholding Explicit Identity of Handicraft Product has been assigned to COHANDS. The Status of the clusters development for each of the 11 clusters is available at **Annexure – 6** (Page No. 63)

13.3 Skill Development Training Programme for members of beggars' community

Ministry of Social Justice and Empowerment has entrusted the job of Skill Development Training Programme for members of beggars' community on pilot basis for the Financial Year 2017-18 to NBCFDC, with an objective to upgrade the skills of members of beggars' community to enable them to start income generating activities of their own or to get gainfully employed.

Your corporation is entering into MOU with NGOs/VOs working for the welfare of members of Beggars' Community for mobilization and handholding.

14. MAIN EVENTS DURING 2017-18

14.1 Management Development Programmes

The Corporation organized Two Days Management Development Programme (MDP) for Managing Directors and Senior Officers of State Channelising Agencies (SCAs) of NBCFDC /Banks/Rural Regional Banks from 6th to 7th October, 2017 at Institute of Rural Management Anand (IRMA), Anand, Gujarat to improve the implementation of NBCFDC schemes.

In addition, meetings were routinely organized with the State Channelizing Agencies, Banks, Government Training Institutions and Sector Skill Council to update them on our financing & skilling Schemes & also take their feedback.

14.2 Exhibitions/Fairs/Melas

i) Shilpotsav – 2017

The Corporation organized and coordinated the Shilpotsav at DilliHaat, New Delhi on behalf of the Ministry of Social Justice & Empowerment from 01.11.2017 to 15.11.2017. All the Apex Corporations and the Institutions under the Ministry participated in the Shilpotsav. The NBCFDC invited beneficiaries from State Channelising Agencies (SCAs) and Sector Skill Councils(SSCs)/Training Institutes. 36 beneficiaries from the States of Assam, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab, Kerala and Uttar Pradesh participated in the Shilpotsav with handicraft items like Bell Metal, Painting on Metal, Sozni, Shawls Banarsi Zari products, silk sarees, kantha stitch, cane & bamboo, jute & jari products, handloom, woolen products, Jackets, Soft dolls, Screwpine products, readymade kurta/kurties,etc.

यह साफ्टवेयर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और उसके साझीदारों की मैनुअल त्रुटियों को कम करेगा। कुशल वितरण तंत्र, इच्छित सूचना, सटीक एवं संक्षिप्त सूचना, सूचना तक किसी भी समय पहुंच, लाभार्थियों की अद्यतन सूचना, तत्काल संपक्र, सुव्यवस्थित काम–काज, पूरी पारदार्शिता इत्यादि की सुविधा प्रदान करेगा। सूचना तकनीकि कागज के इस्तेमाल को कम करेगा और पारदर्शी कामकाज के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को बढ़ाएगा। इन अनुप्रयोगों से संग्रहित किए गए आंकड़े एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार करने में प्रयोग किए जा रहे हैं।

13.2 वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत समूह विकास

उपायुक्त (हस्तशिल्प) ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रभुत्व वाले समूहों के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) के रूप में कार्य करने के लिए 11 समूहों के विकास का कार्य सौंपा था। प्रत्येक क्लस्टर में प्रथम वर्ष कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बेसलाइन सर्वेक्षण, सामुदायिक विकास और मोबलाइजेशन, परियोजना सलाहकार, समूह प्रबंधक, लेखा लिपिक / डी.ई.ओ. का अनुबंध और मानकीकरण व ट्रेडमाक्र हेतु हस्तशिल्प उत्पाद की स्पष्ट पहचान के लिए सेमिनार का संचालन करना था।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने लिए बेसलाइन सर्वेक्षण, मोबलाइजेशन और सामुदायिक विकास, परियोजना परामर्शक, समूह प्रबंधक, लेखा लिपिक/डी.ई.ओ. का अनुबंध कार्य भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) को 09 समूहों के लिए व माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एनआई–एमएसईएम) को दो समूहों का कार्य सौंपा है। तथापि, हस्तशिल्प के लिए मानकीकरण पर कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन, हस्तशिल्प उत्पाद की स्पष्ट पहचान का कार्य कोनाड्स को सौंपा गया है। सभी 11 समूहों की समूह विकास की स्थिति **अनुलग्नक – 6** (पृष्ठ सं. 63) पर उपलब्ध है।

13.3 भिखारी समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारी समुदाय के सदस्यों के कौशल को अपग्रेड करने के उद्देश्य से पायलट आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का काम सौंपा है, ताकि भिखारी समुदाय के सदस्यों को आय सृजन करने वाले कार्यकलापों को शुरू करने या लाभप्रद रूप से नियोजित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके। ।

आपका निगम ऐसे एन.जी.ओ./वी.ओ. के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर रहा है, जो भिखारी समुदाय के सदस्यों के कल्याण एवं हैंडहोल्डिंग के लिए काम रह रहे हैं।

14 वर्ष 2017–18 के दौरान मुख्य आयोजन

14.1 प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बेहतर बनाने हेतु निगम ने रा.चै.ए./बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा), आनंद, गुजरात में दिनांक 6 से 7 अक्टूबर, 2017 तक दो दिवसीय प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

इसके अतिरिक्त, बैठकों का आयोजन रा.चै.ए., बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों एवं सेक्टर स्किल काउंसिलों के साथ हमारी वित्तीय व कौशलीकरण योजनाओं के बारे में अद्यतन करने हेतु नियमित बैंठकों का आयोजन किया गया एवं फीडबैक भी प्राप्त किए गए।

14.2 प्रदर्शनियां/उत्सव/मेले

i) शिल्पोत्सव – 2017

निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 01.11.2017 से 15.11.2017 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में शिल्पोत्सव का आयोजन एवं समन्वयन किया। मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी शीर्ष निगमों एवं संस्थानों ने शिल्पोत्सव में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं सेक्टर स्किल काउंसिल/प्रशिक्षण संस्थानों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया। असम, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, केरल एवं उत्तर प्रदेश के 36 लाभार्थियों द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुएं जैसे धातु की घंटियां, धातुओं पर पेंटिंग, सोजनी, शाल, बनारसी जरी उत्पाद, सिल्क साड़ियाँ, कंथा स्टिच, केन एवं बांस के सामान, जूट व जरी के उत्पाद, हैंडलूम, ऊनी कपड़े, जैकिट, मुलायम गुड़िया, केवड़ा उत्पाद, सिले सिलाए कुर्ते/कुर्तियां आदि के साथ शिल्पोत्सव में भाग लिया गया।

ii) India International Trade Fair (IITF) – 2017

The Corporation participated in the Exhibition at India International Trade Fair-2017 (IITF), Pragati Maidan, New Delhi from 14th-27th November, 2017, wherein 31 artisans from 13 States participated with handicraft items like artificial jewelry, kantha stitch, silk and handloom products, kashmiri shawls/stoles, sozni embroidery, hand embroidery honey & organic products, pickles, bagh print, wood inlay, readymade garments, wooden toys, Bell Metal Products, Screwpine products, Carpets, Punjabi Jutti, lacquer Toys woodcraft, Phulkari, Jackets, Loi etc. The participants have reported good sale of their products during the IITF.

iii) 9th East Himalayan Expo – 2017

NBCFDC participated in Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt of India exhibition at 9th East Himalayan Expo 2017 Shillong from 14-20 December, 2017. NBCFDC invited beneficiaries from the Eastern State Channelising Agencies (SCAs) and 01 beneficiary was given space free of cost to display their products. The products displayed by the artisans included handloom, handicrafts, dress material, artistic jewelry etc.

iv) Surajkund International Craft Mela – 2018

NBCFDC was made Nodal Corporation for coordinating Surajkund International Craft Mela-2018 at Faridabad, Haryana from 1st-15th February, 2018 by the Ministry. All the Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the Surajkund International Craft Mela. A total 100 stalls were booked for the Apex Corporations under the Ministry to participate in the Surajkund International Craft Mela. The NBCFDC invited the beneficiaries from all State Channelising Agencies (SCAs), Sector Skill Councils(SSCs)/Training Institutes/Banks 29 beneficiaries were given space free of cost to display their products. The products displayed by the artisans included shawls, handloom, handicrafts, banarsi sarees, kantha stitch, bead work, wood inlay, cane & bamboo, dress material, tie & dye, wooden toys, pottery, bags, belts, artificial jewelry, jute products, lacquer toys, artificial flowers, batiq Products, silk sarees etc.

15. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES

Awareness Camps

During the year, the Corporation undertook an initiative of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/ channel partners. During the year, 32 awareness camps organized which were attended by large number of prospective beneficiaries and registered their names for availing loan from channel partners at concessional rate of interest. The officials of the Corporation also attended the camps & facilitated the target groups in understanding the schemes and encouraged them to register them for availing concessional loan from the banks.

16. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owed by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, your Corporation has achieved the required target during the year 2017-18.

17. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation

ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2017

निगम ने 14–27 नवम्बर, 2017 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें 13 राज्यों के 31 दस्तकारों ने हस्तशिल्प के उत्पादों जैसे आर्टीफिशियल ज्वैलरी, कंथा स्टिच, सिल्क एवं हस्तशिल्प उत्पाद, कश्मीरी शालें/स्टोल्स, सोजनी कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई एवं जैविक उत्पाद, आचार, बाघ प्रिंट, लकड़ी पर नक्काशी, सिले–सिलाए वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, फुलकारी, जैकेट्स, लोई इत्यादि। आई.आई.टी.एफ. के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री सूचित की गई है।

iii) नवीं पूर्वी हिमालयी प्रदर्शनी – 2017

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गंगटोक, सिक्किम में 14–20 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित की गई नवीं पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी, 2017 में निगम द्वारा भाग लिया गया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने पूर्वी क्षेत्र की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आमंत्रित किया और 01 लाभार्थी को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए निः शुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया। कारीगरों द्वारा प्रदर्शित किए गए उत्पादों में, हथकरघा, हस्तशिल्प, ड्रैस मैटिरियल, कलात्मक ज्वैलरी आदि शामिल थे।

iv) सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला – 2018

1–15 फरवरी, 2018 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेले में निगम को मंत्रालय द्वारा सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला–2018 के समन्वयन हेतु नोडल निगम बनाया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत सभी शीर्ष निगमों एन.बी.सी.एफ.डी.सी.,एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस. एफ.डी.सी. ने सुरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में भाग लिया । मंत्रालय के अधीन सभी शीर्ष निगमों के लिए सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में भाग लेने हेतु कुल 100 स्टॉलों का आवंटन किया गया था। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने समस्त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ सेक्टर स्किल काउंसिलों/ प्रशिक्षण संस्थानों/बैंकों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया था एवं 29 लाभार्थियों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराए गए थे। दस्तकारों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों में शॉल, हैण्डलूम, हस्तशिल्प, बनारसी साड़ियां, कंथा स्टिच, बीड वक्र, लकड़ी पर नक्कासी, केन व बाँस के सामान, ड्रेस सामग्री, टाई एवं डाई, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, बैग, बेल्ट, कृत्रिम ज्वैलरी, जूट उत्पाद, रोगन लगे खिलौने आर्टिफिशल पुष्प बटिक उत्पाद शिल्क की साड़ियां इत्यादि सम्मिलित थे।

15. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार – प्रसार एवं जागरूकता

जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, निगम ने जागरूकता–सह–ऋण शिविर का आयोजन निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और बैंक/चैनल भागीदारों के अधिकारियों के साथ आमने–सामने वार्ता करने के लिए लक्ष्य समूह को एक अवसर प्रदान करने की पहल की। वर्ष के दौरान 32 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए तथा इसमें भारी संख्या में संभावित लाभार्थियों द्वारा भाग लिया गया एवं चैनल भागीदारों से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने हेतु उनके नामों का पंजीकरण किया गया। निगम के अधिकारियों द्वारा भी शिविरों में भाग लिया गया एवं लक्षित समूहों को योजनाओं की जानकारी दी गई एवं उन्हें बैंकों से रियायती ऋण प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया।

16 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 के अनुसार– अनिवार्य है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी के आधिपत्य के एम.एस.ई. से 20% में से माल और सेवाओं की 4% खरीद निर्धारित की है। वर्ष 2012 के सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए आपके निगम ने वर्ष 2017–18 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

17. आधार अधिनियम, 2016 और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा–7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहभागियों (सी.पी.) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया है, कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा/जानकारी प्रदान कर डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./

has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/ data received from SCAs/CPs/Tis.

18. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The functional divisions of the Corporation viz. Planning, Project, Human Resource & Administration and Finance, Company Affairs Skill Development are operating with bare minimum staff, inspite of continues increase in the volume of work of the Corporation with new approach to reach to the to the gross root level beneficiaries. The total manpower of the Corporation as on 31.03.2018 was 45 which include the staff at the Regional offices at Mumbai and Kolkatta, out of 45 employees 09 belong to SC category and 11 belong to OBC category, there is no backlog vacancy exists in any cadre. Corporation is following the reservation policy and guidelines issued by Department of Enterprise, Ministry of Heavy Industries, Government of India. The relations between employer and employees are harmonious, there is no man-day lost during the year 2017-18.

Corporation strongly believes in development of human resources in order to achieve the goals, targets. Twenty eight officers and staff were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas such as Human Resource Management, Financial Management, Public Procurements, Skill Development, Women Entrepreneurship, Priority Sector Lending, Record Management, Sexual Harassment, Prevention of Taxation, and noting & drafting etc. This included training programme of one week in Centre of excellence for the officers of the Corporation.

19. PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority constituted the committee consisting of –

(i)	Smt. Anupama Sood DGM (Proj.)	- Chairperson
(ii)	Shri V. R. Chary, DGM (HR&Admn)	- Member
(iii)	Shri Ajit Kumar Samal , DGM(Fin) CS	- Member
(iv)	Smt. (Dr.) Navdip Kaur, NGO Representative	-Member
(v)	Smt. Neelam Mudgal, Asstt. Manager (Fin)	- Member
(vi)	Smt. Saramma Thomas, Sr. Executive	- Member

The aggrieved women employees may submit her complaints to the committee. During the financial year 2017-18, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

20. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard on 15 June 2018. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

21. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of the Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time. During the year, 'HINDI PAKHWADA' & 'HINDI DIWAS' observed in the month of September and winners were given suitable prizes to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Hindi Software ‘Akshar’ and 'Saransh' have been installed in Computers. The provisions of

टी.ई. से प्राप्त जानकारी / डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी / डेटा प्रदान कर रहा है।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के नए तरीकों के साथ लगातार बढ़ते कार्यों के बावजूद, निगम के कार्यात्मक विभाग जैसे–योजना, परियोजना, वित्त, मानव संसाधन एवं प्रशासन और वित्त, कम्पनी कार्य कौशल विकास विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य कर रहे हैं। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निगम में कुल कर्मचारियों की संख्या 45 थी, जिसमें मुम्बई और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों का स्टाफ भी शामिल है। 45 कर्मचारियों में से 09 अनुसूचित जाति वर्ग और 11 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है। किसी भी कैडर में कोई भी रिक्त पद नहीं है। निगम लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण–नीति और गाइडलाइन का अनुपालन करता है। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। वर्ष 2017–18 में औद्योगिक मतभेदों के कारण किसी भी मानव–दिवस की क्षति नहीं हुई है।

निगम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन के विकास में दृढ़ विश्वास रखता है। 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में अद्यतन घटनाक्रम से बराबर अगवत कराने के लिए उन्हें संगत कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे–मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी खरीद, कौशल विकास, महिला उद्यमिता, वित्तियन के प्राथमिकता क्षेत्र, अभिलेख प्रबंधन, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, कर निर्धारण, टिप्पण एवं आलेखन इत्यादि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

19. यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतया असहिष्णु है एवं निगम ने महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध एवं सुधार) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं सुधार सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

(I)	श्री अनुपमा सूद, उप महाप्रबन्धक (परि.)	अध्यक्षा
(ii)	श्री वी.आर.चारी, उप महाप्रबन्धक (मा.स.–प्रशा.)	सदस्य
(iii)	श्री अजित कुमार सामल, उप महाप्रबन्धक (वित्त.) एवं कम्पनी सचिव	सदस्य
(iv)	श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	श्रीमती नीलम मुदगल, स. प्र. (वि.)	सदस्य
(vi)	श्रीमती सारम्मा थॉमस, वरि. कार्यकारी	सचिव

पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायत इस समिति को कर सकती है। वर्ष 2017–18 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से किसी भी प्रकार के यौन–उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

20. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस. / आई.एस.ओ. 9001–2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिनांक 23 जून, 2018 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2015 कम्पनी का प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को अधिकतम करने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है, साध्य नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढांचे के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

21. राजभाषा का प्रगामी उपयोग

निगम राजभाषा नीति एवं निगम के दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय–समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष के दौरान माह सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' तथा 'हिन्दी दिवस' मनाए गए। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए। कम्प्यूटरों

Sec 3(3) of Official Language Act are being complied with in the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official language Implementation Committee were conducted during the year to discuss the progressive use of Official Language in official work and quarterly/annual reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and the Ministry of SJ &E. Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the "Annual Programme for transacting the Official work of the Corporation in Hindi for the year 2017-18. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

The inspection of Official Language related activities of NBCFDC was held by the First Sub-Committee of Committee of Parliament on Official Language on 9th January, 2018 at New Delhi. The filled in questionnaire related to the inspection program had been submitted to the office of Parliamentary Committee in time and other related formalities were also completed in time. The inspection was conducted successfully.

Follow-up action has been taken on the assurances received from the office of Parliamentary Committee on Official Language and sent in the prescribed format through Ministry of SJ&E in time.

22. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/ Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of RTI Act, 2005 is ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains all, information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC). During the financial year 2017-18, all complaints/ applications have been disposed off within the specified time limits.

23. AWARDS AND APPRECIATION

NBCFDC has achieved "Excellent" rating for compliance of MOU target of 2016-17 by achieving Score – 94.07 as communicated by the Department of Public Enterprises, Government of India, dated 24th January, 2018. The Excellent rating has been achieved by your Corporation consecutively for the 16th year.

24. VIGILANCE CELL

The Corporation observed Vigilance Awareness Week from 30th October, 2017 to 4th November, 2017 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and also notice is displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Officers & Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

25. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

26. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s N.K.S.Chauhan & Co., Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2017-18. The Statutory Auditors have audited the accounts of the Corporation for the year 2017-18 and submitted their report.

27. C&AG COMMENTS

The Accounts of the Corporation for the year 2017-18 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India for providing their comments as per Companies Act 2013.

28. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of

में हिन्दी सॉफ्टवेयर 'अक्षर' एवं 'सारांश' संचालित किए गए हैं। निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। बैठकों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा की गई तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को तिमाही/ वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी गई। वर्ष 2017–18 के लिए निगम में कार्यालयी कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के सतत् प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के राजभाषा से संबंधित कार्यकलापों का निरीक्षण दिनांक 9 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नावली समय पर संसदीय समिति के कार्यालय में जमा की गई और अन्य संबंधित औपचारिकताओं को भी समय पर पूरा किया गया। निरीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।

संसदीय राजभाषा समिति के कार्यालय से प्राप्त आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से समय पर निर्धारित प्रारूप में भेजी गई।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों/आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

23. पुरस्कार एवं प्रशंसा

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने समझौता ज्ञापन 2016–17 के लक्ष्यों के अनुपालन में स्कोर–94.07 प्राप्त कर 'उत्कृष्टता' की रेटिंग प्राप्त की है। आपके निगम में निरंतर 16 वर्षों से उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है।

24. सतक्रता प्रकोष्ठ

मुख्य सतक्रता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 30 अक्टूबर, 2017 से 4 नवम्बर, 2017 तक सतक्रता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतक्रता बरती जा रही है। सतक्रता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय–समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतक्रता के बारे में जानकारी दी गई।

25. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गये कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

26. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए मैसर्स एन. के. एस. चौहान एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2017–18 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई एवं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

27. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

28. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, यदि कोई हों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ

weakness, if any. It is the Corporation's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure-7** (Page No. 64-69)

29. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

In accordance with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, an extract of the Annual Return of your Company in the prescribed format is attached herewith at **Annexure-8** (Page No. 70-76) to the Directors' Report.

30. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2018, there are ten Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took place in the composition of the Board of Directors:

- Sh. Pravir Krishna, MD, TRIFED part time non official Director was appointed in place of, Dr. Bala Prasad, MD, TRIFED w.e.f. 04.08.2017.
- Sh. Sanjay Goyal, CGM, SIDBI was appointed as part time non official Director in place of Sh. S.P. Singh, GM,SIDBI w.e.f. 24.05.2018.
- Sh. Rajiv, GM, NABARD was appointed as part time non official Director in place of Sh. A.K. Mohanty, GM, NABARD w.e.f. 11.07.2018.

The Board welcome Sh. Pravir Krishna, MD, TRIFED, Sh. Sanjay Goyal, CGM, SIDBI and Shri Rajiv, GM, NABARD as Directors on the Board of NBCFDC. The Board also placed on record its appreciation for the valuable guidance given by Sh. Bala Prasad, Sh. S.P. Singh and Shri A.K. Mohanty, GM,NABARD to the management of your Corporation during their tenure as part-time Directors. Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:-

Sl. No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Sh. B. L. Meena, JS (BC)	Director	25.06.2014	Till date
2	Smt. Aindri Anurag,JS(SCD-B), SJ&E	Director	18.08.2015	-do-
3	Ms. T.C.A. Kalyani, JS&FA,SJ&E	Director	17.12.2015	-do-
4	Sh. K. Narayan, MD, NBCFDC	Managing Director	01.01.2016	-do-
5	Sh. Pravir Krishna,MD, TRIFED	Director	04.08.2017	-do-
6	Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC	Director	10.08.2016	-do-
7	Sh. Sanjay Goyal, CGM, SIDBI	Director	24.05.2018	-do-
8	Shri Rajiv,GM,NABARD	Director	11.07.2018	-do-
9	Ms. Saroj Kumari, NOD	Director	02.02.2017	-do-
10	Shri. K. Hanmandloo, NOD	Director	02.02.2017	-do-
11	Dr. Bala Prasad,MD, TRIFED	Director	06.05.2016	04.08.2017
12	Sh. Satya Prakash Singh,GM, SIDBI	Director	10.08.2016	24.05.2018
13	Shri A.K. Mohanty,GM,NABARD	Director	28.05.2015	24.05.2018

33. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

स्वंय का बेंचमाक्र स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद कारपोरेट प्रशासन द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र **अनुलग्नक–7** (पृष्ठ सं. 64–69) पर प्रस्तुत है।

29. वार्षिक रिर्टन का अंश

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर कंपनी के वार्षिक रिर्टन का अंश निदेशकों के प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–8** (पृष्ठ सं. 70–76) के रुप में संलग्न है।

30. निदेशक मण्डल

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में प्रबन्ध निदेशक सहित दस निदेशक शामिल हैं। वर्ष 2017–18 की अवधि में निदेशक मण्डल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए है:

- श्री प्रवीर कृष्ण प्र.नि., ट्राइफेड को श्री बाला प्रसाद, प्र.नि., ट्राइफेड के स्थान पर दिनांक 04.08.2017 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री संजय गोयल, महाप्रबन्धक, सीडबी को श्री एस.पी. सिंह महाप्रबन्धक, सिडबी के स्थान पर दिनांक 24.05.2018 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री राजीव, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, को श्री ए.के. मोहन्ती, महाप्रबन्धक, नाबार्ड के स्थान पर दिनांक 11.07.2018 से अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का निदेशक मण्डल श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड, श्री संजय गोयल, मुख्य महाप्रबंधक, सिडबी एवं श्री राजीव, महाप्रबंधक, नाबार्ड का एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मंडल में निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर स्वागत करता है। निदेशक मण्डल श्री बाला प्रसाद, श्री एस.पी. सिंह, एवं श्री ए.के. मोहन्ती, महाप्रबंधक, नाबार्ड के अंशकालिक निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए अमूल्य सुझावों के लिए उनकी प्रसंशा करता है एवं इसे अभिलेखित करता है। निगम के निदेशक मण्डल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री बी.एल. मीना, सं.सचिव (पिछड़ा वर्ग)	निदेशक	25.06.2014	अब तक
2	श्रीमती ऐन्द्री अनुराग, सं.सचिव (एससीडी–बी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	18.08.2015	अब तक
3	सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, सं.सचिव एवं वि. सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	17.12.2015	अब तक
4	श्री के.नारायण, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	01.01.2016	अब तक
5	श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	04.08.2017	अब तक
6	श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.	निदेशक	10.08.2016	अब तक
7	श्री संजय गोयल, मु. महाप्रबंधक, सिडबी	निदेशक	24.05.2018	अब तक
8	श्री राजीव, महाप्रबंधक, नाबार्ड	निदेशक	11.07.2018	अब तक
9	सुश्री सरोज कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक	निदेशक	02.02.2017	अब तक
10	श्री के. हनमन्डलू, गैर–सरकारी निदेशक	निदेशक	02.02.2017	अब तक
11	डॉ. बाला प्रसाद, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	06.05.2016	04.08.2017
12	श्री सत्य प्रकाश सिंह, महाप्रबंधक, सिडबी	निदेशक	10.08.2016	24.05.2018
13	श्री .के. मोहन्ती, महाप्रबंधक, नाबार्ड	निदेशक	28.05.2015	24.05.2018

33. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;

(ii) यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;

iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;

vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

31. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

32. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

b) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

d) Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the prescribed form;

e) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

f) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

33. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/UT Administrations, State Channelising Agencies, Regional Rural banks (RRBs), Sector Skill Councils(SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation. Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-	Sd/-
(K. Narayan)	**(T.C.A. Kalyani)**
Managing Director	Director
DIN No.: 03561648	DIN No.: 02406559

Place: New Delhi
Date: 26.07.2018

(iii) निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा प्रर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(iv) निगम के वार्षिक लेखे प्रचलित मानकों के आधार पर निदेशकों द्वारा तैयार किए गए हैं;

(v) निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;

(vi) लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतू समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त है व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

31. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक) नियमावली 2014 के नियम 5 (2) 5 (3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

32 सामान्य:

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है:

(क) धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्यय;

(ख) धारा 178 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत आवृत्त कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप–धारा (3) में दिया गया है;

(ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;

(घ) धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लेखित सम्बंधित पक्षों से अनुबंध अथवा व्यवसाय का निर्धारण प्रारूप पर विवरण,

(ड़) अनुशंसा की गई राशि, यदि कोई हो, लाभांश के रूप में भुगतान की गई,

(च) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मैटेरियल ऑर्डर पारित नहीं किये गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

33. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन,सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढ़ने और उत्कृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदानों के लिए उनको रिकार्ड करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं। हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

	ह0/–	ह0/–
	(के. नारायण)	**(टी.सी.ए. कल्याणी)**
स्थानः नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक	निदेशक
दिनांकः 26.07.2018	(डिन सं. 03561648)	(डिन सं. 02406559)

ANNEXURE - 1

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operativeFinance Corporation Ltd.,
4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar, NTR Road, Tadigadapa, Vijayawada, Amravathi-521 134

ASSAM

2. Assam State Development Corporation forOther Backward Classes Ltd.,
Dr. B.K. Kakaty Road,Gopinath Nagar,Guwahati, Assam-781 016.

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd., Gopinath Bordoloi Road, Ambari, Guwahati, Assam-781 001.

4. North Eastern Development Finance Corporation Ltd., NEDFi House, G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781 006

BIHAR

5. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,
4th Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna, Bihar-800 001.

CHANDIGARH

6. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial &Development Corporation,
Addl. Town Hall Building,3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017

CHHATTISGARH

7. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,
2nd & 4th Floor, Housing Board Complex, Sector-27, New Raipur, Chhattisgarh-492001.

DELHI

8. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn.,
Ambedkar Bhawan,Institutional Area,Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

9. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd.,
4th Floor, Patto Center, Near K.T.C. Bus Stand, Panaji, Goa-403 001.

GUJARAT

10. Gujarat Backward Classes Development Corpn., Block No.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10, Gandhi Nagar,Gujarat-382 010.

11. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., Block No.7, Third Floor,Dr. Jivaraj Mehta Bhavan,Gandhinagar, GUJARAT-382 010.

12. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam, Block No.16, Ground Floor,Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar,Gujarat-382 010.

13. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,
Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010, Gujarat.

HARYANA

14 Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam,
SCO No.813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana-160 022.

HIMACHAL PRADESH

15. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation,
Old SDM Office Building, Kangra, Himachal Pradesh-176 001

JAMMU & KASHMIR

16. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
May to October : Exchange Road, Near Red Cross Office, Srinagar-190 001.
Nov. to April : 715-A, Last Morh, Gandhi Nagar,Jammu-180004.

17. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation
May to October: Block No. A, First Floor, Old Secretariat, Srinagar-180001.
Nov. to April : Hall No.6-B, Ist Floor, Aquaf Building, Gandhi Nagar, Jammu-180004.

JHARKHAND

18. Jharkhand ST Cooperative Development Corporation Ltd., 1st Floor, Kalyan Complex, Ist Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आन्ध प्रदेश

1. आन्ध प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कालेज के सामने, पदमजा नगर, एन.टी.आर. रोड़, टडीगडपा, विजयवाड़ा, अमरावथी–521134

असम

2. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0, डॉ0 बी.के. काकोटी रोड़, गोपीनाथ, नगर, गुवाहाटी–781016, असम
3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 गोपीनाथ बोरदोलाई रोड़, अम्बरी, गुवाहाटी, असम–781016
4. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, नेडफी हाउस, जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी–781006

बिहार

5. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001, बिहार

चण्डीगढ़

6. चण्डीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, अपर टाउन हॉल बिल्डिग, सैक्टर – 17सी, चण्डीगढ़–160017

छत्तीसगढ

7. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, द्वितीयी एवं चतुर्थ तल, कॉर्मशियल कॉम्पलेक्स, हाउसिंग बोर्ड बिल्डिग, सेक्टर–27, न्यू रायपुर, छत्तीसगढ–492001

दिल्ली

8. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपारेशन अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089

गोवा

9. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0, चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी–403001, गोवा

गुजरात

10. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन ब्लॉक न. –11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सैक्टर–10, गाँधी नगर–382010, गुजरात
11. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0, ब्लॉक न. –7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382010, गुजरात
12. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम, ब्लॉक न. –16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, ओल्ड सचिवालय, सैक्टर–10, गाँधी नगर–382010, गुजरात
13. गुजरात नौमैडिक एण्ड डी–नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन, ब्लॉक न. –19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382010, गुजरात

हरियाणा

14. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम एस.सी.ओ. सं. 813–14, सेक्टर–22–ए, चण्डीगढ़–160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

15. हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमैंट कॉरपोरेशन, ओल्ड एस.डी.एम. बिल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176001

जम्मू एण्ड कश्मीर

16. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमैंट कॉरपोरेशन,
    मई से अक्टूबरः एक्सचैंज रोड़, नियर रेड क्रास ऑफिस, श्रीनगर–190001
    नवम्बर से अप्रैलः 715–ए, लास्ट मोड़, गाँधी नगर, जम्मू–180004
17. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन,
    मई से अक्टूबरः ब्लाक–ए, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर –180001
    नवम्बर से अप्रैलः हॉल न. 6–बी, प्रथम तल, एक्वाफ बिल्डिंग, गाँधी नगर, जम्मू–180004

झारखण्ड

18. झारखण्ड एस.टी. कोऑपरेटिव डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, प्रथम तल, कल्याण कॉम्पलैक्स्, बलिहार रोड़, मोराबादी, रांची, झारखण्ड–834008

KARNATAKA

19. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., No.16-D, 4th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthanagar, Bangalore, Karnataka-560 052.

20. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,
16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthanagar, Bangalore-560 052

KERALA

21. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd., 'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road,Vanchiyoor P.O., Trivandrum, Kerala-695 035.

22. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd., Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695 001.

23. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,
"SENTINEL", 2nd Floor,T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram, Kerala-695 035.

24. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd. (MATSYAFED),
Kamaleswaram, Manacaud P.O.,Thiruvananthapuram, Kerala-695 009.

25. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.), Near Railway Station, Nagampadam, Kottayam, Kerala-686002.

26. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers' Welfare Corporation Ltd.,
"Kelpalm House", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695 122.

27. Kerala State Women's Development Corporation Ltd., T.C. 20/2170, "BASANTH" Opp. Manmohan Bungalow, Kowdiar P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 003.

MAHARASHTRA

28. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd.,
Administrative Building, 4th Floor, Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai, Maharashtra-400 071.

29. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,
Juhu Supreme Shopping Centre, Ist Floor,Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Juhu Vile-Parle Scheme (W), Mumbai, Maharashtra-400 009.

ODISHA

30. Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,
Qrs. No. A/6, Unit-5, Near Rajiv Bhawan, Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

31. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,
No.1, VIII Cross St., Anna Nagar, Nellithope, Puducherry-605 005.

PUNJAB

32. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation,
SCO No. 60-61,Sector-17 A, Chandigarh, Punjab-160 017.

RAJASTHAN

33. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,
2nd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Near 22 Godaam Pulia, Jaipur, Rajasthan- 302 005.

SIKKIM

34. Sikkim SC/ST & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.,
Sonam Tshering Marg (Kazi Road),Gangtok-737 101., Sikkim

TAMIL NADU

35. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation,
1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

TRIPURA

36. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd., Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W), Agartala,Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

37. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,
4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226 001.

38. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,
10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-224001.

UTTARAKHAND

39. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam, Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

WEST BENGAL

40. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation,
Block CF, 217/A/1, Sector-1, Salt Lake, Kolkata, West Bengal-700 064.

41. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,
'Ambar', 27/E, Sector-1,D.D. Block, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal - 700 064.

कर्नाटक

19. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमैंट कॉरपोरेशन, स.–16–डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर–560052, कर्नाटक

20. कनार्टका विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सं. 16–डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर–560052, कनार्टक

केरल

21. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, 'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड़, वंचीयूर पो. ओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल

22. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल, पो.ब. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरूअनंतपुरम–695001, केरल

23. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टूर, वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल

24. केरल स्टेट को–आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमैंट लि0 (मत्स्यफैड),
कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695009, केरल

25. केरल स्टेट डेवलपमैंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्टस् एण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटिज (लि0),
रेलवे स्टेशन के पास, नागमपदम, कोट्टायम –686002, केरल

26. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्टस् डेवलपमैंट एण्ड वर्क्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0
केलपाम "हाउस",'कुम्भुमविला, अरायूर पो.आ., कोट्टायम–695122, केरल

27. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, टी.सी. 20/2170, 'बसंत' मनमोहन बंगलो के सामने, कोडियार पो. ओ., तिरूअनंतपुरम–695003, केरल

महाराष्ट्र

28. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि., एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर मार्ग, चैम्बूर(ई), मुम्बई–400071, महाराष्ट्र

29. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,
जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, प्रथम तल, गुलमोहर क्रास रोड़ न. 9, जे.वी.पी.डी. स्कीम),
विले–पारले स्कीम(वेस्ट), मुम्बई–400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

30. ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–आपरेटिव कॉरपोरेशन लि.,
क्वाटर सं. ए/6, यूनिट–5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर–751001, ओड़ीसा

पुड्डूचेरी

31. पुड्डूचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,
सं. –1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे, पुड्डूचेरी–605005

पंजाब

32. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एस.सी.ओ. सं. –60–61, सैक्टर–17ए, चण्डीगढ़–160017, पंजाब

राजस्थान

33. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम पुलिया, जयपुर, राजस्थान–302005

सिक्किम

34. सिक्किम अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
सोनम टीशेलरग मार्ग (काजी रोड़), गंगटोक–737101, सिक्किम

तमिलनाडु

35. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एग्मौर, (नियर गंगूरेकृी सबवे), चेन्नई–600008, तमिलनाडु

त्रिपुरा

36. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को–आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च बिल्डिंग, त्रिपुरा (वेस्ट), अरतला, त्रिपुरा–799001,

उत्तर प्रदेश

37. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0., चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32 स्टेशन रोड़, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश

38. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0., 10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –224001

उत्तराखण्ड

39. उत्तराखण्ड बहुउदे्दशीय वित्त एवं विकास नगम, निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

पश्चिम बंगाल

40. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
ब्लॉक सी.एफ, 217/ए/1, सैक्टर–1, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल

41. पश्चिम बंगाल माइनोरिटिज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, 'अम्बर', 27/ई, सेक्टर–1, डी.डी. ब्लाक, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल

LIST OF PUBLIC SECTOR BANKS (PSBs)AND REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

PUBLIC SECTOR BANKS (PSBs)

1. **VIJAYA BANK**
   No. 41/2, Trinity Circle, M.G. Road, Bangalore-560001, Karnataka

2. **CANARA BANK**
   H.O. 112 J.C. Road, Banglore-560002, Karnataka

3. **PUNJAB NATIONAL BANK**
   MSME Division, Plot No-4, Sector-10, Dwarka,New Delhi-110075

4. **DENA BANK**
   PS & RRB Retail & MSME, 6th Floor, C-10 G- Block, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai- 400051

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

1. **Andhra Pragathi Grameena Bank**
   PO Box 65, Opposite: Officers Club, Rayachoty Road, Kadapa-516001, Andhra Pradesh

2. **Langpi Dehangi Rural Bank**
   H.O. Diphu, Karbi Anglong, Assam-782460

3. **Madhya Bihar Gramin Bank**
   H.O. Sri Vishnu Commericial Complex, Beside National Highway Petrol Pump, Ashochak, NH-30, Patna-800016, Bihar

4. **Dena Gujarat Gramin Bank**
   Balvantray Mehta Panchayat Bhavan, 'CH" Road, Sector-17, Gandhinagar, Gujarat-382017.

5. **Saurashtra Gramin Bank**
   S.J. Place,1st Floor, Dhebar Road, Opposite Andh Mahila Vikar Gruh, Rajkot-360002,Gujarat.

6. **Sarva Haryana Gramin Bank**
   H.O. SHGB House, Plot No.1, Sector-3, Rohtak-124001, Haryana

7. **Himachal Pradesh Gramin Bank,**
   Head Office, Jail Road (Panjethi), Talyahar, Mandi - 175001, Himachal Pradesh,

8. **Vananchal Gramin Bank,**
   H.O. Municipality Chowk, Dangalpara, Dumka-814101, Jharkhand

9. **Jharkhand Gramin Bank,**
   H.O. Rajendra Place, 5 Main Road, Near Over Bridge, Ranchi-834001, Jharkhand

10. **Madhyanchal Gramin Bank,**
    H.O. Poddar Colony, Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh

11. **Narmada Jhabua Grameen Bank,**
    201, Arcade Silver, 2nd Floor, Near 56 Dukaan, New Palasia, Indoor-452001, Madhya Pradesh.

12. **Punjab Gramin Bank,**
    H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601, Punjab

13. **Telangana Grameena Bank,**
    2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia,St.No.9, Nallakunta, Shankermutt Road, Hyderabad-500044.

14. **Rajasthan Marudhara Gramin Bank,**
    Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan.

15. **Sarva U.P. Gramin Bank ,**
    H.O. C-39/5, Jagriti Vihar, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh

16. **Allahabad U.P. Gramin Bank,**
    D.M. Colony, Civil Lines, Banda-210001, Uttar Pradesh

17. **Purvanchal Bank**
    Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur-273018,Uttar Pradesh

18. **Gramin Bank of Aryavart**
    H.O. A-2/46, Vijay Khand,Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh

19. **Kashi Gomti Samyut Gramin Bank**
    H.O. C-19/40, Faatman Road, Sigra, Varnasi-221002, Uttar Pradesh

20. **Uttarakhand Gramin Bank**
    H.O.18, New Road, Dehradun-248001, Uttarakhand

21. **The District Co-operative Central Bank Ltd.,**
    Door No.46-1-C, Budhawarpeta, Opp. Government Regional Eye Hospital, Kurnool-518 002.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की सूची
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक

1. **विजया बैंक**
   सं. 41/2, ट्रीनिटी सक्रल,
   एम.जी. रोड़, बैंगलोर–560001, कर्नाटक

2. **केनरा बैंक**
   मुख्य कार्यालय–112, जे.सी. रोड़, बैंगलोर–560002, कर्नाटक

3. **पंजाब नेशनल बैंक**
   एमएसएमई विभाग, प्लाट सं.–4, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

4. **देना बैंक**
   पीएस एण्ड आरआरबी, रिटेल एण्ड एमएसएमई, छठा तल, सी–10, जी–ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा, मुम्बई–400051

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

1. **आन्ध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक**
   पोस्ट बाक्स –65, आफिसर्स क्लब रायचोटी रोड़ के नजदीक, काडपा–516001, आन्ध्र प्रदेश

2. **लंगपी देहागीं रूरल बैंक**
   मुख्य कार्यालय–दिप्हू, कार्वी एंलोंग, असम–782460

3. **मध्य बिहार ग्रामीण बैंक,**
   मु.का. श्री विष्णु कॉमूसयल कॉम्पलेक्स,नेशनल हाईवे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोचक, एनएच–30, पटना–800016, बिहार

4. **देना गुजरात ग्रामीण बैंक,**
   बलवन्तराय मेहता पंचायत भवन, 'सीएच' रोड़, सेक्टर–17, गाँधी नगर, गुजरात–382017

5. **सौराष्ट्रा ग्रामीण बैंक**
   एस. जे. प्लेस, प्रथम तल, धेबार रोड़, अन्ध महिला विकास ग्रुह के सामने, राजकोट–360002, गुजरात

6. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक,**
   मु.का. एसएचजीबी हाउस, प्लॉट न. 1, सेक्टर–3, रोहतक–124001, हरियाणा

7. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक,**
   मुख्य कार्यालय, जेल रोड (पंजेठी) तल्याहर, मण्डी–175001, हिमाचल प्रदेश

8. **वनाचंल ग्रामीण बैंक,**
   मु.का. म्युन्सिपॉलिटी चौक, दंगलपारा, दुमका–814101, झारखण्ड

9. **झारखण्ड ग्रामीण बैंक,**
   मुख्य कार्यालय–राजेन्द्रा प्लेस, 5, मैंन रोड, ओवर ब्रिज के नजदीक, राँची–834001, झारखण्ड

10. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक,**
    मुख्य कार्यालय– पोद्दार कालोनी, तिलि रोड़, सागर–470001, मध्य प्रदेश

11. **नर्मदा झाबुवा ग्रामीण बैंक,**
    201, अरकाडे सिल्वर, द्वितीय तल, 56 दुकान के नजदीक, न्यू पलसिया, इन्दौर–452001, मध्य प्रदेश

12. **पंजाब ग्रामीण बैंक,**
    मुख्य कार्यालय– जालन्धर रोड़, कपूरथला–146601, पंजाब

13. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक,**
    2–1–520, द्वितीय तल, विजया श्री साँई सेलेस्टिया, सैट न. 9, नालाकुन्टा, शंकरमठ रोड़, हैदराबाद–500044

14. **राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,**
    तुलसी टावर, 9वां बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर–342003, राजस्थान

15. **सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक,**
    मुख्य कार्यालय– सी–39/5, जागृति विहार, गढ़ रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश

16. **इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक**
    डी.एम. कालोनी, सीविल लाईन, बंदा–210001, उत्तर प्रदेश

17. **पूर्वांचल बैंक,**
    बुद्ध विहार कॉमरशियल स्कीम, तारामण्डल, गोरखपुर –273018, उत्तर प्रदेश

18. **ग्रामीण बैंक आर्यव्रत,**
    मुख्य कार्यालय– ए–2/46, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

19. **काशी गोमती सम्यूत ग्रामीण बैंक,**
    मुख्य कार्यालय– 19/40, फाटमैंन रोड़, सिगरा, वाराणासी–221002, उत्तर प्रदेश

20. **उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक**
    मु.का. 18, न्यू रोड़, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड

21. **जिला सहकारी सेंट्रल बैंक लि.,**
    दरवाजा सं. 46–1–सी, बुद्धावरपेटा, सामले सरकारी क्षेत्रीय आखों का अस्पताल के सामने, कुरनूल–518 002

LIST OF DORMANT STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. A.P. Toddy Tappers Co-operative Finance Corpn. Ltd.

ASSAM

2. Assam Electronics Development Corpn. Ltd.

ANDAMAN & NICOBAR

3. Andaman & Nicobar State Co-operative Bank Ltd.

DADRA & NAGAR HAVELI, DAMAN & DIU

4. Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST/ OBC & Minorities Financial & Development Corpn. Ltd.

MADHYA PRADESH

5. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam

6. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam

MAHARASHTRA

7. Anna Saheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Ltd.

MANIPUR

8. Manipur State Women's Development Corporation,

9. Manipur Tribal Development Corporation Ltd.

10. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society (MOBEDS)

MEGHALAYA

11. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.,

MIZORAM

12. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd.

TAMIL NADU

13. Tamil Nadu Corporation for Development of Women Ltd.,

निष्क्रिय राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश टोड्डी टैपर्स को–आपरेटिव कॉरपोरेशन लि0.

असम

2. असम इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0

अंडमान एण्ड निकोबार

3. अंडमान एण्ड निकोबार स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0.

दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव

4. दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी. एण्ड माईनारीटीज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0

मध्य प्रदेश

5. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
6. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम

महाराष्ट्र

7. अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामण्डल लि0.

मणिपुर

8. मणिपुर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
9. मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0
10. मणिपुर माइनारीटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी ¼एमओबीईडीएस½

मेघालय

11. मेघालय को–आपरेटिव एपेक्स बैंक लि0.

मिजोरम

12. मिजोरम को–आपरेटिव एपेक्स बैंक लि0.

तमिलनाडु

13. तमिलनाडु कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीमेन लि0.

ANNEXURE - 2

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

BRIEF ABOUT THE CPSE

1	**Name of the CPSE**	**National Backward Classes Finance and Development Corporation**	
2	Status (Pleas tick): As per DPE Guidelines	None	
3	Schedule of the CPSE (Please tick)	C	
4	Purpose for which CPSE has been setup and the main business now	National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) provides concessional financial assistance to the persons belonging to other Backward Classes (OBCs) living below the double poverty line, for undertaking self-employment ventures, education and enhancement of job oriented skills through training. The beneficiary should be notified as OBC by Central /State Government and his family income should be below double the poverty line. In rural areas, the double poverty line is pegged at an annual family income of Rs. 98,000 p.a and in urban areas, it is Rs. 1,20,000/- p.a	
5	Number and Name of subsidiary companies along with amount invested and share in its profit during last five years	Separate sheet may be attached, if more than one subsidiary. Information may be separately given in respect of each subsidiary and aggregated (consolidated) also	
6	Number and Name of Joint Venture companies along with amount invested and share in its profit during last five years	Separate sheet may be attached, if more than one Joint Venture. Information may be separately given in respect of each Joint Venture and aggregated (consolidated) also	
7	Wheher registered with BIFR, If yes, details	NA	
8	Details of revival plan approved earlier	NA	

Item 5:

Year *	Name of Subisdiary	Amount Invested (Rs.)	Share in its profit (Rs.)
2011-12			
2012-13			
2013-14	→	NA	←
2014-15			
2015-16			

Item 6:

Year *	Name of Subisdiary	Amount Invested (Rs.)	Share in its profit (Rs.)
2011-12			
2012-13			
2013-14	→	NA	←
2014-15			
2015-16			

अनुलग्नक–2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
केन्द्रीय लोक उद्यम का संक्षिप्त सार

<table>
<tr><th>1</th><th>केन्द्रीय लोक उद्यम का नाम</th><th colspan="2">नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन</th></tr>
<tr><td>2</td><td>''स्थिति (कृ. चिन्हित करें): लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार''</td><td colspan="2">कोई नहीं</td></tr>
<tr><td>3</td><td>''केन्द्रीय लोक उद्यम की अनुसूची (कृ. चिन्हित करें)''</td><td colspan="2">सी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>केन्द्रीय लोक उद्यम के गठन का उद्देश्य और वर्तमान में किया जा रहा मुख्य कार्य</td><td colspan="2">नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को स्व–रोजगार स्थापना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उन्मुख कौशल को बढ़ाने हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। लाभार्थी को केन्द्र/राज्य द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित होना चाहिए एवं उसकी पारिवारिक आय दोहरी गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में दोहरी गरीबी रेखा हेतु वार्षिक पारिवारिक आय रू. 98,000 एवं शहरी क्षेत्रों में रू. 1,20,000/– निश्चित है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सहायक कंपनियों के नाम एवं संख्या के साथ–साथ विनियोजित धनराशि एवं गत् पांच वर्षों में लाभ में इसके अंश</td><td colspan="2">यदि एक से अधिक सहायक कंपनी हो, अलग से शीट को संलग्न किया जा सकता है। प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना अलग से एवं समेकित भी दी जाए</td></tr>
</table>

वर्ष *	सहायक कंपनी का नाम	विनियोजित धनराशि (रू.)	लाभ में अंश (रू.)
2011-12			
2012-13			
2013-14	→	लागू नहीं	←
2014-15			
2015-16			

<table>
<tr><td>6</td><td>संयुक्त उद्यमों के नाम एवं संख्या के साथ–साथ विनियोजित धनराशि एवं गत् पांच वर्षों में लाभ में इसके अंश</td><td>यदि एक से अधिक संयुक्त उद्यम हो, अलग से शीट को संलग्न किया जा सकता है। प्रत्येक संयुक्त कंपनी के संबंध में सूचना अलग से एवं समेकित भी दी जाए</td></tr>
</table>

वर्ष *	सहायक कंपनी का नाम	विनियोजित धनराशि (रू.)	लाभ में अंश (रू.)
2011-12			
2012-13			
2013-14	→	लागू नहीं	←
2014-15			
2015-16			

7	''क्या BIFR के साथ पंजीकृत है, यदि हां तो विवरण''	नहीं
8	पूर्व में अनुमोदित पुनरूद्धार योजना का विवरण	नहीं

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Current Year (Estimated) 2016-17	Best in 5 years (upto 2015-16)	MOU Target for the year 2017-18				
						Excellent 100%	Very Good 80%	Good 60%	Fair 40%	Poor 20%
PART-A										
i	**Turnover** Revenue from Operations (Net)	Rs. Crore	10	42.28	44.80	44.50	44.25	43.75	43.25	42.75
ii	**Operating Profit/Loss**									
	CPSEs with operating profit (Profit/Surplus before Tax excluding other Income,Extraordinary and Exceptional Items) :- Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)	%	20	56.72	74.84	40.00	39.50	39.00	38.50	38.00
iii	**Return on Investment:**									
	Profit Earning CPSEs with no accumulated losses: PAT or Surplus/Average Net Worth	%	20	1.63	3.07	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90
	Total		**50**							
PART- B										
i	Loans disbursed/Total Funds Available	%	10	72.50	84.89	79	78	77	76	75
ii	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiarires as a % Total Disbursement	%	5	52.46	53.32	53.40	53.20	53.00	52.75	52.50
iii	Overdue loans/Total loans (Net)	%	10	11.09	10.00	10.40	11.00	11.25	11.50	11.75
iv	NPA/Total loans (Net)	%	10	0.52	0.48	0.48	0.50	0.51	0.52	0.53
v	No. of target group provided Enterpreneursip development /skill Development programme in terms of common norms issued by Ministry of Skill Development.	Nos.	10	17500	15146	19000	18500	18000	17500	17000
vi	**HR Parameters:**									
vi (a)	On- line submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0 and above) along with compliance of prescribed timelines w.r.t. writing of ACR/APAR. (%of number of executives)	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80
vi (b)	Online Quarterly Vigilance clearance updation for Senior Executives(AGM & Above)	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80
vi (c)	Holding of DPC without delay for executive (E0 and above level)	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80
vi (d)	Talent Management and carrier progression by imparting at least one week training in Centre of Excellance within India e.g IITs, IIMs. NITs , ICAI, etc. **(No. of Executives)**	Nos.	2	NA	NA	10	9	8	7	6
	Total		**50**							
	Total (Part A + Part B)		**100**							

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
कार्यनिष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण

क्र. सं.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदण्ड	इकाई	अंक	चालू वर्ष (अनुमानित) 2016–17	5 वर्षों में श्रेष्ठ (2015–16 तक)	2017–18 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	संतोषजनक 40%	घटिया 20%
भाग – क										
i	**टर्नओवर** संचालन से आय (शुद्ध)	रू. करोड़	10	42.28	44.80	44.50	44.25	43.75	43.25	42.75
ii	**संचालन लाभ/हानि**									
	संचालन आय वाले केन्द्रीय लोक उद्यम (अन्य आय, असाधारण एवं विशेष मदों को असम्मिलित करते हुए कर से पूर्व लाभ/आधिक्य) :– संचालन लाभ/आधिक्य संचालनों से आय (शुद्ध) के प्रतिशत के रूप में	%	20	56.72	74.84	40.00	39.50	39.00	38.50	38.00
iii	**विनिवेश पर वापसी:**									
	हानि का संग्रहण न करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यमों का लाभार्जन: पैट अथवा आधिक्य/औसत निवल संपत्ति	%	20	1.63	3.07	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90
	योग:		**50**							
भाग – ख										
i	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध धनराशि	%	10	72.50	84.89	79	78	77	76	75
ii	कुल वितरण के % के रूप में लाभार्थियों को वितरित लघु ऋण	%	5	52.46	53.32	53.40	53.20	53.00	52.75	52.50
iii	बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	11.09	10.00	10.40	11.00	11.25	11.50	11.75
iv	एन.पी.ए./ कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	0.52	0.48	0.48	0.50	0.51	0.52	0.53
v	कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानकों के अंतर्गत उद्मीय विकास/कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए लक्षित वर्ग की संख्या	सं.	10	17500	15146	19000	18500	18000	17500	17000
vi	**मानव संसाधन मानदण्ड:**									
vi (क)	सभी कार्यकारियों (ई–0 एवं उससे ऊपर) के संबंध में ACR/APAR ऑन–लाइन जमा करने के साथ–साथ ACR/APAR लिखने हेतु निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन (कार्यकारियों की संख्या का %)	%	1	लागू नहीं	लागू नहीं	100	95	90	85	80
vi (ख)	वरिष्ठ कार्यकारियों (स.म.प्र. एवं उससे ऊपर) हेतु सतक्रता अनापत्ति का ऑन–लाइन तिमाही आधार पर नवीकरण	%	1	लागू नहीं	लागू नहीं	100	95	90	85	80
vi (ग)	बिना विलंब किए कार्यकारियों (ई–0 एवं उससे ऊपर) हेतु DPC का आयोजन	%	1	लागू नहीं	लागू नहीं	100	95	90	85	80
vi (ग)	भारत में उत्कृष्टता के केंद्रों यथा– IITs, IIMs, NITs, ICAI आदि में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिभा प्रबंधन एवं कैरियर विकास (कार्यकारियों की संख्या)	सं.	2	लागू नहीं	लागू नहीं	10	9	8	7	6
	योग		**50**							
	कुल (भाग क + भाग ख)		**100**							

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

FINANCIAL INFORMATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	Current Year	
								Actual upto 30.09.16	Estimated
1	Operating Profit	Rs. Cr.	21.58	25.67	19.75	19.72	23.57	12.02	23.98
2	Details of other incomes:								
	a. Interest	Rs. Cr.	-	-	-	0.1	0.09	-	0.09
	b. Dividend	Rs. Cr.	-	-	-	-	-	-	-
	c. Other Incomes	Rs. Cr.	2.37	0.46	0.1	0.01	0.01	0.07	0.03
	Total	**Rs. Cr.**	**2.37**	**0.46**	**0.1**	**0.11**	**0.1**	**0.07**	**0.12**
3	Profit Before Tax	Rs. Cr.	24.11	25.69	19.85	37.34	24.06	12.09	24.3
4	Profit After Tax	Rs. Cr.	24.11	25.69	19.85	37.34	24.06	12.09	24.3
5	Dividend paid/declared for the year, excluding Dividend Tax	Rs. Cr.	-	-	-	-	-	-	-
6	Paid-up Share Capital	Rs. Cr.	672.35	700	800	912	1024	1124	1124
7	GOI Share	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Long Term Borrowing	Rs. Cr.	-	-	-	-	-	-	-
9	Cash and Bank Balance and equivalent	Rs. Cr.	116.88	93.26	73.75	113.1	167.04	281.34	164.22
10	Balance in Current account	Rs. Cr.	-	-	-	-	-	-	-
11	Cash credit/Over-draft loan/ Short-Term loan	Rs. Cr.	-	-	-	-	-	-	-
12	Net Worth	Rs. Cr.	970	1023	1143	1292	1428	1540.46	1552.68
	No. of Employees								
13	Permanent Employees	Nos.	-	-	47	46	46	46	46
14	Temporary Employees	Nos.	-	-	-	-	-	-	-
15	Contractual Employees	Nos.	-	-	-	-	-	-	-
16	Loans disbursed/Total Funds available	%	69.13	76.73	84.89	78.81	69.72	25.08	72.64
17	Overdue loans/Total loans (Net)	%	15.13	14.93	11.63	10.00	10.31	11.66	11.09
18	NPA/ Total Loans (Net)	%	0.48	0.50	0.48	0.50	0.51	0.51	0.23

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
वित्तीय सूचना

क्र. सं.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदण्ड	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	चालू वर्ष	
								30.09.16 तक वास्तविक	अनुमानित
1	प्रचालन लाभ	रू. करोड़	21.58	25.67	19.75	19.72	23.57	12.02	23.98
2	अन्य आय का विवरणः								
	क. ब्याज	रू. करोड़	-	-	-	0.1	0.09	-	0.09
	ख. लाभांश	रू. करोड़	-	-	-	-	-	-	-
	ग. अन्य आय	रू. करोड़	2.37	0.46	0.1	0.01	0.01	0.07	0.03
	योग	**रू. करोड़**	**2.37**	**0.46**	**0.1**	**0.11**	**0.1**	**0.07**	**0.12**
3	कर से पूर्व लाभ	रू. करोड़	24.11	25.69	19.85	37.34	24.06	12.09	24.3
4	कर के पश्चात लाभ	रू. करोड़	24.11	25.69	19.85	37.34	24.06	12.09	24.3
5	भुगतान किए गए गए लाभांश/वर्ष हेतु घोषित लाभांश कर असम्मिलित	रू. करोड़	-	-	-	-	-	-	-
6	प्रदत्त अंश पूंजी	रू. करोड़	672.35	700	800	912	1024	1124	1124
7	भारत सरकार के अंश	%	100	100	100	100	100	100	100
8	लम्बी अवधि के ऋण	रू. करोड़	-	-	-	-	-	-	-
9	नकदी एवं बैंक अवशेष व समकक्ष	रू. करोड़	116.88	93.26	73.75	113.1	167.04	281.34	164.22
10	चालू खाते में अवशेष	रू. करोड़	-	-	-	-	-	-	-
11	नकद ऋण/ओवर–ड्राफ्ट ऋण/संक्षिप्त अवधि के ऋण	रू. करोड़	-	-	-	-	-	-	-
12	निवल संपत्ति	रू. करोड़	970	1023	1143	1292	1428	1540.46	1552.68
	कर्मचारियों की संख्या								
13	नियमित कर्मचारी	सं.	-	-	47	46	46	46	46
14	अस्थाई कर्मचारी	सं.	-	-	-	-	-	-	-
15	संविदा पर कर्मचारी	सं.	-	-	-	-	-	-	-
16	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध धनराशि	%	69.13	76.73	84.89	78.81	69.72	25.08	72.64
17	बकाया ऋण/कुल ऋण (शद्ध)	%	15.13	14.93	11.63	10.00	10.31	11.66	11.09
18	गैर निष्पादित संपत्तियां/कुल ऋण (शुद्ध)	%	0.48	0.50	0.48	0.50	0.51	0.51	0.23

ANNEXURE - 2.1

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Current Year (Estimated) 2016-17	Best in 5 years (upto 2015-16)	MOU Target for the year 2017-18					Audited	
						Excellent 100%	Very Good 80%	Good 60%	Fair 40%	Poor 20%	31.03.2018	Raw score
PART - A												
i	**Turnover** Revenue from Operations (Net)	Rs. Crore	10	42.28	44.80	44.50	44.25	43.75	43.25	42.75	43.84	6.03
ii	**Operating Profit/Loss**											
	CPSEs with operating profit (Profit/Surplus before Tax excluding other Income,Extraordinary and Exceptional Items):- Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)	%	20	56.72	74.84	40.00	39.50	39.00	38.50	38.00	45.07	20
iii	**Return on Investment:**											
	Profit Earning CPSEs with no accumulated losses: PAT or Surplus/Average Net Worth	%	20	1.63	3.07	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	1.25	20
	Total		**50**									**46.03**
PART - B												
i	Loans disbursed/Total Funds Available	%	10	72.50	84.89	79	78	77	76	75	84.20	10
ii	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiarires as a % Total Disbursement	%	5	52.46	53.32	53.40	53.20	53.00	52.75	52.50	56.39	5
iii	Overdue loans/Total loans (Net)	%	10	11.09	10.00	10.40	11.00	11.25	11.50	11.75	10.06	10
iv	NPA/Total loans (Net)	%	10	0.52	0.48	0.48	0.50	0.51	0.52	0.53	0.15	10
v	No. of target group provided Enterpreneursip development /skill Development programme in terms of common norms issued by Ministry of Skill Development.	Nos.	10	17500	15146	19000	18500	18000	17500	17000	23361	10
vi	**HR Parameters:**											
vi (a)	On- line submission of ACR/APAR in respect of all executives **(E0 and above)** along with compliance of prescribed timelines w.r.t. writing of ACR/APAR. (%of number of executives)	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80	100	1
vi (b)	Online Quarterly Vigilance clearance updation for Senior Executives **(AGM & Above)**	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80	100	1
vi (c)	Holding of DPC without delay for executive (E0 and above level)	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80	100	1
vi (d)	Talent Management and carrier progression by imparting at least one week training in Centre of Excellance within India e.g IITs, IIMs. NITs, ICAI, etc. **(No. of Executives)**	Nos.	2	NA	NA	10	9	8	7	6	10	2
	Total		**50**									50
	Total (Part A + Part B)		**100**									96.03

अनुलग्नक–2.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
कार्यनिष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण

क्र. सं.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदण्ड	इकाई	अंक	चालू वर्ष (अनुमानित) 2016–17	5 वर्षों में श्रेष्ठ (2015–16 तक)	2017–18 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य					अंकेक्षित	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	संतोषजनक 40%	घटिया 20%	31.03.2018	अनिश्चित स्कोर
भाग – क												
i	**टर्नओवर** **संचालन से आय (शुद्ध)**	Rs. Crore	10	42.28	44.80	44.50	44.25	43.75	43.25	42.75	43.84	6.03
ii	**संचालन लाभध्हानि** संचालन आय वाले केन्द्रीय लोक उद्यम (अन्य आय, असाधारण एवं विशेष मदों को असम्मिलित करते हुए कर से पूर्व लाभ/आधिक्य) :– संचालन लाभ/आधिक्य संचालनों से आय (शुद्ध) के प्रतिशत के रूप में	%	20	56.72	74.84	40.00	39.50	39.00	38.50	38.00	45.07	20
iii	**विनिवेश पर वापसी:** हानि का संग्रहण न करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यमों का लाभार्जन: पैट अथवा आधिक्य/औसत निवल संपत्ति	%	20	1.63	3.07	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	1.25	20
	योग:		**50**									**46.03**
भाग – ख												
i	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध धनराशि	%	10	72.50	84.89	79	78	77	76	75	84.20	10
ii	कुल वितरण के : के रूप में लाभार्थियों को वितरित लघु ऋण	%	5	52.46	53.32	53.40	53.20	53.00	52.75	52.50	56.39	5
iii	बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	11.09	10.00	10.40	11.00	11.25	11.50	11.75	10.06	10
iv	एन.पी.ए./कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	0.52	0.48	0.48	0.50	0.51	0.52	0.53	0.15	10
v	कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानकों के अंतर्गत उद्ममीय विकासध्कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए लक्षित वर्ग की संख्या	सं	10	17500	15146	19000	18500	18000	17500	17000	23361	10
vi	**मानव संसाधन मानदण्ड:**											
vi (a)	सभी कार्यकारियों (ई–0 एवं उससे ऊपर) के संबंध में ACR/APAR अश्वन–लाइन जमा करने के साथ–साथ ACR/APAR लिखने हेतु निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन (कार्यकारियों की संख्या का %)	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80	100	1
vi (b)	**वरिष्ठ कार्यकारियों (स.म.प्र. एवं उससे ऊपर) हेतु सतक्रता अनापत्ति का अश्वन–लाइन तिमाही आधार पर नवीकरण**	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80	100	1
vi (c)	बिना विलंब किए कार्यकारियों (ई–0 एवं उससे ऊपर) हेतु DPC का आयोजन	%	1	NA	NA	100	95	90	85	80	100	1
vi (d)	**भारत में उत्कृष्टता के केंद्रों यथा– IITs, IIMs, NITs, ICAI आदि में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिभा प्रबंधन एवं कैरियर विकास (कार्यकारियों की संख्या)**	सं	2	NA	NA	10	9	8	7	6	10	2
	योग		**50**									50
	कुल (भाग क + भाग ख)		**100**									96.03

ANNEXURE - 3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

SCA & STATE WISE LOAN DISBURSEMENT DURING THE LAST THREE YEARS AND CUMULATIVE DISBURSEMENT & NO. OF BENEFICIARIES AS ON 31ST MARCH' 18

₹ in Lakh

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2015-16	2016-17	2017-18	Cumulative as on 31.03.2018	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		**STATES**					
1		**Andhra Pradesh**					
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	0.00	0.00	2500.00	18616.73	335543
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	Andhra Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		Sub Total (1.1 to 1.3)	**0.00**	**0.00**	**2500.00**	**19900.46**	**341299**
2		**Assam**					
	2.1	Assam (Artfed)	0.00	0.00	0.00	680.00	3912
	2.2	Assam (BC)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	Assam (Electronics)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1694.42**	**5456**
3		**Bihar**					
	3.1	Bihar (BC)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	Madhya Bihar Gramin Bank	0.00	1078.81	0.00	1078.81	1723
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**0.00**	**1078.81**	**0.00**	**4989.35**	**10651**
4		**Chhattishgarh (SC/ST)**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**1867.32**	**3076**
5		**Goa (SC/ST/BC)**	**200.00**	**50.00**	**150.00**	**2197.73**	**2311**
6		**Gujarat**					
	6.1	Gujarat (BC)	400.00	0.00	0.00	7919.79	15901
	6.2	Guajrat (Gopalak)	299.70	25.00	800.00	3572.48	9361
	6.3	Guajrat (Thakor)	500.00	500.00	500.00	4485.00	14257
	6.4	Guajrat (Nomadic)	0.00	185.00	10.57	195.57	697
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	0.00	500.00	0.00	500.00	325
	6.6	Gujarat (Others)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		Sub Total (6.1 to 6.6)	**1199.70**	**1210.00**	**1310.57**	**16717.84**	**41741**
7		**Haryana**					
	7.1	Haryana (BC)	200.00	825.00	1000.00	8852.41	38918
	7.2	Sarva Haryana Gramin bank	1000.00	0.00	100.00	1100.00	2862
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**1200.00**	**825.00**	**1100.00**	**9952.41**	**41780**
8		**Himachal Pradesh**					
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	486.19	425.79	436.23	6476.62	9778
	8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	1351.00	0.00	0.00	1351.00	3046
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**1837.19**	**425.79**	**436.23**	**7827.62**	**12824**
9		**Jammu & Kashmir**					
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	0.00	100.00	0.00	421.88	877
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	200.00	200.00	200.00	1720.60	6192
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**200.00**	**300.00**	**200.00**	**2142.48**	**7069**
10		**Jharkhand**					
	10.1	Jharkhand (Tribal)	0.00	0.00	100.00	645.30	1343
	10.2	Vananchal Gramin Bank	500.00	0.00	100.00	600.00	1839
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	0.00	100.00	500.00	600.00	910
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**500.00**	**100.00**	**700.00**	**1845.30**	**4092**

अनुलग्नक–3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

गत् तीन वर्षों के दौरान एससीएवार और राज्यवार ऋण वितरण व 31 मार्च 2017 तक संचयी विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या

रू. लाख में

क्र.स.		राज्य चैनेलाइलजग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	31.03.2018 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		राज्य					
1		आन्ध्र प्रदेश					
	1.1	आन्ध्र प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	2500.00	18616.73	335543
	1.2	आन्ध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	आन्ध्र प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		उप–योग (1.1 से 1.3)	**0.00**	**0.00**	**2500.00**	**19900.46**	**341299**
2		असम					
	2.1	असम (आर्टफेड)	0.00	0.00	0.00	680.00	3912
	2.2	असम (बीसी)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	असम (इलेक्ट्रानिक्स)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		उप–योग (2.1 से 2.3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1694.42**	**5456**
3		बिहार					
	3.1	बिहार (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	1078.81	0.00	1078.81	1723
		उप–योग (3.1 से 3.2)	**0.00**	**1078.81**	**0.00**	**4989.35**	**10651**
4		**छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**1867.32**	**3076**
5		**गोवा (एससी/एसटी/बीसी)**	**200.00**	**50.00**	**150.00**	**2197.73**	**2311**
6		गुजरात					
	6.1	गुजरात (बीसी)	400.00	0.00	0.00	7919.79	15901
	6.2	गुजरात (गोपालक)	299.70	25.00	800.00	3572.48	9361
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	500.00	500.00	500.00	4485.00	14257
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	0.00	185.00	10.57	195.57	697
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण् बैंक	0.00	500.00	0.00	500.00	325
	6.6	गुजरात (अन्य)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		उप–योग (6.1 से 6.6)	**1199.70**	**1210.00**	**1310.57**	**16717.84**	**41741**
7		हरियाणा					
	7.1	हरियाणा (बीसी)	200.00	825.00	1000.00	8852.41	38918
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	1000.00	0.00	100.00	1100.00	2862
		उप–योग (7.1 से 7.2)	**1200.00**	**825.00**	**1100.00**	**9952.41**	**41780**
8		हिमाचल प्रदेश					
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	486.19	425.79	436.23	6476.62	9778
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	1351.00	0.00	0.00	1351.00	3046
		उप–योग (8.1 से 8.2)	**1837.19**	**425.79**	**436.23**	**7827.62**	**12824**
9		जम्मू एण्ड कश्मीर					
	9.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एससी)	0.00	100.00	0.00	421.88	877
	9.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	200.00	200.00	200.00	1720.60	6192
		उप–योग (9.1 से 9.2)	**200.00**	**300.00**	**200.00**	**2142.48**	**7069**
10		झारखण्ड					
	10.1	झारखण्ड (ट्राइबल)	0.00	0.00	100.00	645.30	1343
	10.2	वनाचंल ग्रामीण बैंक	500.00	0.00	100.00	600.00	1839
	10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	0.00	100.00	500.00	600.00	910
		उप–योग (10.1 से 10.3)	**500.00**	**100.00**	**700.00**	**1845.30**	**4092**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2015-16	2016-17	2017-18	Cumulative as on 31.03.2018	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
11		**Karnataka**					
	11.1	Karnataka (BC)	3000.00	3000.00	3000.00	39899.19	238920
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	500.00	500.00	500.00	1500.00	3394
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**3500.00**	**3500.00**	**3500.00**	**41399.19**	**242314**
12		**Kerala**					
	12.1	Kerala (Artisan)	100.00	50.00	100.00	730.29	2369
	12.2	Kerala (BC)	5000.00	7500.00	11000.00	82182.27	356229
	12.3	Kerala (Christian Converts)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	3000.00	2500.00	3000.00	27809.83	257635
	12.5	Kerala (Handicraft)	100.00	100.00	100.00	741.50	2879
	12.6	Kerala (Polymer)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	Kerala (Women)	300.00	500.00	3000.00	9095.74	25126
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**8500.00**	**10650.00**	**17200.00**	**121806.16**	**648172**
13		**Madhya Pradesh**					
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0.00	100.00	0.00	100.00	120
	13.5	Narmada Jhabua Gramin Bank	0.00	253.18	203.58	456.76	688
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**0.00**	**353.18**	**203.58**	**5841.27**	**19925**
14		**Maharashtra**					
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	1000.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	0.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	Maharashtra (Others)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		Sub Total (14.1 to 14.5)	**1000.00**	**0.00**	**0.00**	**24139.97**	**74346**
15		**Manipur**					
	15.1	Manipur (Tribal)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		**North Eastern Dev. Fin. Corpn.**	**1000.00**	**800.00**	**0.00**	**6300.00**	**58882**
17		**Orissa**					
	17.1	Orissa (BC)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	Orissa (Others)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**Punjab**					
	18.1	Punjab (BC)	500.00	300.00	400.00	5895.89	18772
	18.2	Punjab Gramin Bank	0.00	1000.00	1980.87	2980.87	9654
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**500.00**	**1300.00**	**2380.87**	**8876.76**	**28426**
19		**Rajasthan**					
	19.1	Rajasthan (SC)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	Rajasthan (OBC)	0.00	0.00	264.75	6066.89	19229
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**0.00**	**0.00**	**264.75**	**6743.24**	**20442**
20		**Sikkim (SC/ST)**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**2712.86**	**5164**
21		**Tamilnadu**					
	21.1	Tamilnadu (BC)	7500.00	10000.00	7500.00	66511.97	706900
	21.2	Tamilnadu (Women)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	Tamilnadu (Others)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**7500.00**	**10000.00**	**7500.00**	**66567.97**	**707460**

क्र.स.		राज्य चैनेलाइलजग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	31.03.2018 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
11		**कर्नाटक**					
	11.1	कर्नाटक (बीसी)	3000.00	3000.00	3000.00	39899.19	238920
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	500.00	500.00	500.00	1500.00	3394
		उप–योग (11.1 से 11.2)	**3500.00**	**3500.00**	**3500.00**	**41399.19**	**242314**
12		**केरल**					
	12.1	केरल (आर्टीजन)	100.00	50.00	100.00	730.29	2369
	12.2	केरल (बीसी)	5000.00	7500.00	11000.00	82182.27	356229
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कनवर्टस)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	3000.00	2500.00	3000.00	27809.83	257635
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	100.00	100.00	100.00	741.50	2879
	12.6	केरल (पोलीमर)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	केरल (वीमेन)	300.00	500.00	3000.00	9095.74	25126
		उप–योग (12.1 से 12.7)	**8500.00**	**10650.00**	**17200.00**	**121806.16**	**648172**
13		**मध्य प्रदेश**					
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	मध्याचंल ग्रामीण बैंक	0.00	100.00	0.00	100.00	120
	13.5	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	0.00	253.18	203.58	456.76	688
		उप–योग (13.1 से 13.5)	**0.00**	**353.18**	**203.58**	**5841.27**	**19925**
14		**महाराष्ट्र**					
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	1000.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	0.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		उप–योग (14.1 से 14.5)	**1000.00**	**0.00**	**0.00**	**24139.97**	**74346**
15		**मणिपुर**					
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		उप–योग (15.1 से 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		**नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइन कॉरपोरेशन**	**1000.00**	**800.00**	**0.00**	**6300.00**	**58882**
17		**ओडीसा**					
	17.1	ओडीसा (बीसी)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	ओडीसा (अन्य)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		उप–योग (17.1 से 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**पंजाब**					
	18.1	पंजाब (बीसी)	500.00	300.00	400.00	5895.89	18772
	18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	0.00	1000.00	1980.87	2980.87	9654
		उप–योग (18.1 से 18.2)	**500.00**	**1300.00**	**2380.87**	**8876.76**	**28426**
19		**राजस्थान**					
	19.1	राजस्थान (एससी)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	0.00	0.00	264.75	6066.89	19229
		उप–योग (19.1 से 19.2)	**0.00**	**0.00**	**264.75**	**6743.24**	**20442**
20		**सिक्किम (एससी/एसटी)**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**2712.86**	**5164**
21		**तमिलनाडु**					
	21.1	तमिलनाडु (बीसी)	7500.00	10000.00	7500.00	66511.97	706900
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		उप–योग (21.1 से 21.3)	**7500.00**	**10000.00**	**7500.00**	**66567.97**	**707460**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2015-16	2016-17	2017-18	Cumulative as on 31.03.2018	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
22		**Telangana**					
	22.1	Telangana Grameena Bank	0.00	0.00	44.35	44.35	32
23		**Tripura (OBC)**	**2300.00**	**2500.00**	**3500.00**	**13635.11**	**39874**
24		**Uttar Pradesh**					
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	24.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	500.00	325.00	800.00	4625.00	13005
	24.3	Sarva U.P. Gramin Bank	0.00	530.00	0.00	530.00	1025
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	0.00	500.00	0.00	500.00	1643
	24.5	Gramin Bank of Aryavart	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2735
	24.6	Kashi Goumti Gramin Bank	0.00	0.00	500.00	500.00	528
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		Sub Total (24.1 to 24.7)	**500.00**	**1355.00**	**3800.00**	**16137.80**	**46835**
25		**Uttarakhand (Bahuudeshiya)**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**355.81**	**669**
26		**West Bengal**					
	26.1	West Bengal (BC)	250.00	300.00	300.00	8456.52	36340
	26.2	West Bengal (Minorities)	0.00	200.00	0.00	950.00	7420
	26.3	West Bengal (Others)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		Sub Total (26.1 to 26.3)	250.00	500.00	300.00	9421.52	44060
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**30486.89**	**35047.78**	**45690.35**	**395035.59**	**2414708**
II.		**PSBs**					
27		Dena Bank	0.00	0.00	100.00	100.00	70
28		Vijaya Bank	0.00	3171.30	982.02	4153.32	5997
		Sub Total - PSBs (27 - 28)	0.00	3171.30	1082.02	4253.32	6067.00
III.		**UT's**					
29		Chandigarh (SC/BC)	25.00	0.00	0.00	120.37	297
30		Delhi (SC/ST/OBC)	0.00	17.00	8.50	399.76	620
31		Puducherry					
	31.1	Puducherry (Adidravidar)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	31.2	Puducherry (BC)	1000.00	500.00	0.00	4367.37	17134
		Sub Total (31.1 to 31.2)	1000.00	500.00	0.00	4522.13	17259
		TOTAL - UTs (29 - 31)	**1025.00**	**517.00**	**8.50**	**5042.26**	**18176**
IV.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**31511.89**	**38736.08**	**46780.87**	**404331.17**	**2438951**

क्र.स.		राज्य चैनेल सहभागियों का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	31.03.2018 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
22		**तेलंगाना**					
	22.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	44.35	44.35	32
23		**त्रिपुरा (ओबीसी)**	**2300.00**	**2500.00**	**3500.00**	**13635.11**	**39874**
24		**उत्तर प्रदेश**					
	24.1	उत्तर प्रदेश (पिछड़ा वर्ग)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	24.2	यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	500.00	325.00	800.00	4625.00	13005
	24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	530.00	0.00	530.00	1025
	24.4	पूर्वाचंल ग्रामीण बैंक	0.00	500.00	0.00	500.00	1643
	24.5	आर्यव्रत ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2735
	24.6	काशी गोमती ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	500.00	500.00	528
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		उप–योग (24.1 से 24.7)	**500.00**	**1355.00**	**3800.00**	**16137.80**	**46835**
25		**उत्तराखण्ड (बहुद्देशीय)**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**355.81**	**669**
26		**पश्चिम बंगाल**					
	26.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	250.00	300.00	300.00	8456.52	36340
	26.2	पश्चिम बंगाल (माइनारिटीज)	0.00	200.00	0.00	950.00	7420
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		उप–योग (26.1 से 26.3)	250.00	500.00	300.00	9421.52	44060
		कुल – राज्य (1 – 26)	**30486.89**	**35047.78**	**45690.35**	**395035.59**	**2414708**
II.		**पीएसबी**					
27		देना बैंक	0.00	0.00	100.00	100.00	70
28		विजया बैंक	0.00	3171.30	982.02	4153.32	5997
		कुल – पीएसबी (27 – 28)	0.00	3171.30	1082.02	4253.32	6067.00
III.		**संघ राज्य क्षेत्र**					
29		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	25.00	0.00	0.00	120.37	297
30		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	0.00	17.00	8.50	399.76	620
31		पुड्डूचेरी					
	31.1	पुड्डूचेरी (अदिद्रविदार)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	31.2	पुड्डूचेरी (बीसी)	1000.00	500.00	0.00	4367.37	17134
		उप–योग (31.1 से 31.2)	1000.00	500.00	0.00	4522.13	17259
		कुल संघ राज्य क्षेत्र (29 – 31)	**1025.00**	**517.00**	**8.50**	**5042.26**	**18176**
IV.		**कुल योग (I + II + III)**	**31511.89**	**38736.08**	**46780.87**	**404331.17**	**2438951**

ANNEXURE - 3.1

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2017-18

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2017-18	Reasons
1.	Assam	03	1. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes 2. Assam Electronics Dev. Corporation Ltd. 3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	1. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes 2. Assam Electronics Dev. Corporation Ltd. 3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	Annual Action Plan (AAP) not received non-availability of Govt. Guarantee and default in loan repayment. AAP not received. AAP not received.
2.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance and Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance and Development Corporation	Non-availability of Guarantee. Default in loan repayment. AAP not received.
3.	Jammu & Kashmir	02	1. Jammu & Kashmir SC/ST & OBCs Dev. Corpn. Ltd. 2. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation. Ltd.	1. Jammu & Kashmir SC/ ST & OBCs Development Corporation Ltd.	Non-availability of Govt. Guarantee
4	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation., 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam, 4. Gujarat Nomadic & De-notified Tribes Development Corporation,	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation.,	Default in loan repayment.
6.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per State Govt. policy, the SCAs have stopped drawing funds from NBCFDC. Letter dated 07.05.2014 – MP (BC) Letter dated 09.05.2012 MP (Hastshilp)
7.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Nigam Ltd. 2. Vasantarao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Dev. Corpn. Ltd.	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Nigam Ltd. 2. Vasantarao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Dev. Corpn. Ltd.	Default in loan Repayment AAP not received.
8.	Odisha	01	1. Orissa B.C. Development Finance Co-operative Corpn. Ltd.	1. Orissa B.C. Development Finance Co-operative Corpn. Ltd.	Default in loan repayment.
9.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta & Vikas Nigam 2. Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	1 Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta & Vikas Nigam	Default in loan repayment. Non-availability of Govt. Guarantee.

अनुलग्नक–3.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
उन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की स्थिति, जिन्होंने वर्ष 2017–18 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र.स.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उन रा.चै.ए. का नाम, जिन्होनें वर्ष 2017–18 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	असम	03	1. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज	1. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज	वा.का.यो. प्राप्त नहीं हुई एवं शासकीय गारंटी की अनुलब्धता और ऋण अदायगी में चूक।
			2. असम इलेक्ट्रोनिक्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	2. असम इलेक्ट्रोनिक्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	वा.का.यो. प्राप्त नहीं हुई।
			3. असम अपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन कोआपरेटिव फेडरेशन लि.	3. असम अपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन कोआपरेटिव फेडरेशन लि.	वा.का.यो. प्राप्त नहीं हुई।
2.	बिहार	01	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	2. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	गारंटी की अनुलब्धता/ऋण अदायगी में चूक/वा.का.यो. प्राप्त नहीं हुई।
3.	जम्मू एण्ड कश्मीर	02	1. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 2. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन,	1. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता
4	गुजरात	04	1. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन 2. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि. 3. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम 4. गुजरात नौमैडिक एण्ड डी–नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन	1. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन	ऋण अदायगी में चूक।
6.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	राज्य सरकार के नीति के अनुसार एससीए ने एनबीसीएफडीसी से ऋण लेना बन्द कर दिया है। मध्य प्रदेश (बी.सी.) का पत्र दिनांक 07.05.2014
			2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम	2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प) का पत्र दिनांक 09.05.2012
7.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि.	1. महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि	ऋण अदायगी में चूक।
			2. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	2. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	वा.का.यो. प्राप्त नहीं हुई।
8.	ओड़ीसा	01	1. ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–आपरेटिव कॉरपोरेशन लि.	1. ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–आपरेटिव कॉरपोरेशन लि	ऋण अदायगी में चूक।
9.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. 2. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0	ऋण अदायगी में चूक शासकीय गारंटी की अनुलब्धता।

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2017-18	Reasons
8.	West Bengal	02	1. West Bengal BC Development & Finance Corporation 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation	2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation	AAP not received.
10.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	No demand received.
11.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	Non-availability of Govt. Guarantee
12.	Manipur	02	1. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society 2. Manipur State Women's Dev. Corporation	1. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society 2. Manipur State Women's Dev. Corporation	Non-completion of requisite formalities for drawl of funds. Non-availability of Govt. Guarantee
13.	Mizoram	01	1. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd.	1. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd.	Non-completion of requisite formalities for drawl of funds.
14.	Sikkim	01	1. Sikkim SC/ST & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.,	1. Sikkim SC/ST & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.,	Default in loan Repayment

क्र.स.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उन रा.चै.ए. का नाम, जिन्होंने वर्ष 2017–18 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
9.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन 2. पश्चिम बंगाल माइनारिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,	2. पश्चिम बंगाल माइनारिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,	वा.का.यो. प्राप्त नहीं हुई।
10.	चण्डीगढ़	01	1. चण्डीगढ़ एससी/बीसी एण्ड माइनारिटीज फोइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. चण्डीगढ़ एससी/बीसी एण्ड माइनारिटीज फोइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	मांग प्राप्त नहीं हुई।
11.	पुड्डूचेरी	01	1. पुड्डूचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,	1. पुड्डूचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता।
12.	मणिपुर	02	1. मणिपुर माइनारिटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी 2. मणिपुर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. मणिपुर माइनारिटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी 2. मणिपुर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	ऋण आहरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया। शासकीय गारंटी की अनुलब्धता।
13.	मिजोरम	01	1. मिजोरम को–आपरेटिव एपेक्स बैंक लि0	1. मिजोरम को–आपरेटिव एपेक्स बैंक लि0	ऋण आहरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया।
14.	सिक्किम	01	1. सिक्किम अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि	1. सिक्किम अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि	ऋण अदायगी में चूक।

ANNEXURE - 3.2

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
SCA/RRB/PSB/STATE WISE & SCHEME WISE LOAN DISBURSEMENT AND BENEFICIARIES ASSISTED DURING THE YEAR 2017-18

Financial : Rs. in Lac
Physical : No. of Beneficiaries

SL. NO.		NAME OF SCAs/ STATES/Uts/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEMES-1		MICRO FINANCE SCHEMES-2		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
I.		**STATES**										
1		Andhra Pradesh (BC)	1250.00	1250	1250.00	2500	0.00	0	0.00	0	2500.00	3750
2		Chhattishgarh (SC/ST)	450.05	403	24.30	54	0.00	0	25.65	54	500.00	511
3		Goa (SC/ST/BC)	150.00	64	0.00	0	0.00	0	0.00	0	150.00	64
4		Gujarat										
	4.1	Guajrat (Gopalak)	150.00	172	300.00	600	0.00	0	350.00	700	800.00	1472
	4.2	Guajrat (Thakor)	408.00	660	54.00	200	0.00	0	38.00	110	500.00	970
	4.3	Guajrat (Nomadic)	10.57	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	10.57	11
	4.4	Dena Gujarat Gramin Bank	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		Sub Total (4.1 to 4.4)	**568.57**	**843**	**354.00**	**800**	**0.00**	**0**	**388.00**	**810**	**1310.57**	**2453**
5		Haryana										
	5.1	Haryana (BC)	950.00	974	25.00	100	0	0	25.00	100	1000.00	1174
	5.2	Sarva Haryana Gramin Bank	72.97	103	20.00	40	2.03	4	5.00	10	100.00	157
		Sub Total (5.1 to 5.2)	**1022.97**	**1077**	**45.00**	**140**	**2.03**	**4**	**30.00**	**110**	**1100.00**	**1331**
6		Himachal Pradesh (BC)	436.23	232	0.00	0	0	0	0.00	0	436.23	232
7		Jammu & Kashmir										
	7.1	Jammu & Kashmir (SC/BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	7.2	Jammu & Kashmir (Women)	175.00	300	0.00	0	0	0	25.00	50	200.00	350
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**175.00**	**300**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**25.00**	**50**	**200.00**	**350**
8		Jharkhand										
	8.1	Jharkhand (SC/ST)	75.00	90	15.00	75	0.00	0	10.00	50	100.00	215
	8.2	Jharkhand Gramin Bank	445.65	661	10.00	20	12.35	26	32.00	73	500.00	780
	8.3	Vananchal Gramin Bank	80.00	119	10.00	20	0.00	0	10.00	20	100.00	159
		Sub Total (8.1 to 8.3)	**600.65**	**870**	**35.00**	**115**	**12.35**	**26**	**52.00**	**143**	**700.00**	**1154**
9		Karnataka										
	9.1	Karnataka (BC)	724.34	1402	561.00	1762	214.66	544	1500.00	4514	3000.00	8222
	9.2	Karnataka (Vishwakarma)	188.00	344	200.00	500	0.00	0	112.00	450	500.00	1294
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**912.34**	**1746**	**761.00**	**2262**	**214.66**	**544**	**1612.00**	**4964**	**3500.00**	**9516**
10		Kerala										
	10.1	Kerala (Artisan)	100.00	150	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	150

अनुलग्नक–3.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2017–18 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार/आर.आर.बी/पी.एस.बी./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

वित्तीय : रू. लाख में
भौतिक : लाभार्थियों की संख्या

क्र.स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आर.आर.बी/पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		लघु वित्त योजना –1		लघु वित्त योजना–2		महिला समृद्धि योजना		योग	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
I.		**राज्य**										
1		आन्ध्र प्रदेश (बी.सी.)	1250.00	1250	1250.00	2500	0.00	0	0.00	0	2500.00	3750
2		छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	450.05	403	24.30	54	0.00	0	25.65	54	500.00	511
3		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	150.00	64	0.00	0	0.00	0	0.00	0	150.00	64
4		गुजरात										
	4.1	गुजरात (गोपालक)	150.00	172	300.00	600	0.00	0	350.00	700	800.00	1472
	4.2	गुजरात (ठाकोर)	408.00	660	54.00	200	0.00	0	38.00	110	500.00	970
	4.3	गुजरात (नोमेडिक)	10.57	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	10.57	11
	4.4	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		उप–योग (4.1 से 4.4)	**568.57**	**843**	**354.00**	**800**	**0.00**	**0**	**388.00**	**810**	**1310.57**	**2453**
5		हरियाणा										
	5.1	हरियाण (बीसी)	950.00	974	25.00	100	0	0	25.00	100	1000.00	1174
	5.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	72.97	103	20.00	40	2.03	4	5.00	10	100.00	157
		उप–योग (5.1 से 5.2)	**1022.97**	**1077**	**45.00**	**140**	**2.03**	**4**	**30.00**	**110**	**1100.00**	**1331**
6		हिचाचल प्रदेश (बीसी)	436.23	232	0.00	0	0	0	0.00	0	436.23	232
7		जम्मू एण्ड कश्मीर										
	7.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एससी/बीसी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	7.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	175.00	300	0.00	0	0	0	25.00	50	200.00	350
		उप–योग (7.1 से 7.2)	**175.00**	**300**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**25.00**	**50**	**200.00**	**350**
8		झारखण्ड										
	8.1	झारखण्ड (एससी/एसटी)	75.00	90	15.00	75	0.00	0	10.00	50	100.00	215
	8.2	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	445.65	661	10.00	20	12.35	26	32.00	73	500.00	780
	8.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	80.00	119	10.00	20	0.00	0	10.00	20	100.00	159
		उप–योग (8.1 से 8.3)	**600.65**	**870**	**35.00**	**115**	**12.35**	**26**	**52.00**	**143**	**700.00**	**1154**
9		कर्नाटक										
	9.1	कर्नाटक (बीसी)	724.34	1402	561.00	1762	214.66	544	1500.00	4514	3000.00	8222
	9.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	188.00	344	200.00	500	0.00	0	112.00	450	500.00	1294
		उप–योग (9.1 से 9.2)	**912.34**	**1746**	**761.00**	**2262**	**214.66**	**544**	**1612.00**	**4964**	**3500.00**	**9516**
10		केरल										
	10.1	केरल (आर्टीजन)	100.00	150	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	150

SL. NO.		NAME OF SCAs/	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEMES-1		MICRO FINANCE SCHEMES-2		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
		STATES/Uts/RRB's/PSBs	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
	10.2	Kerala (BC)	2889.21	5855	2500.00	6788	3110.79	11524	2500.00	14688	11000.00	38855
	10.3	Kerala (Fisheries)	200.00	210	1800.00	9000	0.00	0	1000.00	5000	3000.00	14210
	10.4	Kerala (Handicraft)	87.00	200	13.00	60	0.00	0	0.00	0	100.00	260
	10.5	Kerala (Women)	1403.00	1213	650.00	1328	647.00	14	300.00	700	3000.00	3255
		Sub Total (10.1 to 10.5)	**4679.21**	**7628**	**4963.00**	**17176**	**3757.79**	**11538**	**3800.00**	**20388**	**17200.00**	**56730**
11		Madhya Pradesh										
	11.1	Narmada Jhabua Gramin Bank	203.58	246	0.00	0	0.00	0	0.00	0	203.58	246
		Sub Total (11.1)	**203.58**	**246**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**203.58**	**246**
12		Punjab										
	12.1	Punjab (BC)	199.52	216	100.00	2000	0.48	1	100.00	2000	400.00	4217
	12.2	Punjab Gramin Bank	1635.82	1113	100.00	200	145.05	321	100.00	200	1980.87	1834
		Sub Total (12.1 to 12.2)	**1835.34**	**1329**	**200.00**	**2200**	**145.53**	**322**	**200.00**	**2200**	**2380.87**	**6051**
13		Rajasthan (BC)	209.25	255	27.00	60	0.00	0	28.50	60	264.75	375
14		Tamilnadu (BC)	688.00	1628	1603.00	6838	0.00	0	5209.00	35803	7500.00	44269
15		Tripura (OBC)	2465.62	2350	537.50	1380	0.00	0	496.88	1420	3500.00	5150
16		Telangana										
	16.1	Telangana Grameena Bank	44.35	32	0.00	0	0.00	0	0.00	0	44.35	32
17		Uttar Pradesh										
	17.1	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	600.00	493	0.00	0	0.00	0	200.00	400	800.00	893
	17.2	Gramin Bank of Aryavart	2450.00	2635	25.00	50	0.00	0	25.00	50	2500.00	2735
	17.3	Kashi Goumti Gramin Bank	458.00	423	22.00	55	0.00	0	20.00	50	500.00	528
		Sub Total (17.1 to 17.3)	**3508.00**	**3551**	**47.00**	**105**	**0.00**	**0**	**245.00**	**500**	**3800.00**	**4156**
18		Uttarakhand (Vashudeshiya)	86.55	57	4.95	11	0.00	0	8.50	20	100.00	88
19		West Bengal (BC)	100.00	139	100.00	500	0.00	0	100.00	500	300.00	1139
		TOTAL - STATES (1 - 19)	**19385.71**	**24000**	**9951.75**	**34141**	**4132.36**	**12434**	**12220.53**	**67022**	**45690.35**	**137597**
II.		**UT's**										
20		Delhi (SC/ST/OBC)	8.50	7	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.50	7
		TOTAL - UTs (20)	**8.50**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**8.50**	**7**
III.		**PSB's**										
21		Vijaya Bank	906.35	859	75.67	55	0.00	0	0.00	0	982.02	914
22		Dena Bank	100.00	70	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	70
		Total PSB's (21-22)	**1006.35**	**929**	**75.67**	**55**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1082.02**	**984**
IV.		**GRAND TOTAL (I+II+III)**	**20400.56**	**24929**	**10027.42**	**34196**	**4132.36**	**12434**	**12220.53**	**67022**	**46780.87**	**138588**

क्र.स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ आर.आर.बी/पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		लघु वित्त योजना .1		लघु वित्त योजना .2		महिला समृद्धि योजना		योग	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
	10.2	केरल (बीसी)	2889.21	5855	2500.00	6788	3110.79	11524	2500.00	14688	11000.00	38855
	10.3	केरल (फिशरीज)	200.00	210	1800.00	9000	0.00	0	1000.00	5000	3000.00	14210
	10.4	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	87.00	200	13.00	60	0.00	0	0.00	0	100.00	260
	10.5	केरल (वीमेन)	1403.00	1213	650.00	1328	647.00	14	300.00	700	3000.00	3255
		उप–योग (10.1 से 10.5)	**4679.21**	**7628**	**4963.00**	**17176**	**3757.79**	**11538**	**3800.00**	**20388**	**17200.00**	**56730**
11		मध्य प्रदेश										
	11.1	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	203.58	246	0.00	0	0.00	0	0.00	0	203.58	246
		उप–योग (11.1)	**203.58**	**246**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**203.58**	**246**
12		पंजाब										
	12.1	पंजाब (बीसी)	199.52	216	100.00	2000	0.48	1	100.00	2000	400.00	4217
	12.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1635.82	1113	100.00	200	145.05	321	100.00	200	1980.87	1834
		उप–योग (12.1 जव 12.2)	**1835.34**	**1329**	**200.00**	**2200**	**145.53**	**322**	**200.00**	**2200**	**2380.87**	**6051**
13		राजस्थान (बीसी)	209.25	255	27.00	60	0.00	0	28.50	60	264.75	375
14		तमिलनाडु (बीसी)	688.00	1628	1603.00	6838	0.00	0	5209.00	35803	7500.00	44269
15		त्रिपुरा (ओबीसी)	2465.62	2350	537.50	1380	0.00	0	496.88	1420	3500.00	5150
16		तेलंगाना										
	16.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	44.35	32	0.00	0	0.00	0	0.00	0	44.35	32
17		उत्तर प्रदेश										
	17.1	यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	600.00	493	0.00	0	0.00	0	200.00	400	800.00	893
	17.2	आर्यव्रत ग्रामीण बैंक	2450.00	2635	25.00	50	0.00	0	25.00	50	2500.00	2735
	17.3	काशी गोमती ग्रामीण बैंक	458.00	423	22.00	55	0.00	0	20.00	50	500.00	528
		उप–योग (17.1 जव 17.3)	**3508.00**	**3551**	**47.00**	**105**	**0.00**	**0**	**245.00**	**500**	**3800.00**	**4156**
18		उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	86.55	57	4.95	11	0.00	0	8.50	20	100.00	88
19		पश्चिम बंगाल (बीसी)	100.00	139	100.00	500	0.00	0	100.00	500	300.00	1139
		कुल राज्य (1. 19)	**19385.71**	**24000**	**9951.75**	**34141**	**4132.36**	**12434**	**12220.53**	**67022**	**45690.35**	**137597**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**										
20		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	8.50	7	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.50	7
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (20)	**8.50**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**8.50**	**7**
III.		**पीएसबी**										
21		विजया बैंक	906.35	859	75.67	55	0.00	0	0.00	0	982.02	914
22		देना बैंक	100.00	70	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	70
		कुल पीएसबी (21–22)	**1006.35**	**929**	**75.67**	**55**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1082.02**	**984**
IV.		**कुल योग (I+II+III)**	**20400.56**	**24929**	**10027.42**	**34196**	**4132.36**	**12434**	**12220.53**	**67022**	**46780.87**	**138588**

ANNEXURE - 3.3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Statewise/Schemewise & Sectorwise Disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2017-2018.

(As on 31.03.2018)

₹ in Lakh

	A. TERM LOAN												B. Micro Finance				Total	
State Wise	Agriculture & Allied		Small Business		Service /Transport Sector		Education Loan				New Swarnima		Micro Finance		Mahila Samridhi		Term Loan+MFS	
	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	In India		Abroad		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.
							Amount	Benef.	Amount	Benef.								
Andhra Pradesh			114.32	86			17.99	11			1250.00	1250	1269.42	2520			2651.73	3867
Telangana			1.00	1			48.35	33									49.35	34
Assam			0.75	2													0.75	2
Bihar																	0.00	0
Chandigarh																	0.00	0
Chattisgarh			206.00	135	68.20	81	22.50	25			153.35	162	24.30	54	25.65	54	500.00	511
Delhi			1.40	2	8.50	7	4.27	4					3.79	2			17.96	15
Goa			15.00	9	94.00	44	40.00	10			1.00	1					150.00	64
Gujarat	185.00	370	155.00	227	46.50	17	115.95	140			66.50	90	354.00	800	388.00	810	1310.95	2454
Haryana	89.68	77	312.00	338	271.00	290	101.00	29	54.00	4	200.00	345	45.00	140	30.00	110	1102.68	1333
Himachal Pradesh	26.62	22	263.90	146	92.60	34	42.30	17			10.83	13					436.25	232
Jammu & Kashmir	50.00	100	50.00	100			25.00	50			50.00	50			25.00	50	200.00	350
Jharkhand	50.00	103	240.00	500	223.00	180	50.00	50	10.00	1	40.00	60	35.00	115	52.00	143	700.00	1152
Karnataka	215.00	510	607.53	1008	300.00	452	213.80	168	68.00	6	215.00	698	803.68	2289	1612.00	4964	4035.01	10095
Kerala	2315.00	1920	3152.04	3110	1610.00	1480	856.21	608	300.00	95	269.00	520	4964.50	22940	3800.00	26150	17266.75	56823
Madhya Pradesh	15.82	8	44.58	70	75.00	53	20.47	5			66.00	119					221.87	255
Maharashtra	30.00	20	14.38	13	60.00	40	0.52	1									104.90	74
Puducherry																	0.00	0
Punjab	410.00	318	640.04	604	515.00	271	20.00	11	10.00	2	385.83	445	200.00	2200	200.00	2200	2380.87	6051
Rajasthan	25.50	60	51.90	61	76.00	80	13.50	10			42.75	45	27.00	60	28.50	60	265.15	376
Sikkim																	0.00	0
Tamil Nadu	114.00	632	350.90	493	128.00	135	19.98	26			250.00	433	1611.28	6842	5209.00	35803	7683.16	44364
Tripura	255.00	350	1020.00	750	382.50	300	300.00	400			508.12	550	537.50	1380	496.88	1420	3500.00	5150
Uttar Pradesh	1050.00	1335	1200.00	1110	1133.00	1009	70.00	17			55.00	80	47.00	105	245.00	500	3800.00	4156
Uttarakhand	20.00	16	18.00	14	30.30	15	4.50	1	9.00	1	4.75	10	4.95	11	8.50	20	100.00	88
West Bengal	12.00	35	17.00	65	38.00	24	36.50	18					100.00	500	100.00	500	303.50	1142
Grand Total:	**4863.62**	**5876**	**8475.75**	**8844**	**5151.60**	**4512**	**2022.84**	**1634**	**451.00**	**109**	**3568.13**	**4871**	**10027.42**	**39958**	**12220.53**	**72784**	**46780.89**	**138588**

अनुलग्नक–3.3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2017–18 की अवधि में राज्यवार / योजनावार एवं क्षेत्रवार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

(31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

रू. लाख में

राज्यवार	क. सावधि ऋण												ख. लघु वित्त				योग	
	कृषि व सम्बद्ध सहायक क्षेत्र		लघु व्यापार		सेवा/परिवहन क्षेत्र		शैक्षिक ऋण				नई स्वर्णिमा		लघु वित्त		महिला समृद्धि		सावधि ऋण + लघु वित योजना	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	भारत में		विदेश में		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
							राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी								
आन्ध्र प्रदेश			114.32	86			17.99	11			1250.00	1250	1269.42	2520			2651.73	3867
तेलंगाना			1.00	1			48.35	33									49.35	34
असम			0.75	2													0.75	2
बिहार																	0.00	0
चण्डीगढ़																	0.00	0
छत्तीसगढ़			206.00	135	68.20	81	22.50	25			153.35	162	24.30	54	25.65	54	500.00	511
दिल्ली			1.40	2	8.50	7	4.27	4					3.79	2			17.96	15
गोवा			15.00	9	94.00	44	40.00	10			1.00	1					150.00	64
गुजरात	185.00	370	155.00	227	46.50	17	115.95	140			66.50	90	354.00	800	388.00	810	1310.95	2454
हरियाणा	89.68	77	312.00	338	271.00	290	101.00	29	54.00	4	200.00	345	45.00	140	30.00	110	1102.68	1333
हिमाचल प्रदेश	26.62	22	263.90	146	92.60	34	42.30	17			10.83	13					436.25	232
जम्मू एण्ड कश्मीर	50.00	100	50.00	100			25.00	50			50.00	50			25.00	50	200.00	350
झारखण्ड	50.00	103	240.00	500	223.00	180	50.00	50	10.00	1	40.00	60	35.00	115	52.00	143	700.00	1152
कर्नाटक	215.00	510	607.53	1008	300.00	452	213.80	168	68.00	6	215.00	698	803.68	2289	1612.00	4964	4035.01	10095
केरल	2315.00	1920	3152.04	3110	1610.00	1480	856.21	608	300.00	95	269.00	520	4964.50	22940	3800.00	26150	17266.75	56823
मध्य प्रदेश	15.82	8	44.58	70	75.00	53	20.47	5			66.00	119					221.87	255
महाराष्ट्र	30.00	20	14.38	13	60.00	40	0.52	1									104.90	74
पुडुचेरी																	0.00	0
पंजाब	410.00	318	640.04	604	515.00	271	20.00	11	10.00	2	385.83	445	200.00	2200	200.00	2200	2380.87	6051
राजस्थान	25.50	60	51.90	61	76.00	80	13.50	10			42.75	45	27.00	60	28.50	60	265.15	376
सिक्किम																	0.00	0
तमिलनाडु	114.00	632	350.90	493	128.00	135	19.98	26			250.00	433	1611.28	6842	5209.00	35803	7683.16	44364
त्रिपुरा	255.00	350	1020.00	750	382.50	300	300.00	400			508.12	550	537.50	1380	496.88	1420	3500.00	5150
उत्तर प्रदेश	1050.00	1335	1200.00	1110	1133.00	1009	70.00	17			55.00	80	47.00	105	245.00	500	3800.00	4156
उत्तराखण्ड	20.00	16	18.00	14	30.30	15	4.50	1	9.00	1	4.75	10	4.95	11	8.50	20	100.00	88
पश्चिम बंगाल	12.00	35	17.00	65	38.00	24	36.50	18					100.00	500	100.00	500	303.50	1142
कुल योग:	**4863.62**	**5876**	**8475.75**	**8844**	**5151.60**	**4512**	**2022.84**	**1634**	**451.00**	**109**	**3568.13**	**4871**	**10027.42**	**39958**	**12220.53**	**72784**	**46780.89**	**138588**

ANNEXURE - 3.4

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Statement showing Amount Disbursed and No. of Beneficiaries assisted during 2017-18 under New Swarnima and Mahila Samridhi Scheme

(As on 31.03.2018)
(Rs./Lakh)

S.No.	Name of State	NEW SWARNIMA		MAHILA SAMRIDHI	
		Amount	No. of Benef.	Amount	No. of Benef.
1	Andhra Pradesh	1250.00	1250	0.00	0
2	Chhattisgarh	153.35	162	25.65	54
3	Goa	1.00	1	0.00	0
4	Gujarat	66.50	90	388.00	810
5	Haryana	200.00	345	30.00	110
6	Himachal Pradesh	10.83	13	0.00	0
7	Jammu & Kashmir	50.00	50	25.00	50
8	Jharkhand	40.00	60	52.00	143
9	Karnataka	215.00	698	1612.00	4964
10	Kerala	269.00	520	3800.00	26150
11	Maharashtra	0.00	0	0.00	0
12	Madhya Pradesh	66.00	119	0.00	0
13	Punjab	385.83	445	200.00	2200
14	Rajasthan	42.75	45	28.50	60
15	Tamil Nadu	250.00	433	5209.00	35803
16	Tripura	508.12	550	496.88	1420
17	Uttar Pradesh	55.00	80	245.00	500
18	Uttarakhand	4.75	10	8.50	20
19	West Bengal	0.00	0	100.00	500
	Total:	**3568.13**	**4871**	**12220.53**	**72784**

अनुलग्नक–3.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2017–18 के दौरान नई स्वर्णिमा और महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)
(रू./लाख)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	1250.00	1250	0.00	0
2	छत्तीसगढ़	153.35	162	25.65	54
3	गोवा	1.00	1	0.00	0
4	गुजरात	66.50	90	388.00	810
5	हरियाणा	200.00	345	30.00	110
6	हिमाचंल प्रदेश	10.83	13	0.00	0
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	50.00	50	25.00	50
8	झारखण्ड	40.00	60	52.00	143
9	कर्नाटक	215.00	698	1612.00	4964
10	केरल	269.00	520	3800.00	26150
11	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0
12	मध्य प्रदेश	66.00	119	0.00	0
13	पंजाब	385.83	445	200.00	2200
14	राजस्थान	42.75	45	28.50	60
15	तमिलनाडु	250.00	433	5209.00	35803
16	त्रिपुरा	508.12	550	496.88	1420
17	उत्तर प्रदेश	55.00	80	245.00	500
18	उत्तराखंण्ड	4.75	10	8.50	20
19	पश्चिम बंगाल	0.00	0	100.00	500
	योग	**3568.13**	**4871**	**12220.53**	**72784**

ANNEXURE - 3.5

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 2018

(₹ in Lac)

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		**STATES**				
1		Andhra Pradesh				
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	19268.24	19230.76	37.48	99
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
		Sub Total (1.1 to 1.3)	**20861.02**	**20823.54**	**37.48**	**99**
2		Assam				
	2.1	Assam (BC)	848.77	633.94	214.83	75
	2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	Assam (Others)	723.39	723.39	0.00	100
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**1939.24**	**1724.41**	**214.83**	**89**
3		Bihar				
	3.1	Bihar (BC)	5168.66	2275.36	2893.30	44
	3.2	Madhya Bihar Gramin Bank	149.44	149.44	0.00	98
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**5318.10**	**2424.80**	**2893.30**	**45**
4		Chhattishgarh (SC/ST)	1133.25	1004.41	128.84	89
5		Goa (SC/ST/BC)	1648.87	1629.25	19.62	99
6		Gujarat				
	6.1	Gujarat (BC)	9853.20	7260.43	2592.77	74
	6.2	Guajrat (Gopalak)	2155.06	2155.57	-0.51	100
	6.3	Guajrat (Thakor)	2339.99	2339.99	0.00	100
	6.4	Guajrat (Nomadic)	21.84	21.84	0.00	100
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	10.15	10.15	0.00	100
	6.6	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
		Sub Total (6.1 to 6.6)	**14427.18**	**11834.92**	**2592.26**	**82**
7		Haryana				
	7.1	Haryana (BC)	6476.77	6475.30	1.47	100
	7.2	Sarva Haryana Gramin Bank	35.62	35.04	0.58	100
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**6512.39**	**6510.34**	**2.05**	**100**
8		Himachal Pradesh				
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	4667.63	4667.63	0.00	100
	8.2	Himachal Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**4723.30**	**4723.30**	**0.00**	**100**
9		Jammu & Kashmir				
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	258.43	219.27	39.16	85
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	948.38	948.07	0.31	100
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**1206.81**	**1167.34**	**39.47**	**97**
10		Jharkhand				
	10.1	Jharkhand (Tribal)	550.26	556.06	-5.80	101

अनुलग्नक–3.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2018 तक एस.सी.ए.वार/राज्यवार संकल संकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रू./लाख)

क्र.स.		राज्य चैलेलाइजिंग (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया (1)	सकल वसूली (2)	अतिदेय (3)	वसूली का प्रतिशत (4 = 2/1*100)
I.		**राज्य**				
1		आन्ध्र प्रदेश				
	1.1	आन्ध्र प्रदेश (बीसी)	19268.24	19230.76	37.48	99
	1.2	आन्ध्र प्रदेश (टोडी टेपर्स)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	आन्ध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
		उप योग (1.1 से 1.3)	**20861.02**	**20823.54**	**37.48**	**99**
2		असम				
	2.1	असम (बीसी)	848.77	633.94	214.83	75
	2.2	टसम (इलेक्ट्रानिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	असम (अन्य)	723.39	723.39	0.00	100
		उप योग (2.1 से 2.3)	**1939.24**	**1724.41**	**214.83**	**89**
3		बिहार				
	3.1	बिहार (बीसी)	5168.66	2275.36	2893.30	44
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	149.44	149.44	0.00	98
		उप योग (3.1 से 3.2)	**5318.10**	**2424.80**	**2893.30**	**45**
4		छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	1133.25	1004.41	128.84	89
5		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	1648.87	1629.25	19.62	99
6		गुजरात				
	6.1	गुजरात (बीसी)	9853.20	7260.43	2592.77	74
	6.2	गुजरात (गोपालक)	2155.06	2155.57	-0.51	100
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	2339.99	2339.99	0.00	100
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	21.84	21.84	0.00	100
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	10.15	10.15	0.00	100
	6.6	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
		उप योग (6.1 से 6.6)	**14427.18**	**11834.92**	**2592.26**	**82**
7		हरियाणा				
	7.1	हरियाणा (बीसी)	6476.77	6475.30	1.47	100
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	35.62	35.04	0.58	100
		उप योग (7.1 से 7.2)	**6512.39**	**6510.34**	**2.05**	**100**
8		हिमाचल प्रदेश				
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	4667.63	4667.63	0.00	100
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100
		उप योग (8.1 से 8.2)	**4723.30**	**4723.30**	**0.00**	**100**
9		जम्मू एण्ड कश्मीर				
	9.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एससी)	258.43	219.27	39.16	85
	9.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	948.38	948.07	0.31	100
		उप योग (9.1 से 9.2)	**1206.81**	**1167.34**	**39.47**	**97**
10		झारखण्ड				
	10.1	झारखण्ड (ट्राइबल)	550.26	556.06	-5.80	101

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
	10.2	Vananchal Gramin Bank	62.87	60.89	1.98	97
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	16.86	16.86	0.00	100
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**629.99**	**633.81**	**-3.82**	**101**
11		Karnataka				
	11.1	Karnataka (BC)	30179.90	30179.90	0.00	100
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	101.96	72.36	29.60	71
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**30281.86**	**30252.26**	**29.60**	**100**
12		Kerala				
	12.1	Kerala (Artisan)	492.99	492.99	0.00	100
	12.2	Kerala (BC)	54398.79	53959.47	439.32	99
	12.3	Kerala (Christian Converts)	1128.74	1128.74	0.00	100
	12.4	Kerala (Fisheries)	20524.99	20524.99	0.00	100
	12.5	Kerala (Handicraft)	379.65	379.65	0.00	100
	12.6	Kerala (Palmarah)	119.62	73.95	45.67	62
	12.7	Kerala (Women)	4486.44	4486.44	0.00	100
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**81531.22**	**81046.23**	**484.99**	**99**
13		Madhya Pradesh				
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	1539.81	1393.17	146.64	90
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	4610.04	4398.22	211.82	95
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.75	623.75	0.00	100
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	5.23	5.23	0.00	100
	13.5	Narmada Jhabua Gramin Bank	26.14	26.05	0.09	100
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**6804.97**	**6446.42**	**358.55**	**95**
14		Maharashtra				
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2267.60	2202.49	65.11	97
	14.2	Maharashtra (VJNT)	7379.03	6342.32	1036.71	86
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.97	3.97	0.00	100
	14.4	Maharashtra (OBC)	15370.65	12314.93	3055.72	80
	14.5	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
		Sub Total (14.1 to 14.5)	**25046.33**	**20888.79**	**4157.54**	**83**
15		Manipur				
	15.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	4954.50	4954.50	0.00	100
17		Orissa				
	17.1	Orissa (BC)	2079.06	719.11	1359.95	35
	17.2	Orissa (Others)	45.50	29.55	15.95	65
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**2124.56**	**748.66**	**1375.90**	**35**
18		Punjab				
	18.1	Punjab (BC)	4354.57	3767.63	586.94	87

क्र.स.		राज्य चैनेलाइजिंग (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	टतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	62.87	60.89	1.98	97
	10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	16.86	16.86	0.00	100
		उप योग (10.1 से 10.3)	**629.99**	**633.81**	**-3.82**	**101**
11		कर्नाटक				
	11.1	कर्नाटक (बीसी)	30179.90	30179.90	0.00	100
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	101.96	72.36	29.60	71
		उप योग (11.1 से 11.2)	**30281.86**	**30252.26**	**29.60**	**100**
12		केरल				
	12.1	केरल (आर्टीजन)	492.99	492.99	0.00	100
	12.2	केरल (बीसी)	54398.79	53959.47	439.32	99
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कनवर्टस)	1128.74	1128.74	0.00	100
	12.4	केरल (फिशरीज)	20524.99	20524.99	0.00	100
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	379.65	379.65	0.00	100
	12.6	केरल (पलमीरा)	119.62	73.95	45.67	62
	12.7	केरल (वीमेन)	4486.44	4486.44	0.00	100
		उप योग (12.1 से 12.7)	**81531.22**	**81046.23**	**484.99**	**99**
13		मध्य प्रदेश				
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	1539.81	1393.17	146.64	90
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	4610.04	4398.22	211.82	95
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	623.75	623.75	0.00	100
	13.4	मध्याचंल ग्रामीण बैंक	5.23	5.23	0.00	100
	13.5	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	26.14	26.05	0.09	100
		उप योग (13.1 से 13.5)	**6804.97**	**6446.42**	**358.55**	**95**
14		महाराष्ट्र				
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2267.60	2202.49	65.11	97
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	7379.03	6342.32	1036.71	86
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.97	3.97	0.00	100
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	15370.65	12314.93	3055.72	80
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
		उप योग (14.1 से 14.5)	**25046.33**	**20888.79**	**4157.54**	**83**
15		मणिपुर				
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100
		उप योग (15.1 से 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	4954.50	4954.50	0.00	100
17		ओडीसा				
	17.1	ओड़ीसा (बीसी)	2079.06	719.11	1359.95	35
	17.2	ओड़ीसा (अन्य)	45.50	29.55	15.95	65
		उप योग (17.1 से 17.2)	**2124.56**	**748.66**	**1375.90**	**35**
18		पंजाब				
	18.1	पंजाब (बीसी)	4354.57	3767.63	586.94	87

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
	18.2	Punjab (Gramin Bank)	171.25	171.25	0.00	100
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**4525.82**	**3938.88**	**586.94**	**87**
19		Rajasthan				
	19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	Rajasthan (OBC)	4489.00	2538.22	1950.78	57
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**4951.81**	**3001.03**	**1950.78**	**61**
20		Sikkim (SC/ST)	2936.82	2725.32	211.50	93
21		Tamilnadu				
	21.1	Tamilnadu (BC)	45706.75	45606.63	100.12	100
	21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	Tamilnadu (Others)	6.43	6.43	0.00	100
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**45765.86**	**45665.74**	**100.12**	**100**
22		Tripura (OBC)	4241.01	4241.01	0.00	100
23		Uttar Pradesh				
	23.1	Uttar Pradesh (BC)	11130.71	4988.25	6142.46	45
	23.2	Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	2254.58	2254.58	0.00	100
	23.3	Sarva U.P Gramin Bank	11.67	11.64	0.03	100
	23.4	Purvanchal Gramin Bank	8.39	7.47	0.92	89
	23.5	Uttar Pradesh (Others)	0.50	0.50	0.00	100
		Sub Total (23.1 to 23.5)	**13405.85**	**7262.44**	**6143.41**	**54**
24		Uttarakhand (Bahuudeshiya)	252.24	247.21	5.03	98
25		West Bengal				
	25.1	West Bengal (BC)	7205.82	7173.89	31.93	100
	25.2	West Bengal (Minorities)	706.82	671.89	34.93	95
	25.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
		Sub Total (25.1 to 25.3)	**7928.96**	**7862.10**	**66.86**	**99**
26		Vijaya Bank	236.78	236.78	0.00	100
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**294164.72**	**272769.47**	**21395.25**	**93**
II.		**UT's**				
27		Chandigarh (SC/BC)	92.85	91.51	1.34	99
28		Delhi (SC/ST/OBC)	378.11	367.74	10.37	97
29		Puducherry				
	29.1	Puducherry (Adidravidar)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	Puducherry (BC)	2249.93	1686.13	563.80	89
		Sub Total (29.1 to 29.2)	**2427.58**	**1863.78**	**563.80**	**90**
		TOTAL - UTs (27 - 29)	**2898.54**	**2323.03**	**575.51**	
III.		**GRAND TOTAL (I + II)**	**297063.26**	**275092.50**	**21970.76**	**92.60**

Note : The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.

क्र.स.		राज्य चैनेलाइजिंग (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया (1)	सकल वसूली (2)	अतिदेय (3)	वसूली का प्रतिशत (4 = 2/1*100)
	18.2	पंजाब (ग्रामीण बैंक)	171.25	171.25	0.00	100
		उप योग (18.1 से 18.2)	**4525.82**	**3938.88**	**586.94**	**87**
19		राजस्थान				
	19.1	राजस्थान (एससी)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	4489.00	2538.22	1950.78	57
		उप योग (19.1 से 19.2)	**4951.81**	**3001.03**	**1950.78**	**61**
20		सिक्किम (एससी/एसटी)	2936.82	2725.32	211.50	93
21		तमिलनाडु				
	21.1	तमिलनाडु (बीसी)	45706.75	45606.63	100.12	100
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	6.43	6.43	0.00	100
		उप योग (21.1 से 21.3)	**45765.86**	**45665.74**	**100.12**	**100**
22		त्रिपुरा (ओबीसी)	4241.01	4241.01	0.00	100
23		उत्तर प्रदेश				
	23.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	11130.71	4988.25	6142.46	45
	23.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	2254.58	2254.58	0.00	100
	23.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	11.67	11.64	0.03	100
	23.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	8.39	7.47	0.92	89
	23.5	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.50	0.50	0.00	100
		उप योग (23.1 से 23.5)	**13405.85**	**7262.44**	**6143.41**	**54**
24		उत्तराखण्ड (बहुउद्देशीय)	252.24	247.21	5.03	98
25		पश्चिम बंगाल				
	25.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	7205.82	7173.89	31.93	100
	25.2	पश्चिम बंगाल (माइनॉरिटीज)	706.82	671.89	34.93	95
	25.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
		उप योग (25.1 से 25.3)	**7928.96**	**7862.10**	**66.86**	**99**
26		विजया बैंक	236.78	236.78	0.00	100
		कुल राज्य (1 से 26)	**294164.72**	**272769.47**	**21395.25**	**93**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**				
27		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	92.85	91.51	1.34	99
28		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	378.11	367.74	10.37	97
29		पुड्डूचेरी				
	29.1	पुड्डूचेरी (अदिद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	पुड्डूचेरी (बीसी)	2249.93	1686.13	563.80	89
		उप योग (29.1 से 29.2)	**2427.58**	**1863.78**	**563.80**	**90**
		कुल संघ राज्य क्षेत्र (27 से 29)	**2898.54**	**2323.03**	**575.51**	
III.		**कुल योग(I + II)**	**297063.26**	**275092.50**	**21970.76**	**92.60**

टिप्पणी : कॉलम 4 में वसूली के प्रतिशत को पूर्ण अंक में प्रदर्शित किया गया है।

ANNEXURE - 3.6

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2017-18

1. **BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY**

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure carrying out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Financial Component: In line with Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carry forward to the next financial year.

Institutional Set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the whole activities, a CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation. This Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

Monitoring: The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: nbcfdc.gov.in.

Overview of projects or programmes undertaken during the financial year:

The overview of thematic projects/programmes undertaken /on-going during the financial year are given in **Annexure -3.7** of this Report.

2. **COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:**

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

अनुलग्नक–3.6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
वर्ष 2017–18 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढ़ा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

पहुंच बनाना: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस–पास अथवा ओबीसी समूहों के स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम–विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलाप: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयव: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगम पूर्ववर्ती अनंतर तीन वित्तीय वर्षों के ''व्यय से अधिक आय का आधिक्य'' के औसत का कम से कम 2ः निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपभुक्त बजट समाप्त नहीं होगा और इसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना: संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी: निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी.एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व अन्य सभी मामलों के साथ–साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना और सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वियन और निगरानी करना तथा कथित अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल सभी संबंधित कार्यकलाप आदि शामिल हैं।

जबकि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी, सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एन.बी.सी.एफ. डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें पुट–अप करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति और मार्गदर्शन की निगरानी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्र: कंपनी द्वारा इसकी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

निगरानी: निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन/ निगरानी करेगा। विस्तृत सी.एस. आर. नीति जानने के लिए शीर्ष के तहत निगम की वेबसाइट लिंकः nbcfdc.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए / चालू की गई विषयगत परियोजनाओं/कार्यक्रमों का अवलोकन इस रिपोर्ट के **संलग्नक 3.7** किया जा सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निगम निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

The present Composition of the CSR Committee of Directors is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Mr. K. Narayan, Member	Managing Director
Ms. T C A Kalyani, Member	Official Director
Ms. Saroj Kumari, Member	Independent Director

3. **AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS**

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was under:

Financial Year 2014-15	Rs. 37,34,41,511/-
Financial Year 2015-16	Rs. 24,05,70,605/-
Financial Year 2016-17	Rs. 25,67,16,553/-
Average Surplus	Rs. 29,02,42,890/-

4. **PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PER CENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE) Rs. 58,04,858/-** The Board of Directors has approved CSR budget (R.E) of Rs.60,00,000/- for financial year 2017-18.

5. **DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR (2017-18):**

a) Total amount to be spent Budget for the financial year was Rs. 60,00,000/-

b) Total CSR amount spent during the financial year was Rs.1,02,42,566/- against sanctions issued for Rs.1,26,11,234/- The sanction and expenditure are against Budget for the current year and earlier year(s).

c) Amount unspent against CSR Budget, if any:

The Corporation sanctioned CSR Projects worth Rs.176.07 Lakh upto 31.3.2018, against the CSR Budget of Rs.207.00 Lakh upto 31.3.2018 and unspent CSR Budget is Rs.30.93 Lakh as on 31.3.2018.

d) Manner in which the amount spent during the financial year is at as per details Annexed to this report.

6. **IN CASE THE CORPORATION HAS FAILED TO SPEND THE TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT OF THE LAST THREE FINANCIAL YEARS OR ANY PART THEREOF. THE CORPORATION SHALL PROVIDE THE REASONS FOR NOT SPENDING THE AMOUNT IN ITS BOARD REPORT:**

The Corporation has initiated implementation of its CSR Policy only from the financial year 2016-17 after receipt of clarifications from MCA on applicability of Section 135 to Section 8 companies. The Corporation is receiving more proposals from the channel partners and other stakeholders and is in process of sanctioning meaningful CSR initiatives especially for members of OBC Community. The unspent funds under CSR shall be carried forward and spent in forthcoming year(s).

7. **RESPONSIBILITY STATEMENT OF THE CSR COMMITTEE:**

The implementation and monitoring of CSR Policy by the Company is in compliance with CSR objectives and policy of the Corporation.

Sd/-
(T.C.A. Kalyani)
Member, CSR Committee
(DIN No. 02406559)

Sd/-
(K. Narayan)
Member - CSR Committee
(DIN No. 03561648)

Place: New Delhi
Dated: 26.07.2018

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार हैः

निदेशकों का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री के. नारायन, सदस्य	प्रबंध निदेशक
सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, सदस्य	सरकारी निदेशक
सुश्री सरोज कुमारी, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

3. **गत् तीन वित्तीय वर्षो में निगम का औसत आधिक्य**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत् तीन वित्तीय वर्षो में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार थाः

वित्तीय वर्ष, 2014.15 रू. 37,34,41,511/–

वित्तीय वर्ष, 2015.16 रू. 24,05,70,605/–

वित्तीय वर्ष, 2016–17 रू. 25,67,16,553/–

तीन वर्षो का औसत रू. 29,02,42,890/–

4. **विनिर्धारित सी.एस.आर. व्यय (जैसा कि उपरोकत मद सं. 3 में दिया गया है औसत धनराशि का दो प्रतिशत)**

रू. 58,04,858 /– निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रू. 60,00,000/– सी.एस.आर. बजट हेतु अनुमोदित किए हैं।

5. **वित्तीय वर्ष (2017–18) के दौरान व्यय की गई सी.एस.आर. धनराशि का विवरणः**

क. वित्तीय वर्ष हेतु कुल धनराशि रू. 60,00,000/– के व्यय का बजट था।

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 1,26,11,234/– की स्वीकृति के सापेक्ष व्यय की गई कुल सी.एस.आर. धनराशि रू. 1,02,42,566/– थी। स्वीकृति एवं व्यय चालू वर्ष एवं पूर्व वर्ष (वर्षो) के बजट के सापेक्ष हैं।

ग. निगमित सामाजिक दायित्व के बजट के सापेक्ष व्यय न की गई धनराशि, यदि कोई हो :

निगम के निगमित सामाजिक दायित्व परियोजना के बजट रू 270.00 लाख व दिनाँक 31.3.2018 तक अप्रयुक्त बजट राशि रू. 30.93 लाख के सापेक्ष 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार रू. 176.07 लाख की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

घ. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि की प्रणाली, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न विवरण के अनुसार है।

6. **निगम पिछले तीन वित्तीय वर्षो या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहने की स्थिति में, निगम अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारणों का उल्लेख करेगाः**

धारा–8 की कंपनियों पर धारा–135 की प्रयोजनीयता पर एम.सी.ए. से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद निगम ने अपनी सी.एस.आर. नीति का क्रियान्वयन मात्र वित्तीय वर्ष 2016.17 से किया है। निगम चैनल सहभागियों एवं अन्य साझीदारों से अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है और खासकर अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों हेतु अर्थपूर्ण सी.एस.आर. पहलों हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया में है। सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय नहीं की गई धनराशि आगे ले जाई जाएगी एवं आगामी वर्ष (वर्षो) में व्यय की जाएगी।

7. **सी.एस.आर. समिति का दायित्व वक्तव्यः**

कंपनी द्वारा सी.एस.आर. नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी सी.एस.आर. के उद्देश्यों एवं निगम की नीति के अनुसार है।

	ह0/–	ह0/–
	(टी.सी.ए.कल्याणी)	**(के. नारायण)**
स्थानः नई दिल्ली	निदेशक	प्रबंध निदेशक
दिनांकः 26.07.2018	(डिन सं. 02406559)	(डिन सं. 03561648)

ANNEXURE - 3.7

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
CSR EXPENDITURE SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR 2017-18

Amount in ₹

1	2	3	4	5	6		7	8
SI.NO.	CSR Project or Activity identified	Sector in which the project is covered	Project or programs (1)Local area or other (2)Specify the state & Districts where projects was undertaken	Amount outlay (budget) project or programme wise*	Amount spent on the programme		Cumulative expenditure upto the reporting period (6A + 6B)	Amount spent: Direct or through Implementing Agency
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)		
1.	**Safe Drinking water, Health & Hygiene, Sanitation & Slum Development**							
i)	Swachh Saheli (Installation of Automated Sanitary Napkin Vending Machines & Incinerators. (7 Nos.)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water;	Distt- Kollam & Trivandrum,Kerala Beneficiaries – Approx. 1794 girl students	4,69,392 /-	2,34,696/-	NIL	2,34,696/-	Through Implementing Agency
ii)	a)Provision of Community Toilets (3Nos) and (3Nos) Washrooms.		Rajamayong Village, Mayong Development Block, Morigoan Distt, Assam (558 Families)	8,59,336/-	3,71,118/-	37,111/-	4,08,229/-	Through Implementing Agency
	b) Safe Drinking Water Facility (R.O)		- Do -	5,50,000/-	2,50,000/-	25,000/-	2,75,000/-	
iii)	Medical Camps (12 Nos.)		NCT Delhi, Rajasthan, Haryana and Uttar Pradesh (5061 Registration)	9,90,202/-	7,59,250/-	2,30,952/-	9,90,202/-	Through Implementing Agency
iv)	Setting Up- Water Over Head Tank		Vill-Golahalli, Distt- Tumkur, Karnataka (1760 families)	19,00,000/-	5,70,000/-	NIL	5,70,000/-	Through Implementing Agency
v)	Installation of Sanitary Napkin Vending Machine & Incinerators (20 Nos.)		Ratlam & Ujjain District, M.P (3000 girls)	19,00,000/-	14,25,000/-	NIL	14,25,000/-	Through Implementing Agency
vi)	Swachhta Abhiyan		NBCFDC	2,30,144/-	2,30,144/-	NIL	2,30,144/-	Direct

अनुलग्नक–3.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय की गई सी.एस.आर. धनराशि

राशि रू. में

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र.सं.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा चिन्हित कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को बताएं	परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार धनराशि का खाका (बजट)*	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि		संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (रू. 6 क+6 ख)	व्यय की गई धनराशि: सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)		
1. स्वच्छ पीने का पानी, स्वास्थ्य सफाई एवं स्लम विकास								
i)	स्वच्छ सहेली (स्वचालित स्वच्छता नैपकिन वेंलडग मशीनों और भठ्ठियों की स्थापना) (सं.–7)	भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना: निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना,	जिला– कोल्लम एवं त्रिवेंद्रम, केरल लाभाुथयों की सं.–1794 बालिका विद्यार्थी	4,69,392 /-	2,34,696/-	शून्य	2,34,696/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
ii)	क) सामुदायिक शौचालय (सं. 3) एवं वाशरूम (सं. 3) का प्रावधान।		ग्राम–राजामेवंग, वि.ख. –मेवंग, जिला–मोरीगांव, असम (558 परिवार)	8,59,336/-	3,71,118/-	37,111/-	4,08,229/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	इ) सुरक्षित पेय जल सुविधा (आर.ओ.)			5,50,000/-	2,50,000/-	25,000/-	2,75,000/-	
iii)	चिकित्सा शिविर (सं. 12)		रा.रा.क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश (पंजीकरण 5061)	9,90,202/-	7,59,250/-	2,30,952/-	9,90,202/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iv)	पानी की टंकियों की स्थापना		ग्राम–गोलाहल्ली, जिला–टुमकुर, कर्नाटक (1760 परिवार)	19,00,000/-	5,70,000/-	शून्य	5,70,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
v)	स्वच्छता नैपकिन वेंलिंडग मशीन और भठ्ठियों की स्थापना (सं. 20)		जिला– रतलाम एवं उज्जैन, म.प्र. (3000 बालिकाएं)	19,00,000/-	14,25,000/-	शून्य	14,25,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
vi)	स्वच्छता अभियान		एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	2,30,144/-	2,30,144/-	शून्य	2,30,144/-	सीधे
			उप–योग (1)	**68,99,074/-**	**38,40,208/-**	**2,93,063/-**	**41,33,271/-**	

			Sub-Total (1)	**68,99,074/-**	**38,40,208/-**	**2,93,063/-**	**41,33,271/-**	
2.	**Ensuring environmental sustainability, conservation of natural resources**							
i)	Bio-Gas Production Plants using waste material in rural areas (15 Nos.)	Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water.	West Medinipur District, West Bengal (15 Families)	11,96,000/-	5,15,311/-	77,297/-	5,92,608/-	Through Implementing Agency
			Sub-Total (2)	**11,96,000/-**	**5,15,311/-**	**77,297/-**	**5,92,608/-**	

3.	**Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children,**								
i)	School Adoption Program (SABCCO) (2 Schools)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children,		Schools of East Sikkim District, Gangtok, Sikkim (About 400 students)	8,00,000/-	4,36,363/-	43,637/-	4,80,000/-	Through Implementing Agency
				Sub-Total (3)	**8,00,000/-**	**4,36,363/-**	**43,637/-**	**4,80,000**	
4.	**Promotion and development of Traditional arts and handicrafts;**								
i)	Promotion of Traditional Art & Craft- Dev. Of Terracotta Pottery in Clusters. (3 Clusters)		Promotion and development of traditional arts and handicrafts;	Three Locations namely Ganjalpur, Bahadurpur Jaat and Sahanpur,U.P (200 families)	20,00,000/-	16,10,000/-	NIL	16,10,000/-	Through Implementing Agency
ii)	Development of an improved pottery kilns for the potter's community. (2 Kilns)			Village- Khurrampur, Gurugram, Haryana. (180 families)	11,50,000/-	5,47,619/-	27,381/-	5,75,000/-	Through Implementing Agency
iii)	Promotion of Traditional Arts and Handicraft , (Pitloom replaced with Handloom) (15 Nos.)			Jangoan, Telegana. (50 Families)	20,00,000/-	16,00,000/-	NIL	16,00,000/-	Through Implementing Agency
iv)	a) Promotion of Self-help Groups. (15 Nos.)			Rajamayong Village, Mayong Development Block, Morigaon Distt, Assam	1,10,000/-	50,000/-	5,000/-	55,000/-	Through Implementing Agency
	b) Developing Rural Entrepreneurs skill.(85 Nos				1,10,000/-	50,000/-	5,000/-	55,000/-	-Do-
	c)Advanced Training on water Hyacinth.(30 Nos)				3,24,000/-	2,91,600/-	NIL	2,91,600/-	-Do-

2.	**पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करनाए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण**							
i)	ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग कर जैव–गैस उत्पादन संयंत्र (सं. 15)	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना।	जिला– पश्चिमी मिदनीपुर, पश्चिम बंगाल (15 परिवार)	11,96,000/-	5,15,311/-	77,297/-	5,92,608/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (2)	**11,96,000/-**	**5,15,311/-**	**77,297/-**	**5,92,608/-**	
3.	**शिक्षा और रोजगार सहित विशेष रूप से बच्चों के बीच शिक्षा कौशल को बढ़ावा देना**							
i)	स्कूल गोद लेने का कार्यक्रम (एसएबीसीसीओ) (2 विद्यालय)	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित विशेष रूप से बच्चों के बीच भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना	जिला–पूर्वी सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम के दो स्कूल (लगभग 400 छात्र)	8,00,000/-	4,36,363/-	43,637/-	4,80,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (3)	**8,00,000/-**	**4,36,363/-**	**43,637/-**	**4,80,000**	
4.	**पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास;**							
i)	पारंपरिक कला और शिल्प का प्रचार – क्लस्टर में टेराकोटा पोटरी का विकास। (3 समूहों)	पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास	तीन स्थानों यथा–गंजलपुर, बहादुरपुर जाट और सहानपुर, यू.पी. (200–परिवार)	20,00,000/-	16,10,000/-	NIL	16,10,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
ii)	कुम्हार समुदाय के लिए एक बेहतर मिट्टी के बर्तन भट्टियों का विकास। (2 भट्ठे)		ग्राम– खुर्रमपुर, गुड़गांव, हरियाणा (180–परिवार)	11,50,000/-	5,47,619/-	27,381/-	5,75,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iii)	पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार (पिटलूम हैंडलूम के साथ बदले गए) (सं. 50)		जनगांव, तेलंगाना (50 परिवार)	20,00,000/-	16,00,000/-	शून्य	16,00,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iv)	क) स्वं–सहायता समूहों का विकास (सं.– 15)		ग्राम–राजामेवंग, वि.ख.– मेवंग, जिला–मोरीगांव, असम	1,10,000/-	50,000/-	5,000/-	55,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	ख) ग्रामीण उद्यमिता कौशल का विकास (सं.–85)			1,10,000/-	50,000/-	5,000/-	55,000/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	ग) जल कुंभी पर उन्नत प्रशिक्षण। (सं.–30)			3,24,000/-	2,91,600/-	शून्य	2,91,600/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से

v)	Skill Upgradation and modernization of traditional craft among the Pottery community (40 Nos.)	- D0 -	Kavasserry Panchyat, Palakkad District, Kerala. (40 Families)	17,35,087	7,72,587/-	12,500/-	7,85,087/-	Through Implementing Agency
			Sub-Total (4)	**74,29,087/-**	**49,21,806/-**	**49,881/-**	**49,71,687/-**	
5. **Setting up old age homes, facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;**								
i)	Provision of Dough Making Machine to an Old Age Home (1 Nos.)	Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans;	Vill-Bandhwari, Gurugram, Haryana. (300 Persons)	65,000/-	65,000/-	NIL	**65,000/-**	Through Implementing Agency
			Sub-Total (5)	**65,000/-**	**65,000/-**	**NIL**	**65,000/-**	
			Total (1+2+3+4+5)	**1,63,38,916**	**97,78,688/-**	**4,63,878/-**	**1,02,42,566/-**	

Note: **- Col. 5 represents sanction of CSR projects/Activities upto 31.03.18, against which expenditure is incurred during 2017-18.**

v)	पोटरी समुदाय के बीच पारंपरिक शिल्प का कौशल उन्नयन और आधुनिकीकरण (सं.–40)		कावासेरी पंचायत, जिला–पलक्कड, केरल (40 परिवार)	17,35,087	7,72,587/-	12,500/-	7,85,087/-	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (4)	**74,29,087/-**	**49,21,806/-**	**49,881/-**	**49,71,687/-**	
5. **बुजुर्गों के लिए घरों की स्थापना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय;**								
i)	एक वृद्धावस्था आश्रमों में आटा बनाने की मशीन का प्रावधान (सं. 01)	लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	ग्राम–बंदवारी, गुड़गांव, हरियाणा (300 व्यक्तियों)	65,000/-	65,000/-	NIL	**65,000/-**	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (5)	**65,000/-**	**65,000/-**	**NIL**	**65,000/-**	
			योग (1+2+3+4+5)	**1,63,38,916**	**97,78,688/-**	**4,63,878/-**	**1,02,42,566/-**	

टिप्पणी: कॉलन 5, दिनांक 31.03.18 तक सीएसआर परियोजनाओं / कार्यकलापों की स्वीकृति को दर्शाता है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय का वहन किया गया है।

ANNEXURE - 4

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Skill Development Training Programme Statewise year 2017-18

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs. in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
1	Andhra Pradesh	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP & Machine Operator Assistant-IM	3 Months	80	20352	16.28	16.28	80
			Total		**80**		**16.28**	**16.28**	**80**
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	201	12960	26.05	13.03	201
			Total		**201**		**26.05**	**13.03**	**201**
		Textile Sector Skill Council	Two Shaft handloom Weaver	340	80	14399	11.52	5.76	80
			Total		**80**		**11.51**	**5.76**	**80**
			Up-Skilling						
			Two Shaft handloom Weaver	80Hrs.	99	5879.8	5.82	2.91	99
			Total		**99**		**5.82**	**2.91**	**99**
			Sub Total		**460**		**59.67**	**37.97**	**460**
2	Assam	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP & Machine Operator Assistant-PR	3 Months	71	20352	14.45	9.48	71
			Total		**71**		**14.45**	**9.48**	**71**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	500	13736	68.68	34.34	500
			Total		**500**		**68.68**	**34.34**	**500**
		Rubber Skill Development Council							
			Rubber Nursery General Worker	80hrs.	120	13475	16.17	8.09	120
			Total		**120**		**16.17**	**8.09**	**120**
		Beauty &Wellness Sector Skill Council	Assistant Beauty Therapist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Total		**50**		**5.26**	**2.63**	**50**
			Up-Skilling						
			Assistant Beauty Therapist	20 Hrs	60	3000	1.80	0.90	60
			Total		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
			Sub Total		**110**		**7.06**	**3.53**	**110**
		Textile Sector Skill Council							
			Additional 10% of base cost for special area	340	300	15839	47.52	23.76	300
			Total		**300**		**47.52**	**23.76**	**300**
			Up-Skilling						
			Additional 10% of base cost for special area	80Hrs.	200	6167.80	12.39	6.17	200
			Total		**200**		**12.34**	**6.17**	**200**
			Sub Total		**500**		**59.85**	**29.93**	**500**
		CSIR-Khurja	High Valued Terracotta Pottery	220 Hrs	35	6710	2.34	1.17	35
		Electronics Sector Skill Council of India	Installation Technician Computing & Pheriphels	340 Hrs	30	13770	4.13	2.07	30
			Total		**30**	**0**	**4.13**	**2.07**	**30**
		CIPET, Chennai (CSR) CWC	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM)	4 Months/ 640 Hrs.	40	48000	19.20	9.60	40
					40		19.20	9.60	40
		Indian Institute of Entreprenurshp (IIE), Guwahati	Jacquard Weaver Handloom	300 Hrs/60 Days	300	13974	41.92	20.96	300
			Total		**300**		**41.92**	**20.96**	**300**

अनुलग्नक–4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्यवार कौशल विकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम	3 माह	80	20352	16.28	16.28	80
			कुल		**80**		**16.28**	**16.28**	**80**
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	201	12960	26.05	13.03	201
			कुल		**201**		**26.05**	**13.03**	**201**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल	टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	340	80	14399	11.52	5.76	80
			कुल		**80**		**11.51**	**5.76**	**80**
			अप स्किलिंग						
			टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	80 घंटे	99	5879.8	5.821	2.91	99
			कुल		**99**		**5.82**	**2.91**	**99**
			कुल योग		**460**		**59.67**	**37.97**	**460**
2	असम	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीआर	3 माह	71	20352	14.45	9.48	71
			कुल		**71**		**14.45**	**9.48**	**71**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	500	13736	68.68	34.34	500
			कुल		**500**		**68.68**	**34.34**	**500**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल							
			रबर नर्सरी जनरल वक्रर	80 घंटे	120	13475	16.17	8.09	120
			कुल		**120**		**16.17**	**8.09**	**120**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			कुल		**50**		**5.26**	**2.63**	**50**
			अप स्किलिंग						
			असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	20 घंटे	60	3000	1.80	0.9	60
			कुल		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
			कुल योग		**110**		**7.061**	**3.53**	**110**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			विशेष क्षेत्र के लिए मूल लागत 10% अतिरिक्त	340	300	15839	47.52	23.76	300
			कुल		**300**		**47.52**	**23.76**	**300**
			अप स्किलिंग						
			विशेष क्षेत्र के लिए मूल लागत 10% अतिरिक्त	80 घंटे	200	6167.80	12.39	6.17	200
			कुल		**200**		**12.34**	**6.17**	**200**
			कुल योग		**500**		**59.85**	**29.93**	**500**
		सी.एस.आई.आर–खुर्जा	हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे	35	6710	2.34	1.17	35
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया	स्टॉलेशन टेक्नीशियन कम्प्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स्	340 घंटे	30	13770	4.13	2.07	30
			कुल		**30**	**0**	**4.13**	**2.07**	**30**
		सीपेट, चेन्नई (सीएसआर) (सीडब्ल्यूसी)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग (एमओए–आईएम)	4 माह/640 घंटे	40	48000	19.20	9.60	40
					40		19.20	9.60	40
		इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरप्रयोन्योशिप (आईआईई), गुहाटी	जैकगार्ड वीवर हैंडलूम	300 घंटे/60 दिन	300	13974	41.92	20.96	300
			कुल		**300**		**41.92**	**20.96**	**300**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	60	12960	7.78	3.88	60
			Total		**60**		**7.78**	**3.88**	**60**
			G. Total		**1766**		**242**	**123.05**	**1766**
3	Bihar	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP,& Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-PE	3 Months	240	20352	48.84	38.68	222
			Total		**240**		**48.84**	**38.68**	**222**
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	100	12667.20	12.67	6.33	100
			Total		**100**		**12.67**	**6.33**	**100**
			RPL						
			Carpenter- Wooden Furniture	5 Days	200	3000	6.00	3.00	200
					300		18.66	9.33	300
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		Electronics Sector Skill Council of India	Field Technician – Networking and Storage	400 Hrs	90	16200	14.58	7.29	90
			Total		**90**	**0**	**14.58**	**7.29**	**90**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing (CSR)							
			Self Employed Tailor	5 Days	50	6700	3.35	0.84	50
			Total		**50**		**3.35**	**0.84**	**50**
		Beauty &Wellness Sector Skill Council							
			Assistant Hair Staylist	340 Hrs	50	12342	6.17	3.09	50
			Pedicurist & Manicurist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Total		100		11.44	5.71	100
			Up-Skilling						
			Assistant Hair Staylist	20 Hrs	30	3000	0.90	0.45	30
			Pedicurist & Manicurist	20 Hrs	60	3000	1.80	0.9	60
			Total		**90**		**2.7**	**1.35**	**90**
			Sub Total		190		14.13	7.07	190
		Security Sector Skill Council	Unarmed Security Guard	200 Hrs/2 Months	100	7260	7.26	3.63	100
			Total		**100**		**7.26**	**3.63**	**100**
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	90	12960	11.66	5.83	90
			Total		**90**		**11.66**	**5.83**	**90**
			G. Total		**1125**		**137.00**	**81.82**	**1107**

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	60	12960	7.78	3.88	60
			कुल		**60**		**7.78**	**3.88**	**60**
			कुल योग		**1766**		**242**	**123.05**	**1766**
3	बिहार	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	240	20352	48.84	38.68	222
			कुल		**240**		**48.84**	**38.68**	**222**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	348 घंटे	100	12667.20	12.67	6.33	100
			कुल		**100**		**12.67**	**6.33**	**100**
			आरपीएल						
			कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	5 दिन	200	3000	6.00	3.00	200
					300		18.66	9.33	300
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सेविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (सीएसआर)	फील्ड टेक्नीशियन–नेटवक्रिंग एण्ड स्टोरेज	400 घंटे	90	16200	14.58	7.29	90
			कुल		**90**	**0**	**14.58**	**7.29**	**90**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)							
			सेल्फ इम्पलोइड टेलर	5 दिन	50	6700	3.35	0.84	50
			कुल		**50**		**3.35**	**0.84**	**50**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			असिस्टेंट हेयर स्टाइलस्टि	340 घंटे	50	12342	6.17	3.09	50
			पेडीक्यूरिस्ट एण्ड मेनीक्यूरिस्ट	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			कुल		**100**		**11.44**	**5.71**	**100**
			अप–स्किलिंग						
			असिस्टेंट हेयर स्टाइलस्टि	20 घंटे	30	3000	0.90	0.45	30
			पेडीक्यूरिस्ट एण्ड मेनीक्यूरिस्ट	20 घंटे	60	3000	1.80	0.9	60
			कुल		**90**		**2.7**	**1.35**	**90**
			कुल योग		**190**		**14.13**	**7.07**	**190**
		सिक्योरिटी सेक्टर स्किल काउन्सिल	अनआर्मड सिक्योरिटी गार्ड	200 घंटे/2 माह	100	7260	7.26	3.63	100
			कुल		**100**		**7.26**	**3.63**	**100**
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग (एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह/480 घंटे	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	90	12960	11.66	5.83	90
			कुल		**90**		**11.66**	**5.83**	**90**
			कुल योग		**1125**		**137.00**	**81.82**	**1107**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
4	Chattisgarh	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP,& Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-BM	3 Months	160	20352	32.56	16.28	160
			Total		**160**		**32.56**	**16.28**	**160**
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		Media and Entertainment and Skill Council	Rotoartist	280 Hrs	100	9702	9.70	4.85	100
			Sub Total		**100**		**9.70**	**4.85**	**100**
		Community College (OPJCC) (CSR)	General Mason	3 Months	200	16800	33.6	18.55	200
			Asstt. Bar Bender						
			Asstt. Electrician						
			Operator- Conventional Turning						
			Asst. Shuttering Carpenter						
			Mannual Metal Inert Gas/ Gas Metal Arc Welder						
			General Plumber						
			Total		**200**		**33.60**	**18.55**	**200**
		CSIR-Khurja	High Valued Terracotta Pottery	220 Hrs	35	6710	2.35	1.17	35
			Sub Total		**520**		**80.94**	**42.22**	**520**
6	Delhi	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
			Sampling Coordinator	4Months/ 360 Hrs	25	14544	3.64	1.82	25
			Total		**25**		**3.64**	**1.82**	**25**
		Beauty &Wellness Sector Skill Council							
			Re-Skilling/Upgradation						
			Assistant Hair Staylist	20 Hrs	60	3000	1.80	0.90	60
			Sub Total		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	19	13736	2.61	1.31	19
			Total		**19**		**2.61**	**1.31**	**19**
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	30	12960	3.89	1.94	30
			Total		**30**		**3.89**	**1.94**	**30**
			Sub Total		**159**		**15.00**	**7.00**	**159**
7	Gujarat	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-IM	3 Months	40	20352	8.14	8.14	40
			Total		**40**		**8.14**	**8.14**	**40**
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
			Grand Total		**105**		**26.00**	**17.00**	**105**

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
4	छत्तीसगढ़	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –पीपी एण्ड मशीन आपरेटर असिस्टेंट – आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम	3 माह	160	20352	32.56	16.28	160
			कुल		**160**		**32.56**	**16.28**	**160**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		मीडिया एण्ड इन्टरटेंमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	रोटोआर्टीस्ट	280 घंटे	100	9702	9.70	4.85	100
			कुल योग		**100**		**9.70**	**4.85**	**100**
		कम्यूनिटी कॉलेज (ओपीजेसीसी) (सीएसआर)	जनरल मेसन	3 माह	200	16800	33.6	18.55	200
			असिस्टेंट बार बेन्डर						
			असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन						
			आपरेटर कन्वेंशनल टर्निंग						
			असिस्टेंट शटरिंग कारपेन्टर						
			मैनुवल मेटल इर्न्टट गैस/ गैस मेटल आर्क्र वेल्डर						
			जनरल प्लम्बर						
			कुल		**200**		**33.60**	**18.55**	**200**
		सी.एस.आइ.आर–खुर्जा	हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे	35	6710	2.35	1.17	35
			कुल योग		**520**		**80.94**	**42.22**	**520**
6	दिल्ली	अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
			सैम्पलिंग को–आर्डीनेटर	4 माह/360 घंटे	25	14544	3.64	1.82	25
			कुल		**25**		**3.64**	**1.82**	**25**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट	20 घंटे	60	3000	1.80	0.90	60
			कुल योग		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	19	13736	2.61	1.31	19
			कुल		**19**		**2.61**	**1.31**	**19**
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	30	12960	3.89	1.94	30
			कुल		**30**		**3.89**	**1.94**	**30**
			कुल योग		**159**		**15.00**	**7.00**	**159**
7	गुजरात	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट (आईएम)	3 माह	40	20352	8.14	8.14	40
			कुल		**40**		**8.14**	**8.14**	**40**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग (एमओए –बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह / 480 घंटे	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
			कुल योग		**105**		**26.00**	**17.00**	**105**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
8	Haryana	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM,Machine Operator Assistant-BM & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	120	20352	24.42	20.40	120
			Total		**120**		**24.42**	**20.40**	**120.0**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	155	13736	21.29	10.65	155
			Total		**155**		**21.29**	**10.65**	**155**
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Sampling Coordinator	4Months/ 360 Hrs	25	14544	3.64	1.82	25
					50		6.36	3.18	50
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	92	12960	11.92	5.96	92
			Total		**92**		**11.92**	**5.96**	**92.00**
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	150	12667	19.00	9.50	150
			Total		150		19.00	9.50	150
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)							
			Field Technician Computing & Peripherals (FTCP)	400 Hrs	50	13770	6.89	3.44	50
			Total		**50**		**6.89**	**3.44**	**50**
		Telecom Sector Skill Council							
			Handset Repair Engineer	300 Hrs	100	10800	10.80	5.40	100
			Total		100		10.80	5.40	100
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	120	14140	16.97	8.48	120
			Total		**120**		**16.97**	**8.48**	**120**
		Beauty &Wellness Sector Skill Council	Assistant Beauty Therapist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Sub Total		**50**		**5.264**	**2.63**	**50**
		Security Sector Skill Council	Unarmed Security Guard	200 Hrs/2 Months	50	7260	3.63	1.81	50
			Total		**50**		**3.63**	**1.81**	**50**
		CSIR-Khurja	High Valued Terracotta Pottery	220 Hrs	35	6710	2.35	1.17	35
			High Valued Terracotta Pottery	220 Hrs/48 Hrs.	150	6666	10.00	5.00	150
			Total		**185**		**12.34**	**6.17**	**185**
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
			Grand Total		**1162**		**154.48**	**85.43**	**1162**
9	Himachal Pradesh	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM & Machine Operator Assistant-BM	3 Months	160	20352	32.56	24.44	160
			Total		**160**		**32.56**	**24.44**	**160.0**
		Power Sector Skill Council	Electrical Domestic Solution	3 Months	50	14823	7.41	3.76	50
			Total		**50**		**7.41**	**3.7**	**50**

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
8	हरियाणा	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	120	20352	24.42	20.40	120
			कुल		**120**		**24.42**	**20.40**	**120.0**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	155	13736	21.29	10.65	155
			कुल		**155**		**21.29**	**10.65**	**155**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			सैम्पलिंग को–आर्डीनेटर	4 माह/360 घंटे	25	14544	3.64	1.82	25
					50		6.36	3.18	50
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	92	12960	11.92	5.96	92
			कुल		**92**		**11.92**	**5.96**	**92.00**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	348 घंटे	150	12667	19.00	9.50	150
			कुल		**150**		**19.00**	**9.50**	**150**
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)							
			फिल्ड टेक्नीशियन – कम्प्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स (एफटीसीपी)	400 घंटे	50	13770	6.89	3.44	50
			कुल		**50**		**6.89**	**3.44**	**50**
		टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर	300 घंटे	100	10800	10.80	5.40	100
			कुल		**100**		**10.80**	**5.40**	**100**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	120	14140	16.97	8.48	120
			कुल		**120**		**16.97**	**8.48**	**120**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपी	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			उप योग		**50**		**5.264**	**2.63**	**50**
		सिक्योरिटी सेक्टर स्किल काउन्सिल	अनआर्मड सिक्योरिटी गार्ड	200 घंटे/2 माह	50	7260	3.63	1.81	50
			कुल		**50**		**3.63**	**1.81**	**50**
		सी.एस.आइ.आर–खुर्जा	हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे	35	6710	2.35	1.17	35
			हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे/ 48 घंटे	150	6666	10.00	5.00	150
			कुल		**185**		**12.34**	**6.17**	**185**
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग(एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह/480 घंटे	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
			कुल योग		**1162**		**154.48**	**85.43**	**1162**
9	हिमाचल प्रदेश	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट – पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम,	3 माह	160	20352	32.56	24.44	160
			कुल		**160**		**32.56**	**24.44**	**160.0**
		पावर सेक्टर स्किल काउन्सिल	इलेक्ट्रीकल डोमेस्टिक सोल्यूशन	3 माह	50	14823	7.41	3.76	50
			कुल		**50**		**7.41**	**3.7**	**50**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)	Field Technician – Networking and Storage	400 Hrs	150	16200	24.30	12.15	150
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	80	38952	31.16	15.58	80
					80		31.16	15.58	80
			Grand Total		**440**		**95.44**	**55.88**	**440**
10	Jammu & Kashmir								
		Jammu & Kashmir Women	Jute Accessories	3 Months	200	3000	5.40	2.70	
			Gujjar Topi						
			Artificial Flower						
			Cushion Making						
			Knitting						
			Block Printing						
			Total		**200**		**5.4**	**2.7**	**200**
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	100	12960	12.96	6.48	100
			Total		**100**		**12.96**	**6.48**	**100**
		Indian Institute of Carpet Technology	Carpet Weaving	6 Months/600 Hrs	100	14920	14.92	7.46	100
					100		14.92	7.46	100
		Textile Sector Skill Council	Ring Frame Tenter	340	10	14399	1.44	0.72	10
			Auto Coner Tenter	340	14	14399	2.02	1.01	14
			Total		**24**		**3.46**	**1.73**	**24**
			Grand Total		**424**		**36.76**	**18.37**	**424**
11	Jharkhand	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM & Machine Operator Assistant-BM	3 Months	40	20352	8.14	4.07	40
			Total		**40**	**0**	**8.14**	**4.07**	**40**
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
								0	
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	60	14140	8.48	4.24	60
					60		8.48	4.24	60
			Re-Skilling/Upgradation						
			Tyre Fitter	80 Hrs	100	5618	5.62	2.81	100
					160		14.10	7.05	160
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)	Mobile Phone Hardware RepairTechnician	400 Hrs	60	16200	9.72	4.86	60
			Field Technician - Air conditioner	390 Hrs	60	15795	9.48	4.74	60
			Total		120		19.20	9.60	120
		Furniture & Fitting Skill Council	Reskilling/Upgradation						
			Carpenter- Wooden Furniture	5 Days	200	3000	6.00	3.00	200
			Total		200		6.00	3.00	200

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)	फील्ड टेक्नीशियन–नेटवर्क्रिंग एण्ड स्टोरेज	400 घंटे	150	16200	24.30	12.15	150
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग (एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह / 480 घंटे	80	38952	31.16	15.58	80
					80		31.16	15.58	80
			कुल योग		**440**		**95.44**	**55.88**	**440**
10	जम्मू एण्ड								
	कश्मीर	जम्मू एण्ड कश्मीर वीमन	जूट एसोसिरीज	3 माह	200	3000	5.40	2.70	
			गुज्जर टोपी						
			आर्टीफिशियल फ्लावर						
			कुशन मेकिंग						
			नाइटिंग						
			ब्लॉक प्रिंटिंग						
			कुल		**200**		**5.4**	**2.7**	**200**
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	100	12960	12.96	6.48	100
			कुल		**100**		**12.96**	**6.48**	**100**
		इंडियन इन्सस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नॉलाजी	कारपेट वीविंग	6 माह/600 घंटे	100	14920	14.92	7.46	100
					100		14.92	7.46	100
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल	रिंग फ्रेम टेंटर	340	10	14399	1.44	0.72	10
			रिंग फ्रेम टेंटर	340	14	14399	2.02	1.01	14
			कुल		**24**		**3.46**	**1.73**	**24**
			कुल योग		**424**		**36.76**	**18.37**	**424**
11	झारखण्ड	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम,	3 माह	40	20352	8.14	4.07	40
			कुल		**40**	**0**	**8.14**	**4.07**	**40**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
								0	
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	60	14140	8.48	4.24	60
					60		8.48	4.24	60
			रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			टायर फिटर	80 घंटे	100	5618	5.62	2.81	100
					160		14.10	7.05	160
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)	मेबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन	400 घंटे	60	16200	9.72	4.86	60
			फिल्ड टेक्नीशियन –एयर कंडीशनर	390 घंटे	60	15795	9.48	4.74	60
			कुल		**120**		**19.20**	**9.60**	**120**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	5 दिन	200	3000	6.00	3.00	200
			कुल		**200**		**6.00**	**3.00**	**200**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
		Indian Plumbing Skills Council	Plumber General	3Months/ 320 Hrs.	30	12960	3.89	1.94	30
			Total		**30**		**3.83**	**1.94**	**30**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing (CSR)							
			Upskilling						
			Self Employed Tailor	5 Days	50	6700	3.35	0.84	50
			Sub Total		50		3.35	0.84	50
		Beauty &Wellness Sector Skill Council							
			Assistant Hair Staylist	340 Hrs	50	12342	6.17	3.09	50
			Total		50		6.17	3.09	50
			Re-Skilling/Upgradation						
			Assistant Hair Staylist	20 Hrs	60	3000	1.80	0.90	60
			Total		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
			Sub Total		110		7.97	3.99	110
		Handicraft & Carpet Sector Skill Council	Bamboo Utility Handicraft Assembler	270 Hrs.	200	9801	19.60	9.80	200
				Total	200		19.60	9.80	200
			Sub Total		**935**		**84.97**	**41.65**	**935**
12	Karnataka	Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General Assistant Level-2	320 Hrs	59	12960	7.65	3.82	59
			Total		59		7.65	3.82	59
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Sampling Coordinator	4Months/ 360 Hrs	25	14544	3.64	1.82	25
			Total		**50**		**6.36**	**3.18**	**50**
		Media and Entertainment and Skill Council	Hairdresser	280 Hrs	75	9702	7.28	3.64	75
			Makeup Artist	280 Hrs	75	9702	7.28	3.64	75
			Sub Total		**150**		**14.55**	**7.28**	**150**
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	80	38952	31.16	15.58	80
					80		31.16	15.58	80
			Grand Total		**339**		**59.72**	**29.86**	**339**
13	Kerala	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP & Machine Operator Assistant IM	3 Months	80	20352	16.28	15.46	80
			Total		**80**		**16.28**	**15.46**	**80**
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		Media and Entertainment and Skill Council	Rotoartist	280 Hrs	100	9702	9.70	4.85	100
				Sub Total	100	0	9.70	4.85	100
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	60	14140	8.48	4.24	60
			UP-Skilling						
			Latex Harvest Technician	80hrs.	200	5618	11.24	5.62	200
			Sub Total		**260**		**19.72**	**9.86**	**260**
		CSIR-Khurja	High Valued Terracotta Pottery	220 Hr/45 Days	150	6666	10.00	5.00	150
			Grand Total		**615**		**58.43**	**36.53**	**615**

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल	3 माह / 320 घंटे	30	12960	3.89	1.94	30
			कुल		**30**		**3.83**	**1.94**	**30**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)							
			अपस्किलिंग						
			सेल्फ इम्पलोइड टेलर	5 दिन	50	6700	3.35	0.84	50
			कुल योग		**50**		**3.35**	**0.84**	**50**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			असिस्टेंट हेयर स्टॉयलिस्ट	340 घंटे	50	12342	6.17	3.09	50
			कुल		**50**		**6.17**	**3.09**	**50**
			रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			असिस्टेंट हेयर स्टॉयलिस्ट	20 घंटे	60	3000	1.80	0.90	60
			कुल		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
			कुल योग		**110**		**7.97**	**3.99**	**110**
		हैंडीक्राफ्ट एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउन्सिल	बम्बू यूटीलिटी हैण्डीक्राफ्ट असेंम्बलर	270 घंटे	200	9801	19.60	9.80	200
				कुल	**200**		**19.60**	**9.80**	**200**
			उप योग		**935**		**84.97**	**41.65**	**935**
12	कर्नाटक	इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेबल–2	320 घंटे	59	12960	7.65	3.82	59
			कुल		**59**		**7.65**	**3.82**	**59**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			सैम्पलिंग कॉ–आर्डीनेअर	4 माह/ 360 घंटे	25	14544	3.64	1.82	25
			कुल		**50**		**6.36**	**3.18**	**50**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	हेयरड्रेसर	280 घंटे	75	9702	7.28	3.64	75
			मैकअप आर्टीस्ट	280 घंटे	75	9702	7.28	3.64	75
			उप योग		**150**		**14.55**	**7.28**	**150**
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग (एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्रयूशन (एमओए–पीई)	3 माह / 480 घंटे	80	38952	31.16	15.58	80
					80		31.16	15.58	80
			कुल योग		**339**		**59.72**	**29.86**	**339**
13	केरल	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट – आईएम,	3 माह	80	20352	16.28	15.46	80
			कुल		**80**		**16.28**	**15.46**	**80**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	रोटोआर्टिस्ट	280 घंटे	100	9702	9.70	4.85	100
				उप योग	**100**	**0**	**9.70**	**4.85**	**100**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	60	14140	8.48	4.24	60
			अप–स्किलिंग						
			लेटेक्स हार्वेस्ट टेक्नीशियन	80 घंटे	200	5618	11.24	5.62	200
			उप योग		**260**		**19.72**	**9.86**	**260**
		सी.एस.आइ.आर–खुर्जा	हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे/45 दिन	150	6666	10.00	5.00	150
			कुल योग		**615**		**58.43**	**36.53**	**615**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
14	Madhya Pradesh	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-BM & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	120	20352	24.42	24.42	120
			Total		120		24.42	24.42	120
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	300	13736	41.21	20.60	300
			Total		300		41.21	20.60	300
			Reskilling/Upgradation						
			Self Employed Tailor (SET)	5 Days	600	3000	18.00	9.00	600
			Total		600		18.00	9.00	600
			Sub Total		900		59.21	29.60	900
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	340	12667	43.07	21.53	340
			Total		340		43.07	21.53	340
			Carpenter- Wooden Furniture	5 days	150	3000	4.50	2.25	150
					150		4.5	2.25	150
			Sub Total		490		47.57	23.78	490
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General	320 Hrs	174	12960	22.55	11.27	174
			Total		174		22.55	11.28	174
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		25		2.73	1.36	25
		Media and Entertainment and Skill Council	Rotoartist	280 Hrs	100	9702	9.70	4.85	100
				Total	100		9.70	4.85	100
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)	Field Technician – Networking and Storage	400 Hrs	100	16200	16.20	8.10	100
			Field Technician Computer &Pheriphels	340 Hrs	100	13770	13.77	6.89	100
			Total		200		29.97	14.99	200
		Domestic Worker Sector Skill Council	Housekeeper cum Cook,	290 hrs / 3 months	350	11600	40.60	20.30	350
			Up-Skilling						
			Housekeeper cum Cook,	32hrs	150	3600	5.40	2.70	150
				Sub Total	500		46.00	23.00	500
		Beauty &Wellness Sector Skill Council	Assistant Beauty Therapist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Total		50		5.26	2.63	50
			Re-Skilling/Upgradation						
			Assistant Hair Staylist	20 Hrs	80	3000	2.40	1.20	80
			Total		80		2.40	1.20	80
			Sub Total		130		7.66	3.83	130
		Textile Sector Skill Council	Two Shaft handloom Weaver	340	50	14399	7.20	3.60	50
			Warper	340	46	14399	6.62	3.31	46
			Hank Dyer	340	50	14399	7.20	3.60	50
			Total		146		21.02	10.51	146
			Two Shaft handloom Weaver	80Hrs.	50	58780	2.94	1.47	50
			Total		50		2.94	1.47	50
			Sub Total		196		23.96	11.98	196
		Handicraft & Carpet Sector Skill Council	Bamboo Utility Handicraft Assembler	270 Hrs.	100	9801	9.80	4.90	100
			Total		100	0	9.80	4.90	100

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
14	मध्य प्रदेश	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	120	20352	24.42	24.42	120
			कुल		**120**		**24.42**	**24.42**	**120**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	300	13736	41.21	20.60	300
			कुल		**300**		**41.21**	**20.60**	**300**
			रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	5 दिन	600	3000	18.00	9.00	600
			कुल		**600**		**18.00**	**9.00**	**600**
			उप योग		**900**		**59.21**	**29.60**	**900**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	348 घंटे	340	12667	43.07	21.53	340
			कुल		**340**		**43.07**	**21.53**	**340**
			कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	5 दिन	150	3000	4.50	2.25	150
					150		4.5	2.25	150
			कुल योग		490		47.57	23.78	490
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल	320 घंटे	174	12960	22.55	11.27	174
			कुल		174		22.55	11.28	174
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	रोटोआर्टिस्ट	280 घंटे	100	9702	9.70	4.85	100
				कुल	**100**		**9.70**	**4.85**	**100**
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)	फिल्ड टेक्नीशियन – नेटवर्क्रिंग एण्ड स्टोरेज	400 घंटे	100	16200	16.20	8.10	100
			फिल्ड टेक्नीशियन कम्प्यूटंर एण्ड पेरीफेरल्स	340 घंटे	100	13770	13.77	6.89	100
			कुल		**200**		**29.97**	**14.99**	**200**
		डोमेस्टिक वक्रर सेक्टर स्किल काउन्सिल	हाउसकीपर कम कुक	290 घंटे/ 3 माह	350	11600	40.60	20.30	350
			अप–स्किलिंग						
			हाउसकीपर कम कुक	32घंटे	150	3600	5.40	2.70	150
				उप योग	**500**		**46.00**	**23.00**	**500**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपी	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			कुल		**50**		**5.26**	**2.63**	**50**
			रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			असिस्टेंट हेयर स्टॉयलिस्ट	20 घंटे	80	3000	2.40	1.20	80
			कुल		**80**		**2.40**	**1.20**	**80**
			उप योग		**130**		**7.66**	**3.83**	**130**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल	टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	340	50	14399	7.20	3.60	50
			वारपर	340	46	14399	6.62	3.31	46
			हैंक डायर	340	50	14399	7.20	3.60	50
			कुल		**146**		**21.02**	**10.51**	**146**
			टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	80 घंटे	50	58780	2.94	1.47	50
			कुल		**50**		**2.94**	**1.47**	**50**
			उप योग		**196**		**23.96**	**11.98**	**196**
		हैंडीक्राफ्ट एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउन्सिल	बैम्बू यूटीलिटी हैण्डीक्राफ्ट असेम्बलर	270 घंटे	100	9801	9.80	4.90	100
			कुल		**100**	**0**	**9.80**	**4.90**	**100**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
			Grand Total		2975		299.16	161.79	2975
15	Maharashtra	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-BM & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	200	20352	40.70	40.70	200
			Total		200		40.70	40.70	200
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		25		2.73	1.36	25
		Media and Entertainment and Skill Council	Hair Dresser	280 Hrs	50	9702	4.85	2.43	50
			Makeup Artist	280 Hrs	50	9702	4.85	2.43	50
			Total		100		9.70	4.85	100
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)	Field Technician - Air conditioner	390 Hrs	40	15795	6.32	3.15	40
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	36	12667	4.56	2.28	36
			Total		36		4.56	2.28	36
		Beauty &Wellness Sector Skill Council	Assistant Beauty Therapist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Total		50		5.26	2.63	50
			Grand Total		451		69.28	54.99	451
16	Manipur	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-IM & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	80	20352	16.28	16.28	80
			Total		80		16.28	16.28	80
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Sampling Coordinator	4Months/ 360 Hrs	25	14544	3.64	1.82	25
			Total		50		6.36	3.18	50
		Textile Sector Skill Council (RPL)	Two Shaft handloom Weaver	80Hrs.	100	5880	5.88	2.94	100
			Total		100		5.88	2.94	100
			Grand Total		230		28.52	22.40	230

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग(एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह / 480 घंटे	40	38952	15.58	7.79	40
					40		15.58	7.79	40
			कुल योग		**2975**		**299.16**	**161.79**	**2975**
15	महाराष्ट्र	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	200	20352	40.70	40.70	200
			कुल		**200**		**40.70**	**40.70**	**200**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	हेयर ड्रेसर	280 घंटे	50	9702	4.85	2.43	50
			मैकअप आर्टीस्ट	280 घंटे	50	9702	4.85	2.43	50
			कुल		**100**		**9.70**	**4.85**	**100**
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)	फिल्ड टेक्नीशियन –एयर कंडीशनर	390 घंटे	40	15795	6.32	3.15	40
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	348 घंटे	36	12667	4.56	2.28	36
			कुल		**36**		**4.56**	**2.28**	**36**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			कुल		**50**		**5.26**	**2.63**	**50**
			कुल योग		**451**		**69.28**	**54.99**	**451**
16	मणिपुर	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	80	20352	16.28	16.28	80
			कुल		**80**		**16.28**	**16.28**	**80**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			सैम्पलिंग को–आर्डीनेअर	4 माह/360 घंटे	25	14544	3.64	1.82	25
			कुल		**50**		**6.36**	**3.18**	**50**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल (आरपीएल)	टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	80 घंटे	100	5880	5.88	2.94	100
			कुल		**100**		**5.88**	**2.94**	**100**
			कुल योग		**230**		**28.52**	**22.40**	**230**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
17	Odisha	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-PR, Machine Operator Assistant-PP & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	290	20352	59.02	37.46	290
			Total		290		59.02	37.46	290
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		25		2.73	1.364	25
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	170	12667	21.53	10.77	170
			Total		170		21.53	10.77	170
			Carpenter- Wooden Furniture	5 Days	190	3000	5.70	2.85	190
			Total		190		5.70	2.85	190
			Sub Total		360		27.23	13.62	360
		CIPET, Chennai (CSR) CWC	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM)	4 Months/ 640 Hrs.	80	48000	38.40	19.20	80
					80	0	38.40	19.20	80
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	80	38952	31.16	15.58	80
					80		31.16	15.58	80
		Skill Council For Green Jobs	Solar PV Installer Suryamitra	300 Hrs.	28	12705	3.56	1.78	28
			Total		28	12705	3.55	1.78	28
			Grand Total		863		162.10	89.00	863
18	Punjab	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	80	20352	16.28	8.14	79
			Total		80		16.28	8.14	79
		Telecom Sector Skill Council							
			Handset Repair Engineer	200 Hrs.	100	10800	10.80	5.40	100
			Total		100		10.80	5.40	100
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General	320 Hrs	98	12960	12.70	6.35	98
			Total		98		12.70	6.35	98
		Media and Entertainment and Skill Council	Makeup Artist	280 Hrs	50	9702	4.85	2.43	50
			Total		50		4.85	2.43	50
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	60	14140	8.48	4.24	60
			Total		60		8.48	4.24	60
		Security Sector Skill Council	Unarmed Security Guard	200 Hrs/2 Months	50	7260	3.63	1.82	50
			Total		50		3.63	1.82	50
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	100	13736	13.74	6.87	100
			Total		100		13.74	6.87	100
			Grand Total		538		70.48	35.24	537

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	संवितरण राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
17	ओडीसा	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट – आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट– पीआर, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	290	20352	59.02	37.46	290
			कुल		**290**		**59.02**	**37.46**	**290**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.364**	**25**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	348 घंटे	170	12667	21.53	10.77	170
			कुल		**170**		**21.53**	**10.77**	**170**
			कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	5 दिन	190	3000	5.70	2.85	190
			कुल		**190**		**5.70**	**2.85**	**190**
			उप योग		**360**		**27.23**	**13.62**	**360**
		सीपेट, चेन्नई (सीएसआर) सीडब्ल्यूसी	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम),	4 माह/640 घंटे	80	48000	38.40	19.20	80
					80	0	38.40	19.20	80
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग (एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह / 480 घंटे	80	38952	31.16	15.58	80
					80		31.16	15.58	80
		स्किल काउन्सिल फार ग्रीन जॉब्स	सोलर पीवी इंस्टालर सूर्यमित्रा	300 घंटे	28	12705	3.56	1.78	28
			कुल		**28**	**12705**	**3.55**	**1.78**	**28**
			कुल योग		**863**		**162.10**	**89.00**	**863**
18	पंजाब	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –पीपी, एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई	3 माह	80	20352	16.28	8.14	79
			कुल		**80**		**16.28**	**8.14**	**79**
		टेलीकाम सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			हैंडसैट रिपेयरर इंजीनियर	200 घंटे	100	10800	10.80	5.40	100
			कुल		**100**		**10.80**	**5.40**	**100**
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल	320 घंटे	98	12960	12.70	6.35	98
			कुल		**98**		**12.70**	**6.35**	**98**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	मैकअप आर्टीस्ट	280 घंटे	50	9702	4.85	2.43	50
			कुल		**50**		**4.85**	**2.43**	**50**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	60	14140	8.48	4.24	60
			कुल		**60**		**8.48**	**4.24**	**60**
		सिक्योरिटी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	अनआर्मड सिक्योरिटी गार्ड	200 घंटे 2 माह	50	7260	3.63	1.82	50
			कुल		**50**		**3.63**	**1.82**	**50**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	100	13736	13.74	6.87	100
			कुल		**100**		**13.74**	**6.87**	**100**
			कुल योग		**538**		**70.48**	**35.24**	**537**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
19	Rajasthan								
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	320	13736	43.96	21.98	320
			Total		320		43.96	21.98	320
			Reskilling/Upgradation						
			Self Employed Tailor (SET)	5 Days	1000	3000	30.00	15.00	1000
			Total		1000		30.00	15.00	1000
		Telecom Sector Skill Council							
			Handset Repair Engineer	300 Hrs	100	10800	10.80	5.40	100
			Total		100		10.80	5.40	100
		Textile Sector Skill Council	Two Shaft handloom Weaver	340	90	14399	12.96	6.48	90
			Ring Frame Doffer	340	80	14399	11.52	5.76	80
			Hank Dyer	340	80	14399	11.52	5.76	80
			Total		250		36.00	18.00	250
			Up-Skilling						
			Hank Dyer	80Hrs.	50	5880	2.94	1.47	50
			Two Shaft handloom Weaver	80Hrs.	50	5880	2.94	1.47	50
			Total		100		5.88	2.94	100
			Sub Total		350		41.88	20.94	350
		Power Sector Skill Council	Electrical Domestic Solution	3 Months	50	14823	7.41	3.76	50
	`		Total		50	0	7.41	3.76	50
		Skill Council For Green Jobs	Solar PV Installer Suryamitra	300 Hrs.	90	12705	11.43	5.72	90
			Total		90	12705	11.44	5.72	90
			Grand Total		1910		145.00	73.00	1910
20	Sikkim								
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		25		2.73	1.36	25
			Grand Total		25		2.73	1.36	25
21	Tamil Nadu								
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		25		2.73	1.36	25
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	60	14140	8.48	4.24	60
			upskilling						
			Latex Harvest Tech.	80 Hrs.	200	5618	11.24	5.62	200
			Total		260		19.72	9.86	260
		Textile Sector Skill Council							
			Ring Frame Doffer	340	50	14399	7.20	3.60	50
			Ring Frame Tenter	340	50	14399	7.20	3.60	50
			Autoconer Tenter	340	50	14399	7.20	3.60	50
			Total		150		21.60	10.80	150
		Skill Council For Green Jobs	Solar PV Installer Suryamitra	300 Hrs.	90	12705	11.43	5.72	90
			Total		90		11.44	5.72	90
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General	320 Hrs	120	12960	15.55	7.78	120
			Total		120		15.55	7.78	120
			Grand Total		645		71.03	35.52	645
22	Telangana	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-BM & Machine Operator Assistant-PE	3 Months	80	20352	16.28	8.14	80
			Total		80		16.28	8.14	80
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General	320 Hrs	120	12960	15.55	7.78	120

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
19	राजस्थान								
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	320	13736	43.96	21.98	320
			कुल		**320**		**43.96**	**21.98**	**320**
			रि–रिस्किलिंग/अपग्रेडेशन						
			सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	5 दिन	1000	3000	30.00	15.00	1000
			कुल		**1000**		**30.00**	**15.00**	**1000**
		टेलीकाम सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			हैंडसैट रिपेयर इंजीनियर	300 घंटे	100	10800	10.80	5.40	100
			कुल		**100**		**10.80**	**5.40**	**100**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल	टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	340	90	14399	12.96	6.48	90
			रिंग फ्रेम डॉफ्फर	340	80	14399	11.52	5.76	80
			हैंक ड्रायर	340	80	14399	11.52	5.76	80
			कुल		**250**		**36.00**	**18.00**	**250**
			अप–स्किलिंग						
			हैंक ड्रायर	80 घंटे	50	5880	2.94	1.47	50
			टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	80 घंटे	50	5880	2.94	1.47	50
			कुल		**100**		**5.88**	**2.94**	**100**
			कुल योग		**350**		**41.88**	**20.94**	**350**
		पावर सेक्टर स्किल काउन्सिल	इलेक्ट्रीकल डोमेस्टिक सॉल्यूशन	3 माह	50	14823	7.41	3.76	50
			कुल		**50**	**0**	**7.41**	**3.76**	**50**
		स्किल काउन्सिल फार ग्रीन जॉब्स	सोलर पी वी इंसटालर सूर्यमित्रा	300 घंटे	90	12705	11.43	5.72	90
			कुल		**90**	**12705**	**11.44**	**5.72**	**90**
			उप योग		**1910**		**145.00**	**73.00**	**1910**
20	सिक्किम								
		अपैरल ट्रेनिग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
			कुल योग		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
21	तमिलनाडु								
		अपैरल ट्रेनिग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	60	14140	8.48	4.24	60
			अप–स्किलिंग						
			लेटेक्स हरवैस्ट टेक्नीशियन	80 घंटे	200	5618	11.24	5.62	200
			कुल		**260**		**19.72**	**9.86**	**260**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			रिंग फ्रेम डाफपर	340	50	14399	7.20	3.60	50
			रिंग फ्रेम टेंटर	340	50	14399	7.20	3.60	50
			आटोकॉर्नर टेंटर	340	50	14399	7.20	3.60	50
			कुल		**150**		**21.60**	**10.80**	**150**
		स्किल काउन्सिल फार ग्रीन जॉब्स	सैम्पलिंग को–आर्डीनेटर	300 घंटे	90	12705	11.43	5.72	90
			कुल		**90**		**11.44**	**5.72**	**90**
		इण्डियन प्लम्बिग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिग जनरल	320 घंटे	120	12960	15.55	7.78	120
			कुल		**120**		**15.55**	**7.78**	**120**
			कुल योग		**645**		**71.03**	**35.52**	**645**
22	तेलंगाना	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट – पीई	3 माह	80	20352	16.28	8.14	80
			कुल		**80**		**16.28**	**8.14**	**80**
		इण्डियन प्लम्बिग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिग जनरल	320 घंटे	120	12960	15.55	7.78	120

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
			Total		120		15.55	7.78	120
		Beauty &Wellness Sector Skill Council	Assistant Beauty Therapist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Total		50		5.26	2.63	50
		Media and Entertainment and Skill Council	Rotoartist	280 Hrs	100	9702	9.70	4.85	100
			Total		100		9.70	4.851	100
			Grand Total		350		46.80	23.40	350
23	Tripura	Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	500	13736	68.68	34.34	500
			Total		500		68.68	34.34	500
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing (CSR)	Garment Construction Techenique (GCT)	4 Months 410 Hrs	200	15785	43.57	10.89	200
			Up-Skilling						
			Self Employed Tailor	5 Days	250	6700	16.75	4.19	250
				Total	450		60.32	15.08	450
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	60	14140	8.48	4.24	60
			UP-Skilling						
			Rubber Nursery General Worker	80hrs.	100	5618	5.62	2.81	100
			Latex Harvest Technician	80hrs.	200	5618	11.24	5.62	200
			Total		360		25.34	12.67	360
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	40	38952	15.58	7.78	40
					40	0	15.58	7.80	40
		CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM & Machine Operator Assistant-BM	3 Months	80	20352	16.28	8.14	80
			Total		**80**		**16.28**	**8.14**	**80**
		Indian Institute of Entreprenurshp (IIE), Guwahati							
			Bamboo Basket Maker (Category-II)	240 Hrs/30 Days	150	9583	14.37	7.19	150
			Bamboo Mat Weaver (Category-II)	150 Hrs/48 Days	150	5989	8.98	4.49	150
					300		**23.36**	**11.68**	**300**
			Grand Total		**1730**		**209.56**	**89.70**	**1730**

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
			कुल		**120**		**15.55**	**7.78**	**120**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपी	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			कुल		**50**		**5.26**	**2.63**	**50**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	रोटोआर्टिस्ट	280 घंटे	100	9702	9.70	4.85	100
			कुल		**100**		**9.70**	**4.851**	**100**
			कुल योग		**350**		**46.80**	**23.40**	**350**
23	त्रिपुरा	अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	500	13736	68.68	34.34	500
			कुल		**500**		**68.68**	**34.34**	**500**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग (सीएसआर)	गारमेंट कंस्ट्रक्सन टेक्नीक (जीसीटी)	4 माह 410 घंटे	200	15785	43.57	10.89	200
			अप–स्किलिंग						
			सेल्फ इम्पलोइड टेलर	5 घंटे	250	6700	16.75	4.19	250
				कुल	450		60.32	15.08	450
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	60	14140	8.48	4.24	60
			अप–स्किलिंग						
			रबर नर्सरी जनरल वक्रर	80 घंटे	100	5618	5.62	2.81	100
			लेटेक्स हावैस्ट टेक्नीशियन	80 घंटे	200	5618	11.24	5.62	200
			कुल		**360**		**25.34**	**12.67**	**360**
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग(एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह/480 घंटे	40	38952	15.58	7.78	40
					40	0	15.58	7.80	40
		सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम एव मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम,	3 माह	80	20352	16.28	8.14	80
			कुल		**80**		**16.28**	**8.14**	**80**
		इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरप्रिन्योरशिप (आईआईई), गुवाहटी							
			बैम्बू बास्केट मेकर (कैटेगरी – I)	240 घंटे/30 दिन	150	9583	14.37	7.19	150
			बैम्बू मैट वीवर (कैटेगरी – I)	150 घंटे/48 दिन	150	5989	8.98	4.49	150
					300		23.36	11.68	300
			कुल योग		**1730**		**209.56**	**89.70**	**1730**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
24	Uttar Pradesh	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-PE & Machine Operator Assistant-BM	3 Months	160	20352	32.56	16.282	160
			Total		160		32.56	16.28	160
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		25		2.73	1.36	25
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General	320 Hrs	86	12960	11.15	5.57	86
			Total		86		11.15	5.57	86
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	300	12667	38.00	19.00	300
			Total		300		38.00	19.00	300
			Carpenter- Wooden Furniture	5 Days	60	3000	1.80	0.90	60
			Total		60		1.80	0.90	60
			Sub Total		360		39.80	19.90	360
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)	Solar Panel Installation Technician	440 Hrs	55	17820	9.80	4.90	55
			Mobile Phone Handset Hardware Repair Technician (MPHHRT)	400 Hrs	60	16200	9.72	4.86	60
			Total		115		19.52	9.76	115
		Media and Entertainment and Skill Council	Rotoartist	280 Hrs	75	9702	7.28	3.64	75
			Makeup Artist	280 Hrs	125	9702	12.13	6.06	125
			Total		200		19.40	9.70	200
		Domestic Worker Sector Skill Council							
			Up-Skilling						
			Housekeeper cum Cook,	32hrs	100	3600	3.60	1.80	100
			Sub Total		100		3.60	1.80	100
		Beauty &Wellness Sector Skill Council							
			Pedicurist & Manicurist	290 Hrs	100	10527	10.53	5.26	100
			Total		100		10.53	5.26	100
			Up-skilling						
			Assistant Beauty Therapist	20 Hrs	50	3000	1.50	0.75	50
			Total		50		1.50	0.75	50
			Sub Total		150		12.03	6.01	150
		Textile Sector Skill Council	Two Shaft handloom Weaver	340	90	14399	12.96	6.48	90
			Total		90		12.96	6.48	90
			Up-skilling						
			Two Shaft handloom Weaver	80Hrs.	250	58780	14.70	7.35	250
			Total		250		14.70	7.35	250
			Sub Total		340		27.66	13.83	340
		Power Sector Skill Council	Consumer Energy Meter Technician	3 Months	400	14823	59.29	29.65	400
			Total		400	0	59.29	29.65	400
		Handicraft & Carpet Sector Skill Council	Engraving Artisan	320 Hrs.	200	11616	23.23	11.62	200
			Total		200	0	23.23	11.62	200
		CSIR-Khurja	High Valued Terracotta Pottery	220 Hrs	35	6710	2.35	1.174	35
			High Valued Terracotta Pottery	220 Hr/45 Days	150	6666	10.00	5.00	150
			Total		185	13376	12.35	6.174	185

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	संवितरण राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
24	उत्तर प्रदेश	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट – पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट – आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम,	3 माह	160	20352	32.56	16.282	160
			कुल		**160**		**32.56**	**16.28**	**160**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल	320 घंटे	86	12960	11.15	5.57	86
			कुल		**86**		**11.15**	**5.57**	**86**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	348 घंटे	300	12667	38.00	19.00	300
			कुल		**300**		**38.00**	**19.00**	**300**
			कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	5 दिन	60	3000	1.80	0.90	60
			कुल		**60**		**1.80**	**0.90**	**60**
			उप योग		**360**		**39.80**	**19.90**	**360**
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)	सोलर पैनल इंस्टालेनशन टेक्नीशियन	440 घंटे	55	17820	9.80	4.90	55
			मेबाइल फोन हैंडसैट हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन (एमपीएचएचआरटी)	400 घंटे	60	16200	9.72	4.86	60
			कुल		**115**		**19.52**	**9.76**	**115**
		मीडिया एण्ड इन्टरटैंमेंट एण्ड स्किल काउन्सिल	रोटोआर्टिस्ट	280 घंटे	75	9702	7.28	3.64	75
			मैकअप आर्टीस्ट	280 घंटे	125	9702	12.13	6.06	125
			कुल		**200**		**19.40**	**9.70**	**200**
		डॉमेस्टिक वक्रर सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			अप–स्किलिंग						
			हाउसकीपर कम कुक	32घंटे	100	3600	3.60	1.80	100
			कुल योग		**100**		**3.60**	**1.80**	**100**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल							
			पेडिक्यूरिस्ट एण्ड मैनीक्यूरिस्ट	290 घंटे	100	10527	10.53	5.26	100
			कुल		**100**		**10.53**	**5.26**	**100**
			अप–स्किलिंग						
			असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपी	20 घंटे	50	3000	1.50	0.75	50
			कुल		**50**		**1.50**	**0.75**	**50**
			उप योग		**150**		**12.03**	**6.01**	**150**
		टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल	टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	340	90	14399	12.96	6.48	90
			कुल		**90**		**12.96**	**6.48**	**90**
			अप–स्किलिंग						
			टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर	80 घंटे	250	58780	14.70	7.35	250
			कुल		**250**		**14.70**	**7.35**	**250**
			कुल योग		**340**		**27.66**	**13.83**	**340**
		पावर सेक्टर स्किल काउन्सिल	कंजूमर एनर्जी मिटर टेक्नीशियन	3 माह	400	14823	59.29	29.65	400
			कुल		400	0	59.29	29.65	400
		हैंडीक्राफ्ट एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउन्सिल	एनग्रेविंग आर्टीजन	320 घंटे	200	11616	23.23	11.62	200
			कुल		**200**	**0**	**23.23**	**11.62**	**200**
		सी.एस.आइ.आर–खुर्जा	हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे	35	6710	2.35	1.174	35
			हाई वैल्यू टेराकोटा पोट्री	220 घंटे/45 दिन	150	6666	10.00	5.00	150
			कुल		**185**	**13376**	**12.35**	**6.174**	**185**

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	385	13736	52.88	26.44	385
			Total		385		**52.88**	**26.44**	**385**
			Self Employed Tailor (SET)	5 Days	66	3000	1.98	0.99	66
			Total		**66**		**1.98**	**0.99**	**66**
			Sub Total		**451**		**54.86**	**27.43**	**451**
		CIPET, Chennai (Residential skill development programme)	Machine Operator Assistant-Plastics Processing (MOA-PP), Machine operator Assistant-Injection Molding (MOA-IM), Machine Operator Assistant- Blow Molding (MOA-BM), Machine operator Assistant- Plastic Extusion (MOA-PE)	3 Months / 480 hrs	80	38952	31.16	15.58	80
					80		**31.16**	**15.58**	**80**
			Grand Total		**2852**		**349.00**	**175.00**	**2852**
25	West Bengal	CIPET, Chennai	Machine Operator Assistant-PP, Machine Operator Assistant-IM, Machine Operator Assistant-PE & Machine Operator Assistant-BM	3 Months	200	20352	40.70	20.35	200
			Total		**200**		**40.70**	**20.35**	**200**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing	Self Employed Tailor (SET)	340 Hrs	600	13736	82.42	41.21	600
			Total		**600**		**82.42**	**41.21**	**600**
		Furniture & Fitting Skill Council	Carpenter- Wooden Furniture	348 Hrs	104	12667	13.17	6.59	104
			Sub Total		**104**		**13.17**	**6.59**	**104**
		Apparel Training & Design Centre (ATDC)	Sewing Machine Operator	3 Months	25	10908	2.73	1.36	25
			Total		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		Indian Plumbing Skills Council	Plumbing General	320 Hrs	120	12960	15.55	7.78	120
			Total		**120**		**15.55**	**7.78**	**120**
		Domestic Worker Sector Skill Council	Housekeeper cum Cook,	290 hrs / 3 months	150	11600	17.40	8.70	150
			Total		**150**	**11600**	**17.40**	**8.70**	**150**
		Beauty &Wellness Sector Skill Council	Assistant Beauty Therapist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
			Pedicurist & Manicurist	290 Hrs	50	10527	5.26	2.63	50
					100		10.53	5.26	100
		Security Sector Skill Council	Unarmed Security Guard	200 Hrs/2 Months	100	7260	7.26	3.63	100
			Total		**100**		**7.26**	**3.63**	**100**
		Apparell Made-Ups & Home Furnishing (CSR)							
			Garment Construction Techenique (GCT)	4 Months 410 Hrs	50	15785	10.89	2.72	50
			Total		**50**		**10.89**	**2.72**	**50**
		Skill Council For Green Jobs	Solar PV Installer Suryamitra	300 Hrs.	92	12705	11.69	5.84	92
			Total		**92**	**12705**	**11.69**	**5.84**	**92**
		Power Sector Skill Council	Electrical Domestic Solutions	3 Months	400	14822.5	59.29	29.65	400
			Total		**400**	**14823**	**59.29**	**29.65**	**400**
		Electronics Sector Skill Council of India(ESSCI)	DTH Set Top Box Installation Tech.	340 Hrs	340	13770	46.82	23.41	340

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	385	13736	52.88	26.44	385
			कुल		**385**		**52.88**	**26.44**	**385**
			सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	5 दिन	66	3000	1.98	0.99	66
			कुल		**66**		**1.98**	**0.99**	**66**
			उप योग		**451**		**54.86**	**27.43**	**451**
		सीपेट, चेन्नई (रेजीडेन्सल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम)	मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (एमओए–पीपी), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– इंजेक्शन मोल्डिंग–(एमओए–आईएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट– ब्लो मोल्डिंग (एमओए–बीएम), मशीन आपरेटर असिस्टेंट –प्लास्टिक एक्सट्यूशन (एमओए–पीई)	3 माह / 480 घंटे	80	38952	31.16	15.58	80
					80		**31.16**	**15.58**	**80**
			कुल योग		**2852**		**349.00**	**175.00**	**2852**
25	पश्चिम बंगाल	सीपेट, चेन्नई	मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीपी, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–आईएम, मशीन आपरेटर असिस्टेंट–पीई एवं मशीन आपरेटर असिस्टेंट–बीएम	3 माह	200	20352	40.70	20.35	200
			कुल		**200**		**40.70**	**20.35**	**200**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग	सेल्फ इम्पलोइड टेलर (एसईटी)	340 घंटे	600	13736	82.42	41.21	600
			कुल		**600**		**82.42**	**41.21**	**600**
		फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	कारपेन्टर–वुडन फर्नीचर	348 घंटे	104	12667	13.17	6.59	104
			उप योग		**104**		**13.17**	**6.59**	**104**
		अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी)	सीविंग मशीन आपरेटर	3 माह	25	10908	2.73	1.36	25
			कुल		**25**		**2.73**	**1.36**	**25**
		इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	प्लम्बिंग जनरल	320 घंटे	120	12960	15.55	7.78	120
			कुल		**120**		**15.55**	**7.78**	**120**
		डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउन्सिल	हाउसकीपर कम कुक	290 घंटे / 3 माह	150	11600	17.40	8.70	150
			कुल		**150**	**11600**	**17.40**	**8.70**	**150**
		ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल काउन्सिल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
			पेडिक्यूरिस्ट एण्ड मैनीक्यूरिस्ट	290 घंटे	50	10527	5.26	2.63	50
					100		10.53	5.26	100
		सिक्योरिटी सेक्टर स्किल काउन्सिल	अनआर्मड सिक्योरिटी गार्ड	200 घंटे/ 2 माह	100	7260	7.26	3.63	100
			कुल		**100**		**7.26**	**3.63**	**100**
		अपैरल मेड अप्स एण्ड होम फर्नीलशग							
			गारमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नीक (जीसीटी)	4 माह 410 घंटे	50	15785	10.89	2.72	50
			कुल		**50**		**10.89**	**2.72**	**50**
		स्किल काउन्सिल फार ग्रीन जॉब्स	सोलर पीवी इन्स्टालर सूर्यमित्रा	300 घंटे	92	12705	11.69	5.84	92
			कुल		**92**	**12705**	**11.69**	**5.84**	**92**
		पावर सेक्टर स्किल काउन्सिल	इलेक्ट्रीकल डोमेस्टिक सॉल्यूशन	3 माह	400	14822.5	59.29	29.65	400
			कुल		**400**	**14823**	**59.29**	**29.65**	**400**
		इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (ईएसएससीआई)	डीटीएच सैट टॉप बाक्स इन्स्टालेशन टेक्नीशियन	340 घंटे	340	13770	46.82	23.41	340

Sl. NO	State	Name of the SCA/ INSTITUTIONS	Name of Trades	Duration	No. of Benef.	Course Fee Per participants (Rs.)	Amount Sanctioned (Rs.in Lakh)	Amount Disbursed (Rs.in Lakhs)	No. of Benf. Disb.
			Mobile Phone Handset Hardware Repair Technician (MPHHRT)	400 Hrs	90	16200	14.58	7.29	90
			Total		**430**		**61.40**	**30.70**	**430**
		Rubber Skill Development Council	Tyre Fitter	350hrs.	200	5618	11.24	5.62	200
		Centre for the Development of Glass Industry	Furnace Operator (HCS/ Q2101)		25	9801	2.45	1.23	25
			Decorative Painter (HCS/ Q2502)		40	10890	4.36	2.20	40
					65		6.81	3.403	65
			Sub Total		**2636**		**351.00**	**173.00**	**2636**
26	Uttarakhand	Electronics Sector Skill Council of India	Solar Panel Installation Technician	440 Hrs	25	17820	4.46	2.23	25
			Total		**25**		**4.46**	**2.23**	**25**
		Power Sector Skill Council	Consumer Energy Meter Technician	3 Months	100	14823	14.82	7.41	100
			Total		**100**	**0**	**14.82**	**7.41**	**100**
			Sub Total		**125**		**19.28**	**9.64**	**125**
			Total (1 to 26)		**23380**		**2874.73**	**1520.69**	**23361**

क्र.स.	राज्य	एस.सी.ए./संस्थान का नाम	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क (रू.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)	संवितरण लाभार्थियों की संख्या
			मेबाइल फोन हैंडसैट हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन (एमपीएचएचआरटी)	400 घंटे	90	16200	14.58	7.29	90
			कुल		**430**		**61.40**	**30.70**	**430**
		रबर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	टायर फिटर	350 घंटे	200	5618	11.24	5.62	200
		सेन्टर फार दी डेवलपमेंट आफ ग्लास इन्डस्ट्री	फ्यूरेंस आपरेटर (एससीएस/क्यू2101)		25	9801	2.45	1.23	25
			डेकोरेटिव पेंटर (एससीएस/क्यू2502)		40	10890	4.36	2.20	40
					65		6.81	3.403	65
			उप योग		**2636**		**351.00**	**173.00**	**2636**
26	उत्तराखंड	इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया	सोलर पैनल इंस्टालेनशन टेक्नीशियन	440 घंटे	25	17820	4.46	2.23	25
			कुल		**25**		**4.46**	**2.23**	**25**
		पावर सेक्टर स्किल काउन्सिल	कंजूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन	3 माह	100	14823	14.82	7.41	100
			कुल		**100**	**0**	**14.823**	**7.41**	**100**
			उप योग		**125**		**19.28**	**9.64**	**125**
			कुल (1 से 26)		**23380**		**2874.73**	**1520.69**	**23361**

ANNEXURE - 5

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION MARKETING LINKAGES (2017-18)

Promoting marketing exposure and avenues of sales for artisans of the target group through participation in Exhibitions

S.No.	Name of Exhibition/ Fairs	Date
1	Malwa Utsav Mela, Indore	2nd - 8thMay, 2017
2	Exhibition Textile India,2017	30th June - 3rdJuly,2017
3	Kullu Dushera, Kullu	30th Sept., 2017 to 9th Oct., 2017
4	Handloom Haat, New Delhi	16th - 29th Oct., 2017
5	Shilpotsav, Dilli Haat INA	1st- 15th Nov., 2017
6	IITF, Pragati Maidan	14th -27th Nov., 2017
7	East Himalayan Expo 2017 Shillong	14th – 20th Dec., 2017
8	Kerala BCDC Expo, Alleppey	26th Dec., 2017 to 02nd Jan., 2018
9	Goa Lokutsav 2018 Panaji	12th – 21st January, 2018
10	Surajkund International Craft Mela 2018	02nd – 18th February, 2018

ANNEXURE - 6

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION CLUSTER DEVELOPMENT

S.No.	State	District	Cluster	No. of Artisans
1	Assam	Morigaon	Artistic Textile Craft	332
2	Assam	Dhemaji	Artistic Textile and Cane and Bamboo Crafts	509
3	Assam	Sivasagar	Artistic Textile Craft	339
4	Tripura	North Tripura	Cane & Bamboo Crafts	464
5	Tripura	Sepahijala	Cane & Bamboo Craft	499
6	Tripura	West Tripura	Cane & Bamboo Craft	500
7	Haryana	Jhajjar	Pottery and Terracotta Crafts	270
8	Uttar Pradesh	Khurja	Pottery and Ceramics crafts	390
9	Rajasthan	Jaipur	Block Printing Craft, Sanaganer	450
10	Karnataka	Mysore	Wood Inlay Crafts	550
11	Kerala	Palakkad	Pottery, Paper Machhe, Crafts	506
Total				**4809**

अनुलग्नक–5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
विपणन संयोजन (2017–18)
प्रदर्शनियों में प्रतिभाागिता के माध्यम से लक्षित वर्ग के दस्तकारों की विपणन एवं बिक्री के अवसरों को प्रोन्नत करना

क्र.सं.	प्रदर्शनियों/मेलों का नाम	दिनांक
1	मालवा उत्सव मेला, इन्दौर	2 से 8 मई, 2017
2	भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी, 2017	30 जून से 3 जुलाई, 2017
3	कुल्लू दशहरा, कुल्लू	30 सितम्बर, 2017 से 9 अक्टूबर, 2017
4	हैंडलूम हॉट, नई दिल्ली	16 से 29 अक्टूबर, 2017
5	शिल्पोत्सव, दिल्ली हॉट, आई.एन.ए.	1 से 15 नवम्बर, 2017
6	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान	14 से 27 नवम्बर, 2017
7	पूर्वी हिमालयन एक्सपो 2017 शिलांग	14 से 20 दिसम्बर, 2017
8	केरल बी.सी.डी.सी. एक्सपो, एल्लेपे	26 दिसम्बर, 2017 से 02 जनवरी, 2018
9	गोवा लोकोत्सव 2018, पणजी	12 से 21 जनवरी 2018
10	सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2018	02 से 18 फरवरी, 2018

अनुलग्नक–6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
समूह विकास

क्र.स.	राज्य	जिला	समूह	दस्तकारों की संख्या
1	असम	मोरीगांव	आर्टीस्टीक टैक्सटाइल क्राफ्ट	332
2	असम	धेमाजी	आर्टीस्टीक टैक्सटाइल एण्ड केन एण्ड बैम्बो क्राफ्ट	509
3	असम	शिवसागर	आर्टीस्टीक टैक्सटाइल क्राफ्ट	339
4	त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा	केन एण्ड बैम्बो क्राफ्ट	464
5	त्रिपुरा	सेपाहिजला	केन एण्ड बैम्बो क्राफ्ट	499
6	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	केन एण्ड बैम्बो क्राफ्ट	500
7	हरियाणा	झज्जर	पोट्री एण्ड टेराकोटा क्राफ्ट	270
8	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	पोट्री एण्ड सेरेमिक्स क्राफ्ट	390
9	राजस्थान	जयपुर	ब्लॉक प्रिटिंग क्राफ्ट,सांगनेर	450
10	कर्नाटक	मैसूर	वुड इन्ले क्राफ्ट	550
11	केरल	पलक्कड़	पोट्री, पेपर मेश, क्राफ्ट	506
कुल				**4809**

ANNEXURE - 7

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by the concerned State Governments/ Union Territories. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships **
K. Narayan (DIN 03561648)	Executive	4/4	Yes	4
Aindri Anurag* (DIN 07228680)	Non-Executive	4/4	No	1
T.C.A. Kalyani* (DIN 02406559)	Non-Executive	3/4	yes	3
B. L. Meena* (DIN 07715960)	Non-Executive	3/4	Yes	1
Shyam Kapoor$ (DIN 02693416)	Non-Executive	4/4	Yes	13
Pravir Krishna $ (DIN 06519104)	Non-Executive	2/4	No.	-
Saroj Kumari ** (DIN 07753419)	Independent	4/4	Yes	-
K. Hanmandloo** (DIN 02746832)	Independent	4/4	Yes	1
Satya Prakash Singh@ (DIN 03168099)	Non-Executive	2/4	No	-
Sanjay Goyal# (DIN 07961517)	Non-Executive	0/4	NA	-
A. K. Mohanty@ (DIN 07398618)	Non-Executive	0/4	No	-
Rajiv (DIN 08177717)@@	Non-Executive	0/4	NA	-

Note: * Nominees of Govt. of India ** Other than NBCFDC $ Appointed as Director w.e.f. 04.08.2017 @ Ceased to be Directors w.e.f. 24.05.2018 # Appointed as Director w.e.f. 24.05.2018 @@ Appointed as Director w.e.f. 11.07.2018 (Date of DIN)

अनुलग्नक–7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चत किया जाता है कि इसके समस्त लेन–देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, विधि, प्रक्रिया का अनुपालन करना एवं समस्त अशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए; जबकि अन्य को सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्‌देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारियों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/गैर–कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निदेशक मंडल नीतियां एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक नाम (एस./महोदय/महोदया/डा0)	श्रेणी	निदेशक के रुप में नियुक्ति के बाद निदेशक मण्डल की बैठकों में उपथिति/कुल बैठकों	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया (हाँ/नहीं)	संख्या जिसमें निदेशक हैं **
के. नारायण (डिन 03561648)	कार्यकारी	4/4	हाँ	4
अन्द्री अनुराग* (डिन 07228680)	गैर–कार्यकारी	4/4	नहीं	1
टी.सी.ए. कल्याणी* (डिन 02406559)	गैर–कार्यकारी	3/4	हाँ	3
बी.एल. मीना' (डिन 07715960)	गैर–कार्यकारी	3/4	हाँ	1
श्याम कपूर$ (डिन 02693416)	गैर–कार्यकारी	4/4	हाँ	13
प्रवीर कृष्ण$ (डिन 06519104)	गैर–कार्यकारी	2/4	नहीं	-
सरोज कुमारी** (डिन 07753419)	स्वतंत्र	4/4	हाँ	-
के हनमन्डलू** (डिन 02746832)	स्वतंत्र	4/4	हाँ	1
सत्य प्रकाश सिंह@ (डिन 03168099)	गैर–कार्यकारी	2/4	नहीं	-
संजय गोयल# (डिन 07961517)	गैर–कार्यकारी	0/4	लागू नहीं	-
ए.के. मोहन्ती@ (डिन 07398618)	गैर–कार्यकारी	0/4	नहीं	-
राजीव (डिन 08177717)@@	गैर–कार्यकारी	0/4	लागू नही	-

नोटः * भारत सरकार द्वारा नामितए ** एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अतिरिक्त $ दिनांक 04.08.2017 से निदेशक के रूप में नियुक्त
@ दिनांक 24.05.2018 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त # दिनांक 24.05.2018 से निदेशक के रूप में नियुक्त
@@ दिनांक 11.07.2018 से निदेशक के रूप में नियुक्त (डिन की तिथि)

2. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2017-18, Four Board meetings were held. The maximum interval between any two meetings was well within the permissible gap of 120 days. The attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
109	23.05.2017	SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI SHYAM KAPOOR, CMD, NSFDC SHRI B.L. MEENA, JS (BC), SJ & E SMT. AINDRI ANURAG, JS(SCD-B), M/O SJ & E SHRI T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ & E SHRI S.P. SINGH, GM, SIDBI MS. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	GM, NABARD MD, TRIFED
110	04.08.2017	SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI SHYAM KAPOOR, CMD, NSFDC SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ&E SHRI T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ&E SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI S.P. SINGH, GM, SIDBI MS. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	SHRI B.L. MEENA, JS (BC), SJ & E GM, NABARD

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक अनुसूची इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु होती है जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट के कार्य–निष्पादन की समीक्षा, संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशध ाारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता–ज्ञापन के सबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ–साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेंण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती है। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार–विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया जाता है। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें आयोजित की गई। किन्हीं भी दो बैठकों के मध्य अधिकतम अन्तराल 'अनुज्ञेय' 120 दिनों के अंदर था। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

बैठक सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
109	23.05.2017	श्री के. नारायण, प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. श्री बी.एल.मीना,संयुक्त सचिव (बी.सी.), सा.न्या.और अधि.मंत्रालय श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी),सा.न्या.और अधि.मंत्रालय सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि.मंत्रालय श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	महाप्रबन्धक, नाबार्ड प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड
110	04.08.2017	श्री के. नारायण, प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,एन.एस.एफ.डी.सी. श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी.बी), सा.न्या.और अधि.मंत्रालय सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	श्री बी.एल.मीना,संयुक्त सचिव (बी.सीसी.), सा.न्या.और अधि.मंत्रालय महाप्रबन्धक, नाबार्ड

111	10.11.2017	SHRI K. NARAYAN,MD, NBCFDC SHRI SHYAM KAPOOR, CMD, NSFDC SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ&E MS. T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ&E SHRI B. L. MEENA, JS (BC), M/O SJ&E MS. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	GM, SIDBI GM, NABARD
112	09.02.2018	SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI SHYAM KAPOOR, CMD, NSFDC SHRI B.L. MEENA, JS (BC), SJ & E SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ & E MS. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	JS & FA, M/O SJ&E GM, SIDBI GM, NABARD MD, TRIFED

3.3. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e. www.nbcfdc.gov.in. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. Audit Committee

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 23.05.2017. During the financial year only four meeting of the audit committee was held on 22.05.2017, 03.08.2017, 09.11.2017 & 08.02.2018.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The present composition of Audit Committee is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
T C A Kalyani, Chairperson	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director
K. Narayan, Member	Managing Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

5. Remuneration Committee

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/ variable pay pool for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. During the financial year only two meeting of the

111	10.11.2017	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी), सा.न्या. और अधि.मंत्रालय सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि.मंत्रालय श्री बी.एल.मीना, संयुक्त सचिव (बी.सी.सी.), सा.न्या. और अधि.मंत्रालय सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	महाप्रबन्धक, सीडबी महाप्रबन्धक, नाबार्ड
112	09.02.2018	श्री के. नारायण, प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,एन.एस.एफ.डी.सी. श्री बी.एल.मीना, संयुक्त सचिव (बी.सीसी.), सा.न्या. और अधि.मंत्रालय श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी),सा.न्या.और अधि.मंत्रालय सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या.और अधि.मंत्रालय महाप्रबन्धक, सीडबी महाप्रबन्धक, नाबार्ड प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड

3.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। इस आचार संहिता का एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. लेखा–परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी के सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अतः इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 23.05.2017 को किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की मात्र चार बैठकें दिनांक 22.05.2017, 03.08.2017, 09.11.2018 एवं 08.02.2018 को हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। लेखा परीक्षा समिति का वर्तमान में गठन निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
टी.सी.ए. कल्याणी, अध्यक्षा	सरकारी निदेशक
हनमन्डलू, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से से को–टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

5. पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर– यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय–समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र दो बैठकें दिनांक 22.05.2017 एवं 09.11.2017 को हुई थी। पारिश्रमिक समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

Remuneration Committee was held on 22.05.2017 & 09.11.2017. The present composition of Remuneration is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
T C A Kalyani, Member	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director
K. Narayan, Member	Managing Director

6. CSR Committee

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has constituted CSR Committee on 23.05.2017. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met twice during the year under review on 03.08.2017 & 08.02.2018. The present composition of Remuneration is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
T C A Kalyani, Member	Official Director
Saroj Kumari, Member	Independent Director
K. Narayan, Member	Managing Director

7. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Managing Director is decided by the Government of India. The Government letter appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

7.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

7.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of Rs. 4000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

7.3. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 is annexed to the Directors report.

8. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

9. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

Sl. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2014-2015	18.09.2015 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
2	2015-2016	27.09.2016 1600 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3	2016-2017	18.09.2017 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

10. Disclosures

a) There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b) The Company has adopted all suggested items to

निदेशक का नाम (श्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
टी.सी.ए. कल्याणी, सदस्या	सरकारी निदेशक
हनमंडलू, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

6. सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची VII एवं कंपनी के नियम, 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) के अनुसार कंपनी ने दिनांक 23.05.2017 को सी.एस.आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यो के साथ–साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है:

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख–रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की दो बार दिनांक 03.08.2017 एवं 08.02.2018 को बैठक हुई। वर्तमान में समिति का गठन निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
टी.सी.ए. कल्याणी, सदस्या	सरकारी निदेशक
सरोज कुमारी, सदस्या	स्वतंत्र निदेशक
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

7. निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा–शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगें।

7.1 सरकार के नामिनी गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन–देन नहीं किया गया।

7.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रू. 4000/– का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

7.3 वार्षिक रिर्टन का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिर्टन का अंश एम.जी.टी. 9 फार्म में निदेशकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

8. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर जारी दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में उपयुक्त रूप से जोखिम आकलन को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, ढांचे को लघुतम करने, व्यवसाय के साथ समेकित एवं संरेखित करने हेतु जोखिम प्रबंधन को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

9. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती है। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2014-2015	18.09.2015 1100 बजे	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं.– 603, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001
2	2015-2016	27.09.2016 1600 बजे	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं.– 603, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001
3	2016-2017	18.09.2017 1100 बजे	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं.– 603, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001

10. प्रकटन

क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा होता हो।

ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।

be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.

c) There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

d) The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

11. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.3.2018 is Rs. 1184.00 Crore and share application money of Rs. 30.00 crores pending for allotment of equity shares. The Corporation received Rs. 90.00 Crore as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India 11,84,000 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India in official capacity.

12. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly / quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee, from time to time.

For & on behalf of Board of Directors,

	Sd/-	Sd/-
	(K. Narayan)	**(T.C.A. Kalyani)**
Place: New Delhi	Managing Director	Director
Dated: 26.07.2018	(DIN No. 03561648)	(DIN No. 02406559)

ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।

घ) लागू वित्तीय विवरण आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम की संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

11. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2018 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रू. 1184.00 करोड़ है। आबंटन हेतु लंबित एवं अंश अनुप्रयोग धनराशि रू 30.00 करोड़ है। संदर्भाधीन अवधि में वर्ष के दौरान भारत सरकार से रू. 90.00 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रू. 1000/– प्रत्येक के 11,84,000 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। रू. 1000/– मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

12. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य–निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय–समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/स्थायी समिति द्वारा भी समय–समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

	ह0/–	ह0/–
	(के. नारायण)	**(टी.सी.ए.कल्याणी)**
स्थानः नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक	निदेशक
दिनांकः 26.07.2018	(डिन सं. 03561648)	(डिन सं. 02406559)

VAP & Associates
Company Secretaries

CS
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 – 9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
New Delhi.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2018, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the above mentioned DPE Guidelines, except the following provisions:

i. Appointment of two Independent Directors on the Board was made on 2nd February, 2017, and appointed as member of Audit Committee and Remuneration Committee on 23rd May, 2017, however, not appointed as Chairman of Audit committee and Remuneration Committee.

ii. The time gap between any two Board meeting was less than three months except Board Meeting dated 4th August, 2017 and 10th November, 2017.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Parul Jain
Proprietor
CP No. 13901
M.No. F8323

Place: Ghaziabad
Date: 26.07.2018

CS VAP & Associates
Company Secretaries

CS
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 – 9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण–पत्र

सदस्यगण
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कश्वरपोरेशन (कंपनी)
नई दिल्ली।

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवणियों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा–निर्देशों और इसके आगे संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005–जी. एम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में उक्त कथित मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तक ही सीमित है। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यय करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि निगम को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर, समस्त दशाओं का अनुपालन किया गया है:

i. निदेशक मण्डल में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 2 फरवरी, 2017 को की गई एवं अंकेक्षण समिति व पारिश्रमिक समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त दिनांक 2 फरवरी, 2017 को की गई, तथापि लेखापरीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति नहीं की गयी है।

ii. बैठक दिनॉक 4 अगस्त, 2017 एवं 10 नवम्बर, 2017 के अतिरिक्त, निदेशक मण्डल की किन्ही भी दो बैठकों के मध्य अंतराल तीन महीनों से कम था।

हम आगे यह व्यक्त करते हैं कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए न तो भविष्य की व्यवहारिता के रूप में आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोशिएट
कम्पनी सचिव

ह0/–
पारूल जैन
प्रोप्राइटर
सी.पी.न. 13901
सदस्य सं. एफ. 8323

स्थानः गाज़ियाबाद
दिनांकः 26.07.2018

ANNEXURE - 8

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31st March 2018
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN:- U74899DL1992NPL047146

ii) Registration Date: 13th January, 1992

iii) Name of the Company: NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

iv) Category / Sub-Category of the Company : -

v) Address of the Registered office and contact details: 5TH FLOOR, NCUI BUILDING, 3, SIRI INSTITUTIONAL AREA, AUGUST KRANTI MARG, NEW DELHI-110016

vi) Whether listed company Yes / No: NO

vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: - NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Financing Projects	-	-
2			
3			
4			

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

S. N0	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promotors									
(1) Indian									

अनुलग्नक–8

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिर्टन का अंश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i. सीआईएनः– यू74899डीएल1992एनपीएल047146

ii) पंजीकरण तिथि : 13 जनवरी, 1992

iii) कंपनी का नाम : नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : –

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पक्र का विवरण : 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशन एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है हाँ/नहींः नहीं

vii) रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता एवं संपक्र विवरण, यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यवसाय कार्यकलाप

कंपनी के सभी व्यावसायिक कार्यकलाप, जिसमें कुल व्यापार का 10% अथवा अधिक अंशदान हों, उल्लेख किए जांएगेंः–

क्र.स.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	वित्तीय परियोजनाएं	.	.
2			
3			
4			

III. स्वामित्व सहायक एवं संयुक्त कम्पनियों का विवरण

क्र.स.	कंपनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन./जी.एल.एन.	स्वामित्व सहायक/संयुक्त	धारित अंशों का %	लागू धारा
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

IV. अंशधारिता की पद्धति (कुल पूंजी के % के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणीवार अंशधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रोत्साहक									
(1) भारतीय									

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
g) Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Central Govt.	-	11240000	11240000	100%	-	11840000	11840000	100%	-
i) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Any Other….	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A) (1):-	Nil	11240000	11240000	100%	Nil	11840000	11840000	100%	Nil
(2) Foreign									
a) NRIs - Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other – Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other….	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A) (2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	Nil	11240000	11240000	100%	Nil	11840000	11840000	100%	Nil
B. Public Shareholding									
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (Specify) Sub - Total (B) (1) :-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals		-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub- Total (B) (2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
क) वैयक्तिक/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्रीय सरकार	-	11240000	11240000	100%	-	11840000	11840000	100%	-
ग) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (1):–	शून्य	11240000	11240000	100%	Nil	11840000	11840000	100%	Nil
(2) विदेशी									
क) अप्रवासी –व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य–व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोत्साहकों की कुल अंशधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	Nil	11240000	11240000	100%	Nil	11840000	11840000	100%	Nil
ख. जन अंशधारिता									
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफएफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (विवरण दें) उप–योग (ख) (1):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान									
क) समिति निगम									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक		-	-	-	-	-	-	-	-
i) रू. 1 लाख तक न्यूनतम अंश पूंजी रखने वाले वैयक्तिक अंशधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रू. 1 लाख से अधिक अंश पूंजी रखने वाले वैयक्तिक अंशधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जन अंशधारक (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	Nil	11240000	11240000	100%	Nil	11840000	11840000	100%	Nil
Note: Share Application money of Rs.30.00 crore received on 27.03.2018, pending allotment of shares as on 31.03.2018									

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% change in share holding during the year
1	The President of India	11239999	99.99	Nil	11839999	99.99	Nil	-
2	The Joint secretary	1	0.01	Nil	1	0.01	Nil	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	11240000	100	Nil	11840000	100	-	-

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
At the beginning of the year	11240000	100	11240000	100
Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/ sweat equity etc):	27th June 2017	3.43	11640000	100
	17th November 2017	1.69	11840000	100
At the End of the year	11840000	_	11840000	100

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
ग. जी.डी.आर.एस. एवं ए.डी.आर. एस. हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	11240000	11240000	100%	शून्य	11840000	11840000	100%	शून्य
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार दिनॉक 27.03.2018 को प्राप्त अंश अनुप्रयोग राशि रू. 30.00 करोड़ का आबंटन लंबित है।									

(ii) प्रोत्साहकों की अंशधारिता

क्र.स.	अंशधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता			वर्ष के अंत में अंशधारिता			
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों में बंधक/अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों में बंधक/अंशों का %	वर्ष के दौरान अंश धारिता में परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति	11239999	99.99	शून्य	11839999	99.99	शून्य	-
2	संयुक्त सचिव	1	0.01	शून्य	1	0.01	शून्य	-
3	–	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	11240000	100	शून्य	11840000	100	-	-

(iii) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हो)

	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	अंशों की संख्या	**कम्पनी के कुल अंशों का %**	**अंशों की संख्या**	**कम्पनी के कुल अंशों का %**
वर्ष के आरंभ में	11240000	100	11240000	100
वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की अंशधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (यथा–आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट अंश इत्यादि)	27 जून 2017	3.43	11640000	100
	17 नवम्बर 2017	1.69	11840000	100
वर्ष के अंत में	11840000	_	11840000	100

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
For Each of the Top 10 Shareholders	No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer /bonus / sweat equity etc):	-	-	-	-
At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	Nil	Nil	Nil	Nil

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

	Shareholding at the beginning of the year		**Cumulative Shareholding during the year**	
For Each of the Directors and KMP the Top 10 Shareholders	No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
At the End of the year	Nil	Nil	Nil	Nil

(iv) शीर्ष दस अंशधारकों की अंशधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रोत्साहकों एवं जी.डी.आर. व ए.डी.आर. धारकों के अतिरिक्त):

	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान सकल अंशधारिता	
शीर्ष दस अंशधारकों में से प्रत्येक के लिए	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अंशधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (यथा–आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट अंश इत्यादि):	-	-	-	-
वर्ष के अंत में (अथवा अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की अंशधारिता:

	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष की अवधि में संचयी अंशधारिता	
शीर्ष दस निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक की अंशधारिता	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की अंशधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (यथा–आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट अंश इत्यादि):	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	Nil	Nil	Nil	Nil
Change in Indebtedness during the financial year	Nil	Nil	Nil	Nil
· Addition	Nil	Nil	Nil	Nil
· Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change	Nil	Nil	Nil	Nil
Indebtedness at the end of the financial year	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	Nil	Nil	Nil	Nil

VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount
1	Gross salary	Mr. K. Narayan, MD	
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961.	3219475	3219475
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income tax Act, 1961.	422200	422200
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961.	0	0
2	Stock Option		
3	Sweat Equity		
4	Commission		
	- as % of profit		
	,-other specify…		
5	Others, please specify		
	Total (A)	3641675	3641675
	Ceiling as per the Act		

VI. ऋण–ग्रस्तता

बकाया ब्याज/अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋण ग्रस्तता किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं

	जमा के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	डिपाजिट	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज, किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) उपार्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– जोड़े	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– घटाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मूल धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज, किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) उपार्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VII. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	सकल वेतन	श्री के. नारायण, एमडी	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	3219475	3219475
	(ख)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धयों का मूल्य	422200	422200
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	0	0
2	स्टॉक विकल्प		
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन		
	लाभ % के रूप में		
	,– अन्य, विवरण दें		
5	अन्य, कृपया विवरण दे		
	योग (क)	3641675	3641675
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
1	**Independent Directors**	**K. Hanamandloo**	**Saroj Kumari**			
	· Fee for attending board /committee meetings	32000	24000	-	-	56000
	· Commission	-	-	-	-	-
	· Others, please specify	-	-	-	-	-
	Total (1)	**32000**	**24000**	**Nil**	**Nil**	**56000**
2	**Other Non-Executive Directors**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	· Fee for attending board /committee meetings	-	-	-	-	-
	· Commission	-	-	-	-	-
	· Others, please specify	-	-	-	-	-
	Total (2)	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
	Total (B)=(1+2)	**32000**	**24000**	**Nil**	**Nil**	**56000**
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	**Company Secretary**	**CFO**	**Total**
1	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income -tax Act, 1961	-	1819614	-	1819614
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	209478	-	209478
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	0	-	0
2	Stock Option	-	0	-	
3	Sweat Equity	-	0	-	
4	Commission	-	0	-	
	,-as % of profit.	-	0	-	
	,-others, specify…	-	0	-	
5	Others, please specify	-	0	-	
	Total	**Nil**	**2029092**	**Nil**	**2029092**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**श्री के हनमन्डलू**	**सुश्री सरोज कुमारी**			
	– बोर्ड / समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	32000	24000	-	-	56000
	कमीशन	-	-	-	-	-
	– अन्य, कृपया विवरण दें	-	-	-	-	-
	योग (1)	**32000**	**24000**	शून्य	शून्य	**56000**
2	**अन्य गैर–सरकारी निदेशक**	-	-	-	-	-
	– बोर्ड / समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	– कमीशन	-	-	-	-	-
	– अन्य, कृपया विवरण दें	-	-	-	-	-
	योग (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख)=(1+2)	**32000**	**24000**	शून्य	शून्य	**56000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्र ऊपरी सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी	कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	**1819614**	-	**1819614**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धयों का मूल्य	-	**209478**	-	**209478**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	**0**	-	**0**
2	स्टॉक विकल्प	-	**0**	-	
3	स्वीट इक्विटी	-	**0**	-	
4	कमीशन	-	**0**	-	
	–लाभ % के रूप में	-	**0**	-	
	–अन्य, विवरण दे	-	**0**	-	
5	अन्य, कृपया विवरण दे	-	**0**	-	
	योग	**शून्य**	**2029092**	**शून्य**	**2029092**

VIII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

VIII. अपराधों के लिए दण्ड/सजा/समझौता

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड/सजा/समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आर. डी./एन.सी.एल.टी. /न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
आर्थिक दण्ड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
आर्थिक दण्ड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ग. अन्य अधिकारीगण की चूक					
आर्थिक दण्ड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV, नई दिल्ली।
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

गापनीय

स.-680-पी.डी.सी-ए-/,ऍम.ए.बी.-IV/एच.एस./A A/cs/NBCFDC/18-19/4087
दिनांक: 20.09.2018

सेवा में,

The Managing Director
National Backward Classes Finance and Development Corporation
5th Floor, N.C.U.I. Building,
SiriFort Institutional Area,August Kranti Marg,
New Delhi-110016

विषय : भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (b) **के अंतर्गत National Backward Classes Finance and Development Corporation के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां**

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (b) के **National Backward Classes Finance and Development Corporation** के 31 मार्च 2018 को सामाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Nil Comment प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

(मनीष कुमार)
महानिदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – IV

आँठवा व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष / Tel.: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 फैक्स / Fax: 23239416
ईमेल / Email: mabNewdelhi@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV, नई दिल्ली।
Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

गापनीय

स.-680-पी.डी.सी-ए-/,ऍम.ए.बी.-IV/एच.एस./A A/cs/NBCFDC/18-19/4087
दिनांक: 20.09.2018

सेवा में,

The Managing Director
National Backward Classes Finance and Development Corporation
5th Floor, N.C.U.I. Building,
SiriFort Institutional Area,August Kranti Marg,
New Delhi-110016

विषय : भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (b) **के अंतर्गत National Backward Classes Finance and Development Corporation के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां**

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (b) के **National Backward Classes Finance and Development Corporation** के 31 मार्च 2018 को सामाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Nil Comment प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

(मनीष कुमार)
महानिदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – IV

आँठवा व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष / Tel.: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 फैक्स / Fax: 23239416
ईमेल / Email: mabNewdelhi@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018.

The preparation of financial statements of National Backward Classes Finance and Development Corporation for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26th July, 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Backward Classes Finance and Development Corporation for the year ended 31 March, 2018 under section 143(6) (a) of the Act.. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon of supplement to statutory auditors 'report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

मनीष कुमार)
महानिदेशक वाणिज्यि लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

Place: New Delhi
Dated: 20.09.2018

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवक्र के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सावंधिक लेखा परीक्षक/परीक्षकों का दायित्व है कि अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी अंकेक्षित रिपार्ट दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई है।

मैंने कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की गई। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र रूप से सांवधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की पहुंच के बिना एवं सांवधिक लेखा परीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मचारियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जिस पर अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपार्ट पर कोई टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की आरे से एवं उनके लिए

(मनीष कुमार)
महानिदेशक वाणिज्यि लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.09.2018

N.K.S. CHAUHAN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Standalone Financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

N.K.S. CHAUHAN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (''कंपनी'') के अंकेक्षित एकल वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण, इसी तिथि को समाप्त राकेड़ प्रवाह एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का अंकेक्षण किया है।

एकल वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व–इन सकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के साथ उसके कम्पनी (लेखा), नियमावली 2014 के नियम 7 साथ पढ़े जाते हैं, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कम्पनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने एवं धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी / त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण एवं अंकेक्षण मानकों, तथा ऐसे मामलों जिन्हें अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना है, को ध्यान में रखा है।

हमने अपने अंकेक्षण को अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत वर्णित लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप संचालित किया है। जो मानक आवश्यक है, हमने उनका पालन नैतिक आवश्यकता एवं योजना के अनुसार किया है एवं लेखापरीक्षण करने में कि क्या वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किए हैं।

धनराशियों एवं वित्तीय विवरणों के पकटन के संबंध में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने लिए अंकेक्षण में कार्यनिष्पादन प्रक्रिया सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन पर जोखिम आकलन सहित चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है, जो चाहे ध ाोखाधड़ी के कारण या त्रुटि के कारण हों। इन जोखिम का आकलन करने में लेखापरीक्षकों ने कम्पनी के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार किया है, जो लेखापरीक्षण प्रक्रिया के अभिकल्पन के क्रम में सत्य एवं साफ तस्वीर प्रस्तुत करती है कि वे परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। लेकिन इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं कि कंपनी की वित्तीय रिपोटिंग एवं परिचालन प्रभाविता के इस प्रकार के नियंत्रणों हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। लेखापरीक्षा में जारी उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय वक्तव्यों की सभी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2018, and its profit/loss and its cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   (c) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

   (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2018, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

   (f) With respect to the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure A**".

   (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      (i). The Company does not have any pending litigations which would impact its position

      (ii). The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

      (iii). There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per **Annexure-B**, our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For NKS Chauhan & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No:088165

Place: New Delhi
Date: 26/07/2018

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण के लिए जो साक्ष्य हमें दिए गए हैं, वे पर्याप्त और उचित हैं, जिसके आधार पर हमने एकल वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखापरीक्षण राय बनाई है।

राय

हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोकत एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा, आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के मद्देनजर भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2018 की एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित हमारी रिपोर्ट यह है कि:–

    क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

    ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

    ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन–पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

    घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

    ड़) 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक–मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अंतर्गत किसी भी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

    च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में, 'अनुलग्नक–बी' पर हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

    छ) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम–11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:–

        i) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमेबाजी का मामला नहीं है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर असर होगा।

        ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे पूर्वाभासी भैतिक कोई हानि हुई हो।

        iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक कोष में कोई भी राशि स्थानांतरित करना अपेक्षित नहीं था।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक–ख के रूप में संलग्न है।

कृते **एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स**
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

ह0/–
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the standalone Financial Statements of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements. Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय विवरणी पर समसख्यक तारीख को स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा–143 की उप–धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोटिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, यह और मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडंस नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। इन दायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उसे बनाए रखना है तथा जो कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु अंकेक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस नोट के अनुसार एवं अंकेक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है; उस सीमा तक जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु लागू हों, हमने अंकेक्षण किया है।

मेरा विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, पर्याप्त हैं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र पर हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट हेतु समुचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन–देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन–देन रिकार्ड किए जाते हैं, (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ–गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण का अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन का भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया को क्षय कर सकता है।

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For NKS Chauhan & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No:088165

Place: New Delhi
Date: 26/07/2018

अभिमत

हमारी राय में कंपनी के पास सभी मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते **एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स**
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

ह0/–
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2018

Annexure B to the Independent Audit Report

Report on directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Audit General of India

Sl.No.	Directions	Reply
1.	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold and for which the little/lease deeds are not available?	The Corporation has clear title deed for flat at X-29, Hauz Khas, New Delhi. In respect of two flats at Oshiwara, Mumbai, the documents held by the Corporation do not appear to be proper to signify clear titles. The details of the said properties are as under **Sl. No. / Address of leasehold Property / Area** 1. Flat No. 001, Building No.18 Amity Co-operative HSG. Society Ltd. Mahada Housing Complex, Oshiwara, Andheri(West). — 787.59 Sq.ft. 2. Flat No. 002, Building No.16 Himasai CHSL, Oshiwara, Andheri (West) Mumbai, Maharastra. — 804.70 Sq.ft.
2.	Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/ interests etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	During the year Penal Interest & others of ₹ 257.56 Lakh has been waived off under One Time Settlement (OTS) scheme of the Corporation.
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gifts from government or other authorities.	There is no inventory lying with third parties as on March 31, 2018 and the Corporation has not received assets as gift from Government or other authorities.

For NKS Chauhan & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No:088165

Place: New Delhi
Date: 26/07/2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या कंपनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा हेतु स्पष्ट स्वामित्व/ पट्टा विलेख है। यदि नहीं, तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा के क्षेत्रफल एवं स्वामित्व/ पट्टा विलेख का उल्लेख करें।</td><td>कंपनी के पास हौज खास, नई दिल्ली में फ्लैट सं. एक्स–29 का स्पष्ट स्वामित्व विलेख है। मुम्बई के ओशिवाड़ा में दो फ्लैटों के बारे में जो दस्तावेज कॉरपोरेशन के पास है, स्पष्ट स्वामित्व का सही से पता नहीं चलता।
कथित सम्पत्तियों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैः
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पट्टे पर संपत्ति का पता</th><th>क्षेत्रफल</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>फ्लैट न. 001ए बिल्डिंग सं. 18ए एमिटी को–आपरेटिव एच.एस.जी. सोसायटी लि0, म्हादा हाउसिंग कॉम्पलेक्स, ओशिवाड़ा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई.</td><td>787.59 वर्गफुट</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>फ्लैट न. 002ए बिल्डिंग सं. 16ए हिमसाई सी.एच.एस.एल., ओशिवाड़ा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र</td><td>804.70 वर्गफुट</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला है, कपया इसकी सूचना दें। यदि हां, तो उसका कारण और शामिल राशि का ब्यौरा दें।</td><td>वर्ष के दौरान रु. 257.56 लाख का दंडात्मक ब्याज निगम की एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) योजना के तहत माफ किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या तृतीय पक्ष के साथ मालसूची और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा जाता है?</td><td>31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तृतीय पक्ष की कोई माल सूची नहीं है, और कंपनी को सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकरण से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</td></tr>
</table>

कृते **एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स**
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

हस्ता0/–
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET as at 31st March 2018

(₹ in Lakhs)

	Particulars		Note No.	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
I.	**ASSETS**				
1	**Non-current assets**				
	(a)	Property, plant and equipment	3	64.03	53.06
	(b)	Other intangible assets	4	17.94	-
		(i) Intangible asset under development		-	17.35
	(c)	Financial assets			
		(i) Loans	5	103,769.22	91,122.75
		(ii) Others	6	296.44	267.15
	(d)	Other non-current assets	7	69.07	44.83
				104,216.69	91,505.14
2	**Current assets**				
	(a)	Financial assets			
		(i) Cash and cash equivalents	8	6,334.53	8,880.46
		(ii) Bank balances other than (i) above	9	3,999.00	9,542.00
		(iii) Loans	5	47,864.98	42,175.80
		(iv) Others	6	5,093.82	4,586.19
	(b)	Current tax asset (Net)	10	24.04	27.11
	(c)	Other current assets	7	124.10	52.79
				63,440.46	65,264.35
	Total Assets			**167,657.16**	**156,769.49**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**				
1	**Equity**				
	(a)	Equity share capital	11	121,400.00	112,400.00
	(b)	Other equity	12	44,999.82	42,992.56
				166,399.82	155,392.56
2	**Liabilities**				
(i)	**Non-current liabilities**				
	(a)	Provisions	13	54.17	52.12
				54.17	52.12
(ii)	**Current liabilities**				
	(a)	Financial liabilities			
		(i) Others	14	934.40	1,106.64
	(b)	Other current liabilities	15	59.37	38.19
	(c)	Provisions	13	209.40	179.98
				1,203.17	1,324.81
	Total Equity and Liabilities			**167,657.16**	**156,769.49**
III.	**See accompanying notes to the financial statements**				

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associates

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/- Chartered Accountants FRN 013940N	Sd/- **AJIT KUMAR SAMAL** DGM (Finance) & Company Secretary	Sd/- **T.C.A. KALYANI** Director (DIN No. 02406559)	Sd/- **K. NARAYAN** Managing Director (DIN No.03561648)

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165

Place : New Delhi
Date : 26/07/2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

(लाख रु. में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
I.	**परिसम्पत्तियाँ**			
1	**गैर–वर्तमान परिसंम्पत्तियाँ**			
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	64.03	53.06
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	17.94	-
	(i) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		-	17.35
	(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) ऋण	5	103,769.22	91,122.75
	(ii) अन्य	6	296.44	267.15
	(घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	7	69.07	44.83
			104,216.69	91,505.14
2	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) नकद एवं नकदी समकक्ष	8	6,334.53	8,880.46
	(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त बैंक अवशेष	9	3,999.00	9,542.00
	(iii) ऋण	5	47,864.98	42,175.80
	(iv) अन्य	6	5,093.82	4,586.19
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	24.04	27.11
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	7	124.10	52.79
			63,440.46	65,264.35
	कुल परिसंपत्तियां		**167,657.16**	**156,769.49**
II.	**इक्विटी व देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	121,400.00	112,400.00
	(ख) अन्य इक्विटी	12	44,999.82	42,992.56
			166,399.82	155,392.56
2	**देएताएं**			
(i)	**गैर–वर्तमान देयताएं**			
	(क) प्रावधान	13	54.17	52.12
			54.17	52.12
(ii)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य	14	934.40	1,106.64
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	15	59.37	38.19
	(ग) प्रावधान	13	209.40	179.98
			1,203.17	1,324.81
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**167,657.16**	**156,769.49**
III.	**वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें**			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 013940N

ह0/–
अजित कुमार सामल
उ. म. प्र. (वित्त)
कम्पनी सचिव

ह0/–
टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक
(डिन सं. 02406559)

ह0/–
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
I.	Revenue from operations	16	3,587.00	3,275.61
II	Other Income	17	833.03	1,491.37
III	**Total Revenue (I+II)**		**4,420.03**	**4,766.98**
IV	**Expenses**			
	Allowance for Loans & advances	18	-	-
	Penal Interest and others waived off	19	257.56	133.68
	Employee Benefit Expense	20	820.36	670.45
	Depreciation and Amortization Expense	21	18.56	8.96
	Training & Development Expenses	22	909.91	1,161.28
	Other Expenses	23	355.65	284.66
	Corporate Social Responsibility Expenses	26	46.09	-
	Total Expenses (IV)		**2,408.13**	**2,259.03**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		2,011.91	2,507.96
VI	Exceptional Items	25	(1.92)	(46.34)
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		2,013.83	2,554.30
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**2,013.83**	**2,554.30**
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**2,013.83**	**2,554.30**
XIV	**Other Comprehensive Income / (Expenses)**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	24	(6.57)	12.86
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		**2,007.26**	**2,567.16**
XVI	**Earning per equity share:**			
	(1) Basic (in ₹)	26	**17.46**	**23.47**
	(2) Diluted (in ₹)		**17.35**	**23.03**
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹)		-	-
	(2) Diluted (in ₹)		-	-
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹)	27	**17.46**	**23.47**
	(2) Diluted (in ₹)		**17.35**	**23.03**
XIX	See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associates

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
DGM (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
T.C.A. KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Place : New Delhi
Date : 26/07/2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय विवरण

(लाख रु. में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	16	3,587.00	3,275.61
II	अन्य आय	17	833.03	1,491.37
III	कुल राजस्व (I+II)		**4,420.03**	**4,766.98**
IV	**व्यय**			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति	18	-	-
	माफ किया गया दण्ड ब्याज एवं अन्य	19	257.56	133.68
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	820.36	670.45
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	21	18.56	8.96
	प्रशिक्षण एवं विकास व्यय	22	909.91	1,161.28
	अन्य व्यय	23	355.65	284.66
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	26	46.09	-
	कुल व्यय (IV)		**2,408.13**	**2,259.03**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)**		2,011.91	2,507.96
VI	असाधारण मदें	25	(1.92)	(46.34)
VII	**कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V - VI)**		2,013.83	2,554.30
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**निरंतर परिचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)**		**2,013.83**	**2,554.30**
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य		-	-
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)**		**2,013.83**	**2,554.30**
XIV	**अन्य व्यापक आय/(व्यय)**			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुर्नवर्गीकृत नहीं की जाएगी	24	(6.57)	12.86
	(ii) आय कर से सम्बंधित मदें जो आय–व्यय लेखे बही में पुर्नवर्गीकृत नहीं की जाएगी		-	-
	ख. (i) मदें जो आय–व्यय लेखे में पुर्नवर्गीकृत की जाएगी		-	-
	(ii) आय कर से सम्बंधित मदें जो आय–व्यय लेखे में पुर्नवर्गीकृत की जाएगी		-	-
XV	**अवधि में कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं अन्य समग्र आय सम्मिलित)**		**2,007.26**	**2,567.16**
XVI	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(1) मूलभूत (₹)	26	**17.46**	**23.47**
	(2) तनु (₹)		**17.35**	**23.03**
XVII	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(बंद संचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)		-	-
	(2) तनु (₹)		-	-
XVIII	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(बंद एवं चल रहे संचालनों से)			
	(1) मूलभूत (₹)	27	**17.46**	**23.47**
	(2) तनु (₹)		**17.35**	**23.03**
XIX	वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 013940N

ह0/–
अजित कुमार सामल
उ. म. प्र. (वित्त)
कम्पनी सचिव

ह0/–
टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक
(डिन सं. 02406559)

ह0/–
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
A. Cash Flow from Operating Activities			
Excess of income over expenditures before exceptional items and tax		2,011.91	2,507.96
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:			
Exceptional Items		1.92	46.34
Depreciation		18.56	8.96
Provision for loans and advances		-	5.03
Other Comprehansive Income/(Expense)		(6.57)	
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets		-	-
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities	**(1)**	**2,025.82**	**2,568.29**
Adjustments for:			
Decrease / (Increase) in Non-Current loans		(12,646.47)	(7,741.26)
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets		(29.29)	(48.24)
Decrease / (Increase) in Current loans		(5,689.18)	(3,818.20)
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others		(507.63)	254.34
Decrease / (Increase) in other non current assets		(24.24)	(2.06)
Decrease / (Increase) in current tax assets		3.07	(4.15)
Decrease / (Increase) in other current assets		(71.31)	8.73
(Decrease) / Increase in other current financial liability		(172.24)	593.82
(Decrease) / Increase in other current liability		21.18	15.19
(Decrease)/ Increase in non current provisions		2.05	(77.04)
Changes in Other Bank Balances		5,543.00	454.00
(Decrease)/ Increase in Current provisions		29.42	(1.32)
	(2)	(13,541.63)	(10,366.19)
Cash generated from operation	**(1+2)**	**(11,515.80)**	**(7,797.90)**
Income Tax Paid		-	-
Net Cash Outflow from Operating Activities		**(11,515.80)**	**(7,797.90)**
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's		0.82	0.33
Purchase of Property, Plant and Equipment's		(30.94)	(29.58)
Net Cash Inflow from Investing Activities		**(30.12)**	**(29.25)**
C. Cash Flow From Financing Activities			
Issue of Share Capital		6,000.00	10,000.00
Increase in share application money pending allotment		3,000.00	-
Net Cash Inflow from Financing Activities		**9,000.00**	**10,000.00**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		(2,545.93)	2,172.85
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note #- 8)		8,880.46	6,707.61
Closing Cash & Cash Equivalents		**6,334.53**	**8,880.46**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash and Cash Equivalents as at end of the year		**6,334.53**	**8,880.46**

Notes#-

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Amendment to Ind-As 7
   Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.
3. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associates

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
DGM (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
T.C.A. KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Place : New Delhi
Date : 26/07/2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संचालन कार्यकलापों द्वारा प्रदान किए गए शुद्ध नकद से शुद्ध लाभ के साथ समायोजन के लिए		2,011.91	2,507.96
असाधारण मदें एवं कर से पूर्व आय का व्यय से आधिक्य			
असाधारण मदें		1.92	46.34
मूल्यह्रास		18.56	8.96
ऋण और अग्रिमों हेतु प्रावधान		-	5.03
अन्य व्यापक आय/(व्यय)		(6.57)	
परसंपत्तियों के बिक्री/क्षति/विनिमय से हानि/(लाभ)		-	-
संचालन परिसंपत्तियों एवं दायित्वों समायोजन हेतु में परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ	**(1)**	**2,025.82**	**2,568.29**
गैर वर्तमान ऋण में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(12,646.47)	(7,741.26)
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(29.29)	(48.24)
वर्तमान ऋण में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(5,689.18)	(3,818.20)
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(507.63)	254.34
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(24.24)	(2.06)
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		3.07	(4.15)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (कमी)/(बढ़ोत्तरी)		(71.31)	8.73
अन्य वर्तमान वित्तीय दायित्व में (कमी)/बढ़ोत्तरी		(172.24)	593.82
अन्य वर्तमान दायित्व में (कमी)/बढ़ोत्तरी		21.18	15.19
गैर वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/बढ़ोत्तरी		2.05	(77.04)
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन		5,543.00	454.00
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/बढ़ोत्तरी		29.42	(1.32)
	(2)	(13,541.63)	(10,366.19)
संचालन से सृजित नकदी	**(1+2)**	**(11,515.80)**	**(7,797.90)**
भुगतान किया गया आय कर		-	-
संचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद बहिर्गमन		**(11,515.80)**	**(7,797.90)**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करों की बिक्री/निपटान		0.82	0.33
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करों की खरीद		(30.94)	(29.58)
निवेश कार्यकलापों से शुद्ध नकद आगम		**(30.12)**	**(29.25)**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
अंश पूंजी का निर्गम		6,000.00	10,000.00
अंश अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन में वृद्धि		3,000.00	-
वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी आगम		**9,000.00**	**10,000.00**
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी) (क+ख+ग)		(2,545.93)	2,172.85
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 8 देखें)		8,880.46	6,707.61
अंतः नकद एवं नकदी समकक्ष		**6,334.53**	**8,880.46**
नकद एवं नकदी समकक्ष का मिलान			
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष		**6,334.53**	**8,880.46**

टिप्पणियाँ:

1. इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक–7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. भारतीय लेखाकरण मानक–7 में संशोधन को 1 अप्रैल, 2017 से अंगीकार किया है जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक शेष और अंतः शेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता है। संशोधन की ग्राह्यता का कोई भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 013940N

ह0/–
अजित कुमार सामल
उ. म. प्र. (वित्त)
कम्पनी सचिव

ह0/–
टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक
(डिन सं. 02406559)

ह0/–
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (SOCE) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

A. Equity share capital **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Amount
Balance at the beginning of the year	112,400.00
Issue of equity shares capital during the year	6,000.00
Share Application Money pending allotment (a.1)	3,000.00
Balance at the end of the year	**121,400.00**

a. 1 Share application money of ₹ 3000 lakh received on 27th March, 2018, pending allotment of share as on 31st March 2018.

B. Other Equity **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	2,500.00	40,492.56	-	42,992.56
Prior period Adjustments	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the year	**2,500.00**	**40,492.56**	**-**	**42,992.56**
Profit for the year	-	-	2,013.83	**2,013.83**
Other Comprehensive Income for the year	-	-	**(6.57)**	**(6.57)**
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**2,007.26**	**2,007.26**
Transfer to general reserve	-	2,007.26	(2,007.26)	-
Others			-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-
Balance at the end of the year	**2,500.00**	**42,499.82**	**-**	**44,999.82**

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (SOCE) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

A. Equity share capital **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Amount
Balance at April 1, 2017	112,400.00
Issue of equity shares capital during the year	6,000.00
Balance at March 31, 2017	**118,400.00**

B. Other Equity **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	2,500.00	37,925.40	-	40,425.40
Prior period Adjustments (Refer Note #- 33)	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the year	**2,500.00**	**37,925.40**	**-**	**40,425.40**
Profit for the year	-	-	2,554.30	2,554.30
Other Comprehensive Income for the year	-	-	12.86	12.86
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**2,567.16**	**2,567.16**
Others				-
- Adjustment of depreciation			-	-
Transfer to general reserve	-	2,567.16	(2,567.16)	-
Balance at the end of the year	**2,500.00**	**40,492.56**	**-**	**42,992.56**

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associats

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
DGM (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
T.C.A. KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Place : New Delhi
Date : 26/07/2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	धनराशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	112,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	6,000.00
आबंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	3,000.00
वर्ष के अंत में अवशेष	**121,400.00**

क. दिनांक 27 मार्च, 2018 को प्राप्त रु. 3000 लाख की अंश अनुप्रयोग धनराशि का 31 मार्च, 2018 को अंश आबंटन लंबित

ख. अन्य साम्य

(लाख रु. में)

विवरण	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2,500.00	40,492.56	-	42,992.56
पूर्वावधि समायोजन	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	**2,500.00**	**40,492.56**	**-**	**42,992.56**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,013.83	**2,013.83**
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	**(6.57)**	**(6.57)**
वर्ष में कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**2,007.26**	**2,007.26**
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	2,007.26	(2,007.26)	-
अन्य			-	-
– मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अवशेष	**2,500.00**	**42,499.82**	**-**	**44,999.82**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण

क. साम्य अंश पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	धनराशि
1 अप्रैल, 2017 को अवशेष	112,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	6,000.00
31 मार्च, 2017 को अवशेष	**118,400.00**

ख. अन्य साम्य

(लाख रु. में)

विवरण	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2,500.00	37,925.40	-	40,425.40
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 33 देखें)	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**2,500.00**	**37,925.40**	**-**	**40,425.40**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,554.30	2,554.30
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	12.86	12.86
वर्ष में कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**2,567.16**	**2,567.16**
अन्य				-
–मूल्यह्रास का समायोजन			-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	2,567.16	(2,567.16)	-
वर्ष के आरंभ में अवशेष	**2,500.00**	**40,492.56**	**-**	**42,992.56**

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 013940N

ह0/–
अजित कुमार सामल
उ. म. प्र. (वित्त)
कम्पनी सचिव

ह0/–
टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक
(डिन सं. 02406559)

ह0/–
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

NOTES TO ACCOUNTS

NOTE : 1 CORPORATE INFORMATION

National Backward Classes and Finance Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

NOTE : 2 ACCOUNTING POLICIES

a) STATEMENT OF COMPLIANCE

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2018 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017.

b) BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

b) Certain financial assets and liabilities

c) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) STATEMENT OF CASH FLOW

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information. For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी : 1 निगमित सूचना

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा निर्दिष्ट स्थान भारत है, की स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं उनके समूहों में अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्मीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3,सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में स्थित है।

टिप्पणी : 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है:

क. परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

ख. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संजान में आए/प्रकट हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूपए में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ड़) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन–देन की नकदी रहित प्रकृति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है। नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

f) FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

a) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.

b) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.

c) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

d) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-18 as its collectability is uncertain.

e) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.

f) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

OTHER INCOME

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method

h) REVENUE GRANT FROM GOVERNMENT

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.
- Unspent grants & interest accrued thereon are deferred & taken to current liabilities
- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

i) INCOME TAXES

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ–साथ प्रयोजन मूलक है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्यय विवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन–पत्र की तिथि में लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपए में परिवर्तित किया जाता है एवं विनिमय अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर– वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

क) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

ख) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना–वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

ग) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

घ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक–18 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इस की वसूली अनिश्चित है।

ड) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

च) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों के व्यय के लिए अनुदान के भुगतान का आगणन वितरण पर किया गया है।

अन्य आय

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

ज) सरकार से राजस्व अनुदान

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय–व्यय विवरणी में संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- अनुपयुक्त अनुदान एवं उस पर अर्जित ब्याज आस्थगित किए गए हैं एवं चालू दायित्वों में लिए गए हैं।
- गत् लेखांकन अवधि में किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप में जिसके दौरान स्वीकृत अनुदान प्राप्त हुआ सरकार से प्राप्य अनुदान को आय एवं व्यय विवरणी में लिया गया है।

झ) आय कर

निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बीबी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

j) PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets

ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	**Useful Life (years)**
Building	60
Fixture & fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles	8
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

k) INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

ट) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित ह्रास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है।

संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते हैः

i) परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।

ii) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मदों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल–पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य ह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–सस में वर्णित है।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण के एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्य ह्रास किया जाता है, यदि मद की कुल लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
ब्यौरे	**उपयोगी जीवन (वर्ष)**
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन	8
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ई.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

ह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

ठ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए प्रवाह करेंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

पांचों वर्ष की अवधि में बराबर अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, ता`परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

l) IMPAIRMENT

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired if any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

m) EMPLOYEE BENEFITS

a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.

b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.

c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.

d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income

e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.

f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE) The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.

g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

n) EARNINGS PER SHARE

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

o) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

ड) क्षति

(i) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक–109 अपेक्षा करता है।

यदि अनुबंध परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तियों के अलावा समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की क्रेडिट जोखिम पर इसकी आरंभिक मान्यता से काफी अधिक खर्च हुआ है, इसकी प्रारंभिक पहचान सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट घाटे को 12 महीनों की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि या ईसीएल के जीवन समय के बराबर की राशि पर मापा जाना चाहिए।

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुत्क्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी के आय/व्यय के रूप में अवधि के दौरान माना गया है।

(ii) गैर–वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में लिया जाता है।

ढ़) कर्मचारी लाभ

क) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

ख) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और रूपांतरित अवकाश) खाते में प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।

ग) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाशन के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है एवं आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।

घ) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

ड़) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

च) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। जिसमें नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

छ) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

ण) प्रति अंश आय

प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके की गई है। गैर–मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

त) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जबकि;

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event.

(ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

(iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

p) FINANCIAL INSTRUMENTS#-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

(i) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A ‘debt instrument’ is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset’s contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व के रूप में.

ii) आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं

iii) दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है:

i) वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बाहिर्गमन से दायित्व का निस्तारण अपेक्षित होगा, अथवा

ii) वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा

iii) एक संभव दायित्व, जब–तक कि संसाधन का बहिगर्मन की संभाव्यता सुदूर हो.

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती है जब आर्थिक लाभों का बहिर्गमन संभाव्य हो।

थ) वित्तीय उपकरण/साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन–देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगा:

i) वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं

ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

आय एवं व्यय विवरणी में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

लिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते हो:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों–संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना गया है। तथापि, कंपनी आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उत्क्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः परिष्कृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

q) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. आदि को पूरा करता है।

परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नहीं माना है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर माना गया है।

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने एफ.वी.टी.पी.एल. पर किसी भी वित्तीय दायित्वों का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

द) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन–देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तोः

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैः

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

r) STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18

IND AS 115 Revenue from Contracts with Customers

MCA had notified IND AS 115 on Revenue from Contracts with Customers in Feb 2015. The standard establishes a new five step model that will apply to revenue arising from Contracts with customers. Under IND AS 115, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The principles in IND AS 115 provide a more structured approach to measuring and recognizing revenue. The new revenue standard is applicable to all entities and will supersede all current revenue recognition requirements under IND AS.

The effective date of IND AS 115 is annual periods beginning on or after 1st January 2018, with early adoption permitted. The Company is required to adopt the standard by the Financial Year commencing 1st April 2018. The Company is currently evaluating the requirements of IND AS 115 and has not yet determined the impact on the financial statements.

स्तर 1. समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2. मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।

स्तर 3. मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ–प्रेक्षणीय होते हैं।

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्यों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रकृति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों में किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

ध) जारी किए गए मानक किन्तु अभी वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रभावी नहीं

भारतीय लेखाकरण मानक– 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

एम.सी.ए. ने फरवरी, 2015 में ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को भारतीय लेखाकरण मानक 115 द्वारा अधिसूचित किया था। मानक एक नया पांच कदम मॉडल स्थापित करता है जो ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व पर लागू होगा। भारतीय लेखाकरण मानक 115 के तहत, राजस्व एक ऐसी राशि को माना जाता है जो उस विचार को प्रतिबिंबित करता है जिसके लिए एक इकाई को ग्राहक को सामान या सेवाएं स्थानांतरित करने के बदले उसका हकदार होने की अपेक्षा होती है। भारतीय लेखाकरण मानक 115 के सिद्धांतों में राजस्व को मापने और पहचानने के लिए एक अधिक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। नया राजस्व मानक सभी संस्थाओं पर लागू होता है और भारतीय लेखाकरण मानक के तहत सभी मौजूदा राजस्व मान्यताओं और आवश्यकताओं को त्याग देगा।

भारतीय लेखाकरण मानक–155 की प्रभावी तारीख, प्रारंभिक अंगीकरण के साथ 1 जनवरी 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 से पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के मानक को अपनाने की आवश्यकता है। कंपनी वर्तमान में भारतीय लेखाकरण मानक–115 की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर अभी प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE : 3 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT'S

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Finance lease)	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost									
At 1 April 2016	52.66	47.94	40.82	39.72	8.29	16.67	3.66	54.46	264.22
Additions during the year	-	-	1.74	0.97	-	1.71	-	7.81	12.23
Disposals/Adjustments	-	-	0.25	1.00	-	0.51	-	4.55	6.31
At 31 March 2017	**52.66**	**47.94**	**42.31**	**39.69**	**8.29**	**17.87**	**3.66**	**57.72**	**270.14**
At 1 April 2017	52.66	47.94	42.31	39.69	8.29	17.87	3.66	57.72	270.14
Additions during the year	-	-	1.60	15.39	6.88	1.50	-	0.49	25.86
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	6.66	0.85	-	0.32	7.83
At 31 March 2018	**52.66**	**47.94**	**43.91**	**55.08**	**8.51**	**18.52**	**3.66**	**57.89**	**288.17**
Depreciation and Impairment									
At 1 April 2016	33.66	31.05	36.44	35.31	7.41	14.95	3.30	52.75	214.87
Depreciation charge for the year (Refer Note-21)	0.91	0.85	1.41	1.96	0.31	0.80	0.08	1.86	8.18
Impairment		-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments		-	0.24	0.98	-	0.45	-	4.32	5.99
At 31 March 2017	**34.57**	**31.90**	**37.61**	**36.29**	**7.72**	**15.30**	**3.38**	**50.29**	**217.06**
At 1 April 2017	34.57	31.90	37.61	36.29	7.72	15.30	3.38	50.29	217.06
Depreciation charge for the year (Refer Note-21)	0.87	0.80	1.34	3.82	1.94	0.91	0.04	4.34	14.06
Impairment	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.20
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	6.17	0.80	-	0.21	7.18
At 31 March 2018	**35.44**	**32.70**	**38.95**	**40.31**	**3.49**	**15.41**	**3.42**	**54.42**	**224.14**
Net book value									
At 31 March 2018	**17.22**	**15.24**	**4.96**	**14.77**	**5.02**	**3.11**	**0.24**	**3.47**	**64.03**
At 31 March 2017	**18.09**	**16.04**	**4.70**	**3.40**	**0.57**	**2.57**	**0.28**	**7.43**	**53.06**

Note #-3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

Note #-3.2 Depreciation Amount of ₹ Nil (as at 31st march 2017 Rs Nil) is adjusted from opening balance of retained earning as per note 12.3.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी : 3 संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर

(लाख रु. में)

विवरण	भवन (वित्तीय लीज़)	भवन (फ्रीहोल्ड)	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडिशनर एवं कूलर्स	ई.पी.ए. बी.एक्स.	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	कुल
लागत या मानी गई लागत									
1 अप्रैल, 2016 को	52.66	47.94	40.82	39.72	8.29	16.67	3.66	54.46	264.22
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	1.74	0.97	-	1.71	-	7.81	12.23
निपटान/समायोजन	-	-	0.25	1.00	-	0.51	-	4.55	6.31
31 मार्च, 2017 को	**52.66**	**47.94**	**42.31**	**39.69**	**8.29**	**17.87**	**3.66**	**57.72**	**270.14**
1 अप्रैल, 2017 को	52.66	47.94	42.31	39.69	8.29	17.87	3.66	57.72	270.14
वर्ष के दौरान जोड़े	-	-	1.60	15.39	6.88	1.50	-	0.49	25.86
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	6.66	0.85	-	0.32	7.83
31 मार्च, 2018 को	**52.66**	**47.94**	**43.91**	**55.08**	**8.51**	**18.52**	**3.66**	**57.89**	**288.17**
मूल्य ह्रास एवं क्षति									
1 अप्रैल, 2016 को	33.66	31.05	36.44	35.31	7.41	14.95	3.30	52.75	214.87
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (टिप्पणी–21 देंखें)	0.91	0.85	1.41	1.96	0.31	0.80	0.08	1.86	8.18
क्षति		-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन		-	0.24	0.98	-	0.45	-	4.32	5.99
31 मार्च, 2017 को	**34.57**	**31.90**	**37.61**	**36.29**	**7.72**	**15.30**	**3.38**	**50.29**	**217.06**
1 अप्रैल, 2017 को	34.57	31.90	37.61	36.29	7.72	15.30	3.38	50.29	217.06
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (टिप्पणी–21 देंखें)	0.87	0.80	1.34	3.82	1.94	0.91	0.04	4.34	14.06
क्षति	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.20
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	6.17	0.80	-	0.21	7.18
31 मार्च, 2018 को	**35.44**	**32.70**	**38.95**	**40.31**	**3.49**	**15.41**	**3.42**	**54.42**	**224.14**
शुद्ध अंकित मूल्य									
31 मार्च, 2018 को	**17.22**	**15.24**	**4.96**	**14.77**	**5.02**	**3.11**	**0.24**	**3.47**	**64.03**
31 मार्च, 2017 को	**18.09**	**16.04**	**4.70**	**3.40**	**0.57**	**2.57**	**0.28**	**7.43**	**53.06**

टिप्पणीः 3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया गया है।

टिप्पणीः 3.2 मूल्यह्रास राशि शून्य (31 मार्च, 2017 को शून्य) का समायोजन आरंभिक अवशेष की प्रतिधारित आय से टिप्पणी 12.3 के अनुसार किया गया है।

NOTE : 4 INTANGIBLE ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2016	23.80	-	23.80
Addition during the year	-	17.35	17.35
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2017	**23.80**	**17.35**	**41.15**
Addition during the year	22.43	-	22.43
Adjustment/deletions during the year	-	(17.35)	(-17.35)
Closing balance at 31st March 2018	**46.23**	**-**	**46.23**
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1st April 2016	23.02	-	23.02
Amortization during the year (Refer Note-21)	0.78	-	0.78
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2017	**23.80**	**-**	**23.80**
Amortization during the year (Refer Note-21)	4.49	-	4.49
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2018	**28.29**	**-**	**28.29**
Net book value			
As at 31 March 2018	**17.94**	**-**	**17.94**
As at 31 March 2017	**-**	**17.35**	**-**

टिप्पणी: 4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकास के लिए अमूर्त परिसंपत्तियाँ	कुल
1 अप्रैल, 2016 को लागत अथवा मानी गई लागत	23.80	-	23.80
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	17.35	17.35
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2017 को अंतशेष	**23.80**	**17.35**	**41.15**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	22.43	-	22.43
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	(17.35)	(-17.35)
31 मार्च, 2018 को अंतशेष	**46.23**	**-**	**46.23**
परिशोधन एवं क्षति			
1 अप्रैल, 2016 को आरंभिक अवशेष	23.02	-	23.02
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी 21 देखें)	0.78	-	0.78
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2017 को अंतशेष	**23.80**	**-**	**23.80**
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी 21 देखें)	4.49	-	4.49
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतशेष	**28.29**	**-**	**28.29**
शुद्ध अंकित मूल्य			
31 मार्च, 2018 को	**17.94**	**-**	**17.94**
31 मार्च, 2017 को	**-**	**17.35**	**-**

NOTE : 5 FINANCIAL ASSETS - LOANS

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018		Total	As at 31st March 2017		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities						
Secured, considered good						
(a) General loans	56,699.61	29,629.19	86,328.80	48,665.50	26,361.44	75,026.94
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) General loans	1,496.59	246.18	1,742.77	1,122.22	216.64	1,338.86
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	58,196.20	29,875.37	88,071.57	49,787.72	26,578.08	76,365.80
Unsecured, considered good						
General loans	10,789.57	928.32	11,717.89	9,478.65	475.60	9,954.25
Doubtful						
General loans	-	163.51	163.51	-	150.87	150.87
Less : Allowance for loans & advances #	-	(163.51)	(163.51)	-	(150.87)	(150.87)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	**68,985.77**	**30,803.68**	**99,789.45**	**59,266.37**	**27,053.68**	**86,320.05**
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities						
Secured, considered good						
(a) Micro Finance Loan	33,103.33	15,594.25	48,697.58	28,189.78	13,429.69	41,619.47
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) Micro Finance Loan	254.25	436.44	690.69	677.63	556.29	1,233.92
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	33,357.58	16,030.69	49,388.27	28,867.41	13,985.98	42,853.39
Unsecured, considered good						
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	1,318.86	1,020.90	2,339.77	2,881.55	1,119.28	4,000.83

टिप्पणी : 5 वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

ऋणों के गैर–वर्तमान अंश का वर्गीकरण 'गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां– ऋण' एवं ऋणों का वर्तमान अंश 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		योग	31 मार्च, 2017 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(1) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सामान्य ऋण						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
(क) सामान्य ऋण (सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)	56,699.61	29,629.19	86,328.80	48,665.50	26,361.44	75,026.94
(ख) सामान्य ऋण (सामान्य जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	1,496.59	246.18	1,742.77	1,122.22	216.64	1,338.86
	58,196.20	29,875.37	88,071.57	49,787.72	26,578.08	76,365.80
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सामान्य ऋण	10,789.57	928.32	11,717.89	9,478.65	475.60	9,954.25
संदेहपूर्ण						
सामान्य ऋण	-	163.51	163.51	-	150.87	150.87
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस) #	-	(163.51)	(163.51)	-	(150.87)	(150.87)
	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	**68,985.77**	**30,803.68**	**99,789.45**	**59,266.37**	**27,053.68**	**86,320.05**
(2) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सूक्ष्म ऋण						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
(क) सूक्ष्म वित्त ऋण (सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)	33,103.33	15,594.25	48,697.58	28,189.78	13,429.69	41,619.47
(ख) सूक्ष्म वित्त ऋण (सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	254.25	436.44	690.69	677.63	556.29	1,233.92
	33,357.58	16,030.69	49,388.27	28,867.41	13,985.98	42,853.39
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सूक्ष्म वित्त ऋण (असुरक्षित, अच्छे माने गए)	1,318.86	1,020.90	2,339.77	2,881.55	1,119.28	4,000.83

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018		Total	As at 31st March 2017		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
Doubtful						
Micro Finance Loan	-	56.67	56.67	-	16.43	16.43
Less : Allowance for loans & advances #	-	(56.67)	(56.67)	-	(16.43)	(16.43)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (2)	**34,676.45**	**17,051.59**	**51,728.03**	**31,748.96**	**15,105.26**	**46,854.22**
(3) Loans to Managing Director	3.63	2.57	6.20	5.62	1.84	7.46
(4) Loans to Employees						
(a) Loans & Interest accrued						
Secured, considered good	86.79	4.57	91.36	78.17	9.66	87.83
Unsecured, considered good	16.58	2.57	19.15	23.63	5.36	28.99
Sub Total (4)	**103.37**	**7.14**	**110.51**	**101.80**	**15.02**	**116.82**
Grand Total (1+2+3+4)	**103,769.22**	**47,864.98**	**151,634.20**	**91,122.75**	**42,175.80**	**133,298.55**

Allowance for Loan & Advances to respective state channel agencies (SCAs)/Channel Partners (CPs) is Made as per the Corporation's Policy.

Note 5.1 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

Note 5.2 Out of the total Loans of ₹ 1,58,469.88 Lakhs (as at 31.03.2017 Rs 1,39,503.32 Lakhs), ₹ 1,31,690.92 Lakhs (as at 31.03.2017 ₹ 1,21,718.20 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.

Note 5.3 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agency prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of Rs.211.81 lakhs (₹ 207.93 lakhs as at 31.03.2017) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

Note 5.4 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar & Uttar Pradesh and out of there states two new states of Jharkahnd & Uttrakhand were formed respectively in the year 2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

Note 5.5 The utilization certificates of Rs.18,579.29 lakhs (₹ 17,779.34 Lakhs as at 31.03.2017) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs 3483.07 lakhs (₹ 2995.71 lakhs as at 31.03.2017) are more than six months old as at year end.

Note 5.6 As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undisounted Loans to Employees as as given below#-

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		योग	31 मार्च, 2017 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
संदेहपूर्ण						
सूक्ष्म वित्त ऋण	-	56.67	56.67	-	16.43	16.43
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस) #	-	(56.67)	(56.67)	-	(16.43)	(16.43)
	-	-	-	-	-	-
उप योग (2)	**34,676.45**	**17,051.59**	**51,728.03**	**31,748.96**	**15,105.26**	**46,854.22**
(3) **प्रबन्ध निदेशक को ऋण**	3.63	2.57	6.20	5.62	1.84	7.46
(4) **कर्मचारियों को ऋण**						
(a) उपार्जित ऋण एवं ब्याज						
सुरक्षित, अच्छे माने गए	86.79	4.57	91.36	78.17	9.66	87.83
असुरक्षित, अच्छे माने गए	16.58	2.57	19.15	23.63	5.36	28.99
उप योग (4)	**103.37**	**7.14**	**110.51**	**101.80**	**15.02**	**116.82**
कुल योग (**1+2+3+4**)	**103,769.22**	**47,864.98**	**151,634.20**	**91,122.75**	**42,175.80**	**133,298.55**

संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी(रा.चै.ए.)/चैनल सहभागी के लिए ऋण एवं अग्रिम का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किए किए हैं।

टिप्पणी: 5.1 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसा कि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम के लिए लागू नहीं हैं, इसके कारण निदेशक मण्डल ने कुछ बकाया ऋणों/उस पर ब्याज प्रावधान के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधान के लिए अपने स्वयं के नियम बनाये हैं।

टिप्पणी: 5.2 कुल ऋणों रु. 1,58,469.88 लाख (31.03.2017 को रु. 1,39,503.32 लाख) में से रु. 1,31,690.92 लाख (31.03.2017 को रु. 1,21,718.20 लाख) की पुष्टि संबंधित पार्टियों द्वारा की गई है। शेष ऋण राशि उधार लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी: 5.3 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ तथा इस राज्य से वर्ष 2000 में एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। राज्य के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ऋण दिए गए थे तथा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भुगतान हेतु प्रत्याभूत थे। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को प्रदान किए को गए थे जबकि पश्चातवर्ती राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को रु. 211.81 लाख (31.03.2017 को रु. 207.93 लाख) के दायित्व का भुगतान नहीं किया गया है एवं इस प्रकार से बकाया ऋण की पूर्ववर्ती राज्य के नाम पर गणना की गई है।

टिप्पणी: 5.4 संवैधानिक संसोधन के परिणाम स्वरूप बिहार एवं उत्तर–प्रदेश का विभाजन हुआ व वर्ष 2000 में क्रमशः झारखण्ड व उत्तराखण्ड दो नए राज्य सृजित हुए। रा.चै.ए. के पश्चातवर्ती राज्यों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों बटवारा लंबित है, अतः निगम ने पूर्ववर्ती रा.चै.ए. के सापेक्ष बकाया को प्रदर्शित किया है, जो पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी: 5.5 वर्ष की समाप्ति पर रु. 18,579.29 लाख (31.03.2017 को रु. 17,779.34 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र उधार लेने वाले संस्थानों से प्राप्त होने लंबित हैं, जिसमें से रु. 3,483.07 लाख (31.03.2017 को रु. 2,995.71 लाख) 6 माह से अधिक पुराने हैं।

टिप्पणी: 5.6 भारतीय लेखाकरण मानक – 109 के अनुसार कर्मचारी ऋण और अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर–रियायती ऋण विवरण में मूल और ब्याज दोनों घटक शामिल है, जैसा कि नीचे दिया गया है:–

(₹ in Lakhs)

Particulars	2017-18		2016-17	
	Principal	Interest	Principal	Interest
Computer Loan	-	-	-	-
House Building Advance	39.38	80.29	52.40	82.09
Vehicle Loan	2.48	2.10	3.79	3.71
General Purpose Advance	31.43	-	25.49	-
Household Advance	-	-	-	-
Total	**73.29**	**82.39**	**81.69**	**85.80**

As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

Note 5.7 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

Note 5.8 Details of Loan and Advances as on 31.03.2018 **(₹ in Lakhs)**

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Refunds	Adjustment/ reapropriated	Recovered during the year	Closing Balance
1	General Loan	86,234.17	24,532.92	1,554.88	(2,227.48)	11,486.73	99,952.96
2	Funded Interest	236.74	-	-	236.74	-	0.00
3	Micro Finance	46,870.65	22,247.95	1,153.37	2,239.52	13,941.01	51,784.70
4	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
	Total	**1,33,341.57**	**46,780.87**	**2,708.25**	**248.78**	**25,427.74**	**151,737.67**
	Loan Due	14,397.38	869.91		-		15,267.29
	Loan Not due (31.03.2018)	1,18,944.19	17526.19	-	-	-	136,470.38
	Previous year	**1,22,235.97**	**38,740.91**	**5,202.94**	**116.73**	**22,315.65**	**133,341.57**

Note 5.9 Details of Loan and Advances as on 31.03.2017 **(₹ in Lakhs)**

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Refunds	Adjustment/ reapropriated	Recovered during the year	Closing Balance
1	General Loan	82,554.18	18,464.15	3,960.94	(60.78)	10,884.00	86,234.17
2	Funded Interest	348.64	4.83	-	116.73	-	236.74
3	Micro Finance	39,333.15	20,271.93	1,242.00	60.78	11,431.66	46,870.65
4	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
	Total	**1,22,235.97**	**38,740.91**	**5,202.94**	**116.73**	**22,315.65**	**133,341.57**
	Loan Due	12,600.57	1796.81				14,397.38
	Loan Not due	1,09,635.40	9308.79				118,944.19
	Previous year	**1,14,617.30**	**31,911.76**	**201.55**	**1,290.80**	**22,800.74**	**122,235.97**

Note 5.10 Detail of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.18. **(₹ in Lakhs)**

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 2017-18	Closing Balance
1	Loans & Advances -General loan	150.87	12.64	-	163.51
2	Loans & Advances -Micro finance	16.43	40.24	-	56.67
	Total	**167.30**	**52.88**	**-**	**220.18**
	Previous year	617.99	-	450.69	167.30

(लाख रु. में)

विवरण	2017–18		2016–17	
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
कंप्यूटर ऋण	-	-	-	-
गृह निर्माण ऋण	39.38	80.29	52.40	82.09
वाहन ऋण	2.48	2.10	3.79	3.71
सामान्य उद्देश्य हेतु अग्रिम	31.43	-	25.49	-
घरेलू अग्रिम	-	-	-	-
योग	**73.29**	**82.39**	**81.69**	**85.80**

दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, आवास निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणीः 5.7 वर्ष के अंत तक बकाया ऋण और अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया साधारण ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये बाद के वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैः

टिप्पणीः 5.8 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण (लाख रु. में)

क्रं. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुर्नगृहित	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
1	सामान्य ऋण	86,234.17	24,532.92	1,554.88	(2,227.48)	11,486.73	99,952.96
2	निधिबद्ध ब्याज	236.74	-	-	236.74	-	0.00
3	सूक्ष्म वित्त	46,870.65	22,247.95	1,153.37	2,239.52	13,941.01	51,784.70
4	निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
	योग	**1,33,341.57**	**46,780.87**	**2,708.25**	**248.78**	**25,427.74**	**151,737.67**
	देय ऋण	14,397.38	869.91		-		15,267.29
	अदेय ऋण (31.03.2018)	1,18,944.19	17526.19	-	-	-	136,470.38
	गत् वर्ष	**1,22,235.97**	**38,740.91**	**5,202.94**	**116.73**	**22,315.65**	**133,341.57**

टिप्पणीः 5.9 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण (लाख रु. में)

क्रं. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुर्नगृहित	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
1	सामान्य ऋण	82,554.18	18,464.15	3,960.94	(60.78)	10,884.00	86,234.17
2	निधिबद्ध ब्याज	348.64	4.83	-	116.73	-	236.74
3	सूक्ष्म वित्त	39,333.15	20,271.93	1,242.00	60.78	11,431.66	46,870.65
4	निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
	योग	**1,22,235.97**	**38,740.91**	**5,202.94**	**116.73**	**22,315.65**	**133,341.57**
	देय ऋण	12,600.57	1796.81				14,397.38
	अदेय ऋण	1,09,635.40	9308.79				118,944.19
	गत् वर्ष	**1,14,617.30**	**31,911.76**	**201.55**	**1,290.80**	**22,800.74**	**122,235.97**

टिप्पणीः 5.10 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान/वर्तमान) पर प्रबंध का विवरण (लाख रु. में)

क्रं. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	2016–17 की अवधि में पीछे से लाए गए /वसूले गए प्रावधान	अंत अवशेष
1	ऋण एवं अग्रिम–सामान्य ऋण	150.87	12.64	-	163.51
2	ऋण एवं अग्रिम–सूक्ष्म वित्त	16.43	40.24	-	56.67
	कुल	**167.30**	**52.88**	**-**	**220.18**
	गत वर्ष	617.99	-	450.69	167.30

NOTE 6 OTHER FINANCIAL ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018		Total	As at 31st March 2017		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(1) **Interest Receivable:**						
Secured, considered good						
- Interest on General Loan (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	4,451.52	4,451.52	-	3,953.00	3,953.00
- Interest on Micro Finance (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	101.25	101.25	-	126.24	126.24
	-	4,552.76	4,552.76	-	4,079.24	4,079.24
Unsecured, considered good						
- Interest on General Loan	-	674.25	674.25	-	119.72	119.72
- Interest on Micro Finance	-	39.21	39.21	-	4.03	4.03
	-	713.46	713.46	-	123.75	123.75
Doubtful						
- Interest on General Loan	-	609.33	609.33	-	679.54	679.54
- Interest on Micro Finance	-	7.24	7.24	-	7.30	7.30
- Penal Interest on General Loan	336.26	-	336.26	336.35	-	336.35
- Penal Interest on Micro Finance	4.44	-	4.44	6.60	-	6.60
	340.70	616.57	957.27	342.95	686.84	1,029.79
Less : Allowance for loans & advances	(340.70)	(616.57)	(957.27)	(342.95)	(686.84)	(1,029.79)
Sub Total (1)	**-**	**4,649.65**	**4,649.65**	**-**	**4,202.99**	**4,202.99**
(2) Interest accrued but not due						
GLS-General Loan	296.44	286.68	583.12	258.58	191.69	450.27
Micro Finance	-	75.55	75.55	-	79.42	79.42
Form banks	-	29.08	29.08	-	61.70	61.70
Sub Total (2)	**296.44**	**391.31**	**687.76**	**258.58**	**332.81**	**591.39**
(3) Security Deposits	-	4.07	4.07	-	2.97	2.97
(4) Other Receivables	-	-	-	-	-	-
Amount recoverable from employees	-	7.15	7.15	8.57	-	8.57
Amount recoverable from parties	-	41.64	41.64	-	47.42	42.42
Grand Total (1+2+3+4)	**296.44**	**5,093.82**	**5,390.26**	**267.15**	**4,586.19**	**4,853.34**

टिप्पणी : 6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		योग	31 मार्च, 2017 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(1) **प्राप्य ब्याज**						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
– सामान्य ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	4,451.52	4,451.52	-	3,953.00	3,953.00
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	101.25	101.25	-	126.24	126.24
	-	4,552.76	4,552.76	-	4,079.24	4,079.24
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
– सामान्य ऋण पर ब्याज	-	674.25	674.25	-	119.72	119.72
– सूक्ष्म वित्त पर ब्याज	-	39.21	39.21	-	4.03	4.03
	-	713.46	713.46	-	123.75	123.75
संदेहपूर्ण						
– सामान्य ऋण पर ब्याज	-	609.33	609.33	-	679.54	679.54
– सूक्ष्म वित्त पर ब्याज	-	7.24	7.24	-	7.30	7.30
– सामान्य ऋण पर दण्ड ब्याज	336.26	-	336.26	336.35	-	336.35
– सूक्ष्म वित्त पर दण्ड ब्याज	4.44	-	4.44	6.60	-	6.60
	340.70	616.57	957.27	342.95	686.84	1,029.79
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस)	(340.70)	(616.57)	(957.27)	(342.95)	(686.84)	(1,029.79)
उप योग (1)	**-**	**4,649.65**	**4,649.65**	**-**	**4,202.99**	**4,202.99**
(2) **उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं**						
सामान्य ऋण	296.44	286.68	583.12	258.58	191.69	450.27
सूक्ष्म वित्त	-	75.55	75.55	-	79.42	79.42
बैंकों से	-	29.08	29.08	-	61.70	61.70
उप योग (2)	**296.44**	**391.31**	**687.76**	**258.58**	**332.81**	**591.39**
(3) **सुरक्षित जमा**	-	4.07	4.07	-	2.97	2.97
(4) **अन्य प्राप्य**	-	-	-	-	-	-
कर्म चारियों से प्राप्य धनराशि	-	7.15	7.15	8.57	-	8.57
पार्टियों से प्राप्य धनराशि	-	41.64	41.64	-	47.42	42.42
कुल योग **(1+2+3+4)**	**296.44**	**5,093.82**	**5,390.26**	**267.15**	**4,586.19**	**4,853.34**

Note 6.1 Other receivables (4) above includes ₹ 2.81 Lakhs (₹ 7.58 Lakhs as at 31.03.2017) receivable from other National Corporations under the same Administrative Ministry towards events held commonly / behalf. The said amounts are subject to reconciliation and confirmation, but are considered good for recovery. Therefore, no provision for the same has been made.

Note 6.2 During the year, additional demand notice for the period 16.02.18 to 31.03.18 have not been raised upto 31.03.2018. However, interest for that period amounting to ₹191.05 Lakhs (₹ 171.31 Lakhs as at 31.03.2017) has been included in interest accrued but not due.

Note 6.3 Detail of allowance for Interest on Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.18.

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 2016-17	Closing Balance
1	Penal Interest	342.96		2.27	340.70
2	Interest on loan - General Loan	679.54	-	70.21	609.33
3	Interest on loan - Micro Finance	7.30	-	0.06	7.24
	Total	**1,029.80**	**-**	**72.54**	**957.27**

NOTE 7 OTHER CURRENT & NON CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2018		Total	As at 31st March 2017		Total
		Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(i)	Samples	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30
(ii)	Net planned Assets for gratuity or leave encashment (Refer Note:13.1)	34.62	7.25	41.87	6.04	47.92	53.96
(iii)	Other Receivables	-	108.94	108.94	-	-	-
(iv)	Prepaid Expenses (refer note: 7.1)	34.45	7.57	42.02	38.79	4.44	43.23
(v)	Others						
	- Stamps in hand	-	0.03	0.03	-	0.14	0.14
	Total	**69.07**	**124.10**	**193.16**	**44.83**	**52.79**	**97.63**

Note 7.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

NOTE 8 CASH AND CASH EQUIVALENT

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand	0.00	0.25
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	5529.42	7927.56
(c) Other Bank Balance (Grant Funds)		
- Saving Account	805.11	952.65
Total	**6334.53**	**8880.46**

Note 8.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group, only as per the terms of the grant.

Note 8.2 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

Note 8.3 The diclosure in financial statements regarding holdings as well as dealings in specified bank notes during the period from 08/11/2016 to 30/12/2016 have not been made since they do not pertain to the financial year ended 31 March, 2018.

टिप्पणी: 6.1 अन्य प्राप्य (4) में रु. 2.81 लाख (31.03.2017 को रु. 7.58 लाख) सम्मिलित हैं जो अन्य राष्ट्रीय निगमों से जो एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन है द्वारा मिलकर विभिन्न आयोजन किए गए है, से प्राप्त होने है। यह राशि मिलान एवं पुष्टि के अधीन है, लेकिन वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी: 6.2 वर्ष के दौरान, 16.02.2018 से 31.03.2018 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसें 31.03.2018 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, अवधि की रु. 191.05 लाख (31.03.2017 को रु. 171.31 लाख) की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई है, किन्तु देय नहीं है।

टिप्पणी: 6.3 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान/वर्तमान) पर प्रबंध का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	2016–17 की अवधि में पीछे से लाए गए/ वसूले गए प्रावधान	अंत अवशेष
1	दण्ड ब्याज	342.96		2.27	340.70
2	ऋण पर ब्याज–सामान्य ऋण	679.54	-	70.21	609.33
3	ऋण पर ब्याज–सूक्ष्म वित्त	7.30	-	0.06	7.24
	कुल	**1,029.80**	**-**	**72.54**	**957.27**

टिप्पणी: 7 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 को		योग	31 मार्च, 2017 को		योग
		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(i)	नमूने (सैम्पल)	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30
(ii)	उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियां (टिप्पणी 13.1 देखें)	34.62	7.25	41.87	6.04	47.92	53.96
(iii)	अन्य प्राप्य	-	108.94	108.94	-	-	-
(iv)	पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी 7.1 देखें)	34.45	7.57	42.02	38.79	4.44	43.23
(v)	अन्य						
	– उपलब्ध स्टैम्प	-	0.03	0.03	-	0.14	0.14
	योग	**69.07**	**124.10**	**193.16**	**44.83**	**52.79**	**97.63**

टिप्पणी: 7.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम या वित्तीय संपत्तियों के अपरिशोधित अंश को उचित मूल्य के बीच अंतर के प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर का प्रदर्शित करता है।

टिप्पणी: 8 नकद एवं नकदी समकक्ष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा		
– हाथ में नकद	0.00	0.25
(ख) बैंक के पास अवशेष		
– बचत खाते में	5529.42	7927.56
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान धनराशि)		
– बचत खाता	805.11	952.65
योग	**6334.53**	**8880.46**

टिप्पणी: 8.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि को प्रदर्शित करता है।

टिप्पणी: 8.2 सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उधार लेने वाली एजेंसियों से वसूलियां/वापसी प्राप्त हुई थी। अतः इसका, इच्छित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जा सका।

टिप्पणी: 8.3 08/11/2016 से 30/12/2016 की अवधि के दौरान संपत्ति के साथ–साथ निर्दिष्ट बैंक नोटों में लेनदेन के संबंध में वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि वे 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं हैं।

Note 8.4 The details of the Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08/11/2016 to 30/12/2016 are as below (as per MCA Notification G.S.R 307 dated 30th March, 2017.

Particulars	SBNs	Other Denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016	0.05	-	0.05
(+) Permitted receipts	-	0.25	0.25
(-) Permitted payments	-	-	-
(-) Amount deposited in Banks	-0.05	-	-0.05
Closing cash in hand as on 30.12.2016	-	0.25	0.25

NOTE 9 BANK BALANCES OTHER THAN CASH & CASH EQUIVALENTS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Bank Deposits		
Term deposits having maturity of 12 months or less	3999.00	9542.00
Total	**3999.00**	**9542.00**

NOTE 10 CURRENT TAX ASSET (NET)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Income Tax/TDS Receivable	24.04	27.11
Total	**24.04**	**27.11**

NOTE 11 SHARE CAPITAL

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Authorized share capital		
(150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)	150,000.00	150,000.00
(As at 31st march 2018 150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each, as at 1st April 2017 150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)		
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
(1,18,,40,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)	118,400.00	112,400.00
(As at 31st March 2017 1,12,40,000 Equity shares of Rs.1,000/- each,)		
Share Application Money		
(300,000 Equity Share of ₹ 1000 each)(as at 31st March 2017 nil) to be issued	3,000.00	-
Total	**121,400.00**	**112,400.00**

Share application money of ₹ 30.00 crore received on 27th March, 2018, pending allotment of share as on 31st March 2018.

टिप्पणी: 8.4 08/11/2016 से 30/12/2016 की अवधि के दौरान संगठित और लेनदेन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एस.बी.एन) का विवरण नीचे दिया गया है (एम.सी.ए. की अधिसूचना जी.एस.आर. 307 दिनांक 30 मार्च, 2017 के अनुसार)।

विवरण	एस.बी.एन.	अन्य वर्णित नोट्स	कुल
08.11.2016 की स्थिति के अनुसार अन्तः शेष	0.05	-	0.05
(+) अनुमत रसीदें	-	0.25	0.25
(-) अनुमत भुगतान	-	-	-
(-) बैंकों में जमा धनराशि	-0.05	-	-0.05
30.12.2016 की स्थिति के अनुसार अंतः नकद हाथ में	-	0.25	0.25

टिप्पणी: 9 नकद एवं नकदी समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अवशेष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
बैंक में जमा		
12 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधि जमा	3999.00	9542.00
योग	**3999.00**	**9542.00**

टिप्पणी: 10 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
आयकर/प्राप्य टी.डी.एस.	24.04	27.11
योग	**24.04**	**27.11**

टिप्पणी: 11 अंश पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
प्राधिकृत अंश पूंजी		
(रु. 1.000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)	150,000.00	150,000.00
(31 मार्च, 2018 को रु. 1,000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश, 01 अप्रैल, 2017 को रु. 1,000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)		
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
(रु. 1,000/– प्रत्येक के 1,18,40,000 साम्य अंश)	118,400.00	112,400.00
(31 मार्च, 2017 को रु. 1,000/– प्रत्येक के 1,12,40,000 साम्य अंश)		
अंश अनुप्रयोग धनराशि		
जारी किए जाने वाले (रु. 1000 प्रत्येक के 300,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2017 को शून्य)	3,000.00	-
योग	**121,400.00**	**112,400.00**

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार दिनाँक 27 मार्च, 2018 को प्राप्त अंश अनुप्रयोग राशि रु. 30.00 करोड़ का आबंटन लंबित है।

Note 11.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	11,240,000.00	112,400.00	10,240,000.00	102,400.00
Add: Shares Issued during the year	600,000.00	6,000.00	1,000,000.00	10,000.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**11,840,000.00**	**118,400.00**	**11,240,000.00**	**112,400.00**

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs.1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

Note 11.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company

Particulars	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
	(No's of Shares)	% of holding	(No's of Shares)	% of holding
Equity shares				
President of India	11,839,999	99.99%	11,239,999	99.99%
	11,839,999.00	**99.99%**	**11,239,999.00**	**99.99%**

NOTE 12 OTHER EQUITY

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Special Reserve	2,500.00	2,500.00
General Reserve	42,499.82	40,492.56
Retained Earnings	-	-
	-	-
	44,999.82	**42,992.56**

Note 12.1 Special Reserve **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Balance as at the beginning of the year	2500.00	2,500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Closing Balance	**2,500.00**	**2,500.00**

Note 12.2 General Reserve **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Balance as at the beginning of the year	40,492.56	37,925.40
Add: Transferred from Retained earnings	2,007.26	2,567.16
Closing Balance	**42,499.82**	**40,492.56**

टिप्पणी 11.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	11,240,000.00	112,400.00	10,240,000.00	102,400.00
जोड़ेः वर्ष के दौरान निर्गत अंश	600,000.00	6,000.00	1,000,000.00	10,000.00
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**11,840,000.00**	**118,400.00**	**11,240,000.00**	**112,400.00**

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य रु. 1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट के हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

टिप्पणी 11.2 कंपनी में कुल अंशों का 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले अंशधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	(अंशों की संख्या)	धारित का %	(अंशों की संख्या)	धारित का %
साम्य अंश				
भारत के राष्ट्रपति	11,839,999	99.99%	11,239,999	99.99%
	11,839,999.00	**99.99%**	**11,239,999.00**	**99.99%**

टिप्पणी : 12 अन्य अंश

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
विशेष आरक्षित	2,500.00	2,500.00
सामान्य आरक्षित	42,499.82	40,492.56
प्रतिधारित आय	-	-
	-	-
	44,999.82	**42,992.56**

टिप्पणी 12.1 विशेष आरक्षित (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2500.00	2,500.00
जोड़ेः सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	-	-
अंत अवशेष	**2,500.00**	**2,500.00**

टिप्पणी 12.2 सामान्य आरक्षण (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	40,492.56	37,925.40
जोड़ेः प्रतिधारित आय से अंतरित	2,007.26	2,567.16
अंतः अवशेष	**42,499.82**	**40,492.56**

Note 12.3 Retained Earnings (₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.3)	-	-
Add: Profit during the period transferred from Statementof Income & Expenditure	2,013.83	2,554.30
	2,013.83	**2,554.30**
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	(6.57)	12.86
Less : Adjustments relating to prior period	-	-
Less : Transferred to General Reserve	**(2,007.26)**	**(2,567.16)**
Closing Balance	**-**	**-**

Note 12.4 Share application money pending allotment (₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	9,000.00	10,000.00
Less: Shares alloted during the year	(6,000.00)	(10,000.00)
Closing Balance	**3,000.00**	**-**

Note 12.5 Special Reserve of Rs 2500 lakhs (₹ 2500 lakhs as at 31.03.2017) kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry

Note 12.6 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve

Note 12.7 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

NOTE 13 PROVISIONS

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2018		Total	As at 31st March 2017		Total
		Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(a)	Provision for Retirement Benefits to Employees #-						
	- Gratuity	54.17	8.66	62.84	52.12	6.47	58.59
	- Leave Benefits	-	-	-	-	-	-
	- Medical Scheme	-	-	-	-	-	-
(b)	Provision for Performance Related Pay :						
	- Managing Director	-	50.01	50.01	-	47.03	47.03
	- Other Employees	-	139.27	139.27	-	118.24	118.24
(c)	Leave Travel Concession	-	11.46	11.46	-	8.24	8.24
	Total	**54.17**	**209.40**	**263.57**	**52.12**	**179.98**	**232.10**

टिप्पणी 12.3 प्रतिधारित आय (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़े/घटाएंः मूल्यह्रास समायोजन (टिप्पणी 3.3 देखें)	-	-
जोड़ेः आय एवं व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	2,013.83	2,554.30
	2,013.83	**2,554.30**
जोड़ेः परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य–व्यापक आय	(6.57)	12.86
घटाएंः पूर्वावधि से संबंधित समायोजन	-	-
घटाएंः सामान्य आरक्षित को अंतरित	**(2,007.26)**	**(2,567.16)**
अंतः अवशेष	**-**	**-**

टिप्पणी 12.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ेःवर्ष के दौरान प्राप्त	9,000.00	10,000.00
घंटाएः वर्ष के दौरान आवंटित अंश	(6,000.00)	(10,000.00)
अंत अवशेष	**3,000.00**	**-**

टिप्पणी: 12.5 रु. 2500 लाख (31.03.2017 को रु. 2500 लाख) के विशेष आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। विशेष आरक्षित सहित कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा।

टिप्पणी: 12.6 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों का वितरण एवं भविष्य के खर्चो जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इसी प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी: 12.7 निगम एक लाभकारी संस्था नहीं है और प्रशिक्षण व बाजार में प्रदर्शन के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसके कार्यकलाप निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों की प्रकृति के हैं।

टिप्पणी: 13 प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च, 2018 को		योग	31 मार्च, 2017 को		योग
		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(क)	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधानः						
	– उपदान	54.17	8.66	62.84	52.12	6.47	58.59
	– अवकाश लाभ	-	-	-	-	-	-
	– चिकित्सा योजना	-	-	-	-	-	-
(ख)	कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधानः						
	– प्रबंध निदेशक	-	50.01	50.01	-	47.03	47.03
	– अन्य कर्मचारी	-	139.27	139.27	-	118.24	118.24
(ग)	यात्रा अवकाश रियायत	-	11.46	11.46	-	8.24	8.24
योग		**54.17**	**209.40**	**263.57**	**52.12**	**179.98**	**232.10**

Note 13.1 Details of provisions **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at 1st April 2017	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2017-18	Written back during 2017-18	As at 31st March 2018
Gratuity	58.60	4.24	-	-	62.84
Leave Benefits (refer note no. 7)	(53.96)	12.09	-	-	(41.87)
Post Retirement Medical Scheme	-	-	-	-	-
Leave Travel Concession	8.24	6.97	3.75	-	11.46
Performance Related Pay	165.27	58.81	34.80	-	189.28
Total	**178.15**	**82.11**	**38.55**	**-**	**221.71**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2016	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2016-17	Written back during 2016-17	As at 31st March 2017
Gratuity	58.65	-	-	0.05	58.60
Leave Benefits	(55.34)	1.38	-	-	(53.96)
Post Retirement Medical Scheme	71.82	9.34	81.17	-	(0.01)
Leave Travel Concession	10.59	0.13	2.47	-	8.24
Performance Related Pay	182.26	41.31	30.77	27.53	165.27
Total	**267.98**	**52.16**	**114.41**	**27.58**	**178.14**

Note 13.2 Provision for liability towards leave travel concession of Rs.11.46 Lakhs (₹ 8.24 Lakhs as at 31.03.2017) is made, as per actuarial assessment. Entire liability has been considered short term since LTC block expires in next financial year.

Note 13.3 Provision for performance related pay of ₹ 189.28 (₹ 165.27 Lakhs as at 31.03.2017) has been made on the basis of 'Excellent rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU between "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 13.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 13.5 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status is as under:

टिप्पणी 13.1 प्रावधानों का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2017–18 के दौरान उपभोग/भुगतान	वर्ष 2017–18 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2018 को
उपदान	58.60	4.24	-	-	62.84
अवकाश लाभ (टिप्पणी 7 देखें)	(53.96)	12.09	-	-	(41.87)
सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा योजना	-	-	-	-	-
यात्रा अवकाश रियायत	8.24	6.97	3.75	-	11.46
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	165.27	58.81	34.80	-	189.28
योग	**178.15**	**82.11**	**38.55**	**-**	**221.71**

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2016–17 के दौरान उपभोग/भुगतान	वर्ष 2016–17 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2017 को
उपदान	58.65	-	-	0.05	58.60
अवकाश लाभ	(55.34)	1.38	-	-	(53.96)
सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा योजना	71.82	9.34	81.17	-	(0.01)
यात्रा अवकाश रियायत	10.59	0.13	2.47	-	8.24
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	182.26	41.31	30.77	27.53	165.27
योग	**267.98**	**52.16**	**114.41**	**27.58**	**178.14**

टिप्पणी : 13.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार यात्रा रियायता अवकाश रु. 11.46 लाख (31.03.2017 को रु. 8.24 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है। चूंकि अगले वित्तीय वर्ष में एल.टी.सी. का ब्लॉक समाप्त होगा, अतः समस्त दायित्व को संक्षिप्त अवधि का माना गया है।

टिप्पणी : 13.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन रु. 189.20 लाख का प्रावधान कर्मचारियों की उत्कृष्ट रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा–स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि ''सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय'' एवं ''निगम'' के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात–खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी : 13.4 लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. सं. 2(14)/12-DPE-GL-IV/14 दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध–वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं; तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध–अर्जित अवकाश को साथ–साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी : 13.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान)– भारतीय लेखाकरण मानक–19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित है।

उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एव दीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन–पत्र के साथ–साथ निधित स्थिति निम्नानुसार है :

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
		Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(I)	**Key Assumption of actuarial**				
	Economic Assumptions	PUC Method		PUC Method	
	Discount Rate	7.65%	7.83%	8.00%	8.00%
	Salary rise (p.a)*	6%	6%	6%	6%
	Expected rate of return on assets	7.83%		7.33%	7.33%
	Demographic Assumptions				
	Employee Turnover	2%	2%	2%	2%
	Retirement Age	60 years	60 years	60 years	60 years
	*first 10 year 6%& for 1year after 10 year 12%				
(II)	**Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End**				
	Defined Benefit Obligation	266.79	209.38	191.23	176.99
	Fair Value of Plan Assets	203.95	251.25	132.63	230.95
		62.84	(41.87)	58.60	(53.96)
	Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
	Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
	Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	**62.84**	**(41.87)**	**58.60**	**(53.96)**
(III)	**Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End**				
	Service Cost	8.22	16.53	8.77	18.95
	Net Interest Cost	2.15	(3.66)	4.48	(4.23)
	Past Service Cost	66.44			
	Remeasurements		35.58		(0.20)
	Administration Expenses				
	(Gain)/Loss due to Settlements /Curtailments				
	Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	**76.80**	**48.45**	**13.25**	**14.52**
(IV)	**Current /Non Current Bifurcation**				
	Current Benefit Obligation	8.66	7.25	6.47	6.04
	Non- Current Benefit Obligation	258.12	202.13	184.76	170.95
	(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	**266.79**	**209.38**	**191.23**	**176.99**
(V)	**Actual return on Plan assets**				
	Interest Income on Plan Assets	11.93		10.09	
	Expected Return on Plan Assets		17.02		17.59
	Remeasurements of Plan assets	2.47	0.81	0.00	0.00
	Actual Return on Plan Assets	**14.41**	**17.83**	**10.09**	**17.59**

(लाख रु. में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
		उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I)	**वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान**				
	आर्थिक पूर्वानुमान	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
	छूट दर	7.65%	7.83%	8.00%	8.00%
	वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)*	6%	6%	6%	6%
	परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	7.83%		7.33%	7.33%
	जनांकिकी पूर्वानुमान				
	कर्मचारी कारोबार	2%	2%	2%	2%
	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
	* पहले 10 वर्षों में 6% एवं 10 वर्षों के बाद 1 वर्ष में 12%				
(II)	**अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि**				
	परिभाषित लाभ बाध्यता	266.79	209.38	191.23	176.99
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	203.95	251.25	132.63	230.95
		62.84	(41.87)	58.60	(53.96)
	अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य				
	परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर–मान्यताप्राप्त परिसंपत्ति				
	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	**62.84**	**(41.87)**	**58.60**	**(53.96)**
(III)	**वर्ष की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाभ लागत/(आय)**				
	सेवा लागत	8.22	16.53	8.77	18.95
	शुद्ध ब्याज लागत	2.15	(3.66)	4.48	(4.23)
	पिछली सेवा लागत	66.44			
	पुनः–मापन		35.58		(0.20)
	प्रशासन व्यय				
	निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
	लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषिक लाभ लागत/(आय)	**76.80**	**48.45**	**13.25**	**14.52**
(IV)	**वर्तमान/गैर–वर्तमान विभाजन**				
	वर्तमान लाभ बाध्यता	8.66	7.25	6.47	6.04
	गैर–वर्तमान लाभ बाध्यता	258.12	202.13	184.76	170.95
	तुलन–पत्र में लिए गए (परिसंतियां)/दायित्व	**266.79**	**209.38**	**191.23**	**176.99**
(V)	**योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी**				
	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	11.93		10.09	
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी		17.02		17.59
	योजना परिसंपत्तियों का पुनः–मापन	2.47	0.81	0.00	0.00
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	**14.41**	**17.83**	**10.09**	**17.59**

(VI)	**Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End**				
	Amount Recognised in OCI Beginning of Period	(35.72)		(22.86)	
	Remeasurements due to :-				
	Effect of Change in financial assumptions	2.92		9.85	
	Effect of Change in demographic assumptions				
	Effect of experience adjustments	6.12		(22.71)	
	(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
	Return on Plan assets(excluding interest)	(2.47)		0.00	
	Change in asset ceiling				
	Total remeasurements recognized in OCI	6.57		(12.86)	
	Amount Recognized in OCI	**(29.15)**		**(35.72)**	
(VII)	**Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period**				
	Premeasurements due to :-				
	Effect of Change in financial assumptions		(5.95)		8.57
	Effect of Change in demographic assumptions				
	Effect of experience adjustments		41.53		(8.78)
	(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
	Return on Plan assets(excluding interest)		(0.81)		0.00
	Change in asset ceiling				
	Total remeasurements recognized (gains)/ losses		**34.77**		**(0.21)**
(VIII)	**Changes in defined Benefit Obligation during the Period**				
	Defined Benefit Obligations Beginning of period	191.23	176.99	180.73	157.47
	Interest cost on DBO	14.08	13.36	14.58	13.35
	Current service cost	8.22	16.53	8.77	18.95
	Benefit paid (if any)		(33.88)		(12.58)
	Benefit paid by the Insurer (if any)	(22.22)			
	Past Service cost	66.44			
	Actuarial (gain)/loss	9.04	36.39	(12.85)	(0.20)
	Defined Benefit Obligation at the end of the period	**(266.78)**	**209.38**	**191.23**	**176.99**
(IX)	**Change in Fair Value of Plan Assets during the Period**				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	132.64	230.95	122.09	212.81
	Interest Income on Plan assets	11.93	17.02	10.10	17.59
	Contributions	79.13	2.47	0.45	0.55
	Benefits paid	(22.22)			
	Actuarial gain/(loss) on plan assets	2.47	0.81		0.00
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**203.95**	**251.25**	**132.64**	**230.95**

(VI)	**अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक (आय)/हानि में माने गए धनराशि का विश्लेषण**				
	अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में ली गई धनराशि	(35.72)		(22.86)	
	पुनः–मापन के कारणः				
	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	2.92		9.85	
	जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
	व्यय समायोजन का प्रभाव	6.12		(22.71)	
	निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज के अतिरिक्त)	(2.47)		0.00	
	परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
	ओ.सी.आई. में माने गए कुल पुनः मापन	6.57		(12.86)	
	ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	**(29.15)**		**(35.72)**	
(VII)	**अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/(परिसंपत्ति) के पुनः–मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण** **पूर्व मापन के कारण**				
	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		(5.95)		8.57
	जनंकिकी अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव				
	किए गए समायोजन का प्रभाव		41.53		(8.78)
	कांट–छांट/निपटान पर (प्राप्ति)/हानि				
	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		(0.81)		0.00
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
	कुल पुनः मापन में (प्राप्ति)/हानि		**34.77**		**(0.21)**
(VIII)	**अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन**				
	अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	191.23	176.99	180.73	157.47
	डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	14.08	13.36	14.58	13.35
	वर्तमान सेवा लागत	8.22	16.53	8.77	18.95
	भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हों)		(33.88)		(12.58)
	बीमाकर्त्ता (यदि काई हो) द्वारा प्राप्त लाभ	(22.22)			
	पूर्व सेवा लागत	66.44			
	वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	9.04	36.39	(12.85)	(0.20)
	अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	**(266.78)**	**209.38**	**191.23**	**176.99**
(IX)	**अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	132.64	230.95	122.09	212.81
	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	11.93	17.02	10.10	17.59
	अंशदान	79.13	2.47	0.45	0.55
	भुगतान किए गए लाभ	(22.22)			
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	2.47	0.81		0.00
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**203.95**	**251.25**	**132.64**	**230.95**

(X)	**Reconciliation of Balance Sheet Amount**				
	Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	58.60	(53.96)	58.65	(55.34)
	Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	76.80	48.45	13.25	14.51
	Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	6.57		(12.86)	
	Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(79.13)	(36.36)	(0.44)	(13.13)
	Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	**62.84**	**(41.87)**	**58.60**	**(53.96)**
(XI)	**Sensitivity Analysis**				
	Defined Benefit Obligation - Discount Rate + 100 base points	(19.00)	(18.79)	(13.62)	(15.88)
	Defined Benefit Obligation - Discount Rate - 100 base points	20.15	19.31	14.47	16.33
	Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	15.61	15.94	11.18	13.48
	Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(14.02)	(15.63)	(10.05)	(13.21)
(XI)	**Expected Cashflows for the Next Ten Years**				
	Year - 2018	-			
	Year - 2019	9.00		-	-
	Year - 2020	9.39		-	-
	Year - 2021	9.82		-	-
	Year - 2022	28.63		-	-
	Year - 2023	10.19		-	-
	Year - 2024- 2028	138.76		-	-

Note: - 14 Estimates of future salary increse considered in acturial valuation taken in to account inflation, seniorty, promotion and other relevent factors.

NOTE 14 OTHER FINANCIAL LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Particulars	**As at 31st March 2018**	**As at 31st March 2017**
Amount payable/adjustable to SCA	6.13	17.70
Security deposit & retention money	7.18	4.03
Dr. Ambedkar Education Interest Subsidy (Refer Note - 14.1)	-	-
Grant from government/Financial Institutions	805.11	952.65
Other payables	115.97	132.26
Total	**934.40**	**1106.64**

Note 14.1 Dr. Ambedkar Education Interest Subsidy Scheme (Ministry of SJ&E) **(₹ in Lakhs)**

Particulars	**As at 31st March 2018**	**As at 31st March 2017**
Opening Balance	-	-
Add: Receipt during the year	-	-
Add: Interest	-	-
Less: Utilized & refund	-	-
Total	**-**	**-**

(X)	**तुलन–पत्र धनराशि का मिलान**				
	अवधि के आरंभ में, तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	58.60	(53.96)	58.65	(55.34)
	लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	76.80	48.45	13.25	14.51
	ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनः–मापन	6.57		(12.86)	
	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोक्ता अंशदान लाभ	(79.13)	(36.36)	(0.44)	(13.13)
	अवधि के अंत में तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	**62.84**	**(41.87)**	**58.60**	**(53.96)**
(XI)	**संवेदनशीलता विश्लेषण**				
	परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर +100 आधार अंक	(19.00)	(18.79)	(13.62)	(15.88)
	परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर +100 आधार अंक	20.15	19.31	14.47	16.33
	परिभाषित लाभ दायित्व–वेतन प्रसार दर +100 आधार अंक	15.61	15.94	11.18	13.48
	परिभाषित लाभ दायित्व–वेतन प्रसार दर +100 आधार अंक	(14.02)	(15.63)	(10.05)	(13.21)
(XI)	**अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह**				
	वर्ष - 2018	-			
	वर्ष - 2019	9.00		-	-
	वर्ष - 2020	9.39		-	-
	वर्ष - 2021	9.82		-	-
	वर्ष - 2022	28.63		-	-
	वर्ष - 2023	10.19		-	-
	वर्ष - 2024- 2028	138.76		-	-

टिप्पणी: 14 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी: 14 अन्य वित्तीय दायित्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य	6.13	17.70
प्रतिपूर्ति जमा एवं प्रतिधारित राशि	7.18	4.03
डा. अम्बेडकर शिक्षा ब्याज रियायत (टिप्पणी 14.1 देखें)	-	-
सरकार/वित्तीय संस्थानों से अनुदान	805.11	952.65
अन्य देय	115.97	132.26
योग	**934.40**	**1106.64**

टिप्पणी: 14.1 डॉ. अम्बेड़कर शिक्षा ब्याज रियायत योजना (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
आरंभिक अवशेष	-	-
जोड़ेः वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	-
जोड़ेः ब्याज	-	-
घटाएंः उपभोग एवं वापसी	-	-
योग	**-**	**-**

Note 14.2 During the year an amount of ₹1355.84 lakhs (previous year ₹1194.63 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, ₹1486.27 lakhs (Previous year ₹704.93 lakhs) was released to the training institutions and recognised during the financial year as revenue grant. The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2018 are as under :

DURING THE F.Y 2017-18

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Income	Refund/ Adjustment	Recognized during the year (Releases)	Closing Balance
Grants for Training/Stipend						
Ministry of SJ & E (Grant-I) STIPEND of ₹1.92 cr 14-15	130.70	5.78	4.34	-	27.91	112.91
Ministry of SJ & E (Grant-II) of 16-17	151.49	-	-	-	151.49	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-III) of 16-17	43.20	-	-	-	43.20	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-IV) of 16-17	530.29	-	-	-	530.29	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-V) of 16-17	6.00	-	-	-	6.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 17-18	-	550.00	-	-	550.00	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-VII)of 17-18	-	350.00	3.39	-	-	353.39
Ministry of SJ & E (Grant-VIII) of 17-18	-	100.00	1.35	-	-	101.35
Ministry of SJ & E (Grant-IX)of 17-18 (for Beggers)	-	100.00	0.53	-	-	100.53
Ministry of SJ & E (Grant-X)of 17-18	-	-	-	-	-	0.00
Central warehouse Corporation	-	59.60	-	-	59.60	0.00
Concor corporation of India Ltd.	-	55.75	-	29.85	5.00	20.90
Rural Electrification Corporation	6.50	-	-	-	6.50	0.00
India Trade Promotion Organisation	-	15.20	-		15.20	0.00
Power finance Corporation	-	13.38	-		13.38	0.00
Ircon International Ltd	10.13	19.99	-	0.05	18.55	11.52
Development Commisioner (Hnadicraft)	74.35	27.50	3.18		39.47	65.56
Donation from Public	-	0.21	-	-	0.21	0.00
IFCI Social Foundation	-	58.43	-	-	19.47	38.96
Total	**952.65**	**1,355.84**	**12.79**	**29.90**	**1,486.27**	**805.11**

DURING THE F.Y 2016-17

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Income	Refund	Recognized during the year (Releases)	Closing Balance
Grants for Training/Stipend						
Ministry of SJ & E (Grant-I) of ₹ 1.80 cr 14-15	6.11	-	-	-	6.11	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-II) STIPEND of ₹ 1.92 cr 14-15	169.45	-	5.03	-	43.79	130.70
Ministry of SJ & E (Grant-III) of ₹ 3.31 cr.of 15-16	144.98	-	-	-	144.98	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-IV) of 15-16	79.11	-	-	-	79.11	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-V) of 15-16	44.49	-	-	-	44.49	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-VI) of 16-17	-	300.00	3.46	-	151.97	151.49

टिप्पणीः 14.2 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में रु. 1355.84 लाख की धनराशि (गत वर्ष रु. 1194.63 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि रु. 1486.27 लाख (गत् वर्ष रु. 704.93 लाख) की अवमुक्ति प्रशिक्षण संस्थानों को की गई थी एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान, आरंभ में, प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान

(लाख रु. में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान में प्राप्ति	ब्याज आय	वापसी/समायोजन	वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)	अंत अवशेष
प्रशिक्षण/छात्रवृत्ति हेतु अनुदान						
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–I) रु. 1.92 करोड़, 14–15	130.70	5.78	4.34	-	27.91	112.91
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–II), 16–17 में	151.49	-	-	-	151.49	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–III), 16–17 में	43.20	-	-	-	43.20	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IV), 16–17 में	530.29	-	-	-	530.29	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–V), 16–17 में	6.00	-	-	-	6.00	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VI), 17–18 में	-	550.00	-	-	550.00	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VII), 17–18 में	-	350.00	3.39	-	-	353.39
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VIII), 17–18 में	-	100.00	1.35	-	-	101.35
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IX), 17–18 में (भिखारियों हेतु)	-	100.00	0.53	-	-	100.53
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–X), 17–18 में	-	-	-	-	-	0.00
केन्द्रीय भण्डारण निगम	-	59.60	-	-	59.60	0.00
कॉनकोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	-	55.75	-	29.85	5.00	20.90
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन	6.50	-	-	-	6.50	0.00
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	-	15.20	-		15.20	0.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	-	13.38	-		13.38	0.00
इरकॉन इन्टरनेशनल लि.	10.13	19.99	-	0.05	18.55	11.52
डेवलपमेंट कमिश्नर (हैण्डीक्राफ्ट)	74.35	27.50	3.18		39.47	65.56
सार्वजनिक चंदा	-	0.21	-	-	0.21	0.00
आई.एफ.सी.आई. सोसल फाउण्डेशन	-	58.43	-	-	19.47	38.96
योग	**952.65**	**1,355.84**	**12.79**	**29.90**	**1,486.27**	**805.11**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान

(लाख रु. में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान में प्राप्ति	ब्याज आय	वापसी	वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)	अंत अवशेष
प्रशिक्षण/छात्रवृत्ति के लिए अनुदान						
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–I), 14–15 में रु. 1.80 करोड़	6.11	-	-	-	6.11	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–II), छात्रवृद्धि 14–15 में रु. 1.92 करोड़	169.45	-	5.03	-	43.79	130.70
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–III), 15–16 में रू 3.31 करोड़	144.98	-	-	-	144.98	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IV), 15–16 में	79.11	-	-	-	79.11	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–V), 15–16 में	44.49	-	-	-	44.49	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VI), 16–17 में	-	300.00	3.46	-	151.97	151.49

Ministry of SJ & E (Grant-VII) of 16-17	-	43.06	0.14	-	-	43.20
Ministry of SJ & E (Grant-VIII) of 16-17	-	530.00	0.29	-	-	530.29
Ministry of SJ & E (Grant-IX) of 16-17	-	6.00	0.00	-	-	6.00
Central warehouse Corporation	3.20	48.00	-	-	51.20	0.00
Concor Ltd.	6.54	18.00	-	-	24.54	0.00
Rural Electrification Corporation	-	57.07	-	-	50.57	6.50
India Trade Promotion Organisation	-	19.01	-	-	19.01	0.00
Power finance Corporation	-	89.17	-	-	89.17	0.00
Ircon International Ltd	-	10.08	0.05	-	-	10.13
Development Commisioner (Hnadicraft)	-	74.25	0.10	-	-	74.35
Total	**453.89**	**1,194.63**	**9.06**	**-**	**704.93**	**952.65**

Note 14.3 As regards the Grant-I, the Corporation received training grant of ₹ 192.00 lakhs (net of refund of ₹ 20 lakh) from the Administrative Ministry for stipend to the trainees during 2014-15. As per terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training/stipend cost. During the year 2017-18 the Corporation received refunds of unutilized stipend of ₹ 5.78 lakhs from ATDC and further disbursed ₹ 27.91 lakhs (Previous year ₹ 43.78, Lakhs) to the trainees and earned interst of ₹ 4.34 lakhs (Previous Year ₹ 5..03 lakhs).The Corporation stands committed to release remaining stipend at the time of completion of training including its share.

Note 14.4 As regards the Grant -II, the Corporation received Grant in Aid for training of ₹ 300.00 Lakhs in financial year 2016-17 from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ nil /- (Previous Year ₹ 3,34,549/-) from bank and released ₹ 151.49 lakhs (Previous year ₹ 151.97 lakhs) and recognized during the year.

Note 14.5 As regards the Grant -III, the Corporation received Grant in Aid for training of ₹ 43.05 lakh from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. nil- (Previous Year ₹ 0.15 lakhs) from bank. The Corporation released entire amount including Interest to the training institutions from the grant and recognized during the year.

Note 14.6 As regards the Grant - IV, the Corporation received Grant in Aid for training of ₹ 530.00 lakhs during financial year 2016-17 from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ nil- (Previous Year ₹ 0.29 lakhs) from bank The Corporation released entire amount including Interest to the training institutions from the grant and recognized during the year.

Note 14.7 As regards the Grant -V, the Corporation received Grant in Aid for training of ₹ 6.00 lakhs during financial year 2016-17from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ nil /- (Previous Year ₹ 66/-) from bank.The Corporation released entire amount including Interest to the training institutions from the grant and recognized during the year.

Note 14.8 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VI) of ₹ 550.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation released the payment of ₹ 550.00 lakhs for the intended purpose to training partners and recongnised during the year.

सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VII), 16–17 में	-	43.06	0.14	-	-	43.20
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VIII), 16–17 में	-	530.00	0.29	-	-	530.29
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IX), 16–17 में	-	6.00	0.00	-	-	6.00
केन्द्रीय भण्डारण निगम	3.20	48.00	-	-	51.20	0.00
कॉनकोर लि.	6.54	18.00	-	-	24.54	0.00
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन	-	57.07	-	-	50.57	6.50
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन अर्गनाइजेशन	-	19.01	-	-	19.01	0.00
पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन	-	89.17	-	-	89.17	0.00
इरकॉन इंटरनेशनल लि.	-	10.08	0.05	-	-	10.13
विकास आयुक्त (हथकरघा)	-	74.25	0.10	-	-	74.35
योग	**453.89**	**1,194.63**	**9.06**	**-**	**704.93**	**952.65**

टिप्पणी : 14.3 अनुदान–I के संबंध में, निगम को वर्ष 2014–15 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए रु. 192.00 लाख (रु. 20 लाख की वापसी का शुद्ध) प्राप्त हुआ। शर्तों के अनुसार, निगम को प्रशिक्षण/निर्धारित लागत की 70% हिस्सेदारी का योगदान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2017–18 के दौरान निगम को ए.टी.डी.सी. से रु. 5.78 लाख की अनुपभुक्त छात्रवृत्ति की वापसी प्राप्त हुई एवं प्रशिक्षार्थियों को आगे रु. 27.91 लाख (पिछले वर्ष रु. 43.78 लाख) प्रशिक्षार्थियों को वितरित किया गया व रु. 4.34 लाख (गत् वर्ष रु. 5.03 लाख) का ब्याज उपार्जित किया। निगम प्रशिक्षण के पूरा होने के समय अपने अंश सहित शेष छात्रवृत्ति को जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 14.4 अनुदान–II के संबंध में, निगम ने वर्ष 2016–17 की अवधि में लाभार्थिया के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान रु. 300.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। सेवा–शर्तों के अनुसार, निगम को प्रशिक्षण लागत का 70% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से रु. शून्य (गत् वर्ष रु. 3,34,549/–) का ब्याज अर्जित किया था एवं रु. 151.49 लाख (गत् वर्ष रु. 151.97 लाख) जारी किया गया एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी : 14.5 अनुदान–III के संबंध में, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान रु. 43.05 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रु. शून्य (गत वर्ष रु. 0.15 लाख) का उपार्जन किया है। निगम ने अनुदान में से ब्याज सहित समस्त धनराशि प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष के दौरान जारी की है, एवं वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी : 14.6 अनुदान–IV के संबंध में वर्ष 2016–17 के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान रु. 530.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रु. शून्य (गत वर्ष रु. 0.29 लाख) का उपार्जन किया है। निगम ने अनुदान में से ब्याज सहित संपूर्ण राशि को प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी 14.7 अनुदान–V के संबंध में, निगम ने वर्ष 2016–17 की अवधि में लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण हेतु अनुदान रु. 6.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। सेवा–शर्तों के अनुसार, निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से रु. शून्य (गत् वर्ष रु. 66/–) का ब्याज अर्जित किया था। निगम ने अनुदान में से ब्याज सहित समस्त धनराशि प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष के दौरान जारी की है, एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी : 14.8 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VI) रु. 550.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने प्रशिक्षण सहयोगियों को रु. 550.00 लाख का भुगतान इच्छित उद्देश्य के लिए किया है एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

Note 14.9 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VII) of ₹ 350.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ 3.39 lakhs (Previous Year ₹ nil/-) from bank. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.10 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VIII) of ₹ 100.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ 1.35 lakhs (Previous Year ₹ nil/-) from bank .The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.11 As per its main objectives, the Corporation is to assist 'backward classes ', however, as per direction of the Administrative Ministry, it has been advised to implement skill training programme on pilot basis for baggers in pan India as per guidelines of M/O Skill Development and Enterprenurship National Skill Development Mission. Under the scheme, during the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IX) of ₹ 100.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the baggers. The Corporation had earned interest of Rs.0.53 Lakhs (Previous Year ₹ nil/-) from bank. Administrative expenses of ₹ Nil/- (previous year Nil-)incurred in current / earlier year(s) towards. the scheme has been adjusted from grant fund. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.12 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Central Warehouse Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs.59.60 lakhs (Previous Year Rs.48.00 lakhs). The Corporation has released Rs.59.60 lakhs (Previous Year Rs.48.00 lakhs) to training institutions, against which utilisation certificate of ₹ 59.60 lakhs (Previous Year ₹ nil/-) is pending as on 31.03.2018.

Note 14.13 As regards to CSR Funds from Concor Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of Rs.55.75 lakhs including refunds from ATDC of ₹ 29.85 lakhs (Previous year of ₹ 18.00 lakhs). The Corporation has released ₹ 5.00 lakhs to training institution for intended purpose and ₹ 29.85 lakhs refunds to CONCOR Ltd. The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 14.14 The Corporation had entered into a Memorandum of Understanding with Rural Electrification Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of ₹ 57.07 lakhs during financial year 2016-17. The Corporation has released remaining funds of ₹ 6,50,000/-(Previous year ₹ 50,57,000/- to training institutions.), against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2018.

Note 14.15 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with India Trade Promotion Organisation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of ₹ 15.20 lakhs (previous year -nil-). The Corporation has released the same to training institutions, against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2018.

Note 14.16 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Power Finance Corporation. Towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of ₹ 13.38 lakhs (Previous year 89.17 laks) The Corporation has released the same to training institutions, against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2018.

टिप्पणी : 14.9 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VII) रु. 350.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रु. 3.39. लाख (पिछले वर्ष रु. शून्य) का उपार्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी : 14.10 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VIII) रु. 100.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रु. 1.35 लाख (गत वर्ष रु. शून्य) का उपार्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी 14.11 हमारे मुख्य उद्देश्य के अनुसार निगम को 'पिछड़े वर्गों' की सहायता करना है; तथापि प्रशासनिक मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के दिशा–निर्देशानुसार अखिल भारतीय स्तर पर भिक्षुओं के लिए पायलट आधार पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है। योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान भिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से रु. 100.00 लाख की अनुदान सहायता (अनुदान–IX) निगम को प्राप्त हुई है। निगम ने रु. 0.53 लाख का ब्याज (गत् वर्ष शून्य) उपार्जित किया है। इस योजना के अंतर्गत चालू/पूर्व के वर्षों में प्रशासनिक व्यय रु. शून्य (गत् वर्ष शून्य) का समायोजन अनुदान निधि से किया गया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी : 14.12 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु केन्द्रीय भण्डार निगम के साथ उनके सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) योजना के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं रु. 59.60 लाख (पिछले वर्ष रु. 48.00 लाख) का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने रु. 59.60 लाख (गत वर्ष रु. 48.00 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है जिसके सापेक्ष 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. 59.60 लाख (गत वर्ष शून्य) के उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

टिप्पणी 14.13 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में कॉनकोर लि. से उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए रु. 55.75 लाख की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसमें ए.टी.डी.सी. से वापस की गई ध नराशि रु. 29.85 लाख (गत् वर्ष रु. 18.00 लाख) सम्मिलित है। निगम के प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु रु. 5.00 लाख की राशि जारी की है एवं कॉनकोर लि. को रु. 29.85 लाख की राशि वापस की गई है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी 14.14 निगम ने रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 57.07 लाख की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। निगम ने अवशेष धनराशि रु. 6,50,000/– (गत् वर्ष रु. 50,57,000/–) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है (जिसके सापेक्ष 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

टिप्पणी 14.15 वर्ष के दौरान निगम ने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन अर्गनाईजेशन के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था एवं रु. 15.20 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। निगम ने इसे प्रशिक्षण संस्थानों को जारी कर दिया है जिसके सापेक्ष 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

टिप्पणी 14.16 वर्ष के दौरान निगम ने पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था एवं रु. 13.38 लाख (गत् वर्ष रु. 89.17 लाख) की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। निगम ने इसे प्रशिक्षण संस्थानों को जारी कर दिया है जिसके सापेक्ष 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

Note 14.17 As regads grant from Ircon International Ltd., the Corporation had entered into a Memorandum of Understanding during 2016-17 towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of ₹19.99 lakhs. (Previous year 10.08 lakhs). The Corporation has released 18.55 lakhs and adjusted interest of ₹ 0.05 lakh of previous year 2016-17 towards administrative & other expenses etc. The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 14.18 The Corporation had entered into a Memorandum of Understanding with Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles for cluster development for upholding explicit identification of handicrafts products and base line survey to the beneficiaries and received grant of ₹ 27.50 lakhs (Previous Year ₹ 74.25 lakhs). The Corporation earned interest of ₹ 3.18 lakhs (Previous Year 0.10 lakhs). The Corporation has so far released ₹ 39.48 lakhs (Previous Year ₹ Nil-) and stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.19 The Corporation has obtained 12 A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July' 2017 and received ₹ 0.21 lakhs (Previous year ₹ nil) and Corporation released entire amount to the training institutions from the donation received and recognized during the year.

Note 14.20 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with IFCI Social foundation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of ₹ 58.43 lakhs. (Previous year -nil/-). The Corporation has released ₹ 19.48 lakhs (Previous year Nil-) to training institutions, against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2018 and stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.21 As the management is in the process of obtaining requisite information pertaining to parties who may be falling within the purview of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the disclosure relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid / payable under this Act have not been given.

NOTE 15 OTHER CURRENT & NON - CURRENT LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
TDS/GST payable	51.19	31.17
Provident fund payable	8.19	7.02
Pension fund	0	0
Total	**59.37**	**38.19**

NOTE 16 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
a) Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (General Loan)	2,730.79	2,445.93
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	834.27	822.72
Penal Interest (General Loan)	1.16	0.44
Penal Interest (Micro Finance)	1.13	2.39
Sub Total (a)	**3,567.35**	**3,271.48**
b) Other Operating Revenue		
(i) Reversal of allowance for doubtful loans & interest	19.65	4.13
Total (a+b)	**3,587.00**	**3,275.61**

टिप्पणी 14.17 वर्ष 2016–17 के दौरान इरकॉन इंटरनेशनल के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के संबंध में रु. 19.99 लाख (गत् वर्ष रु. 10.08 लाख) की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। निगम ने रु. 18.55 लाख जारी किया है एवं गत् वर्ष 2016–17 का रु.0.05 लाख के अर्जित ब्याज को प्रशासनिक एवं अन्य व्यय इत्यादि हेतु समायोजन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी 14.18 निगम ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ समूह विकास के उत्पादों की स्पष्ट पहचान बनाए रखने व बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था, और रु. 27.50 लाख (पिछले वर्ष रु. 24.25 लाख) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। निगम ने रु. 3.18 लाख (गत् वर्ष 0.10 लाख) का ब्याज अर्जित किया। निगम ने अब तक रु. 39.48 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) जारी किए हैं और अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी 14.19 अन्य पिछड़ा वर्ग के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए निगम ने माह जुलाई 2017 में आयकर प्राधिकरण से 12–ए छूट प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और रु. 0.21 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त किए व निगम ने वर्ष के दौरान प्राप्त समग्र दान को प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी 14.20 वर्ष के दौरान निगम ने आई.एफ.सी.आई. के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया एवं रु. 58.43 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। निगम ने रु. 19.48 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है जिसके सापेक्ष 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है व अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी 14.21 चूंकि प्रबंधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाले पक्षों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, वर्ष के अंत में भुगतान न गई धनराशि के साथ–साथ भुगतान किए गए ब्याज/देय ब्याज का प्रकटीकरण इस अधिनियम के तहत नहीं किया गया है।

टिप्पणी : 15 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान दायित्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 का	31 मार्च, 2017 को
टी.डी.एस. / जी.एस.टी देय	51.19	31.17
भविष्य निधि देय	8.19	7.02
पेंशन निधि	0	0
योग	**59.37**	**38.19**

टिप्पणी : 16 संचालनों से राजस्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क) एस.सी.ए./अन्य से ऋण पर ब्याज		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण)	2,730.79	2,445.93
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	834.27	822.72
दण्ड ब्याज (सामान्य ऋण)	1.16	0.44
दण्ड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	1.13	2.39
उप योग (क)	**3,567.35**	**3,271.48**
ख) अन्य संचालन आय		
(i) संदिग्ध ऋणों एवं ब्याज पर वृत्ति का उलटाव	19.65	4.13
योग (क+ख)	**3,587.00**	**3,275.61**

Note 16.1 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan, in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partners. The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation. The advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization, the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 16.2 Interest income on loan advanced/given is recognized on time propotion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

Note 16.3 Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies

Note 16.4 Interest Income on loans given is recognized on a time propotion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using effective interest rate method.

Note 16.5 Interest on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

Note 16.6 Accural of Revenue & Terms of references are as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	**As at 31st March 2018**		**As at 31st March 2017**	
	Term Loan	**Micro Finance**	**Term Loan**	**Micro Finance**
Interest accured & due as at beginning of the year	4,752.26	137.57	4356.10	67.78
Add: Interest accured & due during the year	2,730.79	834.27	2,445.93	822.72
Less: Interest Received during the year	2,357.28	831.39	2,049.77	752.93
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accured & due as at Balance Sheet Date	5,125.77	140.45	4,752.26	137.57
Penal Interest receivable as at beginning of the year	336.35	6.60	336.39	6.60
Add. Recognized during the year	1.16	1.13	0.44	2.39
Less : Received during the year	1.16	1.13	0.44	2.39
Less: Adjustment, if any	0.09	2.16	0.04	-
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	336.26	4.44	336.35	6.60

Terms of references:

General Loan includes Education loan ,New Swarnima, Term loan and Micro Finance includes MFS & Mahila Samridhi yojana.

A. Particulars	**General Loan Scheme**			**Micro Finance**	
	Education Loan	**New Swarnima**	**Term Loan**	**Micro Finance**	**Mahila Samridhi**
Rate of Interest*	1.50%	2%	3% & 4% $	2%	1%
Repayment Period	9.5 Year in 20 Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.
Moratorium Period	4.5 year inclusive of study period of 4 year	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal

* 0.5% rebate on timely repayment of due
$ 4% interest charged in r/o loan above ₹ 5 lakh
Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.

टिप्पणी 16.1 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग प्रमाण–पत्र के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना की ब्याज दर जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है, अग्रिम पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 16.2 प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण / ब्याज पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 16.3 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी 16.4 समय के हिस्से में बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए ऋणों पर ब्याज आय को 'प्रभावी ब्याज दर पद्धति' का उपयोग करके आधार पर माना गया है।

टिप्पणी 16.5 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

16.6 राजस्व का संचय एवं सेवाओं के संदर्भ निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	सावधि ऋण	लघु वित्त	सावधि ऋण	लघु वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	4,752.26	137.57	4356.10	67.78
जोड़ेः वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	2,730.79	834.27	2,445.93	822.72
घटाएंः वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	2,357.28	831.39	2,049.77	752.93
घटाएंः समायोजन, यदि कोई हों	-	-	-	-
तुलन–पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	5,125.77	140.45	4,752.26	137.57
वर्ष के आरंभ पर प्राप्य दण्ड ब्याज	336.35	6.60	336.39	6.60
जोड़ेः वर्ष के दौरान माना गया	1.16	1.13	0.44	2.39
घटाएंः वर्ष के दौरान प्राप्त	1.16	1.13	0.44	2.39
घटाएंः समायोजन, यदि कोई हों	0.09	2.16	0.04	-
तुलन–पत्र की तिथि को प्राप्य पैनल ब्याज	336.26	4.44	336.35	6.60

संदर्भो की शर्ते :

सामान्य ऋण योजना में शैक्षिक ऋण, नई स्वर्णिमा सावधि ऋण एवं

लघु वित्त में सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना सम्मिलित

विवरण	सामान्य ऋण योजना			लघु वित्त	
	शैक्षिक ऋण	नई स्वर्णिमा	सावधि ऋण	लघु वित्त	महिला समृद्धि
ब्याज दर*	1.50%	2%	3% – 4% $	2%	1%
पुनर्भुगतान अवधि	9.5 वर्ष 20 तिमाही किस्तें	8 वर्ष तिमाही किस्तें	8 वर्ष तिमाही किस्तें	4 वर्ष तिमाही किस्तें	4 वर्ष तिमाही किस्तें
मोरेटोरियम अवधि	4.5 जिसमें 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां

* समय पर देय का पुनर्भुगतान करने पर 0.5% की छूट
$ रु. 5 लाख से अधिक के ऋणों पर 4% ब्याज दर प्रभार्य
चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज 1% की दर पर होगा

B. Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 120 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated with in 10 working days of drawl from NBCFDC.

Period	ROI
1-120 days	3%
120-180 days	6%
Above 180 days	8%

NOTE 17 OTHER INCOME

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	12.00	13.23
Interest subsidy on Education Loan	-	1.12
Sub Total (a)	**12.00**	**14.35**
b) Interest from Banks		
Interest on savings bank	68.10	77.26
Interest on fixed deposits	728.83	1,399.57
Sub Total (b)	**796.93**	**1,476.83**
c) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous income	24.10	0.19
Total	**833.03**	**1,491.37**

Note 17.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 17.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustement of ₹ 4.32 Lakhs (₹ 5.29 lakhs as at 31.03.2017)

Note 17.3 In terms of Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 , Interest from Bnaks has shown in 'Other Income" instead of Revenue from Operation and has resulted overstatement 'Other Income of ₹ 796.93 Lakhs (₹ 1476.83 Lakhs as at 31.03.2017) and understatement 'Revenue from Operation of ₹ 796.93 Lakhs (₹ 1476.83 Lakhs as at 31.03.2017)

NOTE 18 ALLOWANCE FOR LOANS & ADVANCES

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Allowance for Loans & advances	-	-
Total	-	-

NOTE 19 PENAL INTEREST AND OTHERS WAIVED OFF

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Penal Interest waived off	257.56	133.68
Total	**257.56**	**133.68**

ख. अग्रिम धनराशि पर ब्याज: एस.सी.ए. द्वारा 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वित्तीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुर्नवित्तीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वित्तीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

अवधि	ब्याज की दर
1-120 दिन	3%
120-180 दिन	6%
180 दिनों से अधिक	8%

टिप्पणी: 17 अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	12.00	13.23
औक्षिक ऋण पर ब्याज की रियायत	-	1.12
उप योग (क)	**12.00**	**14.35**
ख) बैंको से ब्याज		
बचत खाते पर ब्याज	68.10	77.26
सावधि जमाओं पर ब्याज	728.83	1,399.57
उप योग (ख)	**796.93**	**1,476.83**
ग) अन्य गैर–संचालन आय		
विविध आय	24.10	0.19
योग	**833.03**	**1,491.37**

टिप्पणी 17.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 17.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में रु. 4.32 लाख (31.03.2017 को रु. 5.29 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 17.3 कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय लेखाकरण मानक की अनुसूची III के संदर्भ में, बैंक से ब्याज को संचालन से राजस्व के बजाय 'अन्य आय' में दिखाया है और इसके परिणामस्वरूप अन्य आय रु. 796.93 लाख (31.03.2017 को रु. 1476.83 लाख) का अधि–कथन एवं संचालन से आय रु. 796.93 लाख (31.3.2017 को रु. 1476.83 लाख) की न्यूनोक्ति हुई है।

टिप्पणी: 18 ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध	-	-
योग	-	-

टिप्पणी: 19 माफ किया गया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	257.56	133.68
योग	**257.56**	**133.68**

NOTE 20 EMPLOYEE BENEFITS COST

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	675.15	498.67
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	109.56	157.88
c) Staff welfare expenses		
- Leave Travel Concession	6.97	0.13
- Medical Reimbursements	22.18	5.95
- Others	6.50	7.82
Total	**820.36**	**670.45**

Note 20.1 Others includes Interest on loan to employees fair value adjustement of ₹ 4.32 Lakhs (₹ 5.29 lakhs as at 31.03.17)

NOTE 21 DEPRECIATION & AMORTIZATION COSTS

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	14.07	8.18
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	4.49	0.78
Total	18.56	8.96

NOTE 22 TRAINING AND OTHER DEVELOPMENTAL EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	2,185.51	1,813.12
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 14.2)	(1,486.27)	(704.93)
Sub Total (A)	699.24	1,108.19
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	48.50	47.93
Performance linked Grant in aid (SCAs)	157.27	-
Publicity Grant to SCAs	4.90	5.16
Sub Total (B)	210.67	53.09
Total	**909.91**	**1,161.28**

Note 22.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of Rs.6360.00. lakhs (Previous year ₹ 5265.39 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 918.77 lakhs (Previous year Rs.1442.82 lakhs) are awaited as at year end.

Note 22.2 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of Rs.157.27 lakhs (Previous year nil) to incentavizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and puchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for Rs 19.00 lakhs (Previous year ₹ nil) are awaited as at year end.

टिप्पणी : 20 कर्मचारी लाभ लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ		
– वेतन एवं भत्ते	675.15	498.67
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
– भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	109.56	157.88
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
– यात्रा रियायत अवकाश	6.97	0.13
– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	22.18	5.95
– अन्य	6.50	7.82
योग	**820.36**	**670.45**

टिप्पणी 20.1 अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन रु. 4.31 लाख (31.3.17 को रु. 5.29 लाख) सम्मिलित है।

टिप्पणी : 21 मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	14.07	8.18
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	4.49	0.78
योग	18.56	8.96

टिप्पणी : 22 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	2,185.51	1,813.12
घटाएं–वर्ष के दौरान माने गए/अवमुक्त (टिप्पणी सं. 14.2 देखें)	(1,486.27)	(704.93)
उप योग (क)	699.24	1,108.19
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	48.50	47.93
प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.)	157.27	-
एस.सी.ए. को प्रचार–प्रसार अनुदान	4.90	5.16
उप योग (ख)	210.67	53.09
योग	**909.91**	**1,161.28**

टिप्पणी 22.1 निगम ने अब तक रु. 6360.00 लाख (गत् वर्ष 5265.39 लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया गया है जिसमें एस.सी.ए. के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान में से रु. 918.77 लाख (गत् वर्ष 1442.82 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 22.2 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए रु. 157.27 लाख (गत् वर्ष शून्य) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित सकल अनुदान में से रु. 19.00 लाख (गत् वर्ष शून्य) के उपभोग प्रमाण–पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

NOTE 23 OTHER EXPENSES

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration(Refer Note No-23.1)	1.51	1.16
Repair & Maintenance (Building)	1.28	0.51
Repair & Maintenance (Equipment & others)	10.48	17.64
Electricity & Water charges	11.88	9.53
Rent	125.98	102.97
Rates & Taxes	0.39	0.39
Insurance	0.63	0.25
Telephone	8.35	6.53
Travelling Expenses -Directors	3.88	4.56
Travelling Expenses -Staffs & others	16.76	19.07
Conveyance	8.25	10.04
Rebate	7.08	5.14
Vehicle Running & Maintenance	2.19	2.22
Office Expenses & Maintenance	21.45	25.19
Legal & Professional charges	52.56	20.84
Printing & stationery	8.51	6.49
Advertisement	2.28	9.30
Conference and Meetings	9.93	3.15
Monitoring & Evaluation	14.82	-
Recruitment & Training	6.70	0.81
Security & Other Services Charges	32.07	25.75
Other Expenditure	8.67	13.12
Total	**355.65**	**284.66**

Note 23.1 Auditors Remuneration (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Auditor Remuneration	1.51	1.16
For other services, in other capacity	-	-
Total	**1.51**	**1.16**

Note 23.2 Pending the issuance of notification, cess leviable under section 254 of the Companies Act 2013, is not provided for.

NOTE 24 COMPONENTS OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI)/ (EXPENSES)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below#- (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Remeasurement of Defined Benefit plans		
- Gratuity	(6.57)	12.86
Total	(6.57)	12.86

टिप्पणी: 23 अन्य व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी सं 23.1 देखें)	1.51	1.16
मरम्मत एवं रख–रखाव (भवन)	1.28	0.51
मरम्मत एवं रख–रखाव (उपस्कर एवं अन्य)	10.48	17.64
विद्युत एवं पानी प्रभार	11.88	9.53
किराया	125.98	102.97
दरें एवं कर	0.39	0.39
बीमा	0.63	0.25
टेलीफोन	8.35	6.53
यात्रा व्यय–निदेशक	3.88	4.56
यात्रा एवं व्यय–स्टॉफ एवं अन्य	16.76	19.07
कनवेंश	8.25	10.04
छूट	7.08	5.14
वाहन चालन एवं रख–रखाव	2.19	2.22
कार्यालय व्यय एवं रख–रखाव	21.45	25.19
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	52.56	20.84
मुद्रण एवं स्टेशनरी	8.51	6.49
विज्ञापन	2.28	9.30
सम्मेलन एवं बैठकें	9.93	3.15
निगरानी एवं मूल्यांकन	14.82	-
भर्ती एवं प्रशिक्षण	6.70	0.81
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	32.07	25.75
अन्य व्यय	8.67	13.12
योग	**355.65**	**284.66**

टिप्पणी 23.1 अंकेक्षकों का पारिश्रमिक

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षक पारिश्रमिक	1.51	1.16
सेवाओं के लिए, अन्य क्षमता में	-	-
योग	**1.51**	**1.16**

टिप्पणी: 23.2 कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 254 के अंतर्गत लंबित अधिसूचना जारी करना, आरोप्य कर का प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी: 24 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/(व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ–एककीरण नीचे दिखाया गया है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिभाषिक लाभ योजना का पुनः मापन		
– उपदान	(6.57)	12.86
योग	(6.57)	12.86

NOTE 25 EXCEPTIONAL ITEMS

(₹ in Lakhs)

	Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
(i)	Loss on sale of assets (Net)	-	-
(ii)	Sample Write off (Refer Note No. 7)	-	-
(iii)	Service Tax on rent account	-	-
(iv)	Provision for Pension Fund written back	-	-
(v)	Excess Salary Written Back	-	-
(vi)	Income tax Receivable	-	-
(vii)	Excess Provision Written back - Gratuity	-	(0.05)
(viii)	Interest received on Income Tax	(0.27)	-
(ix)	Contribution on Leave Salary recd. From Concor (MD)	-	(15.73)
(x)	Excess Provision Written back -PRP	-	(27.53)
(ix)	Profit on sale of assets	(1.65)	(0.06)
(x)	Excess provision on fair & Exhibition written back	-	(0.02)
(ix)	Security on Telephone Written Off	-	0.02
(x)	Software Dev. Exp. Written back	-	(2.66)
(ix)	Earnest Money Written off	-	(0.20)
(x)	Security & Other Services Charges Written off	-	(0.10)
	Total	**(1.92)**	**(46.34)**

NOTE 26 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES (CSR) EXPENSES

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
(i)	Health Check-up	9.90	-
(ii)	Swachha Bharat Abhiyan	2.30	-
(iii)	Biogas plant	4.73	-
(iv)	Installation of Elecrical Pug Pottery Machine	24.53	-
(v)	Installation of Dough Machine	0.65	-
(vi)	Senitation	3.98	-
	Total	**46.09**	**-**

Note 26.1

a. Gross amount required to be spent : ₹ 58.06 lakh (previous year ₹ 54.18 Lakh) , 2% of the avearge surplus/profit of the last three years i.e. 2% of ₹ 2903.07 Lakh is equal to ₹ 58.06 Lakh (Previous year 2% of ₹ 2708.96 Lakh is ₹ 54.18 Lakh). The Corporation has actually spent ₹ 46.09 Lakhs (previous year ₹ Nil) on CSR. However . An amount of ₹ 82.40 Lakhs has been given as advance for requied purpose and shown under note no. 26.1(B)

टिप्पणी : 25 असाधारण मदें

(लाख रु. में)

	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (शुद्ध)	-	-
(ii)	खारिज किए गए नमूने (टिप्पणी सं. 7 देखें)	-	-
(iii)	किराया खाता पर सेवा कर	-	-
(iv)	पीछे से लाए गए पेंशन निधि के लिए प्रावधान	-	-
(v)	पीछे से लाया गया अतिरिक्त वेतन	-	-
(vi)	प्राप्य आय कर	-	-
(vii)	पीछे से लाए गए अतिरिक्त प्रावधान–उपदान	-	(0.05)
(viii)	आय कर पर प्राप्त ब्याज	(0.27)	-
(ix)	कॉनकोर से वेतन अवकाश अभिलेख पर अंशदान, (प्र.नि.)	-	(15.73)
(x)	पीछे से लाए गए अतिरिक्त प्रावधान–पी.आर.पी	-	(27.53)
(ix)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(1.65)	(0.06)
(x)	पीछे से लाए गए, मेले एवं प्रदर्शनी पर अतिरिक्त प्रावधान	-	(0.02)
(ix)	खारिज की गई टेलीफोन की सिक्योरिटी	-	0.02
(x)	पीछे से लाए गए सॉफ्टवेयर विकास व्यय	-	(2.66)
(ix)	खारिज की गई अग्रिम राशि	-	(0.20)
(x)	खारिज की गई सिक्योरिटी एवं अन्य सेवा प्रभार	-	(0.10)
	योग	**(1.92)**	**(46.34)**

टिप्पणी रु. 26 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	स्वास्थ्य जांच	9.90	-
(ii)	स्वच्छ भारत अभियान	2.30	-
(iii)	बायो–गैस इकाई	4.73	-
(iv)	मिट्टी के बर्तन बनाने की विद्युत मशीन की स्थापना	24.53	-
(v)	आटा गूथने की मशीन की स्थापना	0.65	-
(vi)	साफ–सफाई	3.98	-
	योग	**46.09**	**-**

टिप्पणी : 26.1

क. सकल राशि खर्च करने की आवश्यकता रु. 58.06 लाख (गत् वर्ष रु. 54.18 लाख), गत् तीन वर्षों के औसत आधिक्य/लाभ का 2% यानी रु. 2903.07 लाख जो रु. 58.06 लाख का 2% है तथा रु. 58.02 लाख (गत् वर्ष रु. 2708.96 लाख का 2% रु. 54.18 लाख) के बराबर है। निगम ने वास्तव में सी.एस.आर. पर रु. 46.09 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) खर्च किए हैं। निगम ने वास्तव में रु. 46.09 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) सी.एस.आर. पर व्यय किया है। तथापि, अपेक्षित उद्देश्य के लिए रु. 82.40 लाख की राशि अग्रिम के रूप में दी गई है जैसा कि टिप्पणी संख्या 26.1 (बी) के तहत दर्शाया गया है।

b. Detail of advances during the year is as under:

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Particulars	Amounts	Project
1	Asstt. Director H& T Jangaon	16.00	Providing Frame loom & ashu machines for weavers
2	C.G.C. R. , Khurja	16.10	Terracotta Pottry training & providing machineries
3	D. Devraj Urs Development Corporation	5.70	Providing overhead water tank
4	I.I.E. Guwahti	17.45	6 nos communities toilet block ,R.O Plant , Formation of SHGs
5	I.I.T Delhi	5.75	Modification of existing furnace
7	Kerala Fishieries co.op development. Corporation	2.35	Installation Sanitry nepkin vending machine (7nos)
8	MPCon Ltd.	14.25	Installation Sanitry nepkin vending machine (20 nos)
9	Sikkim Sc/St/Obc Fin. & Development Corporation	4.80	School Adoption programme.
	Total	**82.40**	

c. No related party transcation occurred in relation to CSR Expenses.

d. No provision has been made for CSR Expenses during the year . The income eaned ,if any incidentaly to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses.

NOTE 27 EARNINGS PER SHARE (EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Basic EPS		
From continuing operation	17.46	23.47
Diluted EPS		
From continuing operation	17.35	23.03

Note 27.1 Basic Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share#-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	2013.83	2554.30
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	**2013.83**	**2554.30**
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	115.31	108.81

ख. वर्ष के दौरान अग्रिम का विवरण निम्नानुसार हैः

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	धनराशि	परियोजना
1	सहा.निदेशक, एच एण्ड टी जनगाँव	16.00	बुनकरों को फ्रेम लूम एवं आशु मशीन उपलब्ध कराना
2	सी.जी.सी.आर., खुर्जा	16.10	टेराकोटा पोटरी प्रशिक्षण एवं मशीनों को उपलब्ध कराना
3	डी.देवराज अर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	5.70	पानी की टंकी उपलब्ध कराना
4	आई.आई.ई., गुवाहटी	17.45	6 सामुदायिक शौचालय ब्लाक, आर.ओ. प्लांट, स्व–सहायता समूहों को बनाना
5	आई.आई.टी. दिल्ली	5.75	मौजूदा भट्ठी में परिवर्तन
7	केरल फिशरीज को–आपरे. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	2.35	सैनिटेरी नैपकिन वैंडिंग मशीन की स्थापना (संख्या–7)
8	एमपीकॉन लि.	14.25	सैनिटेरी नैपकिन वैंडिंग मशीन की स्थापना (संख्या–20)
9	सिक्किम एससी/एसटी/ओबीसी फाइने. एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	4.80	स्कूल अंगीकरण कार्यक्रम
	योग	**82.40**	

ग. सी.एस.आर. व्यय के संबंध में संबंधित पक्ष से लेन–लेन नहीं किया गया है।

घ. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। संयोग से सी.एस.आर. परियोजना से यदि कोई आय अर्जित की गई है, सी.एस.आर. व्यय से हटाया गया है।

टिप्पणीः 27 प्रति अंश अर्जन (ई.पी.एस.)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल आय		
सतत् संचालन से	17.46	23.47
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	17.35	23.03

टिप्पणी 27.1 प्रति अंश मूल आय

प्रति अंश मूल आय के आगणन में आय एवं भारित साम्य अंशों का उपयोग किया गया है।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभः		
सतत् संचालन	2013.83	2554.30
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	**2013.83**	**2554.30**
प्रति अंश आय मूल उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	115.31	108.81

27.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share#-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	 **2013.83** **2013.83**	 **2554.30** **2554.30**

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	115.31	110.89
Effect of Dilution :	0.79	-
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**116.10**	**110.89**

NOTES : 28 RELATED PARTY DISCLOSURES (KEY MANAGERIAL PERSONNEL)

(a) Mr. K Narayan, Managing Director

(b) Mr. Arvind Kathuria, General Manager (Planning)

(c) Mr. Ajit Kumar Punia, General Manager (Project)

(d) Mr. Ajit Kumar Samal, Company Secretary

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

(₹ in Lakhs)

Particulars	Managing Director (K. Narayan)	General Manager (Planning)	General Manager (Project)	Company Secretary
Remuneration	42.69	32.40	37.9	20.29
House building loan/others & interest	2.57	0.55	-	-
Loan / interest repaid to Corporation	-	-	-	-
Receivables at year end				
a) Loans	4.92	0.29	-	-
b) Interest receivable on Loan	1.28	1.42	-	-
c) Other receivable	-	-	-	-
Payables at year end				
a) Performance related pay (PRP)	17.40	14.68	13.71	7.78
b) Other current liabilities	-	0.07	1.53	0.03

NOTES 29 CAPITAL MANAGEMENT

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2018 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2018

टिप्पणी 27.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभः		
सतत् संचालन	**2013.83**	**2554.30**
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त तनुकृत आय	**2013.83**	**2554.30**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	115.31	110.89
तनुकृत का प्रभावः	0.79	-
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**116.10**	**110.89**

टिप्पणी: 28 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

(क) श्री के नारायण, प्रबन्ध निदेशक

(ख) श्री अरविंद कथूरिया, महाप्रबन्धक (योजना)

(ग) श्री अजित कुमार पुनिया, महाप्रबन्धक (परियोजना)

(घ) श्री अजित कुमार सामल, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन की प्रकृति एवं मात्रा

(लाख रु. में)

विवरण	प्रबन्ध निदेशक (के. नारायण)	महाप्रबन्धक (योजना)	महाप्रबन्धक (परियोजना)	कंपनी सचिव
पारिश्रमिक	42.69	32.40	37.9	20.29
गृह निर्माण ऋण/अन्य व ब्याज	2.57	0.55	-	-
निगम को अदायगी किए गए ऋण/ब्याज	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य				
क) ऋण	4.92	0.29	-	-
ख) ऋण पर प्राप्य ब्याज	1.28	1.42	-	-
ग) अन्य प्राप्य	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर देय				
क) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पी.आर.पी.)	17.40	14.68	13.71	7.78
ख) अन्य वर्तमान दायित्व	-	0.07	1.53	0.03

टिप्पणी: 29 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि एवं उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत् करती है। लेन–देन की तिथि और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

NOTE 30 FAIR VALUE MEASUREMENTS

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018			As at 31st March 2017		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	6,334.53	-	-	8,880.46
(ii) Other Bank balances	-	-	3,999.00	-	-	9,542.00
(iii) Security Deposits	-	-	4.07	-	-	2.97
(iv) Other Financial Assets	-	-	5,386.19	-	-	4,850.37
(vi) Loans	-	-	151,517.49	-	-	133,174.27
(vi) Staff Loans & advances			116.71			124.28
Total Financial Assets	**-**	**-**	**167,357.99**	**-**	**-**	**156,574.35**
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities			934.40	-	-	1,106.64
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**934.40**	**-**	**-**	**1,106.64**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
	Carrying Value	Fair value	Carrying Value	Fair value
Financial Assets				
(i) Loans	151,517.49	151,517.49	133,181.73	133,181.73
(ii) Staff Loans & advances	116.71	94.96	116.82	114.75
Total Financial Assets	**151,634.20**	**1,51,612.45**	**133,298.55**	**133,296.48**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost#-

टिप्पणी: 30 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.एल.	परिशोधित लागत	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.एल.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	6,334.53	-	-	8,880.46
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	3,999.00	-	-	9,542.00
(iii) प्रतिपूर्ति जमा	-	-	4.07	-	-	2.97
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	5,386.19	-	-	4,850.37
(v) ऋण	-	-	151,517.49	-	-	133,174.27
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम			116.71			124.28
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**167,357.99**	**-**	**-**	**156,574.35**
वित्तीय दायित्व						
(i) अन्य वित्तीय दायित्व			934.40	-	-	1,106.64
कुल वित्तीय दायित्व	**-**	**-**	**934.40**	**-**	**-**	**1,106.64**

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ऋण	151,517.49	151,517.49	133,181.73	133,181.73
(ii) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	116.71	94.96	116.82	114.75
कुल वित्तीय दायित्व	**151,634.20**	**1,51,612.45**	**133,298.55**	**133,296.48**

(i) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

(ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (बिना समायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एव दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है:

FAIR VALUE HIERARCHY AS ON 31-03-2018 **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2018	-	-	151,517.49	151,517.49
Loans to employees	31st March 2018	-	-	116.71	116.71
		-	-	151,634.20	151,634.20

FAIR VALUE HIERARCHY AS ON 31-03-2017 **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2017			133,181.73	133,181.73
Loans to employees	31st March 2017	-	-	114.75	114.75
		-	-	1,33,296.48	1,33,296.48

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below#-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

(लाख रु. में)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2018	-	-	151,517.49	151,517.49
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2018	-	-	116.71	116.71
		-	-	151,634.20	151,634.20

(लाख रु. में)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2017			133,181.73	133,181.73
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2017	-	-	114.75	114.75
		-	-	1,33,296.48	1,33,296.48

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी के वित्तीय जोखिम कार्यकलापों को उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और जिन वित्तीय जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है और कंपनी की नीति एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल ने इन सभी जोखिमों जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं; के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा की और सहमत है:

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम–ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's and NGO. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's and NGO.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviors of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

ग) उधार में जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान है; यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से एस.सी.ए. और गैर–सरकारी संगठन से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए. और एन.जी.ओ. को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभाविता पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत् आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं।

– दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

– उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता से मेल करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

Note : 31 Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2018

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	151,196.12	0%	-	151,196.12
		Interest on Loans	4,564.05	0%	-	4,564.05
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	371.61	15%	55.74	315.87
			7.33	25%	1.83	5.50
			162.61	100%	162.61	-
		Interest on Loans	69.85	15%	10.48	59.37
			34.98	25%	8.75	26.24
			938.04	100%	938.04	-
			157,344.59		**1,177.45**	**156,167.14**

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	133,154.53	0%	-	133,154.53
		Interest on Loans	4,153.65	0%	-	4,153.65
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	8.13	15%	1.22	6.91
			17.11	25%	4.28	12.83
			161.80	100%	161.80	-
		Interest on Loans	13.94	15%	2.09	11.85
			49.98	25%	12.50	37.49
			1,015.21	100%	1,015.21	-
			138,574.35		**1,197.09**	**137,377.26**

टिप्पणी: 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	151,196.12	0%	-	151,196.12
		ऋणों पर ब्याज	4,564.05	0%	-	4,564.05
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखि़म में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	371.61	15%	55.74	315.87
			7.33	25%	1.83	5.50
			162.61	100%	162.61	-
		ऋणों पर ब्याज	69.85	15%	10.48	59.37
			34.98	25%	8.75	26.24
			938.04	100%	938.04	-
			157,344.59		**1,177.45**	**156,167.14**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	133,154.53	0%	-	133,154.53
		ऋणों पर ब्याज	4,153.65	0%	-	4,153.65
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	8.13	15%	1.22	6.91
			17.11	25%	4.28	12.83
			161.80	100%	161.80	-
		ऋणों पर ब्याज	13.94	15%	2.09	11.85
			49.98	25%	12.50	37.49
			1,015.21	100%	1,015.21	-
			138,574.35		**1,197.09**	**137,377.26**

a) Provisions for Expected Credit Lossess of loans and interest thereon, where the amounts are overdue for more than three years and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security. "shall be made as per the Probability of default.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when recognized due to its uncertainty factor.

NOTE 32 KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. **See Note 30** for further disclosures.

NOTE 33 OPERATING SEGMENT REPORTING

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other Financial Institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

NOTE 34 PRIOR PERIOD ERRORS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables	-	-
Trade Receivables	-	-
Net Impact on Equity	-	-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Impact on statement in profit and loss (increase/ (decrease) in profit)		
Other Expenses	-	-
* Attributable to Equity Holders	-	-
	-	-

क) जहां पर धनराशि तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश/ गारंटी अथवा अन्य सेक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक की संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

ख) दिनांक 31.03.2018 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की ध नराशि को अनिश्चितता कारक के कारण जैसे भी और जब भी देय हुआ है, माना गया है।

टिप्पणी: 32 अनिश्चितता आकलन के प्रमुख साधन

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 30 देखें।

टिप्पणी: 33 परिचालन भाग रिर्पोटिंग

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तिय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी: 34 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
साम्य अंश पर प्रभाव (साम्य अंश में वृद्धि/(कमी)		
देय व्यवसाय	-	-
प्राप्त व्यवसाय	-	-
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	-	-

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभाव (लाभ में वृद्धि/कमी)		
अन्य व्यय	-	-
*अंश धारकों पर आरोप्य	-	-
	-	-

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31-03-2018	As at 31-03-2017
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	17.46	23.47
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	17.35	23.03

NOTE 35 CONTINGENT LIABILITIES /ASSET AND COMMITMENTS

Liabilities:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any)is Nil (Nil as at 31.03.2017).

Assets:

Estimated exceed amount on account of leave encashment at the time of superannuation of two employee of ₹ Nil -(as at 31March,2017 Rs.767951/-)

Note 36 **The Corporation has waived off penal interest of ₹ 257.56 lakh (₹ 133.68 lakh as at 31.03.2017), which was booked earlier as income, under One time Settlement Scheme (OTS). The detail is as under#-**

(₹ in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
Jharkhand Scheduled Tribes dev. Corpo.	0.33	-
Punjab BC land dev. Corpo.	51.84	-
Enviournmrnt conservent (NGO)	0.32	-
Andhra Pradesh (BC)	187.86	-
Maharashtra Rajya Itar Magas Vitta Anii Vikas Nigam	7.16	-
Others (Loan to Students)	0.54	0.04
Haryana BC & weaker section kalyan nigam	-	124.76
West Bengal Backward Classes Dev. Corpo.	-	8.88
Om Sewa Sansthan	9.50	-
Total	**257.56**	**133.68**

Note 36.1 In terms of closure of accounts in respect of Om Sewa Sansthan an amount of ₹ 10.12 Lakh written off including penal interest of ₹ 0.62 lakhs not accounted as part of income against provisioning of ₹ 8.99 lakhs towards allowance for loans and advance & interest thereon as on 31.03.2018.

Note 36.2 During the year Arbitration case has been initiated against ‘Maharashtra Rajya Itar Magas Vitta Ani Vikas Nigam ‘ for recovery   of overdue. Full & Final settlement under One time Settlement was taken place in the month of June ‘2018. Hence , Penal Interest received and adjusted as on 31.03.2018 of Rs 7.16 lakh has been reversed and adjusted in other heads under OTS policy of the Corporation.

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) में वृद्धि (कमी)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सत्त संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सत्त संचालन से लाभ, मूल	17.46	23.47
अंशधारकों पर आरोप्य सत्त संचालन से लाभ, तनुकृत	17.35	23.03

टिप्पणी : 35 आकस्मिक दायित्व/संपत्ति और प्रतिबद्धताएँ

दायित्व :

पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम का शुद्ध, यदि कोई है) शून्य है (31.03.3017 को शून्य)

परिसंपत्तियाँ :

दो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के खाते में अनुमानित बढ़ी हुई धनराशि रु. शून्य (31 मार्च 2017 को रु. 767951/–) ।

टिप्पणी : 36 निगम ने रु. 257.56 लाख (31.03.2017 को रु. 133.68 लाख) के दंड ब्याज को माफ कर दिया है, जिसे एकल निपटान योजना (ओ.टी.एस.) के तहत आय के रूप में पहले बुक किया गया था। विवरण निम्नानुसार हैः –

(लाख रु. में)

चैनल सहभागी/अन्य का नाम	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
झारखण्ड अनुसूचित जन–जाति विकास निगम	0.33	-
पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास निगम	51.84	-
इनवरान्मेंटल कंजर्वेशन (गैर–सरकारी संस्थान)	0.32	-
आंध्र प्रदेश (पि.व.)	187.86	-
महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वित्त एनि विकास निगम	7.16	-
अन्य (विद्यार्थियों को ऋण)	0.54	0.04
हरियाणा बी.सी. एण्ड वीकर सेक्संश कल्याण निगम	-	124.76
पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विकास निगम	-	8.88
ओम सेवा संस्थान	9.50	-
योग	**257.56**	**133.68**

टिप्पणी : 36.1 ओम सेवा संस्थान के खातों को बंद करने के मामले में रु. 0.62 लाख के दंड ब्याज सहित रु. 10.12 लाख को माफ किया गया है, को 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिम व उस पर ब्याज रु. 8.99 लाख के प्रावधान के सापेक्ष आय के अंश में रूप में नहीं लिया गया है।

टिप्पणी : 36.2 वर्ष के दौरान 'महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वित्त एनि विकास निगम के विरूद्ध अतिदेय की वसूली के लिए मध्यस्थता मामला शुरू किया गया। माह जून, 2018 में एकल निपटान योजना के तहत पूर्ण और अंतिम निपटान किया गया था। अतः 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. 7.16 लाख के रूप में प्राप्त दंड ब्याज को निगम की ओ.टी.एस. नीति के तहत अन्य शीर्ष में वापस और समायोजित किया गया है।

Note 37 Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

(₹ in Lakhs)

Paticulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accured and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.

Note 38

Note 38.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Partners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments

Note 38.2 The Corporation has initiaed legal action against the defaulting Channel Partners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits. The cumulative Status of legal cases is as under

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	0	1	0	3	4
Decree Execution in process	0	1	0	0	1
Cases dismissed	0	0	0	0	0
Total	0	2	0	3	5

Note 39

Approval of financial statement

The financials statements are approved by board of directors as on 26 /07/2018

टिप्पणी : 37 लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटन

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	-	-
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ–साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय ब्याज की धनराशि और देय धनराशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष बकाया धनराशि	-	-
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य बकाया धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए जाते हैं।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि का निर्धारण किया गया है। इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी: 38

38.1 निगम ने डिफॉल्ट चैनल सहभागियों / गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है और निगम के पास किसी भी भुगतान का कोई दायित्व नहीं है।

38.2 निगम ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों / गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की संचयी स्थिति निम्नानुसार है

विवरण	आपराधिक केस	नागरिक केस	अन्य द्वारा दायर किए गए नागरिक केस	विवाचन/ मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन केस	0	1	0	3	4
प्रक्रिया में न्यायिक निर्णय	0	1	0	0	1
खारिज़ केस	0	0	0	0	0
कुल	0	2	0	3	5

टिप्पणी: 39

वित्तीय विवरण का अनुमोदन

दिनांक 26.07.2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित है!

एन बी सी एफ़ डी सी
N B C F D C

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
ई–मेल: nbcfdc@del3.vsnl.net.in | वेबसाइट: www.nbcfdc.gov.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016
E-mail: nbcfdc@del3.vsnl.net.in | website: www.nbcfdc.gov.in

Designed & Printed by Royal Press